

# विध्यतिरिक्त चतुर्विध वेदवाक्यों का

## मीमांसाशास्त्र - सम्मत - स्वरूप

Vidhyatirikt Chaturvidha Vedwakyon  
Ka

Mimansa Shastra Sammat Swarup

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि-हेतु प्रस्तुत

### शोध - प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री  
गायत्री देवी

पर्यवेक्षक

डा० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव

एम०ए०, डी०फिल्० शास्त्री

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

संस्कृत—विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

१९६०

भारतीय दर्शन में मोमांसा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मोमांसा परमपुरुषार्थभूत मोक्षप्राप्ति के साधन का ज्ञान कराने के साथ ही वैदिक कर्मकाण्ड सम्बन्धी अर्थों का निश्चय कराने में भी सहायक है । पदार्थ का समुचित ज्ञान हुए बिना मनुष्य कितने कर्ममें प्रवृत्त नहीं हो सकता । इस अर्थनिर्णय में उपयोगी प्रमाण वाक्यप्रमाण है । इसके स्वरूप एवं भेदों का ज्ञान जैमिनि प्रतिपादित सूत्रों एवं उसके भाष्यादि के अवलोकन से होता है । इस सम्बन्ध में आचार्य कुमारिल एवं प्रभाकर मित्र आदि प्राचीन एवं माधवा-चार्य, आपदेव, लौगाक्षिभास्कर आदि मध्यकालीन आचार्यों ने भी अपने ग्रन्थों में विवेचन किया है । इन्हीं विचारों के समन्वय के रूप में "विद्ययातिरिक्त घटुर्विद्य वेदवाक्यों का मोमांसाशास्त्र सम्मत स्वरूप" यह शोधग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है ।

श्रेय गुरुवर्य प्रो० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव ॥ विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय ॥ का परम अनुकम्पा के फलस्वरूप यह शोध-ग्रन्थ अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो सका है । उनकी प्रेरणा से मैंने मोमांसा दर्शन से सम्बन्धित विषय पर शोधकार्य प्रारम्भ किया । मोमांसादर्शन की जटिलतम गुणितियों को निरन्तर उन्हीं के समीप बैठकर सुलझाया । इस अध्ययनकाल में गुरुगृह में मुझे स्वजनों की भाँति ही स्नेह, वात्सल्य एवं प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपना परम लौभाग्य मानती हूँ, और यह उनके गुरुगिरिामय पद के अनुकूल ही है ।

मैं अपनी परमादरणीया माँ की हृदय से आभारी हूँ जिन्की अदम्य आकांक्षा और प्रेरणा ने मुझे अध्ययन की इच्छा से विरत नहीं होने दिया, एवम् अनेक बाधाओं का सामना करते हुए उन्हीं ने मुझे अध्ययन हेतु प्रोत्साहन एवं पृष्ठभूमि प्रदान की । मैं अपने श्वशुर जी को भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने

निष्कपट एवं निःस्वार्थ स्नेह से मुझे अपने शोधकार्य की पूर्णता में अत्यधिक सहयोग एवं सम्मल प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अन्य गुरुजनों एवं स्वजनों ने भी शोधकाल में मुझे प्रेरणा एवं सहयोग दिया। गुरुजनों के आशोर्वाद के फलस्वरूप ही यह शोधप्रबन्ध निर्वार्ध रूप से सम्पूर्ण हुआ। विभिन्न पुस्तकालयों के अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने शोधकार्य में उपयोगी दुर्लभ ग्रन्थों को उपलब्ध कराया, <sup>जिन्होंने</sup> मेरा शोधकार्य आगे बढ़ा सका।

ज्ञान के प्रति मेरी श्रद्धा एवं जिज्ञासा का मूर्तरूप यह शोधप्रबन्ध है। मोमांसा जैसे गुरुमय विषय को मैं जो यत्किञ्चित् समझ सकी हूँ उसे लेख रूप में आबद्ध करने का यह मेरा प्रथम प्रयास है जो विद्वन्मूर्धन्यों के समक्ष परीक्षणार्थ प्रस्तुत है।

संस्कृत-विभाग,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

निवेदिका  
मयी देवी  
॥ गायत्री देवी ॥

## भक्ति सूची

अ०, अष्टा०	-	अष्टाध्यायी
अ० मी० कु० वृ०	-	अष्टवरमीमांसा कुतूहलवृत्ति
अर्थ० कौमुदी साहित	-	अर्थसंग्रह कौमुदी संहित
आप० धमे०	-	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
शु० सं०, श्रु०	-	श्रुतीहिता
का० सं०, काठक सं०	-	काठक संहिता
कु० वृ०, कु० वृत्ति	-	कुतूहलवृत्ति
जे० सू०	-	जैमिनीय सूत्र
त० वा०, तन्त्र०	-	तन्त्रवार्तिक
त० ति० रत्ना०	-	तन्त्रसिद्धान्त रत्नावली
ता० ब्रा०	-	ताण्ड्यब्राह्मण
तै० ब्रा०	-	तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै० आ०	-	तैत्तिरीय आरण्यक
तै० सं०	-	तैत्तिरीय संहिता
न्याय०, न्याय सु०,	-	न्यायसूत्र
न्या० वा० ता० टी-	-	न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका
न्याय कु० कीर्तिधना-	-	न्यायकुसुमान्जलि कीर्तिधना
प्र० ह०	-	प्रपञ्च-सूत्र

आ० रा० कि० -	आत्मोक्ति रामायण किष्किन्धाकाण्ड
भा०वे०भाष्य वि० -	भाष्यपिपरण व्याख्या
भाट्ट० -	भाट्टदीपिका
मनु० -	मनुस्मृति
मा० सं० -	माध्वीन्दिन संहिता
मी० सू० -	मीमांसासूत्र
मी०बाल०, मो०, आ०प्र० -	मीमांसाबालप्रकाश
मी० न्याय०मी०न्या० - प्र० -	मीमांसान्यायप्रकाश
मी० परि० -	मीमांसा परिभाषा
मी० की० -	मीमांसा कोस्तुभ
मी०न्याय०की सा०वि० -	मीमांसान्यायप्रकाश को सारपिक्वैवतो टीका
मी० न्यकोश -	मीमांसान्यकोश
मे० सं० -	मेवायणी संहिता
यजु० -	यजुर्वेद
याज्ञ० स्मृति -	याज्ञवल्क्य स्मृति
बृहती प० संहिता -	बृहतीपान्चिका संहिता
वा० सं० -	वाजसनेयि संहिता
श्लो०वा०, श्लोक० -	श्लोकवार्तिक
शत० आ० -	शतपथब्राह्मण
शा० दो० -	शास्त्रदीपिका
शा० भा० -	शाबरभाष्य
षड्ब्रा०प्र०ख० -	षड्विकी ब्राह्मण, प्रश्न, छण्ड
ता०सं० उ० -	तामतीहता, उतराधिक

प्रथम अध्याय -

विषय प्रवेश, मीमांसा का व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ, मीमांसाशास्त्र का सीक्ष्य वर्णन, मीमांसा दर्शन के तीन प्रस्थान, प्रस्थानत्रय के प्रमुख आचार्य, वेदवाक्यों का पञ्चधा वर्गीकरण विधि, अर्थवाद, मन्त्र, नामधेय एवं निषेधवाक्यों का स्वरूप एवं प्रामाण्य, विधिवाक्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व ।

1 - 21

द्वितीय अध्याय-

प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में अर्थवादवाक्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व, अर्थवादों का स्वरूप, अर्थवादवाक्यों के विषय में होने वाले कतिपय आक्षेप, सिद्धान्त-क्रियाप्रतिपादक न होने पर भी अर्थवादों की क्रियायत्ता, अर्थवादवाक्यों में विधिकल्पना की अलम्बना, अर्थवादवाक्यों द्वारा पुरुष प्रवर्तन, अर्थवादवाक्यों की विधि के प्रति साकारता, अर्थवादों की अध्ययन विधि द्वारा समुद्योजनता, विधि तथा निषेधवाक्यों का एकवाक्यता, अर्थवाद वाक्यों का अपौरुषेयता, "सोऽरोटीव" आदि के कर्तव्य रूप में न प्राप्त होने के कारण अर्थवादों का शास्त्रदृष्टादि

22 - 87

दोषराहित्य, गुणवाद द्वारा विधेय से भिन्न प्रशंसा का उपपन्न होना, "गुणवाद" से अर्थवादों पर आरोपितोपपत्तौ आदि दोषों का निरास, आख्यातपरक अर्थवादों की उक्तलता, "स्तेनमनः" आदि निन्दा-वाक्यों की विधेय विहरणकथन के प्राति स्तुति-परकता, "तस्मादहं" आदि अर्थवादों द्वारा प्रत्यक्षदृष्ट के विरुद्ध प्रतिपादन न करना, न चैतद्" आदि वाक्य प्रवृत्तानुमन्त्रण कर्म का प्रशंसा करते हैं, "को विं तद्वेद" आदि अर्थवाद तात्कालिक फल की प्रशंसा के लिये हैं, "शोभतेऽस्य" आदि वाक्य गर्गत्रिरात्रे विधि की प्रशंसा करते हैं, "पूर्णाहुत्या०" आदि अर्थवादों द्वारा अधिकार की अपेक्षा से फलप्राप्ति का कथन, अग्निहोत्रादि फलविधियों की सार्थकता, न पृथिव्या०" आदि अर्थवादों में प्राप्तार्थानुवाद हैं, "बजरः प्रावाशणः" आदि वाक्यों की अपौरुषेयता अर्थवादों द्वारा विधिगत सौदग्ध अर्थों की निर्णायकता।

अर्थवादों के कालपर्यय सौदग्ध स्थान -

"ओदुम्बरो यूपो भवति" आदि वाक्य फलविधि नहीं अपितु अर्थवादवाक्य हैं, "तेन ह्यन्नं" आदि वाक्य भी हेतुविधि न होकर अर्थवाद हैं, दर्शपूर्णमास प्रकरण में पठित "निवर्त०" आदि वाक्य अर्थवाद हैं, "हाते ह स्माह" आदि वाक्य गोत्रविधि न होकर परकृति एवं पुराकल्प रूप अर्थवाद के उदाहरण हैं, "यदुटाऋपाजो०" आदि वाक्य गुणविशिष्ट कर्म के विधायक या याग

की संज्ञा नहीं वरन् प्रशंसावाक्य हैं । " न तो प्रशंसा० "

आदि वाक्य निषेधवाक्य नहीं प्रत्युत अर्थवाद  
 हैं, "जतिर्लयावा ग्वा" आदि अर्थवादवाक्यों का  
 "निर्दिष्टो नन्दा न्यायेन पयो विधि का स्ताकत्व ।

अर्थवाद का लक्षण एवं स्वरूपतः भेद तथा  
 अयान्तर भेद, विविध मतों की समीक्षा

तृतीय अध्याय -

४४ - ४३७

प्राचीन एवं मध्यकालीन मानसिकों की दृष्टि  
 में मन्त्रवाक्यों का उपयोगिता एवं महत्त्व-  
 मन्त्रों का स्वल्प, मन्त्रों के सम्बन्ध में होने  
 वाले कतिपय आक्षेप, सिद्धान्त-लौकिकवाक्यों  
 की भाँति वैदिक वाक्यों की अर्थप्रकाशकता,  
 लिखिताभाग में पढ़े गये मन्त्रों का ब्राह्मणभाग  
 में पुनः अक्षर क्रम प्रयोजन, "इमामगृभ्णन्" आदि  
 मन्त्रों का अज्ञानादि दोषप्रयत्नादित्य, अपूर्व,  
 नियम एवं परिच्छेदा विधि का स्वरूप, "उत्प्रया०"  
 आदि पुनर्कथन पुरोडाश-प्रथन कर्म की स्तुति  
 करते हैं, मन्त्रों की अदृष्टार्थता होने पर भी  
 उनकी अर्थ प्रकाशकता है, सम्प्रैष मन्त्र स्मृति  
 के उद्बोधक हैं, "चत्वारि श्रृङ्गा०" आदि  
 मन्त्र गौणार्थ में प्रयुक्त हैं, मन्त्रों द्वारा अवेतन  
 पदार्थों का वर्णन भी गाणाभिधान है, मन्त्रों  
 का गौणार्थ मानने पर विस्तृतार्थार्थपादन रूप  
 दोष निवृत्त होता है, मन्त्रों की अर्थप्रकाशकता  
 यज्ञकाल में ही है, मन्त्र तदैव विद्यमान पदार्थों का  
 प्रकाशन करते हैं, मन्त्रों में अनेक पदार्थों का संयोग



वीर्णित न होकर नित्य पदार्थों का वर्णन है, "विष्णुशा-मर्थ्य" से मन्त्रों की अर्थप्रकारा-कता सिद्ध है, "उदरान" भी मन्त्रों की अर्थप्रकारकता में प्रमाण है, मन्त्रों की व्याख्या पिथिमन्त्रों में प्राप्त होने से भी मन्त्र प्रामाणिक सिद्ध होते हैं ।

मामांस्कों के अनुसार मन्त्रलक्षण, मन्त्र के मुख्य एवं अवान्तर भेद, विविध मतों को समाक्षा ।

चतुर्थ अध्याय -

138- 204

प्राचीन एवं मध्यकालीन मामांस्कों को दृष्टि में नामधेयवाक्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व-नामधेयों का स्वस्व, वादो द्वारा नामधेयों के सम्बन्ध में किये जाने वाले आक्षेप, सिद्धान्त- "उदाभिदादि०" नामधेयपदों की पुरुषार्थता, यौगिक पदों का विधि के साथ नामधेय के रूप में अन्वय, उदाभिदादि यौगिक नामधेयों में गुण विधे नहीं है, नामधेय पदों को गुणविधे मानने पर वैश्वश्रिक्रियापात्त, उदाभिदादि पदों में गुणविशिष्ट विधित्व का अभाव, नामधेय क्रियार्थक हैं, नामधेयपदों को श्रित्क्वरण एवं संकल्पादि में उपयोगिता, यौगिक-नामधेय पदों का यागविधि के साथ सामानाधिकरण्य, उदाभिदादि पदों को मत्वर्थ लक्षणा के भय से याग-नामधेयता । मीमांसक मत में रूढ वेदिकशब्दों का यागनामधेयत्व-पूर्वपक्ष, सिद्धान्त-वाक्यभेद दोष प्राप्त

होने से "चित्रया०" आदि पद गुणविधायक नहीं है, कल्पना गौरव की निवृत्ति के लिये रूढ पदों में गुणविशेष विधि का छुड़ना, चित्रा में गुण विधि मानने पर फलविधायक पद का व्यर्थता, यागविधि के साथ सामानाधिकरण्य होने से चित्रा आदि पदों की कर्मनामधेयता, अन्य रूढ वैदिक पद भी यागकर्म का संज्ञा ही हैं ।

मीमांसक मत में योगरूढ पदों का नामधेयत्व-पूर्वपक्षा द्वारा आरोपित कतिपय दोष, सिद्धान्त-शास्त्रान्तर से देवता के प्राप्त होने के कारण अग्निहोत्रादि पद गुणविधायक नहीं हैं, "यदग्नये०" आदि के चतुर्थ्यन्त होने पर भी वाक्यभेद नहीं होता, मन्त्रप्राप्त अर्थ का अनुवादक होने से "यदग्नये०" आदि द्वारा मान्त्रवर्णिक अग्नि का आध नहीं होता, अन्य योगरूढ पद भी तत्प्रुख्यता के कारण यागकर्म का संज्ञा ही हैं, अग्निहोत्रादि पदों का याग विधि के साथ सामानाधिकरण्य । लोकरूढ पदों का यागनामधेयत्व-पूर्वपक्षा द्वारा उदभावेत्त कतिपय दोष, समाधान-शयेनादि लोकरूढ पद गुण के नहीं प्रत्युत यागकर्म के वाचक हैं, शयेनादि वाक्य गुणविशेष कर्म के विधायक नहीं हैं, लोक में प्रसिद्ध शयेनादि पद तद्व्यपदेशन्याय से याग के नामधेय हैं, "वाजपेयेन०" आदि वाक्यों में प्रयुक्त "वाजपेय" उगादि पद भी गुण विधायक नहीं वरन याग के वाचक हैं, वाजपेय को यागनामधेयता तत्प्रुख्यन्याय से ही है । वैश्वदेवादि पदों का यागनामधेयत्व, नामधेयपदों के लक्षण एवं भेद, विविध मतों की समीक्षा ।

प्राचीन एवं मध्यकालीन मामांसकों को दृष्टि में निषेधवाक्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व-निषेधों का स्वरूप, पूर्वपक्षा द्वारा निषेधवाक्यों के सम्बन्ध में किये जाने वाले कात्तपय आक्षेप, सिद्धान्त-निषेधों की पुरुषार्थकता है, नञ् सम्बन्ध पदार्थ के विपरीताथे का ओधक है, निषेधगत नञर्थ द्वारा निवर्तना का ओध होता है, अपूर्व, नियम एवं परिसंख्या निषेध, कर्त्ता-भावना के साथ अन्वित होता है, निषेधवाक्य एवं विधिवाक्यों का अन्तर, प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय असम्भव होने पर नञ् का प्रातिपादिकादि के साथ अन्वय होता है, नञर्थ के भावना के साथ अन्वय होने में आधक हेतु, पर्युदास एवं प्रतिषेध का स्वरूप, विकल्पप्राप्ति के भय से "नानुयाजेषु०" आदि स्थलों पर नञ् का भावना से भिन्न के साथ अन्वय, निषेध सदैव प्राप्ति लापेक्ष होता है, "नानुयाजेषु०" आदि वाक्यों में सामान्य से विशेष का आध नहीं है "नानुयाजेषु०" आदि निषेधवाक्यों में पर्युदास है, विकल्प मानने पर अदृष्टव्यापत्ति, अनुयाज के साथ नञ् का अन्वय होने पर भी नित्यसमासापत्ति नहीं है, "नानुयाजेषु०" आदि में उपसंहार नहीं है, "नार्थेषु०" आदि निषेधों में भी पर्युदास है, विधान और प्रतिषेध दोनों के शास्त्रविहित होने पर प्रतिषेध ही स्वीकार्य है. विहित का

निषेध होने पर विकल्प का विधान, रागतः  
प्राप्त विषयों का शास्त्र द्वारा निषेध  
जानेबटानेवारक ह, पुरुषार्थभूत दानादि का  
भो कृतवर्थ के लिये निषेध होता है, मौमांसकों  
के अनुसार निषेधवाक्यों का लक्षण एवं स्वरूप,  
निषेध वाक्यों के भेद, विविध मतों का समीक्षा।

- |    |                   |       |
|----|-------------------|-------|
| 6- | उपसंहार           | 251-  |
| 7- | सहायक ग्रन्थ सूची | 263 - |

-----

## ॥ प्रथम अध्याय ॥

विषय प्रवेश -

- ॥क॥ मीमांसाशास्त्र का संक्षिप्त परिचय
- ॥ख॥ मीमांसाशास्त्रकृत वेदवाक्यों का वर्गीकरण
- ॥ग॥ पाँचों प्रकार के वाक्यों का स्वरूप परिचय
- ॥घ॥ विधिवाक्यों की उपयोगिता उनका महत्त्व और उनका प्रामाण्य

भारतीय दर्शन आस्तिक और नास्तिक की मान्यता के आधार पर दो भेदों वाला माना जाता है । इसमें नास्तिक दर्शन के छह प्रस्थान हैं— चार्वाक, आर्हत, वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार एवं माध्यमिक । आस्तिक दर्शन के भी छह प्रसिद्ध प्रस्थान हैं - न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा एवम् उत्तरमीमांसा । इन द्वादश दर्शनों के अपने-अपने सूत्र तथा आगम हैं, जिनमें जगत् को उत्पत्ति, आत्मा एवं मोक्ष आदिविषयक विचार प्रतिपादित हैं । आस्तिक दर्शन के अन्तर्गत आने वाली पूर्वोत्तरमीमांसा पूर्णरूपेण वेद के संहिता एवं ब्राह्मणभागों पर आधारित है ।

उक्त विभाजन में "आस्तिकता" का अर्थ है - वेद को प्रमाण मानना । समस्त आस्तिक दर्शनों ने वेदों के प्रामाण्य को स्वीकृत किया है । वेदों को प्रमाण न मानने वाले दर्शन नास्तिक कहे गये हैं । इस प्रसङ्ग में आस्तिकता और नास्तिकता की धारणा ईश्वर या पुनर्जन्म पर आधृत नहीं है ।

वेदों के पूर्वभाग अर्थात् ब्राह्मण एवं संहिता-भाग से मुख्यतः सम्बन्धित होने के कारण इस दर्शन को पूर्वमीमांसा को संज्ञा दी गयी है । वाक्यार्थ-विवेचन प्रधान होने के कारण इसे मीमांसा कहा गया है । मीमांसादर्शन में कर्मकाण्ड से सम्बद्ध अनुष्ठानों के सन्दर्भ में विधि, निषेध एवं मन्त्र आदि का विवेचन ही मुख्य रूप से प्राप्त होता है । अनुष्ठान प्रक्रिया में वैविध्य, दुरुद्धता और असामान्यता के कारण ब्राह्मणग्रन्थों के अर्थ निकालने में प्रायः मत्तभेद और अन्विचय की स्थितियों उपस्थित होती थीं । ऐसे स्थलों पर निर्णयात्मक वाक्यार्थबोध के लिये विवेचित एवं प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों की स्थापना मीमांसा का मुख्य प्रयोजन था ।

"मीमांसा" का व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ -

"मीमांसा" शब्द को "व्युत्पत्ति" "माङ्माने" अथवा "मान् पूजायाम्" धातु से स्वार्थ में "सन्" प्रत्यय एवं "मान्बध्दाङ्गान्भयो दीर्घचाभ्यासस्य"।

इस पाणिनि सूत्र से अभ्यास के अकार को दीर्घ करके हुई है। भ्वादिगणिय "मान्" धातु का अर्थ पूजा एवं चुरादिगणिय "मान्" धातु का अर्थ विचार है। अतः मीमांसा शब्द का अर्थ है - परम-पुरुषार्थ स्वर्ग का कारणभूत प्रशस्त विचार या आदरणीय विवेचना।

सूत्रकार जैमिनि ने मीमांसाशास्त्र के प्रतिज्ञा सूत्र "अथातो धर्मजिज्ञासा" में जिज्ञासा पद का प्रयोग मीमांसा के लिये किया है<sup>2</sup>। "मीमांसा" पद का प्रयोग ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकत्र मिलता है<sup>3</sup>। कोषोत्कृति ब्राह्मण में "मीमांसा" शब्द का प्रयोग विचार विमर्श करने के अर्थ में प्राप्त होता है। उपनिषद् वाङ्मय में भी मीमांसा का तात्पर्य उच्च दार्शनिक विषयों पर विचार करने से है। वस्तुतः मीमांसा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मकाण्ड का स्वरूप-वर्णन ही है। अतः मीमांसादर्शन का प्रारम्भिक स्वरूप कर्मकाण्ड के अनुष्ठानों से सम्बन्धित विषयों को प्रामाणिक रूप में स्थापित करना था।

"मीमांसा" को कई स्थलों पर तन्त्र, न्याय एवं तर्क संज्ञा से अभिहित किया गया है। विधिर्विधेयः तर्कश्च वेदः ॥ पा० ग० सू० ॥ विधि अर्थात् ब्राह्मण, विधेय अर्थात् मन्त्र, तर्क यानी मीमांसादर्शन। दार्शनिक-शिरोमणि वाचस्पति मिश्र ने भी तात्पर्य टीका में "वेदोद्भवस्तर्को मीमांसा" ऐसा कथन

1- पा० सू० 3/1/6

2- पदटाभिराम शास्त्री-सम्पादित अष्टावमीमांसा कु०वृ०भाग-4का भू०पृ०-4

3- "इति मीमांसन्ति ब्रह्मवादिनः" ॥ते०सं०5/7/1॥, "उत्सृज्या" नोत्सृज्यामिति मीमांसन्ते ।" ॥काठक सं०3/3/7 एवं मे०सं०1/8/5 इत्यादि ।

किया है<sup>1</sup>। जिससे इस विचारशास्त्र की तर्करूपता सिद्ध होती है। "यस्तर्केणा-  
नुसन्धत्ते स धर्मो वेद नेतरः" इस मनुस्मृति में उक्त वाक्य में भी तर्क शब्द से  
विचारस्वरूपा मोमांसा ही ग्राह्य है।

मोमांसादर्शन के लिये "वाक्यशास्त्र" शब्द भी व्यवहृत होता है।  
पूर्वमीमांसा वस्तुतः वेद के "वाक्यार्थ-विचार अर्थ" वाली है क्योंकि वेद के  
वाक्यार्थ निर्णय में इसका सर्वाधिक उपयोग है। यथा-"अग्निहोत्रं जुहोति-यद्  
वाक्य कर्म के स्वरूप का व्याख्यान करने के कारण कर्मोत्पत्ति विधिवाक्य है,  
ऐसा अर्थ निर्धारण न तो वैयाकरणों द्वारा किया जा सकता था, और न ही  
तर्कदक्ष नैयायिकों द्वारा सम्भव था। इसीलिये दार्शनिक क्षेत्र में "प्रकृतवाक्यप्रमाण-  
पारावरोधः" संज्ञा का व्यवहार किया जाता रहा है। यहाँ "पद" शब्द  
के द्वारा प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा उचित शब्दों, निवेदनपरक मुनित्रय द्वारा  
निर्मित व्याकरणशास्त्र का ग्रहण किया गया है, "वाक्य" शब्द मोमांसा के लिये  
प्रयुक्त हुआ है, और "प्रमाण" शब्द से तर्कशास्त्र अभिहित हुआ है। याज्ञवल्क्य  
स्मृति<sup>2</sup> में ज्ञान एवं धर्म के मूलस्वरूप चतुर्दशविद्याओं<sup>3</sup> में मोमांसाशास्त्र को गणना  
की गयी है। यही कारण है कि मोमांसाशास्त्र<sup>3</sup> का वाक्यार्थ निर्णय प्रसङ्ग

1- "मोमांसासंज्ञक तर्कः सर्ववेदसमुद्भवः,

तोऽतो वेदो समाप्राप्त काष्ठादिलज्जाम्बुक् ।" § न्याय वा० ता० टी० पृ०-6।

2- "पुराणन्यायमोमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ।"

§ याज्ञ० स्मृति आचाराध्याय, श्लोक-3

3- "प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा,

शासनात् शसनाच्चैव शास्त्रमित्यभिधीयते ।"

§ श्लो० वा० शब्दपरिच्छेद, श्लो०-4 §



में महान् समादर है ।

इस शास्त्र को पूर्वमीमांसा कहने का एक कारण यह भी है कि ब्रह्मज्ञान को इच्छा करने के पूर्व कर्मकाण्ड तथा धर्म का विचार अर्थात् ज्ञान आवश्यक है । धर्मज्ञान के उपरान्त ही मुनुष्य वेदान्त या उत्तरमीमांसा में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा का अधिकारी हो सकेगा । अतः वैदिक अर्थों के निश्चय हेतु मीमांसा दर्शन को अत्यधिक एवम् अपरिहार्य उपयोगिता स्वतः सिद्ध है ।

### मीमांसाशास्त्र का संक्षिप्त वर्णन

भारतीय दर्शन वाङ्मय में मीमांसादर्शन का विषय आकार एवं साहित्य सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । विषयभेद से इसके दो भाग हैं, षाडशाध्यात्मक पूर्वमीमांसा और षोडशाध्यायात्मक उत्तरमीमांसा ।<sup>2</sup>

1- जैसा कि जयकृष्ण मिश्र ने भी कहा है -

"नेवाश्रावि गुरोर्मतं न विदितं कौमारिर्त्वा दर्शनम्,  
तत्त्वज्ञानमहो न शास्त्रिकगिरा वाचस्पतेः का कथा ।  
सुक्तं नापि महोदधेरधिगतं माहाव्रती नेक्षिता,  
सुम्ना वस्तु विचारणा नृपशुभिः स्वस्थैः कथं स्थीयते ॥

2- "तदिदं विश्वात्यध्यायनिबद्धम् ऽमीमांसाशास्त्रम् ऽ तत्र षोडशाध्यायनिबद्धं पूर्वमीमांसाशास्त्रम् पूर्वकाण्डस्य धर्मविचारपरायणं जैमिनिवृत्तम् । तदन्यदध्यायचतुष्कम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचार-परायणं व्यासवृत्तम् ।"

॥ प्रपञ्चसूत्र पृ० 38-39 ॥

जैमिनि के सूत्रों के अपलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य जैमिनि इसके आद्य आचार्य नहीं है। उनके पूर्व मीमांसा-दर्शन के व्याख्यान की एक दोष परम्परा विद्यमान थी। जैमिनि के सूत्रों में "ओङ्लोमि", "आशमरथ्य" "ऐतिशायन" आदि अनेक विधानों के मत का उल्लेख मिलने से इस मत की पुष्टि होती है। जैमिनि ने जो उक्त प्रवाद को सूत्रबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः जैमिनि के पूर्ववर्ती किसी आचार्य द्वारा विरचित कोई मीमांसा-ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। जैमिनि ने मीमांसादर्शन को लिपिबद्ध सूत्र-साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया है, अतः इसे "जैमिनोय-दर्शन" भी कहते हैं।

आचार्य "जैमिनि" द्वारा विरचित सूत्र ग्रन्थ के तर्कणकाण्ड §13-16§ नामक चार अध्यायों के पठन-पाठन के शैथिल्य के कारण यह भाग लुप्तप्राय है। इसके ऊपर शबर स्वामी कृत भाष्य न होने के कारण ही यह भाग मुख्यतः लुप्तप्राय हुआ। इस भाग पर केवल दो-तीन ग्रन्थकारों ने ही संक्षिप्त भाष्य लिखा है।

ओङ्शाध्यायी पर सर्वप्रथम "ओङ्धायन" ने कृतकोटि नामक भाष्य लिखा। तत्पश्चात् विपुलता के कारण इसका उचित पठन-पाठन न होते देख "उपवर्ष" ने इन सूत्रों का संक्षिप्त में भाष्य लिखा। इस वृत्ति के अनेक वाक्य शाबरभाष्य में उद्धृत हैं।<sup>2</sup> "शंकराचार्य" ने भी अपने शारीरिक भाष्य में उपवर्ष की वृत्ति के अनेक उद्धरण दिये हैं।<sup>3</sup>

1- "तेन प्रोक्तम्" §अष्टा0 4/3/101 §

2- द्र0-मीमांसाभाष्य 1/1/5 "वृत्तिकारस्तु" अत्रगौरित्यत्र तच्चैतद वृत्तिकारेण 2/1/32, 2/1/31, 2/1

3- "वर्णा एव तु शब्दाः" 1/3/28, "अतएवोपवर्षाचार्येण0 3/3/53 §शारीरिकभाष्य§

इसके अतिरिक्त "पार्थसारथि मिश्र" के "तत्त्वरत्नाकर तथा वेदान्तदेशिक" को "शेखरमीमांसा" में इनका उल्लेख मिलता है ।<sup>1</sup> इसी को भाष्यकार ने "महाभाष्य" के नाम से व्यवहृत किया है ।

### भवस्वामी या देवस्वामी का मीमांसाभाष्य-

उपवर्ष कृत भाष्य की जनसामान्य के प्रति दुर्ज्ञेयता देखकर भवस्वामी ने षोडशाध्यायी पर संक्षिप्त व्याख्या लिखी, किन्तु यह व्याख्या इस समय संकल्पकाण्ड पर ही उपलब्ध है । यह व्याख्या 1965 में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है ।

### भवदास -

इनकी व्याख्या उल्लेख प्रपञ्चद्वयकार द्वारा किया गया है । इन्हीं की वृत्ति का उल्लेख कुमारिलभट्ट ने "वृत्यन्तरेषु केषाञ्चिच्च लौकिकार्थ-व्यतिक्रमः" से दर्शाया है ।<sup>2</sup>, तथा अनेक दोष भी उदाहृत किये हैं । इस श्लोक की व्याख्या में पार्थसारथि-मिश्र ने स्पष्टरूप से उनका नाम उल्लेख भी किया है ।<sup>3</sup> कुमारिलभट्ट ने भी प्रतिज्ञासूत्र<sup>4</sup> में भवदास का स्पष्ट रूप से

1- "यत्तुपवर्षवृत्तो-तस्यनिमित्तपरीषिटं न कर्तव्यम्" ॥ ५०-13 ॥

2- द्र०-श्लोक० - प्रतिज्ञासूत्र श्लोक- 33

3- "केषाञ्चिच्च भवदासादीनां वृत्यन्तरेषु" ।

॥ श्लोक० प्रतिज्ञा० श्लोक - 33 की  
न्यायरत्नाकर टीका ॥

4- "समुदायादविच्छिद्य भवदसेन कल्पितात्" ।, ॥ प्रतिज्ञा सू० श्लोक०-63 ॥

"प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।"

तामास्तिकपथे कर्तृमयं यत्नः कृतोभया । ॥ प्र० सू० श्लोक-१० ॥

नामोल्लेख भी किया है । इस प्रकार भवदास कृत भाष्य के अनेक प्राप्त उद्धरणों से उनके भाष्य का स्वरूप अज्ञात होता है ।

इसके अतिरिक्त कृष्ण द्वैपायन व्यास, भर्तृमित्र और भर्तृहरि आदि व्याख्याताओं का भी यत्र तत्र उल्लेख मिलता है । इनके पूर्वमीमांसासम्बन्धी ग्रन्थ का सक्ति कुमारिलभट्ट के श्लोकवार्तिक के उपोद्घातश्लोक तथा उसकी न्याय-रत्नाकर टीका से मिलता है ।<sup>1</sup>

### शबर स्वामी -

आद्य शंकराचार्य ने उत्तरमीमांसा के भाष्य में नामनिर्देशमूर्क "शबर स्वामी" का स्मरण किया है— "इत एवाकृष्याचार्येण शबर स्वामिना प्रमाण-लक्षणे वर्णितम्" । इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि शबर स्वामी शंकराचार्य के पूर्ववर्ती थे । शबर स्वामी ने "सङ्कर्षकाण्ड" को छोड़कर जैमिनि-कृत "द्वादशाध्यायो" पर चौबीस हजार श्लोक के परिमाणवाले<sup>2</sup> मीमांसाभाष्य की रचना की । इस समय उपलब्ध मीमांसाभाष्य ग्रन्थों में शाबरभाष्य सबसे प्राचीन है । इसे मीमांसा-दर्शन का दृढ़ स्तम्भ कहा जा सकता है । इस भाष्य में सभी विद्याओं के उपकारक प्रमाणादियुत अध्यायो द्वारा धर्मतत्त्व का विचार करके निर्णय लिया गया है । प्रत्येक अध्याय का प्रतिपाद्य सुव्यवस्थित है । द्वादशाध्यायी पर्यन्त शाबरभाष्य होने की पुष्टि "भास्करराय" कृत सङ्कर्षकाण्ड भाष्य की समाप्ति होने पर एक

1 - तामाप्तिरूपये कर्तृमयं यत्नः कृतो मया । १५०५० श्लोक-10१

2 - "पुनराचार्येण शबर स्वामिना पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य चतुर्विंशतिसहस्रेः अतिस्मिणेण कृतम् ।" १५० ह० प०-39 १

श्लोक से मिलती है, जिसमें कहा गया है "कि अभी तक जो मीमांसा त्रिपदा गायत्री के समान चतुर्थभाग से रहित थी उसे मेने भ्रमपूर्वक पूर्ण अर्थात् सोलह कलाओं या चार पादों से युक्त कर दिया है ।"

जबकि वैष्णवाचार्य आदि कतिपय विद्वानों ने क्षीरकाण्ड को जेमिनि प्रणीत न मानकर "काशकृतस्त्र" प्रणीत माना है और यह सम्भावना व्यक्त की है कि इसी कारण शबरस्वामी ने द्वादशाध्याय पर्यन्त ही भाष्य लिखा है ।

भगवान् शङ्कराचार्य ने "तमन्वयसूत्रभाष्य" में - "तथा च शास्त्र-तात्पर्यविदानुक्रमं दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं नाम" <sup>1</sup> कहा है । इस उल्लेख से भाष्यकार शबरस्वामी की महिमा का ही प्रतिपादन होता है । इस भाष्य को वस्तुतः तत्कालीन भर्तृमित्र आदि विद्वानों ने बाधित करने का प्रयत्न किया था । उन्हीं दोषपूर्ण व्याख्याओं के उखडन के लिये इस भाष्य पर आचार्य कुमारिलभट्ट ने वास्तविक अर्थ के प्रकाशन के लिये सर्वतोमुखी वार्तिकों की रचना की थी । जिससे इस भाष्य की गरिमा का ज्ञान होता है ।

### मीमांसादर्शन के तीन प्रस्थान

शाबरभाष्य की व्याख्या को आधाररूप में मानकर तीन व्याख्यान या प्रस्थान प्रवृत्त हुए । प्रथम प्रस्थान "कोमारिल" कहा जाता है । इसी को अभ्युक्तों द्वारा "भाट्ट प्रस्थान" भी कहा जाता है । जिसका अनुसरण

करते हुए मण्डनमिश्र, सुविरितमिश्र, पार्थसारथि, भवदेव, ऊडदेव आदि विद्वानों ने क्रमशः विधि विवेक, तात्पर्य टीका, काशिका, शास्त्रदीपिका, तोतातिल-मततिलक, भाट्टदीपिका जैसे गुरु-गम्भीर ग्रन्थों का प्रणयन किया ।

द्वितीय प्रस्थान प्रभाकर मिश्र का है जो "गुरुमत" के नाम से विख्यात हुआ । इसके अनुयायी, शालिकनाथ, भवनाथ, नन्दीश्वर, क्षीरसागर एवं रामानुजाचार्य आदि विद्वान् हुए । जिन्होंने क्रमशः प्रकरणपञ्चिका, नयविवेक, भाष्यदीप, प्रभाकरविजय, तन्त्ररहस्य आदि विस्तृत ग्रन्थों की रचना की ।

तृतीय-प्रस्थान "मुरारिमिश्र" का है । इसका स्मरण सुधीजन 'मुरारेस्तृतीयापन्थाः' वाक्य द्वारा करते हैं ।

कुछ विद्वानों का मत है कि "भर्तृमित्र" का भी एक अलग सम्प्रदाय था, किन्तु इसके ठोस प्रमाण हमें नहीं उपलब्ध होते ।

उक्त प्रस्थानों में से भाट्ट और प्रभाकर प्रस्थानों के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा मिलती है, किन्तु मुरारि-प्रस्थान का सिद्धान्तप्रतिपादक कोई भी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । उपर्युक्त दोनों प्रस्थानों में भी "भाट्टमत" का अधिक प्रचार है, जबकि "प्रभाकर मत" का प्रचार न्यून है । मुरारिमिश्र के मत का सर्वप्रथम उल्लेख हमें नैयायिकों के "परतः-प्रमाणवाद" के निरास के प्रसङ्ग में मिलता है । यद्यपि भाट्ट-प्रभाकर दोनों प्रस्थानों के अवान्तर सिद्धान्तों में भेद है, तथापि इनके मौलिक सिद्धान्त प्रायः एक जैसे हैं ।

प्रस्थानत्रय के प्रमुख आचार्य -

1- कुमारिल भट्ट- §650 से 710§

भारतीय दार्शनिकों में कुमारिलभट्ट का स्थान अप्रतिम है । इन्होंने वेदविरोधी जैन और बौद्ध दार्शनिकों के मत का जोरदार ऊडन किया है,

और वैदिक धर्म के पुनर्स्थापन का प्रयास किया है। जेमिनीय सूत्रों की व्याख्या के रूप में इन्होंने तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया। श्लोकवार्तिक-द्वादशाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथमपाद {तर्कपाद} की व्याख्या रूप श्लोकवार्तिक की रचना की। इसमें तर्क के आधार पर पूर्वपक्ष का बड़ा ही युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है। साथ ही इस ग्रन्थ में पथभ्रष्ट हो गये भूमिवादि मीमांसकों के मत का खण्डन किया गया है। इस ग्रन्थ के ऊपर उम्मेकभट्ट की "तात्पर्य-टीका" जयमिश्र को "शर्करिका" सुचरित मिश्र की काशिका तथा शास्त्रदोषिका-कार पार्थसारथि मिश्र की "न्यायरत्नाकर" टीका लिखी गई है, जो कि इसके मरुस्व को दर्शाती है।

### ॥ख॥ तन्त्रवार्तिक -

द्वादशाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर तृतीय अध्याय पर्यन्त जेमिनीय सूत्रों पर यह ग्रन्थ आधारित है। इसकी तीन प्रमुख टीकायें हैं - 1- परितोष मिश्र कृत "अजिता" 2- भवदेव का "तौतातितमततित्वक" 3- साम्नेवर भट्ट कृत "न्याय-सुधा" या "राणक" टीका।

### ॥ग॥ दृष्टीका-

द्वादशलक्षणी के चतुर्थ अध्याय से लेकर शेषभाग पर कुमारिल भट्ट ने इस संक्षिप्त ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इस पर पार्थसारथि मिश्र ने "तन्त्ररत्न" नाम की टीका लिखी है।

इनके द्वारा विरचित "बृहदटीका" और "कारिका" नामक दो अन्य ग्रन्थ भी थे, जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है।

## 2- प्रभाकर मिश्र - §660-720§

"गुरुमत" या प्रभाकर मत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। प्रभाकर मत में अध्ययनविधि की अपेक्षा अध्यापन विधि महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि आठ वर्ष का बालक उपनयन संस्कार से युक्त होने के पश्चात् वेदाध्ययन को इष्टमान कर उसके अध्ययन का कर्तव्य रूप में पालन करने में नहीं तत्पर हो सकता। यह दायित्व गुरु का है कि वह उसे शिक्षा देकर योग्य बनाये। संभवतः अध्यापक या गुरु को अधिक महत्त्व देने के कारण ही यह मत "गुरुमत" के नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने जैमिनीय सूत्रों पर आधारित दो टीकाग्रन्थ लिखे -

### §क§ वृद्धती -

प्रभाकर मिश्र ने द्वादशाध्यायी के तर्कपाद पर "वृद्धती" की रचना की। इस ग्रन्थ का एक संस्करण वाराणसी से तर्कपादपर्यन्त तथा दूसरा श्रु-विमलापन्चिका सहित 5 भागों में मद्रास से प्रकाशित हुआ है।

### §ख§ लघवी -

प्रभाकर की दूसरी प्रमुख कृति "लघवी" टीका है। यह टीका इस समय अनुपलब्ध है। इस ग्रन्थ पर इनके शिष्य शालिकनाथ मिश्र<sup>ने</sup> "दीपशिखा" टीका लिखी है जो इस समय आख्यार संग्रहालय में सुरक्षित है। वस्तुतः लघवी प्रभाकर की पूर्व रचना है और वृद्धती बाद की। लघवी में द्वादशलक्षणी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर आगे के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसका दूसरा नाम "विवरण" भी है।



§3§ गण्डन मिश्र - §670-720§

ये भाट्टमतानुयाया थे । इन्होंने विधिविवेक, भावनाविवेक एवं विभ्रमविवेक तथा मीमांसानुक्रमाणिका, ब्रह्मसिद्धि, स्वोटीसिद्धि जैसे अत्यन्त पाण्डित्य-पूर्ण मौलिक ग्रन्थों की रचना की है ।

§4§ शालिकर्णनाथ मिश्र - 700-750ई0§

प्रभाकर के शिष्य शालिकर्णनाथ ने उनके "वृहती" एवं "लघुवी" दोनों ही ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं । वृहती की टीका शृङ्गुविमला एवं लघुवी की टीका "दोषशिखा" है । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने प्रभाकरमत का विवेचना के लिये "प्रकरण-पञ्चिका" नामक प्रकरणात्मक ग्रन्थ का प्रणयन किया है । यह काशी विश्वविद्यालय से प्रकाशित है । इसके अतिरिक्त इन्होंने "मीमांसाजीवरक्षा" तथा "वाक्यार्थ मातृकावृत्त" नामक ग्रन्थ भी लिखे हैं । इनके गौडदेशीय होने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

§5§ गोविन्दस्वामी -

इन्होंने शाबरभाष्य पर "भाष्य विवरण" नामक व्याख्या लिखी है । यह प्रथम अध्याय से लेकर तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पर्यन्त ही है । यह व्याख्या तीक्ष्ण परन्तु अत्यन्त स्पष्ट है । इसकी हस्तलिपि आख्यार त्रिशास्य §मद्रास§ में सुरक्षित है । इसका प्रकाशन शाबरभाष्य, तन्त्रवार्तिक तथा न्यायशुधा एवं भाष्योधिना के साथ "तारा पब्लिकेशन्स" वाराणसी से हुआ है ।

1- §क§ "वेदानुकारेण पठ्यमानानाम् मन्वादेस्मृतिषु अपौरुषेयत्वाभिमानिनो

गोणमीमांसकस्यार्थनिश्चयः ।"

§उ§ गौडोमीमांसकपञ्चिकाकारः । गौडो हि वेदाध्ययनाभावात् अवेदत् न जानातीति गौड मीमांसकस्येत्युक्तम् ।" §न्याय कु० की ओधिनीटीका §  
पृ०-121

दू० -मद्रास से प्रकाशित वृहती भाग-2 की प्रस्तावना पृ०-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

### पार्थसारथि मिश्र -

ये भी भादटमत्त के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने जेमिनीय मीमांसा पर "शास्त्रदोषिका" नामक अधिकरण प्रधान ग्रन्थ की रचना की है। यह मीमांसादर्शन का कीर्तिस्तम्भ है। यह मीमांसा का प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है। इसके अतिरिक्त कुमारिल भट्ट का "दृष्टीका" पर इन्होंने "तन्त्र-रत्न" नामक व्याख्याग्रन्थ भी लिखा है।

### माधवाचार्य - १५वीं शताब्दी

पार्थसारथिकृत शास्त्रदोषिका के फिल्लिष्ट होने से मीमांसा दर्शन के विचार को उदयलग्न कराने के लिये माधवाचार्य ने पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष सहित "जेमिनोय न्यायमाला" नामक ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ श्लोकात्मक एवं अधिकरण प्रधान है। इसे ओर अधिक बोधगम्य बनाने के लिये इन्होंने स्वयं ही "विस्तर" नाम्ना सक्षिप्त व्याख्या भी लिखी है। इस ग्रन्थ में लगभग 1500 श्लोक हैं।

### रामकृष्ण -

रामकृष्ण ने शास्त्रदोषिका पर "युक्ति स्नेहप्रपूरणो-सिद्धान्तवन्दित्रा" नामक व्याख्या लिखी थी। इसका तर्कपादान्त भाग "निर्णयसागर प्रेस बम्बई" से प्रकाशित है। यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि इन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रदोषिका का व्याख्या की थी या केवल तर्कपाद पर। इनके अनुसार इनके पूर्व किसी अन्य ने शास्त्रदोषिका का व्याख्या नहीं लिखी थी।

### सोमेश्वरभट्ट - १५९३ ई०

इन्होंने तन्त्रवार्तिक पर "न्यायसुधा" एवं शास्त्रदोषिका पर "कर्पूर-वार्तिक" नाम्ना टीका लिखी है। ये भी भादटमत्तानुयायी हैं।

सोमनाथ - ११५५० से ११६००

इन्होंने शास्त्रदीपिका के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से प्रारम्भ करके आरम्भ अथायपर्यन्त "मयूखमालिका" नाम्ना टीका लिखी है। सम्भव है कि प्रथम पाद पर रामकृष्ण को टाका होने के कारण उसके आगे की व्याख्या लिखी न हो या फिर मीमांसकों में मयूखमालिका को अधिक महत्त्व मिलाने के कारण रामकृष्ण द्वारा शेष भाग पर लिखी टीका नष्ट हो गई हो।

सुदर्शनाचार्य-

इन्होंने भी शास्त्रदीपिका पर "प्रकाश" टीका लिखी है। इन्होंने न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य पर भी सुबोध टीका लिखी है।

खण्डदेव - ११६५० से ११७२२ वि०स०

इन्होंने मीमांसा दर्शन में नव्य-मत को उदभूतिना का। साथ ही जैमिनीय सूत्रों पर व्याख्या ग्रन्थ और "भाट्टदीपिका" नामक अधिकरण-आत्मक एवं "भाट्टरहस्य" नामक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है।

११६५० मीमांसाको सुभ -

यह ग्रन्थ द्वादशाध्यायों के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर तृतीयपाद के अलावा अधिकरण पर्यन्त सूत्रों की व्याख्या है। इस ग्रन्थ में खण्डदेव ने प्रायः सभी प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के मतों का खण्डन मण्डन किया है। यह एक दुरूह गुरुगम्य ग्रन्थ है।

खण्डदेव ने अपने दूसरे ग्रन्थ "भाट्टदोषिका"<sup>की</sup> प्रणयन शास्त्रदोषिका के अनुकरण पर किया है। यह भी मीमांसाकोशुभ को भाँति ही द्वितीय पाद से ही प्रारम्भ किया गया है। इसका प्रथम संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। यह नवम अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे अधिकरण तक ही है। मैसूर संस्करण चार भाग में प्रकाशित है। इस ग्रन्थ पर भाट्टकल्पतरु, भाट्ट-चिन्तामणि नयोद्योत एवं प्रभाक्ती टोका लिखी गई है शम्भुभट्टकृत "प्रभाक्ती" व्याख्या तृतीय अध्याय के तृतीयपाद पर्यन्त ही प्रकाशित है। शम्भुभट्ट खण्डदेव के साक्षात् शिष्य थे। कहीं-कहीं इन्होंने गुरुमत का खण्डन भी किया है।

वासुदेव दाक्षिण - १७४० से १८०० १

इनका प्रमुख ग्रन्थ "अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्ति" है। जैमिनि सूत्रों की यह व्याख्या अत्यन्त उपादेय है। ये अत्यन्त क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को भी अत्यन्त सरलरूप से कथन करने में सिद्धरस्त हैं। यह ग्रन्थ प्रथमाध्याय से लेकर तृतीयाध्याय पर्यन्त कुम्भुस्वामो के संपादन में प्रकाशित हुआ है। इस समय यह चार भागों में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ देहलीसे प्रकाशित हुआ है।

रामेश्वर सूरि -

इन्होंने भी जैमिनि सूत्रों की "सुबोधिनो" नामक सुगमवृत्ति लिखी है यह वाराणसी से प्रकाशित है। इन सूत्रवृत्तिघों के अतिरिक्त "शुधि-पुत्रपरमेश्वर" ने "जैमिनोयसुत्रार्थसंग्रह" नामक उपादेय ग्रन्थ लिखा है।

उक्त व्याख्याग्रन्थों तथा अधिकरणग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक प्रकरणग्रन्थ भी मामांसादर्शन में मिलते हैं। इन्हीं मण्डन मिश्र की "मीमांसानुक्रमणी"

1- यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि मयाऽपि उदभाक्ते काचुना लभ्यते: तदपि प्रचारचतुरे नैवा पुरा भागिता। किन्तु ६ मातिलकाः अशाग्रधिष्णाशास्त्र-बद्धादरा, मदयावय परिहृत्य तत्कृतिभलं कुर्वन्त्वय मे मतिः। १ प्रभाक्ती की प्रस्तावना।

तथा विधिद्विवेक की वाचस्पते मिश्रकृत "न्यायकर्णिका" टीका भी उल्लेखनीय है ।

इसके अतिरिक्त भवनाथ का "नयद्विवेक" नन्दीश्वर का "प्रभाकर-  
द्विजय" राघवानन्द का भाट्टसंग्रह तथा अप्पय दीक्षित कृत "विधिद्विरसाधन" भी  
मीमांसा के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं ।

आपदेव - §1687 सं०

आपदेवकृत "मीमांसा न्यायप्रकाश" प्रकरणग्रन्थों में अन्यतम है ।  
सर्वप्रथम इसी में वेदवाक्यों का पन्चधा विभाजन प्राप्त होता है । इस  
ग्रन्थ में दुरुह सिद्धान्तों को अड़ी ही सरल भाषा में वर्णित किया गया है ।  
इसका दूसरा नाम "आपोदेवो" है। इस ग्रन्थ पर इनके पुत्र अनन्तदेव ने अति भी  
लिखी है ।

"लिंगाक्षिभास्कर" ने "अर्थसंग्रह" नामक लघुकाय ग्रन्थ की रचना की है । जिसपर  
अर्जुनमिश्र §1727 सं० तथा शिवयोगि भिक्षु §1727 विराचित टीका प्राप्त  
होती है ।

"शङ्करभट्ट" इन्होंने "मीमांसाबालप्रकाश" नामक ग्रन्थ लिखा है  
जो मीमांसा के कतिपय पदार्थों का विस्तार से कथन करता है ।

"श्रीकृष्णयज्वा" कृत "मीमांसापरिभाषा" भी एक लघुकाय प्रकरण  
ग्रन्थ है । यह सारगर्भित प्रकरणग्रन्थों को शृङ्खला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।

इन ग्रन्थों के अलावा नारायणभट्ट का "भाट्टभाषा प्रकाशिका"  
कैटाध्वरि का "मीमांसाकण्ठ" तथा चिन्नस्वामी शास्त्री की "तन्त्रसिद्धान्त-  
रत्नावली" मीमांसादर्शन का एक अप्रतिम पुष्प है ।

मौर्खाशास्त्रात् स्मृत वेदवाक्यों का वर्गीकरण स्वरूपपरिचय एवं प्रामाण्य-

आचार्य जैमिनिस्मृत द्वादशाध्यायी में - "अथातो धर्मजिज्ञासा" से धर्म की जिज्ञासा के रूप में प्रतिज्ञा होने से वही धर्म ही प्रतिपादित किया गया है प्रश्न यह उठता है कि धर्म क्या है? तो उसका समाधान यह है कि वेद के प्रयोजन के रूप में पिधायमान याग लोकादि पदार्थ ही "धर्म" है । धर्म का प्रतिपादन करने वाले उस वेद वाक्य के 5 भेद या प्रकार प्राप्त होते हैं -  
1-विधि 2-मन्त्र 3-नामधेय 4-निषेध 5-अर्थवाद<sup>1</sup>

"यजेत स्वर्गकामः" आदि अज्ञातार्थज्ञापक वेदभाग विधि के नाम से व्यक्त होता है ।<sup>2</sup> याग में प्रयोग किये जाने वाले द्रव्य देवता आदि के स्मारक<sup>देवालय</sup> मन्त्र<sup>3</sup>, विधेयार्थ के परिच्छेदक नामधेय<sup>4</sup>, श्येनादि अनर्थभूत कर्मों से पुरुष की निवृत्ति कराने वाले वाक्य निषेध<sup>5</sup>, तथा विधेयार्थ का निन्दा या स्मृति द्वारा विधि को प्ररोचना करके यागादि में पुरुष को प्रवृत्त करने वाले वाक्य अर्थवाद कहलाते हैं ।

1- "स च वेदो विधिमन्त्र नामधेय निषेधार्थवादभेदात् पञ्चविधः" ॥ अर्थसंग्रहः ॥

2- "तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः" ॥ अर्थसंग्रहः ॥

3- "मन्त्राणां च प्रयोगसमवेतार्थस्मारकताऽर्थवत्त्वम्" ॥ मा० न्या० प्र० ॥

4- "नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतयाऽर्थवत्त्वम् ।"

॥ मा० न्या० प्र० ॥

5- "अनर्थहेतोः कर्मणः स्फारशात् पुरुषस्य निवृत्ति-करत्वेन निषेधानां पुरुषार्था-  
नुब्रान्धित्वम् ।" ॥ मा० न्या० प्र० ॥

6- "प्राशस्त्यनिन्दा न्यतरपरं वाक्यमर्थवादः ।"

॥ अर्थसंग्रहः ॥ ।

यह पन्चधा विभाजन केवल नवीन मीमांसकों द्वारा विशेषतः प्रकरण ग्रन्थों में ही मिलता है । जमिनि, शबरस्वामी तथा कुमारेल भट्ट आदि नवी प्राचीन मीमांसकों द्वारा विधि, मन्त्र नामधेय तथा अर्थवाद इन वेदभागों की विस्तृत विवेचना की गई है, किन्तु "निषेध" इस वेदभाग का पृथक् रूप में चर्चा नहीं की गई है ।

किन्तु यह मानना उचित नहीं है कि जब जमिनि आदि प्रामाणिक विद्वानों द्वारा निषेध का प्रामाण्य नहीं स्थापित किया है, तो नव्य मीमांसकों ने कैसे "निषेध" नामक विवेचन वेदभाग को कल्पना कर ली ।

यद्यपि प्राच्य मीमांसकों ने अलग से "निषेध" इस वेदभाग का विवेचना नहीं की और न ही इससे सम्बद्ध किसी अधिकरण का अव्य अधिकरणों के समान रचना नहीं की, किन्तु "बाध" इस शीर्षक से निषेधों के स्वरूप और प्रामाण्य को पन्चम तथा दशम अध्याय में विवेचना की है । प्राचीन मीमांसकों ने वस्तुतः निषेध, को अलग से चर्चा न करके उसे विधि के अन्तर्गत ही परिगणित किया है और ~~क्यों~~ निषेधवाक्यों को भी पुरुषार्थ अधर्म से निवृत्ति रूप पुरुषार्थ प्राप्ति का हेतु बताया है । विधि और निषेध दोनों में ही प्रेरणा शक्ति होती है । यद्यपि निषेध वाक्यों में "नञ्" से विधि का भाति साक्षात् निवर्तना नहीं सम्पादित होता, तथापि लिङ्-प्रत्यययुक्त नञ् द्वारा निवर्तना सम्भव होती है । जिससे पुरुष को अनर्थकारी क्रियाओं से निवृत्ति होकर धर्म का सम्पादन सम्भव होता है । अतः निषेध वाक्यों का भी धर्म के प्रति प्रामाण्य सिद्ध होता है । धर्म में प्रवृत्ति के लिये "अधर्म" क्या है ? इसका भी ज्ञान आवश्यक है और निषेधवाक्यों का यही कार्य है । इस प्रकार वेदगत निषेधवाक्य अधर्मरूप अनिष्टकारा क्रियाओं से पुरुष को निवृत्ति कराने के कारण उपयोगी हैं ।

---

## विधिवाक्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व

मीमांसाशास्त्र में विधि, उपदेश, प्रेरणा आदि एक दूसरे के पर्याय हैं।<sup>1</sup> विधिवाक्यों का विधायकत्व क्रियागत लिङ्, लोट, लेट एवं लब्ध प्रत्यय द्वारा ज्ञात होता है। जैसे "स्वर्गकामो यजेत" इस वाक्य में स्थित "यजेत" पद लिङ् "त" प्रत्यय से युक्त है। यही प्रत्यय विधि प्रत्यय के नाम से भी व्यवहृत होता है।<sup>2</sup> यह श्रोता पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करने के कारण "प्रवर्तना" भी कहलाता है। लोक में यह प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार प्रेरणा देने वाले गुरु आदि में स्थित होता है, जबकि वेद के औपनिषेय होने के कारण यह प्रवर्तना लिङ् आदि प्रेरणाबोधक शब्द में रहती है। प्रभाकर मिश्र ने इस विधिप्रत्यय गत लिङ् आदि का अर्थ प्रवर्तना न मानकर "नियोग" माना है। क्योंकि विधिप्रत्यय अभीष्ट सम्पादन के लिये अपने विषयभूत यागादि में पुरुष को नियुक्त करता है, इसीलिये इसे "नियोग" कहा गया है। नियोग का ही दूसरा नाम कार्य भा है, क्योंकि कार्य पुरुष प्रयत्न द्वारा साध्य है इसीलिये कार्य अपना सिद्धि के लिये नियोज्य पुरुष का नियोग करता है। वेदगत विधिवाक्यों को सुनने के पश्चात् "यह मेरे द्वारा करने योग्य" है ऐसी बुद्धि जिस पुरुष में उत्पन्न होती है वही नियोज्य पुरुष है और जिन लिङ् आदि के भ्रूण से यह बुद्धि उत्पन्न होता है वह विधिप्रत्यय नियोजक अर्थात् प्रेरक होने से प्रेरणारूप है। जैसे "स्वर्गकामो जुह्यात्" आदि वाक्यों में स्वर्ग रूप फल पुरुष प्रयत्न द्वारा साध्य है। अतः स्वर्गफल को कामना से युक्त पुरुष हवन कर्म में नियोज्य है। स्वर्ग की इच्छा से युक्त पुरुष ही काम्य स्वर्ग का होम द्वारा सम्पादन करेगा। अतः इस स्वर्गादि रूप अभीष्ट के यागादि साधन है, क्योंकि साधन ज्ञान के बिना पुरुष करने में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इसीलिये वेद-गत विधिवाक्य अन्य प्रमाण से अज्ञात

---

1- चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः ।<sup>3</sup> श्लोक वार्तिक-ओत्पत्तिक ५  
ध्रुव, श्लोक-11



स्वर्गादि के साधनरूप यागादि का ज्ञान कराने के कारण धर्म में प्रमाण है , क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण के द्वारा यागादि को कार्यरूपता नहीं सिद्ध होती ।

प्रिस प्रकार ज्ञान सदैव विषययुक्त होता है जैसे ही "कृति" अर्थात् प्रयत्न भी सविषयक ही होता है । साथ साधनज्ञान के बिना क्रिया का सम्पादन सम्भव नहीं है । विधिवाक्यगत धात्वर्थ ही क्रिया का करण अर्थात् साधन होता है । अतः धात्वर्थरूप साधन के द्वारा ही पुरुष कार्य का उत्पादक बनता है ।

अपूर्व रूप फल को उद्देश्य करके क्रिया विषयक जो पुरुष का याग, दान आदि व्यापार है वह "कृति" कहलाता है । कृति वस्तुतः चेतन आत्मा का गुण है । जो कि नियोज्य पुरुष में रहता है, क्योंकि कार्य अथवा नियोग को लक्ष्य के लिये चेतन पुरुष ही प्रयत्नवाच होता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि "स्वर्गकामो यजेत" आदि विधिवाक्यगत लिङ्-प्रत्यय "त" प्रेरणा या नियोगरूप है जो ऋज्जके धात्वर्थ स्वर्ग-फलके सम्पादन का करण अर्थात् साधन है, और यह धात्वर्थ ही क्रियारूप भेदे है । इसी को "आख्यात" भी कहा जाता है ।

विधि की यह प्रकृति शक्ति "भावना" कही जाती है । लिङ्गादि का यह अर्थ अभिधा भावना भी कहा जाता है ।<sup>1</sup> वस्तुतः लिङ्गादि विधायक प्रत्यय युक्त वाक्य में दो भावना होती है । स्वर्गादि फल को भावित करने से सम्बन्धित जो प्रेरयिता {लिङ्-गादि} का विशिष्ट व्यापार होता है वही

मीमांसा शास्त्र में भावना के नाम से व्यवहृत होता है ।<sup>1</sup> यह भावना दो प्रकार की होती है शाब्दी भावना एवं आर्थी भावना ।

अभिधासक भावना जब लिङ्गादिप्रत्ययगत शब्द के आश्रित होता है । जो वह शाब्दी भावना कही जाती है । क्योंकि प्रेरणा रूप लिङ्गादि प्रत्यय के श्रवण से पुरुष में प्रवृत्ति बुद्धि उत्पन्न होता है ।

आर्थी भावना विधायक प्रत्यय के आख्यात अंग से सम्बद्ध होती है । यह भावना स्वर्गादि प्रयोजन को इच्छा से उत्पन्न हुआ यागादि क्रिया विषयक व्यापार है, जो कि अभीष्ट फल के सम्पादयिता पुरुष में विद्यमान विधेय यागादि से सम्बद्ध विशेष प्रयत्न है । इस प्रकार शाब्दी-भावना एवं आर्थी भावना भिन्न-भिन्न होती हैं । जहाँ "शाब्दी भावना" लिङ्गादि प्रवर्तना रूप शब्द में रहती है, वहीं "आर्थी भावना" इष्टसाधनता रूप ज्ञान से युक्त पुरुष में रहती है जो कि शाब्दी भावना का साध्य अर्थात् फल है । ये दोनों ही भावनायें साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता रूप अत्रय से युक्त रहती हैं । शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना, साधन क्रिया के प्राशस्त्य से युक्त लिङ्गादि ज्ञान एवं प्राशस्त्यसाहित्यक है । इसी प्रकार पुरुष व्यापार रूप आर्थी भावना का साध्य- "स्वर्गादि", "याग होमादि" साधन एवं समस्त अङ्गसमूहों से युक्त यागादि से स्वर्गादि फल का सम्पादन इतिकर्तव्यता है । मीमांसा सिद्धान्तके अनुसार इन यागादि के सम्पादन से अपूर्व उत्पन्न होता है । जो कि पुरुष की आत्मा में रहता है, और शरीर के त्याग के पश्चात् वह अपूर्व ही पुरुष को स्वर्गादि का प्राप्ति कराता है ।

1- "भावना नाम भवितुर्भावनाऽङ्गुलो भावयितु व्यापार-विशेषः" ।

४ अर्थसंग्रह पृ० ५

2- विस्तार के लिये द्रष्टव्य-प्रिधिविवेक की महाप्रभुलाल गो स्वामी कृत भूमिका

## ॥ द्वितीय अध्याय ॥

अर्थवादवाक्य -

- ॥क॥ प्राचीन एवं मध्यकालीन मोमा'सकों की दृष्टि में  
अर्थवाद एवम् उसकी उपयोगिता
- ॥ख॥ विविध मतों की समीक्षा

## प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में अर्थाद एवं उसकी उपयोगिता

विधिवाक्यों के अनन्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य अर्थाद के सम्बन्ध में उपवर्ष तथा जैमिनि से लेकर शबरस्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, शालिकनाथ, पार्श्वरथ मिश्र प्रभृति मीमांसकों ने जो विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं, उसका प्रमुख कारण यह है कि श्रुति-प्रामाण्यसङ्गत होने पर भी अर्थाद के वास्तविक स्वरूप की अस्पष्टता के कारण इसके सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तिपूर्ण उत्पन्न हो गयी थीं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की प्रशंसा या निन्दा करने वाले वाक्य अर्थाद हैं। मीमांसादर्शन में विधेय याग अथवा द्रव्यादिकी या यागादि से सम्बद्ध वस्तु की निन्दा अथवा प्रशंसा करने वाले वेद-वाक्य "अर्थाद" कहे जाते हैं। इन अर्थाद वाक्यों का अपने आपमें कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि विधेय की प्रशंसा या निन्दा के द्वारा यागादि के प्रति अनुष्ठाता पुरुष में प्रवृत्तिबुद्धि अथवा निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करके ही ये प्रयोजनवान् होते हैं। इस प्रकार यागादि क्रियाओं में पुरुषप्रवर्तन या निवर्तन रूप कार्य के द्वारा ये विधि के उपकारक होते हैं और विधि के विधेय पदार्थों की स्तुति अथवा निन्दा करने के कारण अर्थादवाक्य विधिवाक्यों के अङ्ग हैं। "न क्लृञ्जंभक्षोत्" आदि निषेध स्थलों में जहाँ ये पुरुष में निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करके अनुष्ठाता का उपकार करते हैं, वहाँ ये विधि के अङ्ग ही सिद्ध होते हैं। "वापुर्वक्षेपिष्ठा" आदि प्रशंसावाक्यों से वायव्ययागादि की स्तुति करके भी अनुष्ठाता पुरुष का उपकार करने के कारण विधि के ही अङ्ग सिद्ध होते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर अर्थाद पुरुष प्रवर्तन में सहायक है। इस प्रकार विधि अथवा निषेधवाक्यों के अङ्ग होने के कारण अर्थादों का विधि से पूर्ण स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोजन नहीं है।

प्रश्न यह उठता है कि वे कौन से हेतु हैं, जिनके द्वारा अर्थादों के प्रामाण्य एवं नित्यत्व पर आक्षेप किया गया है। जैमिनिप्रभृति आचार्यों ने

पूर्वपक्ष के रूप में उनका विवरण दिया है, क्योंकि आक्षेप को दृष्टिगत किये बिना उनका उचित समाधान नहीं हो सकता ।<sup>1</sup> वे हेतु अग्रलिखित हैं -

1- अर्थाद निष्प्रयोजन है, क्योंकि वे विधिवाक्यों की भाँति किसी यागादि क्रिया का प्रतिपादन नहीं करते।<sup>2</sup> यहाँ क्रियार्थता का तात्पर्य है यागादि कर्मों या तत्सम्बद्ध किसी द्रव्यादि का कर्तव्यरूप से प्रतिपादन । यथा - "सोऽरोदीत्", "पुजापतिरात्मनोः" इत्यादि अर्थाद वाक्य किसी क्रिया या क्रियासम्बद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं कराते। अतः विधि की भाँति इनका धर्म में प्रामाण्य नहीं है।

2- अध्याहार, विपरिणाम, व्यवहितकल्पना व्यवधारणकल्पना अथवा गुणकल्पना<sup>3</sup> आदि साधनों से अर्थादवाक्यों की विध्यर्थता (कर्तव्यरूपता) कल्पित करना उचित नहीं है, क्योंकि कल्पित होने के कारण वे अनित्य होंगे । अनित्य दोष्ग्रस्त होकर वे नित्य अर्थों का प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे । इसके साथ ही कोई विधि कल्पित करने पर ये वाक्य वाक्यभेद दोष से भी ग्रस्त हो जायेंगे । अतः लक्षणावृत्ति से क्रियार्थता कल्पित करने पर भी व्यवस्थापक हेतु के अभाव में वे धर्म का निश्चय नहीं करा सकेंगे ।

1- "विष्मो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् ।

सिद्धार्थो तेन सम्बन्धः श्रोतुः वक्ता प्रवक्षते ।"

2- "आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्शानाम्"

॥ जै० सूत्र 1/2/1 ॥

3- "अध्याहारो श्रुताक्षेपो व्यत्यासो व्यवधिः पदैः,

मसौ विपरिणामोऽसौ प्रकृतिप्रत्ययान्यथा,

वाक्यान्यथाकरणत्वं व्यवधारणकल्पना । इति प्राचाम्"

- 3- सिद्धार्थ का प्रतिपादन करने के कारण अर्थवाद निराकाङ्क्ष है, <sup>1</sup> इसलिये भी वे व्यर्थ हैं। अर्थवादों को साक्षात् मानने में एक दोष यह भी है कि यदि विधि को अर्थवादापेक्षी मानते हैं तो 'धस्यस्नादिरः सुखो भवति सच्छन्दसामेव रसेनावद्यति' <sup>2</sup> इत्यादि स्तुतिनिरपेक्ष विधिमात्र अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में असमर्थ हो जाएंगी। अतः विधि निराकाङ्क्ष रूप से विधायक है और अर्थवाद मात्र प्रमादपाठ है।
- 4- अर्थवादों की सप्रयोजनता "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" <sup>3</sup> इस अध्ययनविधि से नहीं सिद्ध होती। न ही यह अपूर्व के साधन है। अध्ययनविधि तो स्वर्गार्थ या पापक्षमार्थ अथवा यथाश्रुतार्थ ज्ञान रूप प्रयोजन का विधान करती है। अर्थवादों का पृथक् रूप से कोई प्रयोजन विवक्षित नहीं है।
- 5- विधि और निषेधवाक्यों के साथ एकवाक्यत्व होने से प्राशस्त्य या अप्राशस्त्य रूप लक्षण द्वारा भी अर्थवाद धर्म में प्रमाण नहीं है, क्योंकि विधि या निषेधवाक्यों के साथ इनकी भिन्नवाक्यता ही प्रतीत होती है, न कि एकवाक्यता। इसलिये अर्थवादपद व्यर्थ हैं और वाक्य का एक भाग निष्प्रयोजन होने से सम्पूर्ण वाक्य निष्प्रयोजन सिद्ध होता है।
- 6- अर्थवाद इसलिये भी निष्प्रयोजन हैं, क्योंकि विधिभाग से ही प्रवर्तना सिद्ध हो जाने के कारण स्तुतिवचन निरर्थक हो जाते हैं।

1- "अर्थवादा निराकाङ्क्षा भूतार्थ प्रतिपादनात्"  
विध्युद्देशा समाप्पन्ते विशिष्टार्थविधानतः।"

॥ शा० दी० अर्थवादाधिकरण ॥

2- तै० सं० 3/5/7

3- तै० अ० 2/15/7. शत० ब्रा० 11/5/6/3

- 7- "इतेन मनः," "अनृतपादिनी वाक्" <sup>1</sup> आदि अर्थवादों में शास्त्र-विरोध, "तस्माद्दध्नु एवाग्नेर्दिवा ददृशे" इत्यादि में प्रत्यक्ष का विरोध तथा "न वैतद्विद्मो" षयं ब्राह्मणा वा स्मः— अत्राहमणो वां <sup>2</sup> आदि वाक्यों में शास्त्रदृष्ट पदार्थ का विरोध लक्षित होने से भी अर्थवादवाक्य निरर्थक है। <sup>3</sup> किञ्च "कोट्टि-तद्वेद यथमुष्मिन् लोकेऽस्ति न वा" <sup>4</sup> आदि अर्थवाद वाक्य तो "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग सद्भाव का ही अपलाप करने के कारण स्वार्थ में भी प्रमाण नहीं है ।
- 8- गर्गात्रिरात्र ब्राह्मण में जो यह अर्थवाद सुना जाता है कि "शोभतेऽस्य मुग्म्य एवं वेद" <sup>5</sup> यह यदि भूतार्थ कथन है तो व्यर्थ है, और यदि फलका अनुवाद है तब भी असत् है, क्योंकि वेदानुमन्त्रण काल में अध्वेता के मुग्म पर परिश्रम के कारण शोभा नहीं अपितु क्लान्ति दिखायी देती है। कोई प्रमाण न होने के कारण इसे कालान्तर फलभाषी भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार यहाँ फल विधि भी न होने के कारण ये वाक्य निरर्थक सिद्ध होते हैं । <sup>6</sup>

1- मै० सं० - 4/5/2

2- तै० ब्रा०- 2/1/2

3- ऋ० जै० सू० 1/2/2

4- तै० सं० - 6/1/13

5- ता० ब्रा० 20/16/6, तै० ब्रा० 3/8/10

6- "दुव्यसंस्कारकर्मसुफल-श्रुतिरर्थवादः स्यात्"

॥ , , जै० सू० 4/3/1 ॥

9- अर्धवादवाक्य इसलिये भी निरर्थक है क्योंकि "पूर्णाहुत्या सर्वान्कामानाप्नोति," "पशुबन्धमाजी सर्वाल्लोकानभिजयति," "तरति मृत्युंतरति ब्रह्महत्यां सोऽश्वमेधेन यजते, य उचैनमेधवेद, ये ववन फलववन या भूतार्थमुपाद दोनो ही दृष्टियों से निरर्थक है। क्योंकि पूर्णाहुति कर्म किये बिना अग्नि होत्रादि कर्म सम्पादित नहीं किये जा सकते ।<sup>1</sup> इसीप्रकार अग्नीषोमीय पशुमाग किये बिना पुरुष सोमयाग के लिये अधिकृत नहीं होता । क्योंकि "प्रथमं वा नियम्य" इस नियम से बिना फल प्राप्त किये इतरकर्म का अनुष्ठान अपूर्वसाधन नहीं बनता ।<sup>2</sup> अश्वमेध यज्ञ की विधि का अध्ययन किये बिना याग का अनुष्ठान संभव नहीं। जिस प्रकार मध्वर्षी को यदि मार्ग के मन्दार वृक्ष में ही मधु प्राप्त हो जाय तो वह पर्वत पर क्यों जाएगा ।<sup>2</sup> अर्थात् यदि अल्प प्रयास से ही इष्टप्राप्ति हो तो अधिक समय एवं श्रमसाध्य अग्निहोत्र अश्वमेधादि यज्ञों को कौन करना चाहेगा । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ को कहने के कारण ये प्रमादपठित वाक्य है, प्रामाणिक नहीं है ।

10- अर्धवादवाक्य इसलिये भी धर्म में प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसे अर्थों का प्रतिषेध किया गया है जो प्राप्त ही नहीं है। जैसे -  
"न पृथिव्यामग्निश्चेत्त्यो नान्तरिक्षे लदिवि"<sup>3</sup> इस वाक्य में प्रतिषेध

1- "तथापलाभावात्" § तै० सु० 1/2/3 §

2- अर्के वेन्मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्  
इष्टार्थस्यसंसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत् ।"

§ शा० भा० पू०-4। से उद्धृत §

3- तै० सं० 5/2/7



के अविष्य अन्तरिक्ष में अग्निचयन का निषेध किया गया है, जो निरर्थक है।<sup>1</sup> जबकि द्युलोक में एवं अन्तरिक्ष में अग्निचयन की असम्भत्ता सार्वजनीन प्रत्यक्ष का विषय है। पर्युदास योग्य अन्य अर्थ का अभाव होने से यहाँ पर्युदास का भी आश्रय नहीं लिया जा सकता ; और यदि बाध मानेंगे तो विधि ही निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर तो अग्निचयन नित्यप्राप्त है, अतः उसका प्रतिषेध करने पर यह वाक्य स्वयं व्यर्थ हो जायेगा । ऐसी दशा में विध्यन्तर<sup>2</sup> को बाधित करने वाला अर्थवाद धर्म में भला कैसे प्रमाण होगा ।

"बबरः प्रावाहणिरकामयत"<sup>3</sup> कुसुरुविन्द औददाहृतिकिरकामयत"<sup>4</sup> आदि अर्थवादवाक्यों में बबर, प्रावाहणि आदि अनित्य विषयों का संयोग प्रतिपादित होने से भी अर्थवाद धर्म में प्रमाण नहीं है। क्योंकि इन वाक्यों को भी यदि वेद में संगृहीत किया जाएगा तो सम्पूर्ण वेद <sup>वाक्य</sup> आदिमत्ता दोषग्रस्त हो जाएंगे और अर्थरूप होने से वेदवाक्य अनित्य होंगे ।<sup>5</sup> अतः ये वाक्य धर्म में प्रमाण नहीं हैं, यह सिद्ध होता है ।

अर्थवादों के साथ विधि की एकवाक्यता मानकर अर्थवादों का प्रामाण्य सिद्ध करने में एक दोष यह भी है कि ऐसी दशा में विधि के साथ

- 1- "अभागिप्रतिषेधाच्च" ॥ जै० सू० 1/2/5 ॥
- 2- "हिरण्यं निधाय चेतव्यम्" ॥ अनुपलब्धमूल ॥
- 3- तै० सं० 7/1/302
- 4- तै० सं० 6/2/2/1
- 5- जै० सू० 1/2/6

सभी वाक्यों की एकवाक्यता सिद्ध होगी और सभी वाक्य प्रामाणिक मानने पड़ेगे ।

सिद्धान्त

पूर्वपक्षी के उपरोक्त कथन का खण्डन मीमांसा आचार्यों ने इस प्रकार किया है -

1- क्रियाप्रतिपादन न करने पर भी अर्धवाद निष्प्रयोजन नहीं है

यद्यपि "षोऽरोदीतू" आदि अर्धवाद वाक्य किसी यागादि क्रिया का प्रतिपादन नहीं करते किन्तु यागादि क्रिया की अप्रतिपादकता के आधार पर उनकी निष्प्रयोजनता मान लेना उचित नहीं है। अर्धवादवाक्य लोके विधि के स्तावक अर्थात् प्रशंसा या निन्दा करने वाले वाक्य हैं और इसी कारण वे विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता प्राप्त करते हैं।<sup>1</sup> अतः वे निष्प्रयोजन नहीं हैं। अर्धवादवाक्यों का कार्य विधेय याग या तत्सम्बद्ध द्रव्य-देवता आदि की स्तुति करके पुरुष को उसमें प्रवृत्त कराना है । यद्यपि इष्ट प्राप्ति के साधन होने के कारण यागादि पुरुष के कर्तव्य हैं, तथापि उनका अनुष्ठान दुर्गम होने से पुरुष यागादि के अनुष्ठान में सरलता से नहीं प्रवृत्त होता । ऐसी स्थिति में अर्धवाद वाक्यों द्वारा प्रशंसा करने से पुरुष में यागादि अनुष्ठान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि उत्पन्न होने से उसमें तत्सम्बद्ध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः अर्धवादवाक्य विधिवाक्यों के उपकारक होने के कारण व्यर्थ नहीं हैं अपितु उनके पुरक होने से विधिवाक्यों के अङ्ग ही सिद्ध होते हैं । जैसाकि शास्त्रदीपिकाकार पार्थसारथि मिश्र ने कहा है -

1- "विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थे विधीनां स्युः"

१ पै०सू० 1/2/7 ।

"स्वाध्यायाध्ययनविधिना वेदः पुरुषार्थाय नीयते  
सर्वस्तेनार्थवादानां प्राशस्त्येन प्रमाणात् ।"<sup>1</sup>

वासुदेव दीक्षित के अनुसार भी अर्थवाद विधि के एकदेश § अद्.ग § है, और यह एकदेशता विधि के साथ स्तुति रूप साधन से एकवाक्यता होने के कारण है।<sup>2</sup> इस प्रकार विधि के स्तुतिरूप प्रयोजन को सिद्ध करने से अर्थवाद सप्रयोजन है।

यहाँ पर यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि ऐसे अर्थवाद जो स्तुति करने वाले नहीं हैं प्रत्युत निषेधक है, उनकी विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता संभव नहीं है, क्योंकि निन्दा करने वाले अर्थवादवाक्य नञ् आदि पदों से युक्त निषेधवाक्यों के अद्.ग हैं। अपने निन्दा कार्य के द्वारा वे पुरुष में निषेध्य पदार्थ के प्रति अरुचि उत्पन्न करके उसमें निवृत्ति बुद्धि उत्पन्न करते हैं। अतः

निवृत्ति प्रयोजन होने से वे भी व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य विधि एवं प्रतिषेध वाक्यों के अद्.ग होकर स्तुति एवं निन्दा कार्य के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति निर्णय के हेतु बनते हैं। जिन कतिपय स्थलों में निन्दा वाक्यों का निवर्तन रूप प्रयोजन नहीं है, वहाँ पर वे "नहिनिन्दान्याय" से स्तुति प्रयोजन वाले हैं।<sup>3</sup> इसीलिये स्तुति रूप अर्थवाद विधि और निन्दा रूपार्थ

1- द्र० - शा० दी०-पृ०-8

2- "अर्थवादाविध्येकदेशा

तेन संभूय विशिष्टैकार्थप्रतिपत्तिजनकत्वादित्यर्थः ।"

§ कु०वृ०-पृ०-21 §

3- "न हि स्तुतिनिन्दे नाम व्यतिष्ठते — यथा वक्ष्यति न हि निन्दा निन्द्यै निन्दितुं प्रवर्तते, अपितु विधेयं स्तोतुमिति ।"

§ तन्त्र० - पृ०-15-16 §

निषेधोप कहे जाते हैं। नव्य मीमांसक 'लघुदेव' के अनुसार स्तुति एवं निन्दाज्ञान पुरुष में यागादि अनुष्ठान के प्रति रुचि या द्वेष उत्पन्न करते हैं। इसी कारण वे विधि के प्रवर्तना अथवा निर्वतना रूप प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक हैं।<sup>1</sup>

2- "पूजापतिरात्मनो" आदि अर्थादवाक्यों में अध्याहारादि के द्वारा विधि कल्पित करना उचित नहीं है

"पूजापतिरात्मनो वषामुदलिङ्गत्",<sup>2</sup> "वापुर्वैक्षिपिष्ठादेवता,<sup>3</sup> सोऽरोदीत्<sup>4</sup> आदि वाक्यों में अध्याहारादि साधनों से विधि कल्पित करके इन्हें अनित्य सिद्ध करना भी उचित नहीं है। क्योंकि कल्पना तो वहाँ की जाती है, जहाँ अन्य किसी मार्ग से प्रयोजन न सिद्ध हो। जबकि अर्थादवाक्यों की लक्षणा द्वारा स्तावकता होने के कारण विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता सिद्ध है। ऐसी दशा में वे अक्रियार्थक कहाँ हुए, जिससे उनकी क्रियारूपता कल्पित करनी पड़े। अतः अर्थादवाक्य भी विधिवाक्यों की भाँति ही अपौरुषेय है, और विधि के अङ्ग रूप में उनका भी धर्म में प्रामाण्य है अप्रामाण्य नहीं।

3- अर्थाद विधि के प्रवर्तन कार्य में सत्ताश्रयता करते हैं

वेद के विधि भाग से ही प्रवर्तना सिद्ध हो जाने पर भी अर्थादवाक्यों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि विधि प्रत्यय लिङ्गादि से ही कर्तव्य का प्रतिपादन हो जाता है, किन्तु वे पुरुष प्रवर्तन के लिये पक्ष की उत्कृष्टता रूप कथन<sup>के</sup> हेतु अर्थाद की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि पुरुष को जब तक

1- द्र० - भाट्टदीपिका प्रभावली सहितः पृ०-23

2- तै० सं० 2/1/1

3- तै० सं० 2/1/1/1

4- तै० सं० 1/5/1

यह ज्ञान नहीं होता कि यह कर्म प्रशस्त होने से करने योग्य है तब तक वह उन पागादि कर्म में प्रवृत्त नहीं होता । इस प्रकार विधि की प्रवर्तन शक्ति के शिथिल हो जाने पर अर्थवादवाक्य द्वारा प्रतिपादित प्राशस्त्य ज्ञान उसे पुनः उत्तेजित करता है। अतः अनुष्ठान में अप्रवृत्त पुरुष को प्रवृत्त करने के कारण विधि स्वयं ही अर्थवाद द्वारा प्राशस्त्य प्रतिपादन की अपेक्षा रखती है। इसीलिये विधि प्रत्यय के शाब्दी भावना अंश के - इतिकर्तव्यता रूप में भी अर्थवाद का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अर्थवादों का अपना पृथक् प्रयोजन न होने से यद्यपि वे साक्षात् श्रुति द्वारा धर्म में प्रमाण नहीं हैं तथापि लक्षणा से विधिवाक्यों के प्राशस्त्य वर्णन रूप सामर्थ्य के कारण परम्परया धर्मरूपी प्रामिति को उत्पन्न करते हैं। इस सम्बन्ध में कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रंथ तन्त्रवार्तिक में विस्तार से लिखा है।<sup>1</sup>

#### 4- अर्थवाद वाक्य निराकाङ्क्ष नहीं है

अर्थवाद वाक्यों को निराकाङ्क्ष कह कर उन पर व्यर्थता आरोपित करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे निराकाङ्क्ष न होकर साकाङ्क्ष हैं। यह साकाङ्क्षता परस्पर विधि एवं अर्थवाद वाक्य की है। यद्यपि कहीं-कहीं अर्थवाहरहित विधि भी प्राप्त होती है।<sup>2</sup> जैसे - "यसन्ताय कपिञ्जलानालभेत" आदि स्थलों में । वहाँ भले ही विधि से प्रवर्तना सिद्ध हो, किन्तु अन्य जिन स्थलों पर अर्थवाद वाक्य विधि के समीप पठित हैं वहाँ उनका अपलाप करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर स्तुतिपद व्यर्थ हो जायेंगे । जैसे "वायुर्वैश्वेपिष्ठा- देवता स एव एनं भूतिं गममति" आदि स्तुतिपद प्राप्त होते हैं। अतः ऐसे

1- द्र0-तन्त्रवार्तिक पृ0 14-15

2- "न गम्यमानोऽर्थे विवक्षितानि भवितुमर्हन्ति योऽसौ विध्युद्देशः स शक्नोति निरपेक्षोऽर्थं विधातुं, शक्नोति चस्तुतिपदानां वाक्यश्रेणी भवितुम् ।"

॥ सूत्र 1/2/7 का शाबरभाष्य ॥

अतः अर्थवादों का धर्म में प्रामाण्य है। प्रभाकर मिश्र के अनुसार अर्थवाद सहित विधिवाक्यों से ही कर्तव्यप्राप्ति सम्भव है।<sup>1</sup>

### 5- अर्थवादों की सप्रयोजनता अध्ययन विधि से भी सिद्ध है

"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"<sup>2</sup> यह अध्ययन विधि भी सम्पूर्ण वेद के अर्थज्ञानपूर्वक सप्रयोजन अध्ययन का विधान करती है। इससे अर्थवादों की प्राशस्त्यपरता ही सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्ययन से प्राप्त अक्षर-ग्रहण मात्र से पुरुषार्थ की प्राप्त नहीं होती। इसीलिये अक्षर-ग्रहण के फल के रूप में पदावधारण, पदज्ञान द्वारा अर्थज्ञान, पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान होता है, और वाक्यार्थज्ञानपूर्वक यागादि के अनुष्ठान से स्वर्गादि रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर ही विधि निराकाङ्क्ष होती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण विधिवाक्य पुरुषार्थ प्राप्ति के पूर्व निराकाङ्क्ष नहीं होते। यही मत आचार्य कुमारिल भट्ट का भी है।<sup>3</sup>

ऋग्वेद के मतानुसार स्वाध्यायविधि का "तव्य"प्रत्यय 'प्रेषा'तिसर्गकालेषु<sup>4</sup> इस स्मृति के अनुसार प्रेषवाचक है और प्रेष सदैव प्राप्त कर्तव्य विषय के प्रति प्रवर्तना कराने वाला होता है।

1- "यतो हि कर्तव्यता अवगम्यते सवेदः। अस्माच्चकर्तव्यतावगम्यते।"

॥ बृहती भा०प० सहित पृ० 26 से उद्धृत ॥

2- शा० ब्रा० ॥ 5/7/2

3- तन्त्रवार्तिक-पृ०-13

4- पा० सू० 3/3/163

"प्रवर्तनस्मृतिः प्राप्ते प्रेष इत्यभिधीयते

अप्राप्त प्राप्तं सर्वम् विधित्वं प्रतिपद्यते ।"

ब्राह्मण के अप्राप्तविधयक होने पर भी एकदेशलक्षणा के द्वारा "तद्य" प्रत्यय से प्रेरणा ही कही जाती है। अतः स्वाध्यायविधि के अनुसार भी अर्थवादों का अर्थज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन ही माना जाना उचित है, न कि अदृष्ट फल कल्पित करना ।<sup>1</sup> स्वाध्याय विधि की प्रयोजनरूपता सिद्ध हो जाने पर अर्थवादों में भी तात्पर्यग्राहकता के कारण लक्षणा सिद्ध होती है और वह लक्षणार्थ समीप पठित विधि या निषेध का अपेक्षी होने से स्तुति या निन्दा रूप होता है। यही मत शास्त्रदीपिकाकार का भी है।<sup>2</sup>

श्रीकृष्णभज्जा का कथन है कि अर्थवादों का स्वार्थ में कोई प्रयोजन न होने से और स्वाध्यायविधि के द्वारा अर्थज्ञानरूप फल पर्यन्त विधान होने के कारण विधेयगत प्राशस्त्य का कथन करके अर्थवाद विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करते हैं । अतः वे धर्म रूपी प्रमिति के उत्पादन में सहायक हैं ।

#### 6- विधि तथा निषेधवाक्यों के साथ अर्थवादों की एकवाक्यता है

विधि तथा निषेधवाक्यों के साथ अर्थवादवाक्यों की एकवाक्यता है, भिन्नवाक्यता नहीं । भिन्नवाक्यता तो तब होती जब दोनों का उद्देश्य

1- "अतो वैयर्थ्यपरिहारार्थं प्रयोजनवदर्थज्ञानोद्देशेन स्वाध्यायाध्ययनं विधीयते । प्रयोजनवदर्थज्ञानादि साधनीभूत स्वाध्यायोद्देशेन वाऽध्ययनमात्रं तद्यप्रत्ययेन स्वाध्यायस्य कर्मत्वाभिधानात्"

‡ भाद० पृ० 17-18 ‡

2- ५०-शास्त्रदीपिका पृ०-10 - "अतश्च ——— तद्विपुलप्रवर्तनात् विधिरपेक्षते"।

भिन्न-भिन्न होता अर्थात् दोनों अलग अर्थों का कथन करते । जबकि अर्धवाद वाक्य एवं विधिवाक्य दोनों एक ही अर्थ का कथन करते हैं । जैसे - अर्धवाद-वाक्य "वायुर्वै०" और विधि - "वायव्य०" इन दोनों का उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु श्वेतछाग के आत्मन्त द्वारा पुरुष को वायव्य याग में प्रवृत्त कराना ही है। अतः दोनों की एकवाक्यता सिद्ध है ।

यह एकवाक्यता दो प्रकार की होती है - 1- वाक्यैकवाक्यता  
2- पदैकवाक्यता । शबरस्वामी, वार्तिककार एवं प्रभाकर मिश्र ने अर्धवाद और विधिवाक्य में पदैकवाक्यता मानी है, जबकि माधवाचार्य के अनुसार इनमें पदैकवाक्यता न होकर वाक्यैकवाक्यता<sup>1</sup> है। कुतूहलघृत्तिकार ने भी इनमें पदैकवाक्यता ही मानी है और अपने कथन की पुष्टि के लिये उन्होंने "अर्धकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चैतुर्विभागे स्यात्"<sup>2</sup> इस मीमांसासूत्र को उद्धृत किया है। पदैकवाक्यता वहाँ होती है - जहाँ पर्यवसित प्रयोजन वाला वाक्य समाप्त या असमाप्त प्रयोजन वाले वाक्य के साथ सम्बद्ध होकर एकार्थ-प्रतिपादन करे । यहाँ अर्धवाद गत सभी पद प्राशस्त्य प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि सभी पदों की स्तुतिपरकता न मानने पर पदान्तरवैयर्थ्य और विनिगमनाविरह रूप दोष प्राप्त होंगे । वायव्य विधि एवं अर्धवाद की एकवाक्यता का स्वरूप है - ऐश्वर्यरूप फल हेतु होने से प्रशस्त वायुदेवताक्याग का अनुष्ठान करना चाहिए और लक्षणाच्छक सम्बन्ध का स्वरूप - क्षेपिष्ठादि अर्धवादपदवाच्य, शीघ्रामन आदि गुणों से युक्त वायुदेवताकत्व का समानाधिकरण्य से विधि में अन्वय है ।

1- द्र०-जै० न्याय० विस्तर पृ०-23

2- जै० सू० 2/1/46



जबकि नव्यमीमांसक खण्डदेव<sup>1</sup> एवं शङ्करभट्टादि विद्वानों के मतानुसार विधि एवं अर्थवादवाक्यों की एकवाक्यता 'पदैकवाक्यता' एवं 'वाक्यैकवाक्यता' दोनों प्रकार की है। "वायुर्वै०" आदि अर्थवादों की विधि के साथ पदैकवाक्यता है। जबकि "यजमानः प्रस्तरः" आदि अर्थवाद की "सूक्तपाकेन प्रस्तरं प्रहरति" आदि विधियों के साथ वाक्यैकवाक्यता है। इस सम्यन्ध में उन्होंने अपने भाट्टरहस्य नामक ग्रन्थ में विस्तार से प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अंशत्रय विशिष्ट भावना के विधान से चरितार्थ हो जाने पर भी अर्थवादों का श्रोतार्थ से प्रयोजन न सिद्ध होने कारण वे लक्षणा से स्तुति अथवा निन्दा रूप अर्थ का ज्ञान कराते हुए विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता प्राप्त करते हैं।

7- विधि एवं अर्थवादवाक्यों का प्रयोजन एक होने से अर्थवाद अपौरुषेय है

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि अर्थवाद वाक्यों के बिना भी विधिवाक्य के पुरुषवर्तन से समर्थ होने से अर्थवाद प्रमादपाठ है, इसलिये अनित्य है, क्योंकि अध्ययन, अनध्ययन, गुरु शिष्य परम्परा एवं गुञ्जुल से

1- "पत्रैकस्मिन् पदे प्राशस्त्यलक्षणामङ्गीकृत्य तस्येतरपदार्थेऽन्वयम् अङ्गीकृत्य वाक्यार्थपरिवसानं तत्रार्थवादविध्योर्वाक्यैकवाक्यता । यत्र तुक्तु तथा तत्र सर्वत्र वाक्य एव प्राशस्त्यलक्षणामङ्गीकृत्य पदार्थविध्योपस्थितस्य तस्य विध्यारब्धात्तार्थ एवाऽन्वयात् विध्यर्थवादयोः पदैकवाक्यता ।"

॥ भाट्ट रहस्य पृ०-20पृ०24 ॥

वार्तिककार ने भी अवताधिकरण में कहा है -

"स्वार्थे परिसमाप्तानां अङ्गादिगत्वायपेक्षया वाक्यानामेकवाक्यत्वंपुनः संहत्य जायते ।"

ज्ञान प्राप्ति रूप नियम विधि तथा अर्थाद दोनों में समान रूप से लागू होते हैं और दोनों का अध्ययन रूप प्रयोजन भी समान है।<sup>1</sup> अतः अर्थादों को प्रमादपाठ कहकर उन पर अनित्यता का दोषारोपण उचित नहीं है।

वार्तिककार के अनुसार धर्मसमूह वेदसम्प्रदाय के उपकार के लिये होते हैं और अर्थाद तत्सम्बन्धी स्मरण को दृढ़ कराते हैं। इसीलिये अर्थाद विधि के द्वारा वाञ्छनीय होने से विद्वानों द्वारा समान रूप से आदृत है। अतः विधि की भाँति ही अर्थाद भी सप्रयोजन है। नियम एवं स्मृति भी वेदमूलक हैं।<sup>2</sup> इनमें भी अर्थाद एवं विधि का समान आदर किया जाता है। अर्थादों के निष्प्रयोजन होने पर यह आदर सम्भव नहीं था। "अर्थादा कल्पनैक-देशत्वात्" इस सूत्र के अनुसार सामर्थ्य हेतु से अर्थादों का स्तुति या निन्दारूप विशेष प्रयोजन ज्ञात होता है।<sup>3</sup> अतः यह सिद्ध होता है कि अर्थाद भी विधिवाक्यों की भाँति अपौरुषेय हैं, पौरुषेय नहीं हैं।

8- "सोऽरोदीत्" आदि के कर्तव्यरूप से न प्राप्त होने से अर्थादों में शास्त्रदृष्टादि दोष नहीं प्राप्त होते

वादी द्वारा आरोपित शास्त्रदृष्टविरोधादि दोष अर्थादों पर नहीं सिद्ध होते। "सोऽरोदीत्" आदि वाक्यों में शास्त्रदृष्ट अथवा प्रत्यक्ष-

1- "तुल्यं च साम्प्रदायिकम्" ॥ जे० सू० १/२/४ ॥

2- "सप्तो विशेषिर्विविधैश्चित्तैश्च श्रुतिवोदितैः

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सुरहस्यो द्विजन्मना ।"

॥ मनुस्मृति ॥

3- यतस्ते सप्रयोजनैर्विधिवाक्यैः तुल्यमेवाद्रियन्ते - - - - -

सामर्थ्यतोऽर्थादानां स्तुतिर्नाम प्रयोजनविशेषो लक्ष्यते"

॥ तन्त्र० पृ०-२४ ॥

दृष्ट का विरोध तो तब होता जब इन अर्थादवाक्यों में विधि कल्पित करके रोदन, वपोत्सनन मिथ्याभाषण आदि का कर्तव्य रूप से अनुष्ठान किया जाता ।<sup>1</sup> किन्तु यहाँ अर्थादगत पदों का श्रौतार्थ विवक्षित नहीं है, प्रत्युत स्तुति या निन्दा रूप लक्ष्यार्थ विवक्षित है। इसीलिये अध्याहार आदि साधनों से इन अर्थादवाक्यों में विधि कल्पित करना उचित नहीं है। इन वाक्यों में स्तुति मानने पर विरुद्ध दर्शन भी नहीं होता । अतः "सोऽरोदीत्" "स्तेनमनः" आदि कथन युक्त है, विपरीतार्थ का ज्ञान कराने वाले नहीं ।<sup>2</sup>

अध्वरमीमांसाकार<sup>3</sup> ने भी अर्थादगत पदों को मात्र विधेय की स्तुति या निन्दापरक कहा है। इस प्रकार वादी का यह कथन तर्कसम्मत नहीं है, कि अर्थादवाक्यों में शास्त्रदृष्ट एवं प्रत्यक्षदृष्ट सिद्धान्त का विरोध प्राप्त होता है। उनका यह कथन अज्ञानमूलक है; क्योंकि ये वाक्य याग क्रिया के विधेय रजतदाननिषेध, हिरण्यचयन आदि की निन्दा अथवा स्तुति ही लक्षित कराते हैं न कि कर्तव्यरूपता ।

प्रभाकर मिश्र के अनुसार अर्थादों में प्रमाणान्तर विरोध आदि दोष तब प्राप्त होंगे जब उनका अभिधाश्रुति से अर्थ लिया जायेगा, न कि

1- "अप्राप्ता वानुपपत्तिः प्रयोगेहि विरोधः स्यात्वाब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतः तस्मादुपपद्येत" । जै० सू० 1/2/9 ।

2- अस्माकं पुनर्य एषां शब्दानां श्रौतोऽर्थः स नैव विवक्षितः । न च अध्याहारादिभिर्विधिः किं तर्हि स्तुतिमात्रं विवक्षितम् ।"  
। तन्त्र०-पृ०-25 ।

3- "यस्मात् विधिक्ल्पनाया स्तेयादि प्रयोगे उच्यमानेविरोधः स्यात्- नैवमस्ति, विधिक्ल्पनाया अनभ्युपगमात् — अतः तद्विषये विरोधो नास्ति ।" । कु० वृत्ति-पृ०-23 ।

सिद्धार्थ प्रतिपादकता के कारण उनमें ये दोष प्राप्त होंगे । क्योंकि अर्थवाद सिद्धार्थ प्रतिपादन नहीं करते ।

9- "आपोवैशान्ताः" आदि वाक्यों द्वारा जो विधेय से भिन्न की स्तुति की गई है, वह गुणवाद से सिद्ध है

जिस प्रकार से लोक में वंश की स्तुति होने पर देवदत्त स्वयं को स्तुत मानता है, अथवा जैसे यशमीर प्रदेश की स्तुति किये जाने पर यहाँ के निवासी की स्तुति सिद्ध होती है, उसी प्रकार "आपोवैशान्ताः शान्ताभिः शुभं शम्पति"। इस अर्थवाद वाक्य से जल की स्तुति की जाने पर जल में उत्पन्न वेतसादि की स्तुति मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। जल कारण है, तथा वेतस एवं अवक उसके कार्य हैं । अतः जल को स्तुति से विधेय अवकादि की भी स्तुति सिद्ध होती है। इसलिये वादी का यह कहना युक्त नहीं है कि अर्थवादों में विधेय अन्य होता है और स्तुति अन्य की प्राप्त होती है। क्योंकि यागादि क्रिया के सम्बन्धी के स्तुति का विषय होने पर उससे सम्बन्ध अन्य पदार्थ की स्तुति लोक एवं वेद दोनों में सुनी जाती है। अतः इन अर्थवादों में भिन्न विषय की स्तुति रूप दोष सिद्ध नहीं होता ।<sup>2</sup> यहाँ पर "वेतसशाखा अवकाभिश्च -

1- लै० सं० 5/4/4

2- "अथवा यदिकारे प्रकृतिसम्बन्धिनि विधानार्थं स्तोतव्ये, तत्सम्बन्धन्तरं प्रकृति स्तूपते तत्र तद्वारेणापि लोके वेदे च स्तुति सिद्धेः प्रकारान्तरता तस्माददोषः-

॥ तन्त्रवार्तिक पृ०-26 ॥

"आप इत्ययं शब्दः अप्कार्यत्वगुणयोगाद् वेतसशाखासुवर्तते । अतो विधेय स्तावकत्वमुपपद्यते ।" ॥ कु०वृ०-पृ०-23 ॥

भाष्यकार के "गौण एष वादो भवति०" आदि कथन से भी यही ध्वनित होता है। ॥६०-शा० भा० पृ०-44 ॥

अग्निं विकर्षति" यह विधिवाक्य है। क्योंकि वेतस एवं अवका की उत्पत्ति शान्त स्वभाव वाले जल से हुई है, इसलिये वह यजमान के भी कष्टों को शान्त करने में समर्थ है, यह स्तुतिवाक्य का तात्पर्य है।

इसके अतिरिक्त "वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता०"। आदि वाक्यों की स्तुतिपरकता भी "गुणवाद" हेतु से सिद्ध हो जाती है। अर्थवादवाक्यों के प्रसङ्ग में गुणवाद एक ऐसा अस्त्र है जिससे वादी द्वारा शास्त्रदृष्टविरोध, विप्रतिपत्ति आदि हेतुओं से उद्भावित दोषों की सम्पूर्ण व्यूहरचना ही ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है, इसीलिये शीघ्र गमन रूप गुण से युक्त देवता द्वारा साध्य कर्म शीघ्र ही फल देगा, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य के सम्पूर्ण पद अविरोध रूप से विधेय की स्तुति ही करते हैं यह स्पष्ट हो जाता है।

इसी प्रकार समस्त अर्थवाद स्थलों में गुणकथन रूप स्तुति या दोष कथन रूप निन्दा अर्थवाद गुणवाद हेतु से कल्पित किया जाना अभीष्ट है।

इसी न्याय से 'सोऽरोदीत् पदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्, यदशु - व्यशीर्यत तदरजतमभ्वत्, पुरास्यसंवत्सराद् गृहेरोदनम् अभ्वत्, तस्माद् बर्हिषि रजतं न देयम्<sup>2</sup> इस बाह्मणवाक्य में 'पथाश्रद्धं दक्षिणां ददाति" इस सामान्य नियम से विहित दक्षिणा में स्वेच्छा से रजतदान भी प्राप्त होता है। जिसका उक्त वाक्य में निषेध किया गया है। अशु एवं रजत दोनों का वर्ण श्वेत है। इसी वर्णवाक्य<sup>3</sup> के आधार पर रजत में अशुप्रभत्व का उपचार किया गया है।

1- तै० सं० 2/1/1

2- तै० सं० 1/5/1/2

3- "सत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमालिङ्ग समवाया इति गुणाश्याः ।"

। वै० सू० 1/4/10 ।

प्रकृति एवं विकार में प्रायः सारूप्य देखा जाता है। क्योंकि लोक में अत्यन्त उदार गृहस्थ भी धनत्याग के कारण दुःखी देखे जाते हैं। अतः यहाँ धनत्याग इस सामान्य कारण से जो रोदन कार्य का कथन किया गया है वह गौणार्थ लेने पर सङ्गत है, मुख्यार्थ से नहीं।<sup>1</sup> "रजतदान करने वाले के गृह में वर्ष के भीतर ही रोदन होगा" इस कारण यांग में रजतदान निषिद्ध है, यह वाक्यार्थ है।

वस्तुतः रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति ही - "रोदन जिसका निमित्त है" इस प्रकार प्राप्त होती है। वैदिक परम्परा में "रुद्र" शब्द अग्नि के बारे में प्रचलित है। क्योंकि "त्वमग्ने रुद्रो असुरो महोदिवः, रुद्रो वा एष, यदग्निः" ऐसा प्रयोग मन्त्र और ब्राह्मण में सुना गया है। व्याकरण में भी "रुद्र" शब्द कर्त्रर्थावक "र" प्रत्यय से ही व्युत्पन्न माना गया है। वार्तिककार का भी यही मत है।<sup>2</sup> लोक में भी सिंह गुण के सादृश्य से "सिंहों देवदत्तः" आदि प्रयोग देखे गये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी वर्षानुरूप ही गुणवाद का हेतु है।

नव्यमीमांसक लण्डदेव के मतानुसार "तत्सिद्धिसूत्र"<sup>3</sup> में कहे गये न्याय

1- "वर्षानुरूप्यात् - शुक्लत्वादि लक्षणादश्रुभ्रममित्याह । प्रकृति-  
विकारयोः एव प्रायः सारूप्यदर्शनाद् । इह च सारूप्याद् ———  
तेन धन त्यागसामान्यात् रोदनोपन्यासो गौणः न मुख्यः।"

‡ सूत्र 1/1/10 का भाष्य वि० ‡

2- "गुणवादस्तु शब्दालम्बनं रुद्रशब्दोत्थापितविज्ञानवशेन रोदन सामान्यतोऽदृष्ट-  
कल्पना ।" ‡ तन्त्रवार्तिक-पृ०-26 ‡

3- पै० सू० 1/4/10

से स्र शब्द में अभिधेयत्व के सादृश्य से रोदनकर्तृत्व का उपचार किया गया है और अन्य स्थलों में कार्य में समवायिकारण का सादृश्य दिखायी देने से चक्षु द्वारा गृहीत अक्षु के शुक्त वर्ण के सारूप्य से रजत को अक्षुजन्म का कारण कहा गया है।<sup>1</sup>

इसी प्रकार "यः प्रजाकामः पशुकामोवास्यात् स एवं प्राजापत्यं - तुपरमालभेत, स आत्मनो वषामुदरिवदत्" इस वाक्य के सम्बन्ध में वादी का यह कथन ठीक नहीं है कि इस वाक्य में कृतान्तकथन होने से यह अनित्य अर्थात् पौरुषेय है। यहाँ पर वषोत्पन्ननादि अर्थवाद का प्रयोजन यह है कि जब पूर्वकाल में विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिये वषा को उल्लेख कर यागकर्म सम्पन्न किये जाते थे तो, बाह्य धनादि त्याग से याग करने में क्या हानि है। इस अर्थवाद की उपयोगिता भी स्तुतिमात्र में है, श्रौतार्थ विवक्षा में नहीं। क्योंकि अर्थवाद शाब्दीभावना के अङ्ग है, इसलिये उनका प्रयोजन प्रवृत्तिविज्ञान मात्र है न कि अर्थविज्ञान, क्योंकि, श्रौतार्थ मानने पर तो विरोध ही प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि "मैं इस यागकर्म में प्रवृत्त होऊँ" श्रौता में ऐसी भावना का उदय ही शाब्दी भावना का विषय है। अतः अर्थ की सत्यता की अपेक्षा न रखते हुए प्रवृत्ति के अङ्गभूत प्राशस्त्य का विज्ञान मात्र ही अर्थवादों का प्रयोजन है।<sup>2</sup>

1- द्र0-मी0 कौस्तुभ पृ0-32

तै0 सं0 2/1/1/4-5

2- वैश्वकि न्याय सुधाकार ने भी कहा है -

"प्रवर्तेऽहं इति ज्ञानं येन शब्देन जन्यते ।

स रोदनोच्यते यद्वा प्रवर्तनफला मतिः"

। न्यायसुधा-पृ0-57-58 ।

सिद्धान्ती के अनुसार इन वाक्यों में वृत्तान्तकथन दोष नहीं है, क्योंकि लोक में भी 'नेत्र भी निकालकर दे देता है' आदि प्रशंसावचन प्राप्त होते हैं। अतः अविद्यमान अर्थों से भी स्तुति संभव है। वस्तुतः पूर्वकाल में प्रजापति - वायु या आकाश अथवा आदित्य रूप कोई नित्य पदार्थ रहा होगा। उस समय पशुओं का अभाव होने से उसने अपनी वपा को निकालकर हवन किया। यहाँ वपा का तात्पर्य वृष्टि, वायु अथवा किरणों से है, और हवन का तात्पर्य है वैद्युत या आर्चीसः ॥ षठराग्नि ॥ या लौकिक अग्नि में वपा का प्रक्षेपण। जिससे शृङ्गरहित अजअन्न या बीज या लता उत्पन्न हुई। जिसके आलम्भन से याग सम्पादित करके उसने प्रजाओं और पशुओं को प्राप्त किया।<sup>1</sup>

वार्तिककार के अनुसार इस वाक्य को यदि गुणवाद न मानकर अनुवाद माना जाए तो भी विप्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि मन्त्र, अर्धवाद और ऐतिह्य प्रमाणों से सृष्टि एवं प्रलय दोनों प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में पशुओं का अभाव होने से प्रजापति ने स्वयं को पशुरूप में निर्मित किया, और वपोत्तमनादि साधनों से इस प्रजापत्य याग को किया। तब उस याग से तुपर पशु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रजापत्य आदि यागकर्म निकट भविष्य में फल देने के कारण प्रशस्त है। अतः यदि इसे सत्य घटना माने

1- द्र०-वे० सू० 1/2/10 का शाबरभाष्य

2- 'पथेह महाभूतानि पूजाः पान्तीति प्रजापतित्वेनोच्यते । ----

-- मन्त्रा र्षादेतिहासप्रामाण्यात् सृष्टिप्रलयाविष्येते तत्र प्रजापतिरेव योगी ---- ।"

॥ तन्त्र० पृ०-28 ॥



तो चतुर्लिङ्गन्याय<sup>1</sup> से प्रतिसृष्टि में समान प्रभाव वाली यागोपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति मानने पर भी ये अनित्यता दोष से ग्रस्त नहीं होंगे ।

गुणवाद न्याय से ही "आदित्यः प्रायणीयश्चरुरादित्यः—

उदयनीयश्चरुः" इस विधि के अङ्गभूत "देवावे देवयजनमद्यकसाय दिशो न प्राजानन्"<sup>2</sup> इस अर्थवाद वाक्य से आदित्ययाग की स्तुति सिद्ध होती है। क्योंकि यह आदित्य याग देवों<sup>3</sup> के मोह को दूर करने में समर्थ है ।

सौमयाग अनेक कर्मक्लापों का समूह है। ऋत्विज प्रकृतियाग दर्शपूर्णमास के अभ्यस्त न होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं, कि कौन सा कर्म किस क्रम से किया जाय । जैसाकि वार्तिककार ने भी कहा है कि यज्ञकाल में प्रकृतियाग के अभ्यस्त न होने के कारण दर्शपूर्णमास सम्बन्धी सौमिक कर्मों को देखकर "इन्हें किस क्रम से सम्पादित किया जाय" ऐसी भ्रान्तिबुद्धि ऋत्विजों में उत्पन्न हो जाती है, इसीलिये उन्हें दिङ्मोह से युक्त कहा गया है। देवयज्ञ के सम्पादन के समय देवताओं को भी मोह हुआ था, किन्तु आदित्य याग सम्पादित करने पर अदिति देवता की कृपा से उनका यह अज्ञान दूर हो गया था । अतः "अदिति देवता सम्बन्धी प्रायणीय एवं उदयनीय वस्त्राग करने पर ऋत्विजों का भ्रम दूर होगा" यह वाक्यार्थ है।

इस प्रकार के गौण कथन लोक में भी प्राप्त होते हैं— जैसे — "मेरा मन कर्तव्यदिशगत्रों में भ्रमण कर रहा है" आदि । उपर्युक्त अर्थवाद वाक्य में देवगत दिङ्मोह के निवारण के सादृश्य से ऋत्विजगत अज्ञान का निवारण रूप

1- जैसी कि स्मृति है - "अरोगाः सर्वसिद्धा धार्श्वतुर्वर्ष शतायुषः

चतुष्पात् सकलोर्ध्वः सत्यं वैवकृते युगे ।"

‡ न्याय सु०-पृ०-60 से उद्धृत ‡

2- तै० सं० 6/1/5/1

3- "कर्मसु कौशलेन दीव्यन्तीति देवः ऋत्विजः"

‡ सूत्र 1/1/10 के भाष्यविवरण से उद्धृत ‡

अर्थ का उपधार है। अतः यह सिद्ध होता है कि यह अर्थवाद आदित्य याग की स्तुति के लिये ही प्रयुक्त है, न कि दिशाभ्रम के अर्थ में ।

"स्तेनं मनः अनृतवादिनी वाक्" आदि अर्थवाद हिरण्य की स्तुति के लिये है

"स्तेनं मनः०" आदि अर्थवाद से अंशुग्रह के ग्रहण के समय "हिरण्यं हस्ते भवति अध गृह्णाति" इस विधि से विहित हिरण्य की स्तुति की गई है, इसलिये यहाँ पर विप्रतिपत्ति दोष संभव नहीं है। मन सदैव चोर की भाँति अप्रत्यक्ष रहता है, अतः उसे "स्तेनं मनः" ऐसा कहा गया, और वाणी प्रायः मिथ्याभाषण ही करती है<sup>२</sup>, इसीलिये उसे अनृतवादिनी कहा गया है। जबकि "धुवर्णं स्तेयं और मिथ्याभाषण आदि दोषों से रहित है, अतः श्रेष्ठ होने से वह ग्रहण योग्य है" यह वाक्यार्थ है ।

यहाँ पर वादी की यह शङ्का भी नहीं उचित है कि मन और वागेन्द्रिय की निन्दा करने के कारण यह अर्थवाद निषेधात्मक का अङ्ग है, विधिवाक्य का नहीं । क्योंकि "न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्ततेऽपितु विधेयं स्तोतुम्" इस न्याय से यहाँ हिरण्य की स्तुति ही<sup>मिदं</sup> होती है, अतः यह विधि वाक्य का ही शेष है ।

इस अर्थवाद की संगति दिखाने हुए भाष्यकार ने कहा है कि जैसे लोक में "अधि से क्या देवदत्त को ही भोजन कराओ" इस कथन का अभिप्राय अधि की निन्दा करना नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर हिरण्य की स्तुति के लिये ही यह निन्दा वचन कहा गया है ।

1- तै० सं० 4/8/2/3

2- "ह्यात्प्रायात्" - जै० सू० 1/2/11

वार्तिककार के अनुसार क्योंकि लोक में समस्त कर्म मन द्वारा संकल्प करके और वाणी से कह कर किये जाते हैं। किन्तु अन्तरङ्ग होते हुए भी वे स्तेय और मिथ्या भाषण से युक्त होते हैं। अतः हिरण्य से उनकी न्यूनता सिद्ध होती है। जिस निन्दा का पर्यवसान निषेध में हो वह निषेधमूलक होती है, किन्तु जो निन्दा स्तुति में पर्यवसित होती हो वह स्तुति रूप प्रयोजन को ही सिद्ध करती है।<sup>1</sup>

यही बात जैमिनि ने दशम अध्याय में "न चेदन्यप्रकल्पयेत्प्रकृप्तोऽर्थ-  
वादः स्यात्"<sup>2</sup> इस सूत्र से सिद्ध की है। जबकि ऋग्वेद के अनुसार क्योंकि "स्तेनं मनः०" आदि अर्थवाद की निषेध के साथ एकवाक्यता नहीं सिद्ध होती, अतः निन्दा ही असिद्ध हो जाती है। इसलिये विधि के साथ एकवाक्यता के संभव रहते <sup>यहाँ</sup> वाक्यभेद दोष की प्राप्ति कराने वाला निषेध मानना उचित नहीं है। मन के धोर की भाँति छिपे होने से यहाँ पर गौण स्तुति का हेतु "तत्कार्यकारित्व" है। और वाक् के अधिकांशतः मिथ्याभाषिणी होने से गुणवाद का निमित्त "भ्रमा" है।<sup>3</sup>

1- "इह सर्वं क्रियमाणं मनसा संकल्प्यवावा — या निन्दातन्मात्र-  
पर्यवसायिनी सा निषेधमूला भवति । विधिरा तु रतुत्यर्था जायते ।"

‡ तन्त्रवार्तिक पृ० 29 ‡

2- जै० सू० 10/8/4

3- "निषेधैकवाक्यताविरहे निन्दात्वस्यैव असिद्धैः क्लृप्तविधयेकवाक्यत्व-  
संभवे वाक्यभेदापादक-निषेधो न्ययनस्य अन्यासत्वाच्च — ।"

‡ मी० कौ०-पृ०-34 ‡

11- "तस्माद् धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे०" यह कथन प्रत्यक्षदृष्ट से विरुद्ध प्रतिपादन नहीं करता

वादी का यह कथन उचित नहीं है "तस्माद् धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे नार्विः तस्मादर्चिः एवाग्नेर्ददृशे न धूमः"। यह अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ के विरुद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। यह अर्थात् मिश्रलिङ्ग वाली अग्निहोत्र विधि की स्तुति के लिये है यहाँ मिश्रलिङ्गता का अभिप्राय है "सूर्य एवं अग्नि समुच्चित प्रजापति के विधान से अग्निहोत्र याग करना"। प्रथम अर्थात् वाक्य अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यो स्वाहेति प्रातर्जुहोति" इस विधि के साथ तथा "तस्मादर्चिश्च० यह अर्थात् सूर्यो ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति" विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करते हैं। "उभाभ्याम्सायं ह्युते उभाभ्याम्प्रातः" आदि कथन से भी यही सिद्ध होता है कि प्रातःकालीन अग्निहोत्र और सायंकालीन होम में सूर्य एवं अग्नि दोनों देवताओं की प्राप्ति होने से यह अर्थात् मिश्रलिङ्गक विधि का ही शेष है।

यहाँ पर यह कहना उचित नहीं है "अग्निर्ज्योतिः०" वाक्य में "ज्योति" शब्द के सूर्यवाची एवं "सूर्यो ज्योतिः०" विधिवाक्य में ज्योति के अग्निवाची होने से यहाँ पर मिश्रलिङ्गता सिद्ध होती है, अतः यहाँ अर्थात् "अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः" इस वाक्य का अङ्ग है। क्योंकि ज्योति शब्द तो "तेजस्" सामान्य का वाचक होने के कारण सूर्य एवं अग्नि दोनों के साथ अन्वय प्राप्त करता है, अतः दोनों का वाचक है। जो जिसका पर्याय होता है वह उसी शब्द के साथ कभी नहीं प्रयुक्त होता। अतः

भाष्यकार द्वारा कहा गया यह उदाहरण भ्रान्ति के कारण है । वस्तुतः "उपन्तं वावशादित्यम् अग्निं<sup>सूर्य</sup> सितमारोहति" इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि दिन में अग्नि सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः सूर्य ही उस समय ज्योति रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार "अग्निं वाव आदित्यः सार्यं प्रविशति" इस वाक्य के अनुसार सार्यकाल सूर्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, अतः रात्रि में अग्नि ही ज्योति रूप प्राप्त होता है। अतः प्रातःकाल सूर्य समुच्चित प्रजापति को उद्देश्य करके हवन करें, एवं सार्यकाल अग्नि समुच्चित प्रजापति देवता को उद्देश्य करके अग्निहोत्रकर्म सम्पादित करें, यह सिद्ध होता है।

यहाँ पर दिन में दूर स्थित होने से अग्नि<sup>का</sup> अदर्शन एवं धूम बाहुल्य होने से धूम का दर्शन होता है, अतः "तस्माद् धूम एवाग्ने" यह वाक्य उपपन्न होता है। इसी प्रकार रात्रि में अग्नि ही दिखाई देती है जबकि दूर होने के कारण धूम नहीं दिखाई देता ।<sup>1</sup> अतः "तस्मादर्चिष्" यह अर्थवाद वाक्य भी युक्त है। इसलिये यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्ट पदार्थ का विरोध नहीं सिद्ध होता ।<sup>2</sup> प्रत्युत "अपशब्दोवा अन्येगोऽश्वेभ्यः" इस वाक्य की भाँति ही इन अर्थवादों में भी नञ्

1- "दूरभूमस्त्वाद" ॥ वै० सू० 1/2/12 ॥

2- द्र० - तन्त्रवार्तिक पृ०-30

का तात्पर्य इतरप्रशंसा ही है निन्दा नहीं ।<sup>1</sup> भाष्यकार, वार्तिककार आदि ने इन अर्थवादों में गौण कथन का हेतु दूर स्थित होना एवं भूमा दोनों को माना है । जबकि नव्यमीमांसका लण्डदेव ने इस वाक्य में गुणवाद का हेतु "भूमा" को ही माना है ।

12- "न चैतद्विदमः०" आदि वाक्यों से दृष्टविरोध नहीं अपितु प्रवरानुमन्त्रण कर्म की प्रशंसा प्राप्त होती है

"प्रवरे प्रद्वियमाणेऽनुब्रूयाद् देवाः पितरः" इस विधिवाक्य के समीप 'न चैतद्विदमः कर्म' ब्राह्मणों स्मोऽब्राह्मणों वा<sup>2</sup> यह अर्थवाद वाक्य प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में वादी का यह कथन युक्त नहीं है कि "अष्टवर्ष-ब्राह्मणमुपनीयात्" आदि शास्त्र से ब्राह्मणत्व आदि के प्रमाणित होने पर भी "न वैदं०" आदि कथन को प्रमाण मानने पर शास्त्र एवं प्रत्यक्ष दृष्ट के विरुद्ध कथन की प्राप्ति होगी । क्योंकि यह कथन तो प्रवरानुमन्त्रण कर्म की प्रशंसा के लिये है। वस्तुतः यह कठिनाई से जानने योग्य है कि अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है अथवा नहीं ।

1- दूरस्थयभूमस्त्वेन यद्दर्शनं नाम दर्शनगतोऽतिशयो दृशिता लक्षितः स नञा निश्चित्यते । पशुशब्द लक्षितमिव प्राशस्त्यमपशुशब्देन अपरावोवाऽन्ये गोऽश्वेभ्यः ..... ।" §न्यायसुधा पृ०-63 §

2- तै० सं० 1/4/11

इस कथन का मूल कारण यह है कि स्त्री के व्यभिचारिणी होने के कारण यह अनुमान प्रायः कठिन हो जाता है कि इसका पिता कौन है। यह तो केवल माता ही जानती है कि उत्पन्न हुआ पुरुष ब्राह्मण है या ब्राह्मणेतर क्योंकि "यतस्तु माता भस्त्रापितुः स पुत्रो०" आदि के अनुसार उत्पादयिता पुरुष का ही पुत्र माना जाता है न कि माता की जाति से उसका ब्राह्मणत्व निश्चित किया जा सकता है। इस दुर्ज्ञेयता के कारण यह अर्थाद युक्त है।<sup>1</sup> वेद में भी "अप्रमत्ता रक्षतन्तुमेनम्<sup>2</sup>" आदि कथनों द्वारा जो जाति के विच्छेद से निवारण कहा गया है, इसी कथन की पुष्टि होती है, क्योंकि स्वजाति की रक्षा न करने पर वर्णक्षड्.कर आदि दोष से दूषित होकर जाति विच्छेद हो जायेगा ।

इस प्रकार "न वैतद्०" आदि अर्थाद प्रवरानुमन्त्रण मन्त्र की प्रशंसा ही लक्षित कराते हैं। क्योंकि प्रवरानुमन्त्रण से अब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाता है। दुर्ज्ञेय होने से अज्ञान का कथन करने वाला नञ्गौण अर्थ में प्रयुक्त है। कोस्तुम्भकार के अनुसार इस वाक्य में गौणी वृत्ति का निमित्त "प्रशंसा" ही है, क्योंकि इस मन्त्र के जप से अब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाता है।

1- "स्त्र्यपराधात् कर्तुश्च पुत्रदर्शनम्" ॥ जै० सू० 1/2/13 ॥

जैसा कि वार्तिककार ने भी कहा है - सत्यपि स्त्र्यपराधे यदि मातुरेव क्षेत्रिणो वा पुत्रः स्यात्, ततस्तयोः प्रसिद्धजातित्वान्नैव दुर्ज्ञानता भवेत् । तपोरप्येवमेवं तत्पूर्वजपोरित्यनादिन्यायेन जातिरवधार्यतेव । यतस्तुमाता भस्त्रा पितुः पुत्र इति रमर्तुणा दर्शनं जनयितुश्च नानाजातित्वोपपत्तिः तेन वर्णक्षरः" ॥ तन्त्र० पृ० 31 ॥

2- "अप्रमत्ता रक्षतन्तुमेनम् मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः

जनयितुः पुत्रो भवति साम्पराये मोघे वेत्ता कुञ्जे तन्तुमेनम् ।

॥ आप० धर्मसूत्र 2/13/6 ॥

13- "कोहितद्वेद" आदि अर्धवादवाक्य अतीकाशकरण के तात्कालिक फल की प्रशंसा करते हैं न कि शास्त्रदृष्ट स्वर्गादि का विरोध

"को हि तद्वेद यदमुष्मिन् लोके अस्तित्वा न वा"। यह अर्धवाद ज्योतिष्टोम याग के समय प्राग्वंशशाला में अतीकाश ः छिद्र ः करने के विधायक "दिक्वतीनाकाशा न्करोति" इस वाक्य के समीप पठित है। ज्योतिष्टोम याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किन्तु यह स्वर्गफल चिरकाल के पश्चात् वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर ही प्राप्त होता है। जबकि शाला में छिद्र करने से धूमादि राहित्य रूप फल की प्राप्ति तत्काल होती है। अतः सद्यः प्राप्त होने के कारण वह प्रशंसनीय है।<sup>2</sup> प्रशंसा के लिये ही "कोहितद्वेद" आदि वाक्य कहे गये हैं। इनमें अतीकाश से शीघ्र ही धूमनिर्गम फल की प्राप्ति होने से उनकी अपेक्षा कालान्तरभावी स्वर्गफल की निन्दा की गई है। यहाँ पर गौणी वृत्ति का निमित्त विधेय से इतर अतीकाश की प्रशंसा है। अतः यहाँ भी स्तुति ही अर्धवाद का प्रयोजन है, शास्त्रदृष्टविरोध प्रयोजन नहीं है। आचार्य कुमारिल भट्ट, वासुदेव दीक्षित, एवं लण्डदेव<sup>3</sup> का भी यही मत है। लोक में प्रायः सभी व्यक्तियों को शीघ्र प्राप्त होने वाला फल ही सन्तुष्टि दिलाता है न कि बहुत समय पश्चात् प्राप्त होने वाला फल। अतः तात्कालिक फल देर से प्राप्त होने वाले फल की अपेक्षा प्रशस्त है।

1- तै० सं० 6/1/1

2- "आकालिकेप्सा" ः जै० सू० 1/2/14 ः

3- "सर्वस्य हि सद्यः फलं यथाभिमतं न तथा कालान्तरभावि । अतश्चाती-  
काशकरणं सद्यो धूमनिर्गमफलकत्वेन प्रशंसितुं कालान्तरभाविस्वर्गफलनिन्दा ।  
अत्र ऐहिकवदभिमततरत्वस्य प्राशस्त्यमेवामुष्मिकफलपरामर्शिता तच्छब्देन  
तद्गतलक्षयित्वा ---- ।"

॥ मी० कौ० पृ०-36 ॥



14 - 'शोभतेऽस्य०" आदि वाक्य गर्गत्रिरात्रविधा की प्रशंसा के लिये  
कहे गये हैं

'शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद"। यह अर्थवाद गर्गत्रिरात्रकृतु विधि की प्रशंसा के लिये प्रयुक्त है। यहाँ पर वादी का यह तर्क ठीक नहीं है कि कृतुविधि के अध्ययन के अभ्यास से विद्यार्थी के मुख पर क्लान्ति आती है, न कि शोभावृद्धि । यद्यपि पद एवं पदार्थ स्मरण के अभ्यास से चित्त के कुम्भ हो जाने के कारण अभ्यास करने वाले के मुख पर क्लान्ति दिखायी देती है, किन्तु पदवाक्य न्याय का ज्ञाता होकर वह अपने सहपाठियों में उच्च स्थान पाता है। इस प्रकार शब्दों से शोभायमान होने के कारण मुख की शोभा रूप गौण कथन युक्त है।<sup>2</sup> यहाँ पर शोभा का तात्पर्य शरीर की सुन्दरता से नहीं है,<sup>3</sup> बल्कि ज्ञान से है। अतः यहाँ दृष्टविरोध नहीं है।

इसी प्रकार 'आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद" यह अर्थवाद वाक्य वेदानुमन्त्रण विधि की स्तुति ही करता है। भाष्यकार ने कहा है कि यतः निरन्तर वेदाध्ययन एवं श्रवण से आने वाली पीढ़ियाँ मेधावी होती हैं तथा उसी ज्ञान के कारण यजमानों से प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करती हैं; अतः "आस्य प्रजायां" आदि कथन भी युक्त है ।

1- ता० ब्रा० 1/2/25

2- द्र० - कु० षु०-पृ०-25

3- न वैक प्रकारो मुखशोभायाः संस्थानं रमणीयता लावण्यं चैति ।

स्त्रीविष्णुं ह्येतत् । विदुषां पुनः पदवाक्यन्यायोद्गारिमुखशोभते ।"

‡ तन्त्र० पृ०-32 ‡

"अभिमुत्र परमेश्वर" ने भी कहा है कि उक्त अर्धवादवाक्य में गर्गत्रिरात्र और अनुमन्त्रण विद्या को जो मुखशोभा एवं अन्न प्राप्ति का कारण कहा गया है। वह इन विधियों की प्रशंसा ही है न कि यहाँ फल विधि है। अतः यहाँ पर अनुपलब्धि रूप दोष नहीं सिद्ध होता । विद्या की स्तुति ज्ञान की स्तुति में पर्यवसित होती है अर्थात् जब उस विद्या का ज्ञान ही मुखशोभावृद्धि का कारण है तो उसके अनुष्ठान का क्या कहना ।<sup>1</sup>

नव्य मीमांसक लण्डेदेव का मत है कि शोभा पद यद्यपि लावण्य आदि की प्राप्ति नहीं कराता । फिर भी प्रीति का कारण होने से "तत्कार्य-कारित्व" हेतु से वह गौण रूप में मुख शोभा का ही कथन करता है।<sup>2</sup>

15- "पूर्णाहुत्या०" आदि अर्धवाद वाक्य अधिकार की अपेक्षा से फलप्राप्ति का कथन करते हैं

"पूर्णाहुत्या सर्वान्कामानाप्नोति" यह अर्धवाद "पूर्णाहुतिर्जुहोति" से विहित कर्म की स्तुति करते हैं। किन्तु यह विधियाँ स्वतंत्र रूप से फल विधियाँ न होकर अग्निहोत्रादि कर्म की अङ्गभूत विधियाँ हैं। वार्तिककार ने इन्हें संस्कार कर्म कहा है। यहाँ पर पूर्णाहुतिहोम से समस्त कामनाओं की प्राप्ति<sup>रूप</sup> का कथन गौण है। वस्तुतः यहाँ पर निमित्त में नैमित्तिक के उपचार से

1- "धृतवन्तं कुलापिनं रामस्योषे सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनामित्याह । प्रसहस्रं पशूनाम् आप्नोति प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद इत्यत्र यज्ञपति प्रथमवत् मन्त्राभिधानस्या र्धवादालम्बनत्वसम्भवेऽपि मन्त्राभिधाने -  
प्यालम्बनाद्भिक्षा निवृत्त्यर्थं कुले सन्तताध्ययनश्रवणादित्युक्तम् ।"

‡ न्याय० पृ०-65 ‡

2- द्र० - मी० कौ०-पृ०-36

स्तुति की गई है। यह पूर्णाहुति कर्म समस्त कामनाप्राप्ति के कारणस्वरूप कर्मों के साधनरूप अग्निहोत्रों की प्राप्ति कराता है। अतः पुरुष को अधिकार प्राप्ति कराने के कारण यह गौण कथन सिद्ध होता है। क्योंकि पूर्णाहुति कर्म किये बिना वह अग्निहोत्रादि कर्मों का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः यहाँ अधिकार की अपेक्षा से ही सर्वत्व कथन किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "पूर्णाहुत्या" आदि कथन से अन्य विधियों व्यर्थ नहीं होती। बल्कि सम्पूर्ण अग्निहोत्रादि कर्मों में पुरुष को अधिकार प्राप्त कराने के कारण यहाँ "सर्वत्व" का उपधार स्तुति के लिये किया गया है। अतः पूर्णाहुत्या आदि वाक्य युक्त कथन करते हैं, यह स्पष्ट होता है।

इसी प्रकार "तरतिमृत्युं तरति ब्रह्महत्यां यजु वेनमेववेद" यह वाक्य अश्वमेध विधि का स्तावक है। क्योंकि अश्वमेध याग से मृत्यु आदि से पुरुष छुटकारा पा जाता है इसलिये अश्वमेध विद्या के अश्वमेध याग का उपकारक होने से यहाँ अश्वमेध की गौणरूप से स्तुति की गई है। अश्वमेध विधि में ज्ञान के बिना उसका अनुष्ठान संभव नहीं है। अतः यहाँ पर गौण कथन युक्त है। जिस प्रकार "अन्नं वैप्राणाः" में अन्न को ही उपधार से प्राण कह दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ अर्थवाद वाक्यों में असर्व में सर्व का उपधार किया गया है।

अथवा जैसे "सर्वमोदनं भुञ्जते" इस वाक्य में "सर्व" का कथन अधिकारी की अपेक्षा से है त्रैलोक्य की अपेक्षा से नहीं, उसी प्रकार यह वाक्य अग्नि कर्म के लिये अधिकारी बनने योग्य फल के ग्रहण के लिये तथा पशुयाग में अधिकार प्राप्त करने के लिये है। अतः यहाँ पर अन्य विधियों की निरर्थकता की प्राप्ति कराना इन कर्मों का प्रयोजन नहीं है।

16- कर्म के परिमाण के अनुसार फलप्राप्ति होने से अग्निहोत्रादि विधि  
निरर्थक नहीं है

वादी का यह कथन युक्त नहीं है कि पूर्णाहुति कर्म से सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाने से अधिक श्रम एवं समय में साध्य अग्निहोत्रादि की क्या आवश्यकता है। सिद्धान्ती के अनुसार<sup>1</sup> जिस प्रकार लोक में कृषि आदि कार्यों में जिस परिमाण में श्रम किया जाता है, उसी तारतम्य से फल की भी न्यूनता या अधिकता देनी जाती है, वैसे ही पूर्णाहुति आदि कर्मों के करने पर सभी कामनायें प्राप्त होती हैं, किन्तु उनकी मात्रा अल्प ही होती है। अतः अधिक फल चाहने/पुरुष के लिये अग्निहोत्रादि कर्म उपयोगी होंगे। ऐसा मानने का कारण यह है कि यदि "अर्के चेन्मधुविन्देत" न्यायसे अल्प एवं महान् प्रयास से साध्य कर्म समान फल देने लगेंगे कोई भी पुरुष अधिक परिश्रम से साध्य कर्मों को नहीं करेगा। ऐसी दशा में विधि की शक्ति ही बाधित होने लगेगी। जबकि "अर्थाद्वाकल्पनैकदेशात्" <sup>2</sup> "इस नियम से विधि भी फलाधिक्य को स्वीकार करती है, यह स्पष्ट होता है। इसलिये जैसे - क्रम से पढ़े गये वेदवाक्यों के अइ.गाइ.गभाव की व्यवस्था के प्रसंग में प्रथम वाक्य की प्रथम के साथ एवं द्वितीय की द्वितीय के साथ ही होती है, वैसे ही थोड़े प्रयास से साध्य कर्म से अल्प फल, मध्यम से मध्यम एवं महान् प्रयत्न साध्य कर्म से महत् फल की प्राप्ति भी प्रामाणिक है।

1- "फलस्यकर्मनिष्पत्तेःतेषांलोकवत्परिमाणतः फलविशेषः स्यात्" जै0सू0 1/2/17

वार्तिककार ने भी कहा है - कर्मणामल्पमहतां फलानां च स्वगोचरः।

विभागः स्थान साम्यादविशेषेऽपि चोदिते।" § तन्त्र0-पृ0-33 §

2- जै0 सू0 1/4/20

चातुर्मास्य सोमयाग में "यदाग्निहोत्रं जुहोति अथ दशगृहमेधित  
 आप्नोति एकया रात्र्या, यदा दश संवत्सरान् अग्निहोत्रं जुहोत्यथ दर्शपूर्ण-  
 भासाभ्यां यजिनामाजोति यदा दशसंवत्सरान् दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत अधाग्निष्टोम-  
 यजिनामाप्नोति" आदि अर्थाद श्रुतियाँ भी कर्म की अल्पता या महत्ता के  
 अनुसार फलभेद दर्शाती हैं। अतः एक जैसे फल का श्रवण होने पर भी असामञ्जस्य  
 नहीं है।<sup>1</sup> तैत्तिरीय श्रुति में भी कहा गया है कि "उच्चावचकर्मणामेकविधफला-  
 सम्भवात् स्वर्गो बहुविधाः।" इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णाहुत्यादि  
 अर्थादों से अन्य विधियाँ निष्प्रयोजन नहीं सिद्ध होती। इसीलिये पूर्णाहुति  
 कर्म का ज्ञान और अनुष्ठान तथा अश्वमेध विद्या का ज्ञान एवं अनुष्ठान दोनों  
 ही संगत हैं।

17- "न पृथिव्यां०" आदि अर्थाद अप्राप्तप्रतिषेध नहीं अपितु प्राप्तार्थ  
 अनुवाद कहते हैं

"नपृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे नदिवि" आदि अर्थाद वाक्य  
 अप्राप्त अर्थ के प्रतिषेधक नहीं हैं। अतः वादी का यह कथन युक्त नहीं है कि  
 अन्तरिक्ष एवं सुलोक में हिरण्य चयन सम्भव न होने से ये अर्थाद अप्राप्त अर्थ  
 का निषेध करते हैं इसलिये व्यर्थ हैं। क्योंकि ऐसे अर्थादवाक्य "नहिनिन्दान्याय"  
 से हिरण्यचयनादि विधियों की स्तुति के लिये हैं, प्रतिषेध के लिये नहीं।

जिस प्रकार से हिरण्य की स्तुति हेतु वाक् एवं मनस् आदि इन्द्रियों  
 की निन्दा की गई है। वैसे ही यहाँ पर भी शुद्ध पृथ्वी में हिरण्य चयन न

1- जैसी कि स्मृति भी है -

"ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां न परं पुण्यपापयोः

आभूतसंस्तवान्तं च फलमिष्टं तपोर्विज ।"

‡ न्यायसुधा पृ०-66 से उद्धृत ‡

होने के कारण उसको निन्दा की गई है। किन्तु इस निन्दा का फल हिरण्य-युक्त पृथ्वी में अग्निवपन की प्रशंसा है। जैसे - अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में अग्निवपन नहीं हो सकता वैसे ही हिरण्य रहित पृथ्वी में भी ।<sup>1</sup> क्योंकि अर्थवाद वाक्य सदैव विधिवाक्य के अङ्ग रूप से ही प्रयोजनवान् होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं। इस प्रकार "न पृथिव्यां०" यह अर्थवाद भी "हिरण्यनिधाय चेतव्यम्" आदि विधि वाक्यों के अङ्ग ही सिद्ध होते हैं। अतः इनका स्वतंत्र रूप से अर्थ मानना अनुचित है। इस प्रकार अन्तरिक्ष में एवं द्युलोक में अग्निवपन का निषेध नित्य प्राप्त है, इसीलिये यह वाक्य नित्य सिद्ध अर्थ का अनुवाद है न कि अप्राप्त अर्थ का प्रतिषेध। नव्य मीमांसक ऋग्वेद का भी यही मत है।<sup>2</sup>

18- "बबरः प्रावाहणिः०" आदि वाक्यों से अर्थवाद की नित्यता ही सिद्ध होती है

"बबरः प्रावाहणिरकाममत" आदि वाक्य नित्य पदार्थ का कथन करते हैं। इसलिये वादी का इन्हें अनित्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि इनकी अनित्यता का परिहार जैमिनि के "परंतु श्रुतिसामान्यमात्रम्"<sup>3</sup> इस सूत्र से ही हो जाता है। अतः पुनः उनपर पौरुषेयता आरोपित करना ठीक

1- वैसाकि धार्तिकर ने कहा है - "यथैव वाङ्मनसयोर्निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था तथा द्युपृथ्वीनिषेधः प्रकृप्तौऽर्थवादः स्याद् इत्येवं हिरण्यनिधान-स्तुत्यर्थः, न प्रतिषेधमात्रफलः ।"

‡ तन्त्र०-पृ० 33 ‡

2- द्र० - मी० कौ०-पृ०-37-38

3- वै० सू० 1/1/31

नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त "प्रावाहणि" शब्द किसी पुरुष का संज्ञा नहीं है अपितु "प्रकर्षणवाह्यतीति प्रावाहणिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार "प्रावाहणि" नित्य वायु का ओष्क है। इसी प्रकार "अवर" भी किसी का नाम नहीं है अपितु शब्द की अनुकृति है। अतः यहाँ अनित्यसंयोग वर्णित नहीं है। इस अर्थवाद में वाक्शब्द से निश्चित ध्वनिमात्र के कथन को कामना की गई है अतः यह स्तुतिक्वन है। इस प्रकार "अवर०" आदि वाक्य भी नित्य पदार्थ का कथन करने के कारण धर्म में प्रमाण है। भाष्य विवरणकार ने इस विषय में विस्तार से चर्चा की है।<sup>1</sup> आचार्य कुमारिल भट्ट के अनुसार इन वाक्यों का प्रयोजन रात्रिसत्र न्याय से स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत अर्थवादगत स्तुति ही इनका प्रयोजन है।<sup>2</sup>

19- "अवन्ता०" आदि अर्थवादवाक्य विधिगत सदिग्ध अर्थों के निर्णायक हैं

"अवन्ताः शर्करा उपदधाति"<sup>3</sup> आदि वाक्यों से स्नेह सिक्वन्त शर्करा §मिट्टी युक्त कंकड § का विधान प्राप्त है। यहाँ पर विधिवाक्य से यह ज्ञान नहीं होता कि शर्करा का अज्जन घृत से किया जाय अथवा तेल या वसा द्वारा। क्योंकि विधि द्वारा किसी विशेष अर्थ का निर्णय नहीं होता। ऐसी

1- "अनित्यतद्दर्शनमनित्येन संयोगदर्शनं तत्परिहृतम्, परंतु-----

प्रावाहणेन्यस्यासम्भवात्नित्यस्यसंयोग इत्युक्तमित्यर्थः।" §सूत्र 1/2/18  
का भाष्य विवरण §

2- द्र० - तन्त्रवार्तिक - पृ० 33

शुभ्रिपुत्र परमेश्वर ने भी कहा है -

"यत्परं अवरायुक्तम् अनित्यत्वस्य कारणम्, अतः शब्दस्य सामान्यमात्रम् तत्रेति गम्यताम्। अवराध्वनियुक्तस्य वायोः प्रवहणो विसृतः भवेदिति।"

§जै०सूत्रार्थसंग्रह-पृ०-61§

3- तै० ब्रा० 3/12/5

दशा में "तेजोवैघृतम्" यह वाक्य यह निश्चय कराता है कि शर्करा का अञ्जन "घृत" से ही किया जाय । यहाँ पर वादी की यह शङ्का ठीक नहीं है कि विधि को अपेक्षा अर्थात् दुर्बल प्रमाण है इसलिये वह अर्थविशेष का निर्णायक नहीं हो सकता उसकी उपयोगिता तो केवल स्तुतिकार्य में ही है। क्योंकि श्रुति द्वारा घृत की स्तुति की गई है, अतः यदि शर्करा के अञ्जन के लिये किसी सामान्य द्रव्य की लक्षणा से कल्पना करेंगे तो लक्षणा के दुर्बल होने से वह उचित नहीं होगा ।<sup>1</sup> विधि एवं अर्थात् की एक वाक्यता के कारण तथा वाक्य के एक भाग घृत की प्रत्यक्ष श्रुति से स्तुति होने के कारण यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे सन्दिग्ध स्थलों में अर्थात् विधिगत सन्दिग्ध अर्थों के निर्णायक भी होते हैं।

### अर्थात् के कतिपय सन्दिग्ध स्थल

कुछ ऐसे अर्थात् स्थल भी प्राप्त होते हैं जहाँ पर यह संदेह होता है कि ये विधि हैं या अर्थात् । कहने का तात्पर्य यह है ऐसे वाक्यों में विधि एवं अर्थात् दोनों की सरूपता होने के कारण उनके विषय में शङ्का उठती है। वादी ने ऐसे वाक्यों को गुणविधि माना है जबकि मीमांसाचार्यों ने इन्हें अर्थात् वाक्य कहा है । जैमिनि से लेकर ऋद्धदेवपर्यन्त आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से इनकी स्तुतिपरकता सिद्ध की है। जिसका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है -

### 1- "औदुम्बरो" आदि वाक्यफल-विधि न होकर अर्थात् है

"सोमापौष्णं त्रैतमालभेत पशुकामः" इस वाक्य से काम्यपशुभाग का विधान किया गया है। इसी के समीप "औदुम्बरो यूपो भवति अर्क वा उदुम्बर अर्कपशवः ऊर्जैर्वास्मा ऊर्जम् पशूनाप्नोति<sup>2</sup> ऊर्जोऽवस्यै" यह अर्थात् प्राप्त होता है।

1- द्र० जे० न्यायमाला० पृ० 67

2- तै० सं० 2/1/9



यहाँ वादो का यह कथन ठीक नहीं है कि ये फलविधियाँ हैं, क्योंकि अर्थ-वादों को विधि के साथ एकजाक्यता तो "विधिना त्वेक०" इस सूत्र से ही सिद्ध हो चुका है। अतः यहाँ फलविधि नहीं प्रत्युत पशुयाग को स्तुति मानना ही उचित है। यहाँ "उर्कवा०" आदि सम्पूर्ण अर्थवाद स्तुति को ही सिद्ध करते हैं।

वादी का यह कथन भी युक्त नहीं है कि "तादर्थ्यचतुर्था" न्याय से "ऊर्जावस्थये" में चतुर्था होने के कारण यह वाक्य<sup>फल</sup>प्रतिपादक है, क्योंकि "सर्वेभ्योर्क्षापूर्णमासो०" आदि वाक्यों में अन्य कोई गति संभव न होने से लक्षणा द्वारा भले ही उन्हें फल विधि माना गया है। किन्तु यहाँ पर स्तुति रूप अर्थ सम्भव है अतः यह वाक्य फल को सिद्ध करने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ उदुम्बर ही समोप स्थित है, इसलिये "औदुम्बरं यूपं भाक्यात्" इस विध्यर्थ के अनुसार उदुम्बर ही फल है न कि उर्कवरोध फल हो सकता है। इसका कारण यह है कि उर्कवरोध की प्राप्ति व्यवहित है।

वार्तिककार ने भी कहा है कि प्रकरण प्रमाण से औदुम्बरता ही विधि के रूप में प्राप्त है एवं "ऊर्कवाउदुम्बर" आदि अर्थवाद विधि के स्ताक्क हैं। जब दोनों के लिये अलग-अलग व्यवस्था है तो एक ही वाक्य को स्तुति मानकर पुनः उसे फलविधि मानने में कल्पना गारव भी प्राप्त होगा। साथ ही यदि हमसे उदुम्बर गुण और उर्कवरोध फल दोनों मानेगी तो एक ही वाक्य से दोनों का विधान प्राप्त होने के कारण वाक्यभेद भी प्राप्त होगा। अतः इस वाक्य में भी गुणवाद से प्रशंसा ही की गई है। यहाँ पर गौणीवृत्ति का

निमित्त साध्य है, क्योंकि अन्न तृप्ति का कारण है अतः वह प्रीति का भी साधन है; एवं उदुम्बर के फलोत्पादन रूप शक्ति से युक्त होने के कारण वह भी प्रीति का साधन है अतः प्रशस्त है। इसलिये अन्न की प्रशंसा के द्वारा उपचार से उदुम्बर की ही प्रशंसा की गई है। अतः यह सम्पूर्ण वाक्य स्तुतिवचन ही है यह स्पष्ट हो जाता है।<sup>1</sup> पके हुए फल के सम्बन्ध से उदुम्बर को भी "ऊर्क" कहा जा सकता है।

"अप्सुयोनिर्वा०"<sup>2</sup> इसकी उपपत्ति दर्शाते हुए "भाष्यकार" ने कहा है कि कतिपय वाक्य ऐसे हैं जिन्हे यदि विधि माना जायेगा तो उनकी कर्तव्यरूपता सम्भव न होने के कारण विधि ही निरर्थक हो जायेगी। अतः उनकी स्तुतिपरकता ही सिद्ध होती है। इसी गुणवाद न्याय से इस वाक्य को भी स्तुति करने वाला ही मानना चाहिए न कि फलविधि।<sup>3</sup>

उदुम्बर वाक्य को स्तुति मानने में एक हेतु यह भी है कि यहाँ पर यदि हम फलविधि मानते हैं, तो "यो विदग्धः स नैऋतः, योऽश्रुतः स रौद्रः, यः श्रुतः स देवतः। तस्मादविदहता श्रमपितृव्यः स देवतत्वाय"<sup>4</sup> इस दर्शपूर्णमास प्रकरण में आये हुए वाक्य में भी विधि माननी पड़ेगी और यहाँ विधि मानने पर जो पुरोडाश विदग्ध हो गया अर्थात् पूरी तरह जल गया

1- "सर्वत्र च स्तुतिपरत्वात्तदुपायेषु सत्यासत्यान्वेषणं व्यर्थम् । ज्ञानमात्रो-  
पपिकत्वात् । गुणवादेन च संवादात् । साधनत्वेऽपि च प्रीतिसाधनत्वेन  
तृप्तिहेतुत्वेन वा संवादः ।" § तन्त्र०-पृ०-४। §

2- "अप्सुयोनिर्वा अश्वो अप्सुजो वेतसः" § तै० सं० ५/३/१२ §

3- "विधिद्वानर्थकः क्वचित् तस्मात् स्तुतिः प्रतीयेत तत्सामान्याद्  
इतरेषु तथात्वम् ।"

§ मी०शु० १/२/२३ §

4- तै० सं० २/६/३

हो उं निश्चिन्ति देवता वाला मानना होगा, और ऐसा होने पर प्रकरण बाधित होगा, क्योंकि दर्शपूर्णमास यागकर्म में नैऋत पुरोडाश प्राप्त नहीं है इसलिये विदग्ध विधान निरर्थक होगा ।<sup>1</sup>

कहने का तात्पर्य यह है कि विदग्धादि को उद्देश्य करके अन्य देवता का विधान करने पर उत्पत्ति वाक्य से प्राप्त देवता का अपकर्ष होगा । साथ ही प्रकरण में नैऋत देवता का अभाव होने से जहाँ वह विहित है वहाँ पर विदग्धता को ले जाना होगा और इसके विपरीत यदि इसे स्तुतिवचन मानते हैं तो <sup>यह</sup> अपकर्ष नहीं होगा । इसी प्रकार उदुम्बर वाक्य भी अर्थवाद ही है ।

इस अर्थवाद वाक्य में फल विधि इसलिये भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यदि "औदुम्बरो यूपो भवति" को फलविधि मानकर "औदुम्बरं यूपं कुर्वीत" यह वाक्यार्थ मानते हैं तो अर्थवाद सम्बद्ध ऊर्ज्वरोध की फल के रूप में प्राप्ति होने लगेगी । अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दशा में यदि ऊर्ज्वरोध को विधि का फल कहते हैं तो यूप पद निरर्थक होगा और यदि यूप का फल ऊर्ज्वरोध है यह मानते हैं तो उदुम्बर पद व्यर्थ होगा । यदि दोनों का फल ऊर्ज्वरोध को मानते हैं तो, 1- औदुम्बरतया ऊर्ज्वरोधं कुर्यात्, 2- यूपेनोर्ज्वरोधं कुर्यात्" ऐसा वाक्यभेद प्राप्त होगा । इसलिये यह सम्पूर्ण वाक्य अर्थवाद है ऐसा मानने पर "औदुम्बरयूपं प्रशस्तं है इसलिये ऊर्ज्वरोधन में समर्थ है" यह वाक्यार्थ प्राप्त होगा । अतः विधि के समान प्रतीत होने वाले सभी अर्थवाद वाक्यों की उपयोगिता विधि की स्तुति में ही है ।

1- द्र० मी० सू० - 1/2/24

2- न च प्रकरणे कर्मान्तरविधिः शङ्क्यः यत्तच्छब्दान्वयानुपपत्तेः ।

"अविदहत श्रयितव्य" इति विध्येकवाक्यत्वसंभवे वाक्यभेदाङ्गीकारा-  
योगाच्च । "

औदुम्बर वाक्य को फलविधिरूपता का खण्डन करते हुए, माधवाचार्य ने कहा है कि यदि यहाँ फलविधि मानते हैं तो "ऊर्गवरोध" विहित उदुम्बर का फल है अथवा अविहित उदुम्बर का, क्योंकि बिना अनुष्ठान किये द्रव्यमात्र से फलप्राप्ति संभव नहीं है। यदि विहित का फल मानते हैं तो विधि कल्पित है कि प्रत्यक्ष; क्योंकि "औदुम्बररोप्योभवति" वाक्य में विधायक लिङ् प्रत्यय का श्रवण नहीं है। इसलिये यहाँ प्रत्यक्ष विधि नहीं है और यदि विधि को कल्पना करते हैं तो स्मृति द्वारा ही वह कल्पना होगी। अतः स्मृति के द्वारा विधि कल्पना को अपेक्षा इस वाक्य को स्तावकता मानने में ही लाघव है।

2- "तेनह्यन्नं क्रियते" आदि वाक्य भी अर्थवाद ही है हेतु विधि नहीं है

वस्त्रप्रघास<sup>2</sup> पर्व में "करम्भमात्राणि जुहोति" यह विधि प्राप्त होती है। उसी के समीप "शूर्पेण जुहोति तेनह्यन्नं क्रियते"<sup>3</sup> यह अर्थवाद क्वचन प्राप्त होता है। इस वाक्य में शूर्प को अन्नसाधनता प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि यह वाक्य हेतुविधि है या अर्थवाद क्वचन। <sup>ने यहाँ</sup> हेतुविधि कहा है

1- "अस्तुतौदुम्बरत्वस्याविधानाच्च कस्य तत्फलम् ।

अर्थद्वेषे वाक्यभेदः तेन स्तावक एव सः ।"

॥ जे० न्याय० वि० पृ० २४ ॥

2- चातुर्मास्य षाग में चार ऋतु होते हैं - वैश्वदेव, वस्त्रप्रघास, भाकमेध और शुनाशोरीय। उनमें वस्त्रप्रघास पर्व में करम्भमात्रों का होम विहित है। वही पर "शूर्पेण जुहोति" यह वाक्य पठित है। समीपत्र मिश्रित करार या खजूर के अङ्कुर ही करम्म है। जबकि सायण ने दधिसिक्त यवक्तव को करम्म कहा है।

3- तत्र प्रीतिरिति क्रियते एवानेनान्ममित्युच्यते ।"

॥ तन्त्र० पृ० ४१ ॥

यहाँ पर वादी का यह कथन ठीक नहीं है कि इस वाक्य में स्तुति न होकर हेतुविधि है। पूर्वपक्षी के अनुसार हेतुविधि मानने में एक कारण यह भी है कि यदि शूर्म को अन्न का साधन मानते हैं दर्वी पिठरादि के भी अन्न का साधन होने से उन्हें भी अन्न का साधक हेतु मानना होगा ।

इसका खण्डन करते हुए सिद्धान्ती का कथन है कि शूर्म की अन्नकरणता तो "क्रियते" इस प्रत्यक्ष श्रुति से ही सिद्ध होती है, जबकि दर्वी आदि की अन्नकरणता अनुमान अथवा लक्षणा के आश्रय से मानना होगा । अतः शूर्म के साथ उनका विकल्प भी सम्भव नहीं है। साथ ही इस वाक्य में "तेन" के द्वारा शूर्म का ही परामर्श होता है। इसलिये शूर्म की प्राप्ति से ही होम के निराकाङ्क्ष हो जाने के कारण भी दर्वी आदि के अनुमान के लिये अवकाश नहीं रहता । अतः "यत् यदन्नकरणे तेन तेन होतव्यम्" आदि विधियों की कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । इस प्रकार "शूर्मेण जुहोति" इस विधि की "तेनह्यन्नं क्रियते" आदि वचन से स्तुति ही सिद्ध होती है, हेतुविधि सम्पत्ता नहीं । यहाँ यद्यपि दर्वी आदि अन्न के हेतु हैं तथापि साधकत्व का अभाव होने से वे अन्न के कारण नहीं बनते ।<sup>1</sup>

"न विधौ परः शब्दार्थः" इस न्याय से भी "तेनह्यन्नं" वाक्य 'शूर्मेण जुहोति' विधि का अङ्ग ही सिद्ध होता है। विधि की सिद्धि के लिये लक्षणा का सहारा लेना ठीक नहीं है। वादी की यह शङ्का ठीक नहीं है कि "क्रियते" में वर्तमान का निर्देश होने से यह विधि का स्तावक नहीं हो सकता । क्योंकि लोगों में जैसी प्रीति वर्तमान के विषय में होती है

1- [क] 'सत्र प्रीतिरिति क्रियते एवानेनान्नमित्युच्यते ।' ॥ तन्त्र० पृ० 4 ।

[ख] 'यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात् सामान्यदिति चेदव्यवस्था विधीनां स्यात्'

वैसी भूत या भविष्य के प्रति नहीं होती । अतः स्तुति वाक्य में वर्तमान का अपदेश होने पर भी कोई दोष नहीं है। लोक में ऐसे उदाहरण अनेकशः मिलते हैं यथा - "यह गाय पूर्वप्रसव में बहुत दूध देती थी अतः वर्तमान प्रसव में भी अधिक दूध देगी ।" इसप्रकार अवर्तमान की स्तुति के लिये वर्तमान का प्रयोग होता है।<sup>1</sup>

अथवा जैसे लोक में "बलवान् देवदत्त यज्ञदत्तादि को हराता है" आदि कथन देवदत्त से कम बल वालों की अपेक्षा से कहा गया है न कि सिंह आदि अधिक बलवाले जीवों की अपेक्षा से । जैसे ही—अन्न की कारणता अतिरम प्राप्त शूर्म की ही अन्न कारणता कही गयी है; दर्वी आदि की नहीं। श्रुति द्वारा भी शूर्म की ही अन्न साधनता प्राप्त होने के कारण "तेन ह्यन्नो" वाक्य से शूर्म का ही समानाधिकरण्य सिद्ध होता है। यदि दर्वी पिठरादि की कारणता मानेंगे तो विधियों की अव्यवस्था प्राप्त होगी । अतः यहाँ हेतुविधि नहीं अपितु शूर्मविधि की स्तुति मानना ही न्याय्य है।<sup>2</sup>

कहने का तात्पर्य यह है शूर्म की अन्नकारणता श्रुति से ही निश्चित हो जाने पर यदि दर्वीपिठरादि की तृतीयाविभक्ति रूपकरणत्व सामान्य के बल पर कारणता मानेंगे तो विधियों की अव्यवस्था होगी । अतः शूर्म की स्तुति होने से "तेन ह्यन्नं क्रियते" यह गौण कथन स्तुतिवाक्य है यह सिद्ध होता है। "शूर्मेण जुहोति" यह विधि तो "करम्मात्राणि जुहोति" की अङ्ग-विधि है ।

1- द्र०-कु० वृ०-पृ०-36,

जैसा कि वार्तिककार ने<sup>भी</sup> कहा है - कथं स्तुतिः सर्वलोकस्यभूतभविष्यदनादरेण वर्तमानोपकारानुरागात् वर्तमानालोचनेनैव च कालान्तरेऽपि ।"

2- द्र०-सुविमला पञ्चिका II पृ०-50

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हेतुविधि के समान पढ़े गये वाक्य अर्थात्-वाक्य है विधि नहीं ।

3- दर्शपूर्णमास प्रकरण में पढ़े गये "निवीतं मनुष्याणाम्" आदि वाक्य अर्थात्-  
वाक्य है

दर्शपूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गया "निवीतं मनुष्याणाम् प्राचीनादीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्"। यह वाक्य अर्थात् है। यहाँ पर वादी का यह तर्क उचित नहीं है, कि "मनुष्याणाम्" में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग विधि के लिये है, अतः यह वाक्य "निवीतं" का विधान मनुष्य के कर्तव्य के रूप में करता है। षष्ठी के प्रयोग के कारण निवीत अतिथिज्ञः नित्यकर्म के समय पुरुष का धर्म होता है। वादी के इस मत का खण्डन करते हुए आचार्य जैमिनि ने कहा है कि प्रकरण सामर्थ्य से "निवीतं मनुष्याणाम्" यह वाक्य अर्थात् सिद्ध होता है।<sup>2</sup> यदि इस वाक्य को हम विधि मानते हैं, तो षष्ठी विभक्ति के सामान्य सम्बन्ध की वाधिका होने से निवीत का सम्बन्ध मनुष्यमात्र से ज्ञात होता है, मनुष्य प्रधान कर्म से नहीं। और यदि मनुष्य प्रधान कर्म से उक्त सम्बन्ध मानेंगे तो इसका फल कल्पित करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फल 'श्रुति' से नहीं प्राप्त होता है। यदि यहाँ हम "आतिथ्यकर्म" की फल के रूप में कल्पना करते हैं तो आतिथ्य के प्रकरण प्राप्त न होने के कारण प्रकरण से उत्कर्ष मानना होगा। जबकि प्रकरण प्रमाण से इस वाक्य के उपव्यय-विधि की स्तुति सिद्ध होने से यह वाक्य अर्थात् ही सिद्ध होता है, विधि नहीं।

यहाँ पर विधि इसलिये भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि "निवीतं मनुष्याणाम्" <sup>के</sup> "समीपं पठितं" उपव्ययते देवतक्षममेवतत्कुर्वते" इस विधि का अङ्ग होने से विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करता है।<sup>3</sup> यदि "निवीतं" वाक्य को भी

1- तै०सं० 2/5/11

2- अर्थात् वा प्रकरणात्" ॥ जै०सू० 3/4/8-9 ॥

3- "इतरत्र न विधिः कुतः विधितैकवाक्यत्वात्०----।" ॥सू०3/4/9 का शा०भाष

विधि मानते हैं तो वाक्यभेद होगा, क्योंकि विधि कभी विधि के ही साथ एकवाक्यता नहीं प्राप्त करती । अतः "निवीतं मनुष्याणाम्०" आदि वाक्यों को विधि मानने पर विधि के साथ उनकी एकवाक्यता वाधित होगी । इसलिये इस वाक्य में विधि नहीं प्रत्युत मनुष्यों के लिये नित्य प्राप्त निवीत का अनुवाद करके उपवीत का स्तुति की गई है।

इसका कारण यह है कि दर्शपूर्णमासयाग में निवीत का विधान मनुष्यों के लिये होने से वह देवकर्म के योग्य नहीं होता । पितरों से सम्बन्ध होने से प्राचीनावीत भी देवकर्म के योग्य नहीं होता । उपवीत देवकर्म के योग्य होने से प्रशस्त है। अतः निवीत व्यतिरेक द्वारा उपवीत का स्तावक है यह सिद्ध होता है।<sup>1</sup>

स्तुति रूप प्रयोजन के कारण अर्थात् सिद्ध हो जाने पर यहाँ विधि कल्पित करना युक्त नहीं है। जिस प्रकार लोक में "जैसे-वशिष्ठ की अरुन्धती, शशाङ्क को रोहिणी, नल की दमयन्ती वैसी देवदत्त की यज्ञदत्ता है" इस कथन से वशिष्ठ आदि की प्रसिद्ध स्त्रियों की उपमा से देवदत्त की भार्या की प्रशस्तता ज्ञात होती है, वैसे ही यहाँ निवीत और प्राचीनावीत के क्रमशः मनुष्यों और पितरों के लिये होने से वे देवों के प्रति अयुक्त हैं यह कहकर देवों के लिये उपवीत की प्रशस्तता कही गयी है। अतः देवकर्म दर्शपूर्णमास में "उपवीत प्रशस्त होने से धारण करने योग्य है" यह वाक्यार्थ है।

1- "न च प्रकरणत्कृत्वद्गत्वेन विधिः । वाक्यभेदप्रसङ्गात् । उपवीतं तावद्विधीयते । ----- व्यतिरेकमुक्तेन स्तावकं निवीतम् ।"

। जे० न्याय० वि०-५०-169 ।



4- इतिह स्माह० आदि वाक्य गोत्र विधियाँ नहीं हैं बल्कि परकृति  
और पुराकल्प रूप अर्थवाद हैं

इसी प्रकार "इति ह स्माह बर्कुर्वाष्णो माषान् मे पचति न वाएतेषां हविर्गृह्णन्ति।" यह वाक्य बर्कु की गोत्रविधि नहीं बल्कि अर्थवाद है। इन्हें परकृति अर्थवाद कहा जाता है। एकपुरुष के कर्ता का विषय होने पर "परकृति" अर्थवाद होता है। यह अर्थवाद "तस्माद् आरण्यमेवाशनीयात्" इस विधि का वाक्य शेष है। यदि इस "इतिह०" आदि वाक्य को विधि मानेंगे तो इनकी एकवाक्यता ही नहीं सिद्ध होगी। यहाँ परकृति अर्थवाद मानकर विधि के साथ उसका अन्वय करने पर "आरण्य ओषधियों का ही भक्षण करना चाहिए, न कि बर्कुवाष्णि के समान ग्राम्य ओषधियों का" यह वाक्यार्थ प्राप्त होता है। इसप्रकार आरण्य ओषधियों के पाक की प्रशंसा के लिये बर्कुर्वाष्णि के द्वारा माषपाक की निन्दा की गई है। इस वाक्य में नित्य प्राप्त अर्थ - 'माषपाक-निषेध' का अनुवाद है।<sup>2</sup>

इसी प्रकार "उल्मुकैर्ह स्मपूर्वे समाजम्भुः तान् ह असुरा रक्षांसि निजघ्नुः" ॥ उल्मुकों - अंगारों के साथ पूर्व पुरुष आये, निश्चय ही उन्हें असुरों और राक्षसों ने मार दिया ॥ यह वाक्य भी मनुष्य के धर्म अथवा गोत्र की विधियाँ नहीं हैं, प्रत्युत पुराकल्प रूप अर्थवाद है। अनेक पुरुष रूप कर्ता वाला उपाख्यान "पुराकल्प" कहा जाता है। यह अर्थवाद वाक्य अग्नि सन्निवाप विधि का

1- द्र०-शत० ब्रा० 1/1/1/10

2- "अर्थवादो वा विधिधोषत्वात् तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्"

॥ जै० सू० 6/7/30॥

"न चात्र वाष्णिर्कर्तृको माषपाकः स्तूपते, अन्यस्य स्तावकस्याभावात् ।

किन्तु वाष्णिर्कृतत्वेन कारणेन माषपाकस्य स्तुतिः ।"

॥ शा०दी० पृ० - 110 ॥

स्तुति वचन है। और "गृहपतेरेवः अग्निषु निर्मन्ध्य निर्वपेरन्" इस विधि का अद्.ग होने से उसके साथ एकवाक्यता प्राप्त करता है। यहाँ पर यदि "उल्मुके०" वाक्य को गोत्रविधि मानेगे तो इस विधि के साथ एकवाक्यता न हो सकेगी। ऐसी दशा में इस वाक्य की स्तुत्यर्थता व्यर्थ हो जायेगी। अतः इस वाक्य में भी स्तावकता माननी चाहिए। इसकी स्तावकता मानने पर "अग्नि का मन्थन करके उससे उत्पन्न अग्निपों का निर्वाप करना चाहिए, घर से उल्मुक लाकर अग्निपों का निर्वाप नहीं करना चाहिए" यह वाक्यार्थ सिद्ध होता है।

5- "यदष्टाकपालादि०" वाक्य भी वैश्वानर याग की स्तुति ही करते हैं  
गुण अथवा कर्मविधान नहीं करते

काम्ययाग प्रकरण में "वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते"। यह वाक्य पुत्रोत्पत्ति के समय वैश्वानर देवता को उद्देश्य करके याग का विधान करता है। इसी के समीप "यदाष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवेन ब्रह्मवर्चसेन पुनाति०" आदि वाक्यों द्वारा अष्टाकपाल नवकपाल, दशकपाल, एकादश कपाल और द्वादश कपालों के फलों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह संशय होता है कि ये अष्टाकपालादि शब्द अग्निहोत्र, वैश्वदेवादि पदों की भाँति याग की संज्ञा हैं अथवा गुण के विधायक हैं, या अष्टाकपालगुणविशिष्ट ब्रह्मवर्चसादि रूप फल के विधायक हैं या फिर अर्थवाद है। पूर्वपक्षी ने इन्हें स्तुतिवचन न मानते हुए "तत्प्रवरव्यन्याय" से यागनामधेय माना है।

1- तै० सं० 2/2/5/3 - "यदष्टाकपालो भवति —— दशकपालो भवति विराजैवास्मिनाथं दधाति, यदेकादशकपालो त्रिष्टुभैवास्मिन्निद्रिय दधाति, यद्द्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन् पशून्दधाति। यस्मिन्जात एवाभिष्टिर्निर्वपति पूत एव तेजस्वीः अन्नाद् इन्द्रियावी पशुमान् भवति।"

इसके विपरीत सिद्धान्ती का कहना है कि अष्टाकपालादि वाक्यों के देवता की प्राप्ति किसी अन्य वाक्य से नहीं होती । अतः इन्हें तत्प्रवरव्यन्याय से याग नामधेय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कोई भी मन्त्र अथवा अर्धवाद वाक्य यहाँ पर देवता गुण की प्राप्ति कराने वाला नहीं है।

इस वाक्य द्वारा गुण का विधान मानना भी संगत नहीं है, जब उत्पत्तिवाक्य से ही द्वादशरूपाल रूप गुण की प्राप्ति हो रही है तो अन्य उत्पन्न वाक्य अष्टाकपालादि द्वारा पुनः गुणविधान मानना उचित नहीं है। अष्टाकपालादि प्रकरण प्राप्त गुण हैं और द्वादशरूपालता विधिवाक्य से प्राप्त है।<sup>1</sup> अष्टाकपालादि तो वस्तुतः पुरोडाश गत संख्या का ज्ञान कराते हैं। इन्हें गुण मानने पर तो इनका कहीं विनिर्योग संभव न होने से ये व्यर्थ हो जायेंगे । इसलिये इन्हें अर्धवाद ही मानना उचित है। इन्हें अर्धवाद मानने पर ये वैश्वानर याग के स्तावक भी सिद्ध होंगे, और व्यर्थ नहीं होंगे।<sup>2</sup> ऐसा मानने पर अष्टाकपालादि की वैश्वानर यागविधि साध ही एकवाक्यता भी सिद्ध होगी।

यहाँ पर वादी की यह शङ्का उचित नहीं है कि विधेय वैश्वानर याग से भिन्न अष्टाकपालादि की इस वाक्य में स्तुति की गई है, अतः इन वाक्यों की विधि के साध एकवाक्यता संभव नहीं है। क्योंकि वाक्य के एक देश की स्तुति से सम्पूर्ण वाक्य की स्तुति सिद्ध होती है। अष्टाकपालादि के द्वारा ब्रह्मवर्चसादि फल की प्राप्ति होने के कारण अष्टाकपालादि प्रशस्त हैं। अष्टत्वादि संख्या विधेय द्वादशरूपालमत संख्या से भिन्न नहीं है। अतः इन्हें

1- द्र0-सूत्र 1/4/18 का शाबरभाष्य

2- "ततश्च द्वादशरूप<sup>य</sup>उत्पत्तिवाक्यशिष्टम् इतराणि तु वाक्यान्तरैः प्रकरणापेक्षैर्दुर्बलानि सन्ति न सम्बन्ध्यन्ते ।"

अर्थवादवाक्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है।<sup>1</sup>

वादी का यह कथन भी उचित नहीं है कि इन वाक्यों में अष्टा-  
कपालादि गुण एवं ब्रह्मवर्षसादि फल का श्रवण होने से यह वाक्य गुणविशिष्ट  
फल विधि है, क्योंकि "गायत्र्यैवेन" आदि वाक्यों से फलादि की प्रशंसा  
भी की गई है। अतः "षडष्टाकपाल०" आदि वाक्य अर्थवाद सहित विधि-  
वाक्य सिद्ध होते हैं। इसका स्पष्टन करते हुए वार्तिककार ने कहा है कि  
"पुत्र जाते द्वादशकपालम्०" ऐसा प्रारम्भ में श्रवण एवं "षडद्वादशकपालो भवति"  
ऐसा मध्य में तथा "धस्मिन् जात एवाम्" ऐसा अन्त में श्रवण होने से सम्पूर्ण  
वाक्य की एकवाक्यता सिद्ध होती है। यदि "अष्टाकपाल" आदि वाक्य को  
अर्थवाद नहीं मानेंगे तो यह एकवाक्यता बाधित होगी। ब्रह्मवर्षसादि जो  
फल यहाँ पर कहेगये हैं वह वैश्वानर याग के प्रति है, अष्टत्वादि के प्रति  
नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इन वाक्यों में अष्टाकपालादि  
अवयव की स्तुति द्वारा द्वादशकपाल रूप अवयवी की स्तुति लक्षित होती है।  
इस प्रकार लक्षणा से वैश्वानर याग की स्तुति ही यहाँ पर सिद्ध होती है।<sup>2</sup>

"न तौ पशौ न सोमे" आदि वाक्य भी निषेध-वाक्य न होकर अर्थवाद ही हैं<sup>3</sup>

---

दर्शपूर्णमास यागप्रकरणे "आज्यभागौ अग्नीषोमाभ्यां यजति"

---

1- "स्तुतेरपरिमाणत्वात् यावती हि प्रतीयते

तां सर्वाभिकल्पेण विध्युद्देशः प्रतीच्छति ।"

‡ तन्त्र० पू०-३१५ ‡

2- "आनर्थक-यादकारणं क्तुर्हि कारणानि गुणार्थो हि विधीयते ।"

‡ जै०सू० १/४/२२ ‡

3- द्र०-वे० सू० १०/३/५

इस वाक्य द्वारा आज्यभाग का विधान करके "न तो पशौ करोति न सोमे" आदि वाक्य पढ़े गये हैं। यहाँ पर यह शङ्का होती है कि यह वाक्य प्रतिषेध करने वाला है या पर्युदासपरक है अथवा अर्थवादवाक्य है। पूर्वपक्षी ने ऐसे वाक्यों को निषेधवाक्य कहा है। अपने मत की पुष्टि में वादी का तर्क है कि "सोम" शब्द के साथ "नञ्" श्रुति का अन्वय सम्भव नहीं है। इसलिये यहाँ पर नकार का अन्वय क्रिया के साथ होगा। अतः आज्यभाग का अनुष्ठान रूप वाक्यार्थ होने से यहाँ प्रतिषेध ही उक्त है।

वादी का यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध तो यहाँ तब होता, जबकि विधिवाक्य द्वारा सोमयाग में आज्यभाग की प्राप्ति होती, किन्तु यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यदि यहाँ प्रतिषेध मान भी लें, तो विकल्प स्वीकार करना होगा जो कि उचित नहीं है, क्योंकि विकल्प तो वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी अन्य प्रकार से उसकी अर्थवत्ता संभव नहीं होती।<sup>1</sup> जबकि यहाँ पर सादृश्य के आधार पर यह गौण कथन युक्त सिद्ध होता है। अतः यहाँ अर्थवाद है, प्रतिषेध नहीं।<sup>2</sup>

वादी का यह कथन भी ठीक नहीं है कि विकल्प के अस्वीकार होने के कारण यहाँ पर्युदास मानना चाहिए, क्योंकि कात्यायन के अनुसार विभाषा के नियम से "सोम" का "नञ्" के साथ समास सम्भव है। अतः यहाँ सोम-व्यतिरिक्त यागकर्म में आज्यभाग कर्तव्य रूप से विहित है। अतः जिस प्रकार पितृयाग के आर्षेयवरण में विधि द्वारा अतिदेश से वरणभिन्न अङ्गसमूह की

1- "यदि उपदेशेनातिदेशेन वाज्यभागौ सोमे प्राप्नुयातां ततो निषेधः स्यात्"

‡ शा० दी पृ० 467 ‡

2- "पुरैतस्मात्सोमयाग आज्यभागाप्रसक्तिस्ततः

न पर्युदासः किंत्वर्थवादो दृष्टान्तवर्णनात्।"

‡ जै० न्याय० पृ०-60 ‡

व्यवस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार यहाँ भी पर्युदास से पर्युदास के योग्य "सोम" को छोड़कर अन्य में सामान्यतः आज्य भाग की प्राप्ति होती है । यह प्रसक्ति चाहे अतिदेश से हो या विधि से ।

वादी के इस कथन का खण्डन करते हुए मीमांसाचार्यों का कथन है कि यहाँ पर्युदास भी सम्भव नहीं है, क्योंकि "न तौ ०" इस वाक्य में पर्युदास मानने पर अन्योन्याश्रय का प्रसङ्ग होगा । अतिदेश अथवा विधि द्वारा आज्यभाग की प्राप्ति मानने के लिये अतिदेश द्वारा सोमभाग के अङ्गभूत दीक्षणीयादि में आज्यभाग प्राप्त आज्यभाग का पर्युदास होगा और ऐसी दशा में पशुभाग में भी आज्यभाग की प्राप्ति हो जाने के कारण "न तौ पशौ" यह वाक्य व्यर्थ सिद्ध होगा । अतः यहाँ पर पर्युदास मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आज्यभाग की पशुभाग में प्रसक्ति ही नहीं है । अतः "जिस प्रकार से सोम याग में आज्य भाग की प्रसक्ति नहीं है वैसे ही पशुभाग में भी आज्यभाग का अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए" यह वाक्यार्थ है ।

इस प्रकार यहाँ पर प्रतिषेध नहीं है बल्कि "नान्तरिक्षे, न दिवि" की भाँति ही यहाँ भी नित्यप्राप्त का अनुवाद ही है । अतः न सोमेऽध्वरे यह वाक्य "न तौ पशौ करोति" इस निषेध वाक्य का शेष होने से अर्थात् वाक्य ही है ।

1- "तौ न पशौ करोति ----- इह तु दर्शपूर्णमासप्रकरण इदं वर्तते तत्रैव वचन व्यक्तराज्यभागवर्जं दर्शपूर्णमासो कुर्यादिति"

! टुप्टीका पृ०-284 !

"जार्तिलयवाग्वा०" आदि वाक्यों में भी नहिनिन्दान्याय से अर्थवाद ही है

---

अग्निहोत्र याग प्रकरण में पठित "जार्तिलयवाग्वा वा जुहुयात् गवेधुक्यवाग्वा वा जुहुयात्, न ग्राम्यान् पशून् हिनरित, नारभ्यान्" इस वाक्य के पश्चात् "अनाहुतिर्वैजर्तिलाश्च गवेधुकाश्च" यह श्रुति भी प्राप्त होती है, और अन्त में "पयसाऽग्निहोत्रं जुहुयात्" यह विधि भी प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि "अनाहुति०" वाक्य प्रतिषेध का विधान करता है अथवा ये वाक्य अर्थवाद हैं। पूर्वपक्षी के अनुसार यहाँ विधि एवं निषेध दोनों की प्राप्ति प्रत्यक्ष श्रुति से हो रही है, अतः यहाँ विकल्प प्राप्त है, क्योंकि "जार्तिलयवाग्वा" अथवा गोधूम यवागू से हवन करें अथवा इन दोनों से भिन्न केवल दुग्ध द्वारा हवन करे "यह वाक्यार्थ है। "आहुति" इस क्रियापद का सम्बन्ध दोनों ही वाक्यों के साथ है, इसलिये यहाँ पर्युदास की सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक का विधान मानने पर अन्य की अप्राप्ति होने के कारण पर्युदास व्यर्थ हो जायेगा। अतः यहाँ विकल्प होने से प्रतिषेध ही है।

किन्तु वादी का उक्त कथन ठीक नहीं है क्योंकि यदि इन वाक्यों से भिन्न "पयसा०" यह विधि वाक्य न प्राप्त होता, तो यहाँ प्रतिषेध द्वारा विकल्प संभव था। यद्यपि पूर्ववाक्य भी विधि सदृश प्रतीत होते हैं, किन्तु वाक्य के अन्त में विधि प्राप्त होने से "अनाहुति०" और "जर्तिल०" ये दोनों ही वाक्य पयोविधि के अङ्ग सिद्ध होते हैं। "जर्तिलयवाग्वा०" आदि वाक्यों में प्रयुक्त "वा" शब्द तो विधि का प्रतिबन्धक होने से विधान में समर्थ नहीं है।

---

1- "जर्तिला आरभ्यारितला, गवेधुका आरभ्या गोधूमा ।"

‡ जै० न्याय० वि०, - पृ०-603 ‡

2- द्र० - टुप्टीका० - पृ० 285

और न ही यहाँ "वा" पद विकल्प विधायक है। यद्यपि ग्राम्य एवं आरण्य पशुओं की हिंसा से रहित होने के कारण जर्तिल और गवीधुक् गुणधान है, तथापि पयोहोम के प्रति वे अनाहुतिस्वरूप हैं। जबकि "दुग्ध" उसके योग्य है, क्योंकि "इत्थं महाभाग पयः" आदि वाक्यों से उसकी स्तुति की गई है।

जैसे "अपशवो वा अन्ये०" इस वाक्य में गौ की प्रशंसा के लिये अन्य पशुओं की निन्दा की गई है, वैसे ही यहाँ भी पयोहोम की प्रशस्तरता बताने के लिये जर्तिलादि को अनाहुति कहते हुए उनकी निन्दा की गई है। अतः नहि निन्दान्याय से यह वाक्य निषेधरक न होकर पयोहोम की स्तुति ही है।<sup>1</sup> अथवा जिस प्रकार लोक में "विष्मपि वा भक्षेत् न तु परान्नं भुञ्जीथाः" आदि वाक्यों का तात्पर्य विधान नहीं है उसी प्रकार "अनाहुति० आदि वाक्यों का भी अनुष्ठान रूप प्रयोजन नहीं है। अतः यह सम्पूर्ण वाक्य स्तुति द्वारा पयोविधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने के कारण अर्धवाद वाक्य ही है।<sup>2</sup>

इसी प्रकार "होतव्यमग्निहोत्रं न होतव्यम्०" अभिधार्या नाभिधार्या०" आदि वाक्यों में प्रयुक्त "अग्निं श्रुति भी प्रतिषेधरक नहीं है। जिससे यहाँ

1- "वस्तुतस्तु-जर्तिलगवीधुक् विधिरपि पशुनिन्दाद्वारेण पयः प्रशंसार्थेव न तु विध्यर्थः पशवपेक्षमा प्रशस्तयोरपि अनयोः पयोऽपेक्षमा निन्द्यत्वमेव । अतः पय एव प्रशस्ततरत्वमिति स्तुतिः।" §भाट्टदीपिका पृ० 104 भाग 4 §

2- "न वेदन्यं प्रकल्पयेत् प्रकल्प्यतौ अर्धवादः स्यात्, आनर्धक्वात् परशामर्ध्याच्च"।

§ जै०सू० 10/8/7 §

विशेष - विकल्प एवं प्रतिषेध तथा निषेध के स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण "निषेध" भाग के अन्तर्गत देखें ।



"अतिरात्रे०" आदि वाक्यों की भाँति विकल्प की शङ्का की जा सके । प्रत्युत "नहिनिन्दा" न्याय से ये सारे वाक्य निषेध वाक्य के अङ्ग होने से अर्थात् यह स्पष्ट है ।

मीमांसकों के अनुसार अर्थात् का लक्षण एवं स्वरूपतः भेद

समस्त मीमांसाचार्यों के मतानुसार विधेय द्रव्य, देवता और यागादि के स्तावक होने से अर्थात् का धर्म में प्रामाण्य सिद्ध है। अध्ययनविधि के द्वारा भी सम्पूर्ण वेद के अर्थान रूप प्रयोजन-पर्यन्त वेद के अध्ययन का विधान होने से तथा क्रिया रूप विधि के द्वारा अपेक्षित स्तुत्यर्थात् को प्रकट करने के कारण अर्थात् पर अक्रियार्थात् का आरोप नहीं सिद्ध होता । इस प्रकार अर्थात् स्वतंत्र रूप से स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अपितु विधेय की स्तुति द्वारा विधि के उपकारक है। विधि स्वयं क्रिया रूप होते हुए भी याग अनुष्ठान के प्रति पुरुष-प्रवर्तन हेतु स्तुति की अपेक्षा रखती है और अर्थात् उस अपेक्षा की पूर्ति के कारण विधि के अङ्ग सिद्ध होते हैं। इन अर्थात् को ब्राह्मण भी कहा गया है।<sup>1</sup> क्योंकि संहिता में प्राप्त विधि का स्तुति रूप कार्य ब्राह्मणों में विस्तार से प्राप्त होता है। शबरस्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र आदि आचार्यों ने वेद के विधि, अर्थात् एवं मन्त्र भाग का धर्म में प्रामाण्य वर्णित किया है। इस प्रकार विधेय की स्तुति करने के कारण अर्थात् की दृष्ट प्रयोजनता सिद्ध हो जाने से अर्थात् की अक्रियार्थात् रूप निष्प्रयोजनता एवं अदृष्टफलता स्वयं ही लीकृत हो जाती है ।

1- "सिद्धप्रमाणभावस्य धर्म वेदस्य सर्वशः,

विध्यर्थात् मन्त्राणामुपयोगोऽधुनोच्यते ।"

‖ तन्त्र०-५०-१ ‖

## अर्थवादों के भेद

मीमांसकों ने अर्थवाद के मुख्यतः दो भेद माने हैं - 1- "वायुर्वैशेषिष्ठा०" आदि रूप विधिषोषार्थवाद 2- "सोऽरोदीत्०" आदि रूप निषेधोषार्थवाद ।

यद्यपि अर्थवाद विधेय की स्तुति द्वारा ही विधि के उपकारक होते हैं, तथापि निषेध्यपदार्थ यज्ञ में रजतदानादि का निषेध करके भी वे याग का उपकार ही करते हैं। वस्तुतः ये निषेधोष रूप अर्थवाद "नहिनिन्दान्याय" से विधि के स्तावक ही सिद्ध होते हैं ।

स्वरूप की दृष्टि से अर्थवादों के पुनः 3 भेद किये जाते हैं।<sup>1</sup>

1- गुणवाद 2- अनुवाद 3- भूतार्थवाद

### गुणवाद

गुणवाद वहाँ होता है जहाँ प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण से विरोध प्राप्त हो रहा हो । ऐसी दशा में अभिधा के अर्थप्रतिपादन में समर्थ न होने के कारण गौणी वृत्ति द्वारा लक्षणा से अर्थप्रतिपादन किया जाता है। इस गौणी-वृत्ति के गुणवाद का हेतु बनने के छह निमित्त हैं<sup>2</sup> -

### 1- तत्सिद्धि

यहाँ तत्सिद्धि का तात्पर्य "तत्कार्यकारित्व" है। जैसे - "यजमानःप्रस्तरः"<sup>3</sup>

1- "विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते

भूतार्थवादः तदानात् अर्थवादद्वित्रया मतः ।" ॥अर्थग्रह-पृ०-194 से उद्धृत ॥

2- "तत्सिद्धिजातिज्ञा रुप्यप्रशंसाभूमा लिङ्गसमवायाः । ॥जे०सू० 1/4/23 ॥

3- तै० सं० 1/7/4

इस वाक्य में यजमान के कार्य का सम्पादन ही प्रस्तर में गौणी वृत्ति का निमित्त है। इस वाक्य में यजमान शब्द के दर्भमुष्टि रूप प्रस्तर का विशेषण न होने के कारण यद्यपि दोनों में समानाधिकरण्य संभव नहीं है, किन्तु प्रस्तर शब्द में सुगादिधारण रूप यजमान के गुण का योग है। अतः गौणीवृत्ति से प्रस्तर में सुग धारणादि मानकर "प्रस्तर" से यजमान की स्तुति की गई है। प्रस्तर यजमान के सुधा धारण आदि कार्यों को सम्पन्न करता है, अतः प्रस्तर का यजमान-कार्यकारित्व सिद्ध होता है।

## 2- जाति

जाति का तात्पर्य जन्म अर्थात् उत्पत्ति के कारण से है। जैसे "एष वा अग्निर्ब्राह्मणः" इस उदाहरण में ब्राह्मण के स्तुति के लिये अग्नि पद का प्रयोग एकमुखप्रभवत्व के कारण है। क्योंकि "स मुखस्त्रिवृतं निरमिमोत, तमग्निर्देवताऽन्वसृज्यत गायत्रं छन्दः रथन्तरं साम ब्राह्मणो मनुष्याणाम्०"। इस श्रुति द्वारा "प्रजापतिरकामयत" इस अनुवाक में एक ही प्रजापति के मुख से अग्नि ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति सुनी जाती है। अतः अग्नि शब्द द्वारा गौणी वृत्ति से ब्राह्मण की स्तुति सिद्ध होती है। इसी प्रकार "अप्सुजोऽश्वो वेतसः" आदि वाक्यों में भी गुणवाद का निमित्त जाति ही है।

## 3- सारूप्य

सारूप्य "सादृश्य" को कहते हैं। "यजमानो यूपः" <sup>2</sup> "आदित्यो यूपः" <sup>3</sup>

1- तै० सं० 7/1/1

2- का० सं० 26/6

3- तै० ब्रा० 2/1/5

आदि वाक्यों में तेजरिवता, ऊर्ध्वगमनत्व आदि गुणों के सारूप्य से यूप की प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार यजमान दीक्षादि संस्कारों द्वारा संस्कृत होकर ब्रह्मवर्षसादि से शोभायुक्त होता है, वैसे ही यूप भी तक्षण, अञ्जन आदि से संस्कृत होकर तेज से युक्त सा प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर सारूपता ही गुणवाद की प्रवृत्ति का कारण है।

#### 4- प्रशंसा

जहाँ पर विधेय की प्रशंसा के लिये अन्य की निन्दा की जाती है, वहाँ "न हि निन्दान्याय" से "प्रशंसा" ही गौणीवृत्ति का निमित्त है। जैसे - "अपशवो वाऽन्वेगोऽश्वेश्यः पशवो गोऽश्वाः"। इस वाक्य में गो और अश्व के प्राशस्त्य बोधन के लिये अजादि की अपशु कहकर निन्दा की गई है। इसी प्रकार "अपन्नो वा०<sup>2</sup>" आदि वाक्यों में साम की प्रशंसा के लिये श्वाओं की निन्दा की गई है।

#### 5- भ्रूमा

जहाँ पर गुणवाद की प्रवृत्ति का कारण प्रयोगगत बाहुल्य हो वहाँ गौणी वृत्तिका निमित्त "भ्रूमा" होता है। जैसे "सृष्टी उपदधाति"<sup>3</sup> इस वाक्य में। इष्ट का चयन प्रकरण में पठित इन सृष्टि मन्त्रों में सत्रह में चौदह मन्त्रों में "सृष्टि" शब्द प्रयुक्त है तीन में नहीं। यहाँ पर "बाहुल्य" गुणवाद का निमित्त है। इसी प्रकार "तस्माद्धूमएवाग्नेर्दिवा ददृशे"<sup>4</sup> आदि उदाहरणों में भी

1- तै० सं० 5/2/9

2- तै० सं० 1/5/7

3- तै० सं० 5/3/4

4- तै० सं० 5/2/10

प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होने के कारण गुणवाद का आश्रय लिया जाता है। यहाँ भी बाहुल्य ही गौणी वृत्ति का कारण है ।

### 6- लिङ्.गसमवाय

इष्ट का ध्वन प्रकरण में ही "प्राणभूतउपदधाति" यह वाक्य भी पढ़ा गया है। इस प्रकरण के 50 मन्त्रों में से तीन में "प्राण" शब्द प्रयुक्त है, अन्य में नहीं । यहाँ पर सभी मन्त्रों के लिये प्राण संज्ञा का प्रयोग "लिङ्.गसमवाय" के कारण है। इस प्रकरण में "अल्पत्व" के कारण लिङ्.ग समवाय है। प्राण के प्रतिपादन की सामर्थ्य यहाँ "लिङ्.ग" है और सामर्थ्य का सम्बन्ध मात्र ही "समवाय" कहा गया है। अतः यहाँ पर गुणवाद का निमित्त अल्पत्व रूप लिङ्.ग समवाय है। लोक में इसी को "छत्रिन्याय" कहा जाता है।

### 2- अनुवाद

यहाँ किसी अन्य प्रमाण से पहले से ही उसका स्वरूप निश्चित हो ऐसे वाक्यों द्वारा विधेय की स्तुति "अनुवाद" कही जाती है। जैसे "अग्निर्हिमस्य भेषजम्"। इस वाक्य में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध अर्थ का अनुवाद किया गया है ।

किन्तु वासुदेव दीक्षित आदि मीमांसकों ने इसे मन्त्र का उदाहरण कहा है अर्थवाद का नहीं । उनके अनुसार यह मन्त्र होने से विधि के साथ एकवाक्यता नहीं प्राप्त कर सकता । अतः यह उदाहरण अपुवत है। इसलिये "वायुर्वैश्वेपिष्ठा देवता०" आदि अर्थवाद ही अनुवाद के उदाहरण सिद्ध होते हैं। क्योंकि वायु का शीघ्रगामित्व स्पर्शन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है।

### 3- भूतार्थवाद

जिन अर्थवाद वाक्यों का न तो प्रमाणान्तर से विरोध प्राप्त हो रहा हो न ही अन्य प्रमाण से उनका निश्चय हो रहा हो । ऐसे स्थलों पर विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने वाले अर्थवादों को "भूतार्थवाद" कहा जाता है। जैसे - "वृत्राय इन्द्रो वज्रमुदयच्छत्"। आदि वाक्य । इसी वर्ग के अन्तर्गत उपनिषद् वाक्य भी आते हैं। वार्तिककार के मतानुसार भूतार्थवाद के अन्तर्गत ही अविन्त्यशक्ति परमेश्वर एवं उसके द्वारा निर्मित सृष्टि प्रलयादि भी व्याख्यात हो जाते हैं।<sup>2</sup> वृत्तिकारों ने षोडशाध्यायी में अर्थवाद वाक्यों के बारह भेद कहे हैं -

#### 1- इत्याहोपनिबद्ध

जैसे - "देवस्य त्वा सवितुः इति स्फ्यमादत्ते प्रसूत्यै" इस विधि वाक्य का शेष "अश्विनोबाहुभ्यामित्याह अश्विनौ हि देवानामध्वर्यु आस्तां पूषणो हस्ताभ्यामित्याहपत्यै" यह अर्थवाद वाक्य ।

#### 2- इति कर बहुलार्थवाद

#### 3- आरव्यायिका रूपार्थवाद

"पुरुष वै देवाः पशुमालभन्त तरमादालब्धान् मेध उदक्रामत सोऽश्वं प्राविशत्तस्माद् अश्वो मेध्योऽभूत्" आदि अर्थवाद वाक्य आरव्यायिका रूप हैं।

1- शत० ब्रा० 1/2/3/3

2- हेतुनिर्वचन निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः

परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना

उपमानं दर्शते तु विधयो ब्राह्मणस्यतु

एतत्स्यात् सर्वभेदेषु नियतं विधित्करणम् ।"

सूत्र 2/1/3। के शा०भा० से उद्धृत

#### 4- हेतुस्फार्थवाद

हेतुविधि के सदृश पढ़े गये अर्थवाद "हेतुस्फार्थवाद" कहलाते हैं। जैसे - "शूर्मेण जुहोति" इस विधि का अङ्गभूत "तेनह्यन्नं क्रियते" यह अर्थवाद वाक्य ।

#### 5- निर्वचनस्फार्थवाद

जैसे - यदेनमपिन्नोत्तदधनो दधित्वम्<sup>1</sup> सोऽरोदीत् यदरोदी त्तद्रुस्यस्य रुत्वम् आदि अर्थवाद वाक्य ।

#### 6- निन्दास्फार्थवाद

जैसे "न ब्रह्मा सामानि गायति" इस विधि के साथ अन्वय प्राप्त करने वाले: "उपवीता वा एतस्याग्नेयः"<sup>2</sup> आदि अर्थवाद "निन्दास्फार्थ" है।

#### 7- प्रशंसास्फार्थवाद

"वायुर्वैक्षिपिष्ठा देवता"<sup>3</sup> आदि अर्थवाद प्रशंसारूप हैं। यद्यपि निन्दास्फार्थ के अतिरिक्त सभी अर्थवादों में प्रशंसा अर्थ ही विवक्षित रहता है, तथापि इस वाक्य में वायुदेवता की प्रशंसा द्वारा परम्परया विधेय-वायव्य याग-की प्रशंसा की गई है। जबकि अन्य स्थलों में साक्षात् प्रशंसा रहती है।

#### 8- संश्रमास्फार्थवाद

यथा "होतव्यम् गार्हपत्येन न होतव्यम्"<sup>4</sup> आदि वाक्य "संश्रमात्मक" हैं।

1- तै० सं० 2/5/3/4

2- मै० सं० 1/4/10

3- तै० सं० 2/1/1

### 9- विधिकल्पकार्थवाद

विधि के समान प्रतीत होने वाले "यजमानेनसम्मितौदुम्बरी भवति"।  
आदि अर्थवाद "विधिकल्पकार्थवाद" कहलाते हैं।

### 9- परकृति

"इतिह स्माह बदकुर्वाषिण माषानेव मह्यं पचति" आदि वाक्य "परकृति"  
रूप अर्थवाद कहे जाते हैं।

### 10- पुराकल्प

"उत्सुकैःवह स्म पूर्वे समाजहमुः तानसुरा रक्षांसि निर्जघ्नुः" यह अर्थवाद  
तस्माद्गृहपते रेवाग्निषु निर्मथ्य निर्वपेरन्" इस विधि का अङ्ग है। यह "पुराकल्प  
अर्थवाद है।

द्विकर्तृकोपारव्यान के उदाहरण में भूट सोमेश्वर ने न्यायसुधा में  
"सावब्रुतौऽग्नीषोमौ आज्यस्यस्यै नाबुपांशु पौर्णमास्यां यजन्" इस वाक्य को उद्धृत  
किया है।

### 11- व्यवधारणकल्पनार्थवाद

"थावतो वासुणाश्चतुष्कपालात् निर्वपेत्"<sup>2</sup> इस वाक्य में विशेष अवधारण  
कल्पित होने से यह "व्यवधारण-कल्पना" का उदाहरण है। किसी बात का एक प्रकार  
से निश्चय होने पर उसकी अन्य प्रकार से कल्पना "व्यवधारणकल्पना" कहलाती है।<sup>3</sup>

1- तै० सं० 6/2/10

2- तै० सं० 2/3/12

3- द्र०-तन्त्रवार्तिक पृ०-417



वार्तिककार के मतानुसार वेद में अन्य प्रकार से प्रतीत होने वाले अर्थ का पौर्वापर्यलोचन द्वारा विरुद्ध निश्चय करके जो अन्य प्रकार की कल्पना की जाती है वह व्यवधारण कल्पना है।<sup>1</sup>

## 12- उपमाना र्थवाद

जिन वाक्यों में साधर्म्य उपमा द्वारा यागादि की प्रशंसा की जाती है वे "उपमाना र्थवाद" कहे जाते हैं। जैसे "श्येनैनाभिवरन् यजेत्" इस श्येनविधि का स्तावक "पथा वैश्येनो निपत्यादत्ते एवमयं भ्रातृव्यं द्विषन्तं निपत्यादत्ते" यह अर्थवादवाक्य है। यहाँ पर श्येनपक्षी को उपमान बनाकर श्येनयाग की स्तुति की गई है।

वृत्तिकार द्वारा उदाहृत इन भेदों के अतिरिक्त शङ्करभट्ट ने मीमांसाबाल प्रकाश में आठ भेद और कहे हैं -

1- आशिषु, 2- प्रलाप 3- परिदेवन 4- प्रेष 5- अन्वेषण 6- प्रश्न 7- प्रतिवचन 8- अनुषङ्ग ।

और इन भेदों को भाष्यकार एवं वार्तिककार-सम्मत कहा है। किन्तु यह भेद भाष्यकार एवं वार्तिककार सम्मत नहीं है। "सध्वोदकेषु मन्त्रारव्या" एवं "शेषे ब्राह्मणशब्दः" इन सूत्रों के व्याख्यान में इन्हें वृत्तिकार के मत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अर्थवाद के इन लक्षणों को "प्रापिक" कहा है।<sup>2</sup> वस्तुतः भाष्य में प्रदर्शित आठ भेदों के अतिरिक्त जो आठ भेद शङ्करभट्ट ने अर्थवाद के गिनाये हैं, वे मन्त्र के हैं।

1- इस सम्बन्ध में गोविन्दस्वामी ने अपने भाष्य विवरण में लिखा है -

"अवधार्यान्यथाकल्पनाव्यवधारणकल्पनाविधितक्षणाभिति. विधिशाब्दो ब्राह्मणविष्णुः एतद्वाचकं सर्वत्र वेद ब्राह्मणलक्षणमित्यर्थः" (१२/१/३३ का भा० वि०)

2- तन्त्र० - पृ०-४१६

न्यायसुधाकार ने इन भेदों को अव्याप्ति-लक्षण दोष से युक्त कहा है। इसका कारण यह है कि इतिकरणबाहुल्यादि द्वादश भेदों मेंसे "सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म" आदि में कोई भी लक्षण व्याप्त न होने के कारण इन्हें अर्थवाद का सम्पूर्ण लक्षण मानना उचित नहीं है।<sup>1</sup> वस्तुतः भाष्यकारादि द्वारा इन लक्षणों को "प्रापिक" कह देने से "सत्यं०" आदि वाक्य भी उपलक्षित होते हैं।

इनबीस भेदों के अतिरिक्त शङ्करभट्ट ने और भी अनेक भेद अर्थवाद के कहे हैं तथा उन्हें भाष्यकार एवं वार्तिककार द्वारा अन्य स्थलों पर निरूपित कहा है।<sup>2</sup> वे भेद निम्नादि-क्त हैं -

- 1- हेतुविधिसरूपार्थवाद, 2- साक्षात्विधेयप्रशंसासूत्रार्थवाद, 3- विधेयताद्विशेषण-व्यतिरिक्त प्रशंसासूत्रार्थवाद, 4- विधेयव्यतिरिक्तनिन्दार्थवाद - इसके दो भेद हैं - {क} विध्यन्तर से अविहित प्रकृत विधेयव्यतिरिक्त की निन्दा करने वाले {ख} विध्यन्तर विहितप्रकृतविधेय से भिन्न पदार्थ की निन्दा करने वाले अर्थवाद वाक्य । 5- फलविधि<sup>अ</sup>सूत्रार्थवाद, 6- निषेधसूत्रार्थवाद, 7- फलविधिसरूपार्थवाद, 8- देवताविधि अर्थवाद, 9- देवताविधिसरूपार्थवाद, 10- द्रव्यविधि अर्थवाद । 11- द्रव्यविधिसरूपार्थवाद, 12- जातिविधि अर्थवाद, 13- जातिविधिसरूपार्थवाद, 14- गुणविधिसरूपार्थवाद, 15- गुणविधिसरूपार्थवाद, 16- क्रियाविधिसरूपार्थवाद, 17- क्रियाविधिसरूपार्थवाद, 18- निमित्तविधि अर्थवाद, 19- निमित्तविधिसरूपार्थवाद, 20- कर्तृविध्यर्थवाद, 21- कर्तृविधि-सरूपार्थवाद, 22- कालविधि अर्थवाद, 23- कालविधिसरूपार्थवाद,

1- ५० न्यायसुधा पृ०

2- "अतो अन्ये सम्भवन्तो क्वचित् केचिन्निरूपिताः

"भाष्यवार्तिककाराद्यैः तान्भेदानभिद्गमहे ।"

{ मी० बाल०-पृ०-52 }

24- देशविधि रूपा र्थवाद, 25- देशविधिरूपा र्थवाद, 26- निषेधविध्य र्थवाद,  
27- निषेधविधिरूपा र्थवाद, 28- सीदग्धार्य उपादान निर्णायक र्थवाद,  
29- सीदग्धार्य शक्तिग्राहक र्थवाद, 30- उपमाना र्थवाद ।

श्रीकृष्ण यज्वा ने अर्थवाद के चार भेद कहे हैं -

1- निन्दार्थवाद, 2- प्रशंसार्यवाद, 3- परकृति, 4- पुराकल्प

वरतुतः उपर्युक्त सारे भेद अर्थवाद के नहीं हैं अपितु उदाहरण भेद हैं। स्वस्मृतः तो अर्थवाद के गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद भेद के अन्तर्गत ये सारे भेद समाहित हो जाते हैं। जहाँ अभिधाश्रुति से अर्थवादों की विधि के साथ एकवाक्यता सम्भव नहीं होती वहाँ गौणीगर्भसंक्षणा से वे विधि के अङ्ग बनते हैं। अन्य स्थलों पर वे श्रौतार्थ के द्वारा ही विधि के उपकारक बनते हैं। जहाँ पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उनका अविरोध प्राप्त होता है, वहाँ वे भूतार्थकक्षमात्र द्वारा विधिवाक्यों के उपकारक होते हैं।

### विविध मतों की समीक्षा

निष्कर्ष यह है कि प्रवृत्तिवाचक लिङ्गादि प्रत्यय से युक्त विधिवाक्यों की स्तुति द्वारा पुरुषप्रवर्तन रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण अर्थवादवाक्य विधिवाक्यों के पुरक हैं। अर्थवादों का कोई पृथक् प्रयोजन न होकर विधिप्रापेक्ष प्राशस्त्य ही उनका प्रयोजन है। जिसप्रकार विधि का अध्ययन-अनध्ययन, अध्यापन और शिष्य-गुरुपरम्परा प्रचलित है, इनका वैसा ही आदर अर्थवादों का भी प्राप्त होने के कारण ये दोनों समान प्रयोजन वाले सिद्ध होते हैं। अतः विधि की भाँति ही अर्थवाद भी अपौरुषेय है, अनित्य अर्थात् पौरुषेय नहीं है।

वृत्तिकार, शङ्करभट्ट एवं अन्य आचार्यों द्वारा जिन उदाहरणों को अर्थवाद का भेद कहा गया है, वे उदाहरण भेद मात्र है।

वस्तुतः अर्थवादों के समस्त उदाहरण गुणवाद, अनुवाद एवं भूता र्थवाद इन तीन श्रेणियों में आ जाते हैं। जहाँ कहीं शास्त्र अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध कथन प्रतीत होता है वह गुणवाद से सङ्गत होता है न कि विरुद्ध प्रदर्शनपरक, क्योंकि अर्थवाद विधेय द्रव्य देवता अथवा याग की साक्षात् या परम्परया स्तुति करके पुरुष प्ररोचना द्वारा विधि के उपकारक बनते हैं। अतः वे विधि के अङ्ग ही सिद्ध होते हैं, प्रमादपाठ नहीं सिद्ध होते ।

विधि के अङ्ग होने के कारण ही अर्थवादों पर अक्रियार्थता का दोषारोपण भी उचित नहीं है। कतिपय स्थलों पर अर्थवाद सदिग्धार्थ-निर्णायक भी होते हैं। ऐसे स्थलों पर वे विधि की स्तुति द्वारा धर्म में प्रमाण नहीं बनते । जबकि अन्य स्थलों पर विधि की स्तुत्यर्थता द्वारा ही वे धर्म के प्रति प्रमाण बनते हैं।

"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इस अध्ययनविधि के अनुसार भी अर्थवाद वाक्य वेद के अङ्ग ही सिद्ध होते हैं। वेद के विधिभाग के अन्तर्गत ही अर्थवाद भी गृहीत होते हैं। इन्हीं को ब्राह्मणभाग भी कहा जाता है।

इसप्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थवाद निष्प्रयोजन नहीं है बल्कि साक्षात् अथवा परम्परया स्तुति द्वारा विधि के अङ्ग हैं, एवं वेद के विधिभाग की भाँति ही अपौरुषेय हैं। उन्हें निष्प्रयोजन कहना तो, वेद के समग्र अर्थ को न समझने के कारण भ्रान्तिमूलक है। अतः अर्थवाद विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने के कारण क्रियार्थक हैं, यह सिद्ध हो जाता है।

## ॥ तृतीय अध्याय ॥

मन्त्रवाक्य -

- ॥क॥ प्राचीन एवं मध्यकालीन सोमासकों की दृष्टि में मन्त्र एवम्  
उसकी उपयोगिता
- ॥ख॥ विविध मतों की समीक्षा

प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में मन्त्रवाक्यों का स्वरूप एवं  
उपयोगिता

अर्थादवाक्यों के पश्चात् अतिशय महत्वपूर्ण वेदभाग मन्त्र है। यद्यपि "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इस नियम के अनुसार मन्त्रों का भी प्रामाण्य सामान्य रूप से सिद्ध है, तथापि विधिवाक्यों की भाँति मन्त्रों का न तो विधायकत्वेन उपयोग संभव है, क्योंकि मन्त्रवाक्य विधिविहित अर्थों के ही अनुवादक हैं। न ही स्तावकत्वेन वे विधि वाक्य के अङ्ग सिद्ध होते हैं, क्योंकि अर्थादवाक्यों की भाँति मन्त्रों की विधि के साथ- एकवाक्यता न होने से उनका विध्यङ्गात्व भी नहीं सिद्ध होता। यागकर्मों के अनुष्ठानकाल में अनुष्ठान से सम्बद्ध क्रिया अथवा क्रिया के अङ्गाभूत द्रव्य देवता आदि अर्थों का स्मरण कराने वाले वेदवाक्य मन्त्र कहे जाते हैं। यद्यपि अनुष्ठेय कर्मों के द्रव्य देवतादि का यह स्मरण रूप कार्य ब्राह्मणवाक्यों तथा स्मृतियों आदि के द्वारा भी हो सकता है, तथापि "मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्" इस नियमविधि के अनुसार यागकर्मों से सम्बन्धित द्रव्य, देवतादि का स्मरण मन्त्रों के द्वारा ही किये जाने का विधान है। इसलिये मन्त्रों द्वारा यागसम्बन्धी अर्थों का स्मरण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मन्त्रवाक्यों द्वारा स्मरण न किये जाने पर नियमापूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। साथ ही यदि स्मृति आदि अन्य उपायों से यह अर्थकारण रूप कार्य किया जाएगा, तो, उन-उन यागकर्मों के प्रकरण में पढ़े गये मन्त्रवाक्य भी व्यर्थ हो जायेंगे। जबकि स्वाध्यायविधि से सम्पूर्ण वेदभाग का अर्थज्ञानसहित अध्ययन विहित है। अतः अर्थज्ञानपूर्वक पदार्थस्मरण ही मन्त्रों का प्रयोजन है। इसलिये मन्त्रों का कार्य अदृष्टोत्पत्ति मात्र न होकर अर्थज्ञानसहित अर्थकारण रूप दृष्ट प्रयोजन भी है।

वस्तुतः अनुष्ठानकाल में कर्मज्ञान के बिना अनुष्ठान भी संभव नहीं है। मन्त्र ही वह साधन है जो यागकर्म के उपयोगी अर्थों का ज्ञान कराता है, जिससे विधि का विनियोग कार्य सम्पादित होता है। जहाँ पर मन्त्रों का अर्थप्रकाशनरूप दृष्टप्रयोजन संभव नहीं होता उन "हुं", "फट्" आदि जपमन्त्रों में इनका अदृष्ट प्रयोजन है। जबकि अन्य स्थलों पर ये दृष्टप्रयोजन वाले ही सिद्ध होते हैं। जिसप्रकार से विधिवाक्यों की विधायक रूप से अर्थवत्ता है वैसे ही मन्त्रवाक्य यागकर्मसम्बन्धी पदार्थों के स्मारक रूप कार्य के कारण उपयोगी हैं। अतः विधि के अभीष्ट अर्थों का प्रकाशन करने के कारण मन्त्रवाक्य भी धर्म के प्रति प्रमाण हैं।

कौत्स<sup>1</sup> प्रभृति वादी विद्वानों ने मन्त्रों के सम्बन्ध में निष्प्रयोजनतारूप जो आक्षेप किया है, उसका खण्डन अध्ययनविधि से ही हो जाने पर भी यह प्रश्न उठता है कि ये मन्त्र उच्चारण मात्र से अदृष्ट के उत्पादक होने के कारण कृत्वद्.गता प्राप्त करते हैं या अनुष्ठेय अर्थों के प्रकाशन रूप दृष्टफल के द्वारा ।

1- महायाज्ञिक कौत्स<sup>का</sup> वस्तुतः कोई अलग ग्रन्थ हमें नहीं प्राप्त होता किन्तु 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतोदधानाम्" § जै०सू० 1/1/1 § के वास्तविक अर्थ के ज्ञात न होने के कारण मन्त्रादि के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं । इन्हीं के आधार पर याज्ञिकों ने सभी वेदवाक्यों का विनियोग कल्पित कर लिया था । सम्भवतः इसी से प्रभावित होकर कौत्स ने मन्त्रों को निरर्थक कहा था । इसका उल्लेख हमें यास्क के निरुक्त में पूर्वपक्ष के रूप में मिलता है - 'यदि मन्त्रार्थ-प्रत्यायनाय अनर्थकं भवतीति कौत्सः । अनर्थका हि मन्त्रा तदेतेनोपेक्षितव्यम् ।" § निरुक्त- 1/5/15 पृ० 38 §

पूर्वपक्ष के मतानुसार मन्त्रों का अर्थ अविधिक्षित है - अर्थात् मन्त्र अनुष्ठेय अर्थों के प्रकाशक नहीं है, क्योंकि यदि मन्त्रों का अर्थप्रकाशन रूप प्रयोजन मानेंगे तो वह अनर्थक होगा और मन्त्रभाग के निरर्थक होने पर सम्पूर्ण वेदभाग पर निरर्थकता की आपत्ति होगी। मन्त्र जिन अर्थों को प्रकाशित करते हैं वे विनियोग-विधि, ब्राह्मण तथा कल्पसूत्रादि उपायान्तर से भी प्रकाशित हैं। अतः मन्त्रोच्चारणजन्य अर्थप्रकाशन को आश्रय लेकर नियमादृष्ट कल्पित करने की अपेक्षा उच्चारणमात्र से ही अदृष्ट कल्पित करने में लाघव है। इसलिये मन्त्र अविधिक्षित अर्थ वाले हैं, तथा उच्चारणमात्र से अदृष्टफल रूप प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। अपने पक्ष के समर्थन में पूर्वपक्षी अनेक हेतु भी प्रस्तुत करते हैं, वे हेतु निम्नलिखित हैं -

### पूर्वपक्ष

- 1- मन्त्रों का अर्थप्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन नहीं है क्योंकि मन्त्र द्वारा प्रकाशित अर्थ ब्राह्मणवाक्य द्वारा पूर्व से ही प्रकाशित रहते हैं।<sup>1</sup> जैसे दर्शपूर्णमास प्रकरण में "उरु ते प्रथ्व उरु ते यज्ञपतिः प्रथाम्"<sup>2</sup> यह मन्त्र पठित है पुनः ब्राह्मणग्रन्थ में कहा गया है "उरु प्रथ्वेति पुरोडाशं - "प्रथमति"।<sup>3</sup> यदि यहाँ पर मन्त्रार्थ को विवक्षित मानेंगे तो लिङ्ग से ही विनियोग सिद्ध हो जाने के कारण मन्त्रवाक्य निरर्थक होगा। यहाँ पर यह कहना ठीक नहीं है कि, यह कथन अर्थवाद के लिये है, क्योंकि अर्थवाद सदैव विधि का वाक्यशेष होता है। अतः विधिनिरपेक्ष अर्थवाद द्वारा भी प्रयोजन सिद्धि संभव नहीं है।

1- "सदर्थशास्त्रात्" § जे०सू० 1/2/31 §

2- तै० सं० 1/1/8/1

3- तै० ब्रा० 3/2/4



2- इसी प्रकार अग्निवपन प्रकरण में "आददेऽङ्गि.गरस्वत्" अन्त वाले "देवस्यत्वा", "अभिरसि", "बभिरसि", एवं "हस्तआदाय"। ये चार मन्त्र पढ़े गये हैं और इन मन्त्रों का विनियोजक "ता वतुर्भिराभ्रमादत्ते" <sup>2</sup> ॥ अर्थात् उन चारों मन्त्रों से अभि का ग्रहण करे ॥ यह ब्राह्मणवाक्य है। यहाँ यदि मन्त्रों को विवक्षितार्थ वाला मानेंगे तो अभ्रमादान विनियोजक यह ब्राह्मणवाक्य व्यर्थ हो जायेगा। यदि "अस्यैकहायनीन्याय" से चतुःसंख्या विधान हेतु "चतुर्भिः" इस कथन को मानें तो प्रश्न यह उठता है कि वह विधान मन्त्र को उद्देश्य करके है या आदान को उद्देश्य करके। ब्राह्मणवाक्यगत "चतुःसंख्या" का मन्त्र के साथ सामानाधिकरण्य न होने से मन्त्र को उद्देश्य करके यह विधान सम्भव नहीं है। साथ ही "आदान" को उद्देश्य करके भी यह विधान नहीं किया जा सकता क्योंकि यागकर्म के साथ सामानाधिकरण्य न होने से "तिस्र-आहुती" की भाँति यहाँ पर संख्या का आदान के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

समुच्चय बोधक शब्द का अभाव होने से चतुः संख्या का विधान भी ब्राह्मण वाक्य द्वारा सम्भव नहीं है क्योंकि यदि प्रत्येक मन्त्र के सामर्थ्य से विधान करेंगे तो विकल्प की प्राप्ति होगी। अतः यहाँ पर विधि का प्रयोजन चतुःसंख्याक मन्त्र को आदान का अङ्ग-मात्र सिद्ध करना है।

3-----

1- तै० सं०-4/1/1 ७

2- "अभिः कुददालविशेषः" द्र० - कु० वृ०-पृ०-38

2- तै० सं० - 5/1/1

3- "इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य<sup>1</sup>। इस मन्त्र का विनियोजक वाक्य "इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य इत्पश्वाभिधानीमादत्ते"<sup>2</sup> है। मन्त्रों का विवक्षितार्थत्व मानने पर लिङ्.ग से ही प्राप्त रशनाग्रहण में जो द्राह्मणवाक्य की विनियोजकता है वह चरितार्थ नहीं हो सकेगी। यहाँ प्रतिवादी का यह कथन ठीक नहीं है, कि यहाँ "गर्दभरशनाग्रहणनिवृत्ति" के लिये परिसंख्या का आश्रय लिया गया है। क्योंकि ऐसा होने पर "अशवाभिधानीमादत्ते" इस वाक्य से प्राप्त अश्वरशनाग्रहण रूप स्वार्थ का परित्याग, गर्दभरशनाग्रहण रूप परार्थ स्वीकार एवं गर्दभरशनाग्रहण में प्राप्त मन्त्रवाक्य का बाधरूप दोषप्रयापित्त होगी।<sup>3</sup>

मन्त्रों की विवक्षितार्थां सिद्ध न होने<sup>से</sup> "बहिदेवसदनं इमि" आदि मन्त्र भी बहिदेवन क्रिया में प्रमाण नहीं है। अतः मन्त्रों का क्रियाबोधन रूप अर्थ स्वीकार करना युक्त नहीं है।

4- मन्त्र इसलिये भी निरर्थक हैं, क्योंकि मन्त्रों का पदविन्यास नियमबद्ध है।<sup>4</sup> जैसे - अग्निर्मूर्धादिवः ककुदः<sup>5</sup> इस वाक्य में मन्त्रक्रम के विपरीत "मूर्धाग्नि" आदि रूप में पाठ किये जाने पर उच्चारणजन्य "अदृष्ट" नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि यदि अर्थप्रकाश ही मन्त्रों का प्रयोजन होता तो विपरीत क्रम से पाठ होने पर भी अदृष्टोत्पत्ति निर्बाध रूप से होती। यहाँ पर यह उदाहरण युक्त नहीं

1- तै० सं० - 5/1/2

2- शत० ब्रा० - 13/1/2/21

3- जैसी कि उक्ति है -

"श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थकल्पनात् ।

प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा ।"

4- द्र० - जै० सू० - 1/2/32 "वाक्यनियमात्" ।

5- तै० सं० - 4/4/4

है कि लोक में भी अर्थवान् पदों में क्रमनियम देखा जाता है । लौकिक पदों में भी यदि व्याकरणिक नियमों की अवहेलना करके विपरीत प्रयोग किया जाय तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा । जैसे - "राजपुरुषः" आदि पदों में षष्ठी के नियम के विपरीत यदि "पुरुषराजः" उच्चारित किया जाय तो वह वाञ्छित अर्थ नहीं प्रकट करेगा । लोक में ऐसा नियम भले ही युक्त हो किन्तु वेद में ऐसा मानना ठीक नहीं है।

- 5- मन्त्रार्थ इसलिये भी अविषक्षित सिद्ध होते हैं, क्योंकि मन्त्रों में शास्त्रान्तर से ज्ञात अर्थों का ही नियमन होता प्राप्त होता है।<sup>2</sup> तथा - "अग्नीदग्निं न विहर" <sup>5</sup> ॥ हे अग्नीध्र - ऋत्विक्विशेष-तुम अ. ग्न लेकर विहरण करो ॥ इस मन्त्र में जो 'प्रेष' है उसका ज्ञान ऋत्विज की विधि के अभ्यास के समय ही "आग्नीध्राद्विष्णायान् विहरसि" आदि वाक्यों से पहले हुआ रहता है, क्योंकि अविद्वान् ॥ अज्ञ ॥ पुरुष पागसम्पादन में नहीं अधिकृत होता ।" न ह्यविद्वान् विहितोऽस्ति" <sup>4</sup> इस जैमिनिसूत्र से भी यही पुष्टि होती है ।
- 6- मन्त्रों की अनर्थकता इस हेतु से भी सिद्ध है कि वे अविष्यमान अर्थ का कथन करते हैं।<sup>5</sup> अर्थात् उन्हें विषक्षित अर्थ वाला मानने पर

1- षट् सू० 2/2/8

2- द्र०-जै० सू० 1/2/33

3- तै० सं० 6/3/5

4- जै० सू० 3/8/8

5- "अविष्यमानवचनात्" जै० सूत्र 1/2/34

ऐसे पदार्थों को मानना पड़ेगा जो पदार्थ लोक में हैं ही नहीं । जैसे - "धत्त्वारिश्रुङ्गात्रपोऽस्य पादा" आदि मन्त्रों में वर्णित चार सींग तीन पैर और सात हाथों वाला यज्ञपदार्थ इस लोक में कहीं उपलब्ध नहीं है। अतः इस मन्त्र को विवक्षित अर्थ वाला मानने पर इसके द्वारा किसका कथन माना जायेगा । इसलिये मन्त्रकर्म एवं पाठकर्म के अनुरोध से उच्चारण जन्य अदृष्ट ही मानना उचित है।

- इसी प्रकार "भा मा हिंसीः" आदि मन्त्रों का अर्थज्ञान रूप प्रयोजन मानने पर अप्रसक्त हिंसा का प्रतिषेध स्वीकार करना होगा।
- 7- "ओषधे त्रायस्वैन" <sup>2</sup> ज्योतिष्प्रवाणः <sup>3</sup> आदि मन्त्रों में अचेतन पदार्थों को सम्बोधित किया गया है। अचेतन पदार्थ का अभिमुखीकरण सम्भव नहीं है, क्योंकि पशुरूपा में अचेतन दर्भ द्वारा यजमान की रक्षा सम्भव नहीं है। इसी प्रकार प्रातरनुवाक श्रवण में <sup>4</sup> प्रस्तर में श्रवण आदि रूप प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । अतः अर्थविवक्षा मानने पर ये मन्त्र निरर्थक हो जायेंगे ।
- 8- मन्त्रों का अर्थ इसलिये भी विवक्षित नहीं सिद्ध होता क्योंकि अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षम् <sup>6</sup> आदि मन्त्र परस्पर विरुद्ध अर्थ का

- 1- "न चतुश्रुङ्गादि किञ्चित् कर्म तत्सम्बन्धि प्रकृतौ विकृतौ वा विधत्ते । यद्यपि च गुणवादेन किञ्चित् स्यात्, तथापि तदनुष्ठानाभावान्न तत्स्मृत्या कार्यम् । न च ज्ञायते क्वप्रदेशे प्रयुज्यतामिति ।" ॥त०वा०पृ०-54॥
- 2- तै० सं० 1/22/1
- 3- तै० सं० 1/3/13
- 4- "ज्योतिष्टोमे प्रातस्सबनै होत्रा पश्यमानशत्रुविशेषः" ॥मी०कौ०-पृ०-65॥
- 5- नृ० सं० 1/6/16

कथन करते हैं।<sup>1</sup> इसी प्रकार "एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्थे असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्"<sup>2</sup> आदि उदाहरणों में भी विरोधी अर्थ प्राप्त होते हैं। अदिति का युत्व और अन्तरिक्षत्व एवं रुद्र का एकानेकत्व आदि परस्पर विरोधी अर्थ कर्म में उपयोगी नहीं हो सकते। यहाँ पर अर्थवाद भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्थवाद के विधि का अङ्ग होने से वे स्तुति प्रयोजन वाले हैं, जबकि मन्त्र की स्तुति निष्प्रयोजन होने से आदरयोग्य नहीं है। अतः मन्त्र का उच्चारणमात्र से अदृष्ट प्रयोजन मानने पर यह विरोध नहीं रहेगा।

9- मन्त्रार्थ-विषक्षा इसलिये भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्वाध्यायविधि की भाँति अर्थप्रकाशन के अभ्यास की कोई विधि नहीं प्राप्त होती।<sup>3</sup> यदि अर्थप्रकाशन आवश्यक होता तो उसके अभ्यास का भी विधान होता। यथा - माणवक के अवहनन सम्बन्धी मन्त्र के अभ्यासकाल में पूर्णिमा नामक स्त्री अवहनन क्रिया भी कर रही थी। किन्तु माणवक के अभ्यास और पूर्णिमा के अवहनन कर्म के समकालिक होने पर भी माणवक उस कर्म का अभ्यास न करके अशरानुपूर्वी अवधारण में ही प्रयत्न करता है। अतः "उच्चारण" ही मन्त्र का प्रयोजन सिद्ध होता है।

10- मन्त्र इसलिये भी अविवक्षितार्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि "अम्यक् सात

1- ऋ०-जै० सू० 1/2/36

2- तै० सं० 1/8/6

3- "स्वाध्यायवदवचनात्" [जै०सू०-1/2/37]

इन्द्र शिष्टरस्मे, <sup>1</sup> सृण्येव जर्भरी, तुर्फरीतु <sup>2</sup> इत्यादि मन्त्र किस पदार्थ के प्रकाशक हैं यही नहीं ज्ञात होता । यद्यपि "अभ्यक्ष" इस वाक्य से इन्द्र की स्तुति रूप सामान्य अर्थ ज्ञात होता है, किन्तु "सृण्येव" आदि का तो सामान्य अर्थ भी नहीं ज्ञात होता । अतः इनसे किस अर्थ का कथन सिद्ध होगा।<sup>3</sup>

- 11- मन्त्रों में अनित्य पदार्थों का संयोग वर्णित होने से भी मन्त्र निरर्थक है।<sup>4</sup> यदि मन्त्रों का अर्थप्रकाशन कार्य मानेंगे तो "किं० ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः<sup>5</sup>" आदि मन्त्रों में वर्णित कीकट जनपद, नैचाशाख नगर, प्रमगन्द राजा आदि अनित्य पदार्थों के पश्चात् मन्त्रनिर्माण कार्य मानना होगा जिससे मन्त्र पौरुषेय सिद्ध होंगे । अतः अनित्यता दोष से मुक्ति के लिये भी मन्त्रों को केवल उच्चारणरूप प्रयोजन वाला मानना उचित है, अर्थप्रकाशन रूप<sup>प्रयोजन</sup> वाला नहीं ।

मन्त्रों का अर्थस्मारकत्वेन प्रमाण मानने में एक दोष यह भी है कि ऐसा मानने पर सामन्त्र अर्थविहीन होने से मन्त्रलक्षणा के अन्तर्गत गृहीत नहीं होंगे । अतः मन्त्रों की उच्चारण द्वारा अदृष्टफलकता माननी ही उचित है।<sup>6</sup>

1- ऋ० सं० 2/4/8

2- ऋ० सं० 8/6/2

3- द्र०-जै० सू० 1/2/38

4- "अनित्यसंयोगात्" जै० सू०-1/2/39

5- "किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुहे न तपन्ति धर्मम् ।  
आ नो भर प्रमगन्दस्य राजा नैचाशाखं मघवन् रन्धमानः।"

। ऋ० सं० 03/3/21 ।

6- "यदि दृष्टा फलव स्यात् मन्त्रान्मानमनर्थकम्  
प्रत्यायनाददृष्टं वेत्तदुच्चारणतो वरम् ।" । शा० दी० प्र० टी० मा० सहित पृ० 23 ।

## सिद्धान्त

मीमांसा-सिद्धान्त के अनुसार मन्त्रों का स्वरूप एवं उपयोगिता निम्नांकित है -

### 1- लौकिक वाक्यों की भाँति वैदिकवाक्य भी अर्थ के प्रकाशक हैं

जिस प्रकार लोक में सभी यथार्थ पद विवक्षित अर्थ वाले होते हैं। उसी प्रकार वेद में भी पदों का अर्थ विवक्षित ही होता है।<sup>1</sup> पदार्थज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होता है। वह वाक्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं कारक का सम्बन्ध है। यहाँ पर यह शङ्का करनी ठीक नहीं है कि मन्त्रों के उच्चारण से अदृष्ट प्रयोजन की ही सिद्धि होती है। क्योंकि अदृष्ट कल्पना तो वहाँ करनी चाहिए, जहाँ दृष्ट प्रयोजन न दृष्टिगत हो। किन्तु मन्त्रों द्वारा अनुष्ठेय यागादि कर्मों से सम्बद्ध द्रव्य, देवता आदि का स्मरण होने से उनकी दृष्टफलकता ही प्राप्त होती है। मन्त्रों की अदृष्टफलकता का कोई हेतु न प्राप्त होने से उनकी अदृष्टार्थता मानना युक्त नहीं है।<sup>2</sup> इस प्रकार मन्त्रों का प्रयोजन दृष्टं यज्ञ में मन्त्रोच्चारण अर्थज्ञान के लिये ही होता है। अर्थज्ञान के बिना यागादि क्रिया का स्मरण नहीं होगा और अर्थस्मरण के बिना यागकर्म सम्पादित नहीं हो सकेगा। अतः मन्त्रों का अर्थज्ञान रूप दृष्ट फल मानना अनिवार्य है। मन्त्रोच्चारण के अक्षर ग्रहण मात्र से ही निराकाङ्क्ष हो जाने पर वे साक्षात्

1- ऋ०-जै० सू० 1/2/3।

2- "यस्य दृष्टं न लभ्येत स्यात्तस्यादृष्टकल्पना,  
अनुष्ठेयस्मृतेश्चेह मन्त्रोच्चारणमर्थवत् ।  
स्मरणन्व प्रयोगार्थ प्रयोगाच्च फलोदयः  
एवं दृष्टार्थता लाभान्नादृष्टपरिकल्पना ।"

‡ शर०दी०पभा सहित प० १४

रूप से यज्ञाङ्गता नहीं प्राप्त कर सकेंगे । इसी प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान से निराकाङ्क्ष पदार्थज्ञान भी कृत्वङ्गत्व नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान को कृतार्थ किये बिना वह प्रकरण से भी नहीं गृहीत होता ।<sup>1</sup> इसका प्रमुख कारण यह है कि मन्त्राक्षर इतिकर्तव्यतास्वरूप नहीं होते हैं । अतः प्रकरण से अङ्गता प्राप्त मन्त्रों का यागकर्मों के अनुष्ठान में उपयोगी वाक्यार्थ प्रतिपादन द्वारा कृत्वङ्गत्व प्राप्त होता है ।

मन्त्रवाक्यों की प्रकरण से अदृष्टार्थता प्राप्त होती है और लिङ्गसामर्थ्य<sup>2</sup> से उनकी दृष्टार्थता प्राप्त है। चूंकि लिङ्ग सदैव प्रकरण से बलवान् होता है, अतः लिङ्ग से अर्थस्मरण रूप दृष्टार्थता की प्राप्ति होने के कारण लिङ्ग की अपेक्षा दुर्बल प्रकरण प्रमाण का आश्रय लेकर मन्त्रों की अदृष्टफलकता स्वीकार करनी तर्कसंगत नहीं है। मन्त्रों की अदृष्टार्थता को प्रमाणित करने वाला कोई लौकिक या वैदिक प्रमाण ही हमें उपलब्ध नहीं होता है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि यागकर्म सम्बन्धी पदार्थों का स्मरण ब्राह्मणादि अन्य विधाओं से भी संभव होने के कारण मन्त्र निष्प्रयोजन हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें "मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्", "मन्त्राणि स्मृत्वा - कर्माणि कुर्वीत" आदि नियमविधि प्रमाणरूप में प्राप्त होती है। अतः मन्त्रों

1- जैसा कि सोमेश्वर भट्ट ने "न्यायसुधा" में कहा है -

"नावान्तरक्रियायोगादृते वाक्योपकल्पितात्,

गुणद्रव्ये कथञ्चैवैः गृह्णन्ति प्रकृताः क्रियाः ।"

॥त०वा०पृ० 284 ॥

2- "सामर्थ्यं सर्वभावानां लिङ्गमित्यभिधीयते ।"

॥ अर्थसंग्रह को० सहित  
पृ० 84 से उद्धृत ॥



के पदार्थस्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन को अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है, और ऐसा मानने पर याज्ञिकों में जो मन्त्रों का अदृष्टोत्पत्ति रूप फल कहा है उसके साथ भी वैरस्य भी नहीं होता । अतः स्वाभाविक रूप से मन्त्रों की विवक्षितार्थता ही सिद्ध होती है।

इस प्रकार यज्ञकाल में यज्ञाङ्गों का प्रकाशन ही मन्त्रों का प्रयोजन है । यद्यपि मन्त्रों द्वारा लौकिक वाक्यों की भाँति सम्यग्रूपेण व्यवहार संभव नहीं है तथापि, यज्ञसंबन्धी द्रव्य देवतादि के स्वरूप प्रकाशन मात्र से ही वे अनुष्ठाता पुरुष का उपकार करते हैं।<sup>1</sup> "अधे त्रायस्वेन", "शृणोत ग्रावाण" आदि सम्बोधन रूप जितने मन्त्र कर्मोपयोगी नहीं हैं, उनका अर्थ भले ही विवक्षित न हो किन्तु, "तत्सामान्य"न्याय द्वारा सभी मन्त्रों का अविवक्षितार्थत्व मानना युक्त नहीं है। अतः जहाँ दृष्टप्रयोजनता संभव हो वहाँ अर्थप्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन और जहाँ दृष्टप्रयोजन संभव नहीं हो वहाँ पर मन्त्रों का अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिये "बर्हिदेवसदनं दामि" इत्यादि मन्त्रों का कुशोच्छेदन रूप प्रयोजकत्व सिद्ध होने से उनकी दृष्टार्थता है।

इस प्रकार यद्यपि "वोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" इस नियम से विधि ही धर्म में प्रमाण है किन्तु सूत्रकार जैमिनि ने प्राधान्य के कारण ही विधि को प्रमाण कहा है। मन्त्रादि तो विधि के ही उपकारक होने से विधि प्रमाण के अन्तर्गत ही गृहीत होते हैं। इसलिये धर्म के प्रति उनका भी अप्रामाण्य नहीं, प्रत्युत प्रमाण ही है।

1- "तत्रोच्यते यज्ञे यज्ञाङ्गप्रकाशनमेव प्रयोजनमिति । यद्यपि लोकवत्तैः न संव्यवहारः तथापि तत्स्वरूपप्रकाशनमात्रमेव अनुष्ठातृणामुपकरिष्यति।"

‡ तन्त्र०-पृ०-५७ ‡

मीमांसाकौस्तुभकार के अनुसार यद्यपि मन्त्र धर्म सम्बन्धी प्रमा के उत्पादक नहीं हैं, तथापि पदार्थविधमा प्रयोजनवत्ता की सिद्धि के द्वारा उनका धर्म में उपयोग सिद्ध है। अतः सामादि समस्त मन्त्रों का पदार्थ-विधमा धर्म में प्रमाण है,<sup>1</sup> क्योंकि शाब्दबोध के प्रति कारण होने से शब्द का प्रामाण्य सभी दर्शनों में माना गया है। साथ ही शब्दज्ञान से होने वाला पदार्थज्ञान भी वाक्यार्थ के प्रति कारण होने से पदार्थ का भी प्रामाण्य सिद्ध है। अतः मन्त्रों का विनियोग धर्म में पदार्थ से ही संभव होने से मन्त्रों का पदार्थ-विधमा धर्म में प्रमाण सिद्ध होता है। यदि मन्त्रों को धर्म में प्रमाण न मानें तो भी अध्ययनविधि से उनकी प्रयोजनवत्ता तो सिद्ध ही है। अतः मन्त्रों पर निष्प्रयोज्य अथवा अविवक्षितार्थता का आरोप नहीं सिद्ध होता।<sup>2</sup>

## 2- संहिता में पठित मन्त्रों का ब्राह्मण में पुनः श्रवण सप्रयोजन है

संहिताभाग में पढ़े गये जिन मन्त्रों का ब्राह्मण भाग में पुनः उल्लेख मिलता है वह गुणादि के विधान रूप प्रयोजन के लिये है।<sup>3</sup> जैसे 'तां चतुर्भिरभि-  
मादत्ते' § शत० ब्रा० 6/3/1/19 § यह ब्राह्मण वाक्य 'देवस्यात्वासवितुः  
गायत्रेण त्वाच्छन्दसाददे' इस मन्त्र द्वारा कहे गये 'अभिग्रहण' का ही पुनः कथन करता है। यहाँ पर यद्यपि संहिता में पढ़े गये किसी एक मन्त्र के द्वारा ही 'अभि' का ग्रहण हो सकता था, किन्तु ऐसा होने पर 'किस मन्त्र से अभिमादान करें' ऐसा विकल्प प्राप्त होता है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में पठित 'तां चतुर्भि-

1- द्र०-भाट्टदीपिका प्रभावली संहिता पृ०-42-43

2- जैसाकि सोमेश्वर भट्ट ने भी कहा है -

'सर्वसाधारणत्वेन विचारस्य प्रयोजनम्,  
कर्मकालेऽनुसंधेयो मन्त्रार्थोऽपरत्वतः।'

इत्याय सु०-पृ०-98

3- 'गुणार्थेन पुनः श्रुतिः' § जै० सू० 1/2/31 ।

इस वक्ष्य से "अल्पेऽङ्गानोन्याय" से वतुः संख्याविशिष्ट मन्त्र से ही अग्निग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा होने पर ही अपूर्णोत्पत्ति हो सकेगी। काष्ठ के कुदाल को "आभ्र" कहते हैं - उक्त मन्त्र को पढ़कर यज्ञ में इष्टका निर्माण के लिये भिट्टा खोदने हेतु "आभ्र" का ग्रहण किया जाता है।

उने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि यहाँ "आदत्ते" इस लिङ्ग या शब्द तात्पर्य से ही अभ्यादान में मन्त्र का नियोग प्राप्त है किन्तु भुक्ति प्रमाण निरपेक्ष लिङ्गभावात् से नियोग मानने पर क्योंकि यहाँ मन्त्रों का आदान रूप मान प्रयोजन है<sup>2</sup> इसलिये "ग्राहिभिर्जितयैर्वा" की भाँति यहाँ पर भी विकल्प प्रसस्त होगा। अतः विकल्पप्राप्ति दोष के निवारण के लिये "तां वतुभिः" यह भुक्ति है। यहाँ पर यह शङ्का नहीं करनी चाहिए कि समुच्चयार्थक शब्द न प्रयुक्त होने के कारण यहाँ समुच्चय अभ्युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ से इस मन्त्र की समुच्चयकृता ही प्राप्त होती है। अतः यहाँ पर मन्त्रार्थ के पुनः कल्प द्वारा पूर्व प्राप्त अर्थ का ही विधान नहीं है, अपितु "आदत्ते" इस प्रत्यय भुक्ति से "वतुः संख्या-विशिष्ट" गुण का विधान होने से अप्राप्त का ही विधान किया गया है। इसलिये संख्यादि रूप गुण का विधान करने के कारण ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुनः पठित भुक्तियाँ नियुक्त नहीं हैं यह रिक्त हो जाता है।

5- "इमा मृग्णन्" आदि मन्त्रों में परितस्यो विधि मानने पर भा श्रुतहाना। दे दोषप्रमाणात् न ही होता।

"इमा मृग्णन् रश्मानामृतस्य इत्यशवाभिधानोदत्ते" इस मन्त्र का पाठ करके यज्ञ में अग्निध्यान हेतु अश्वरशना के ग्रहणपूर्वक भिट्टो लाई जाती है। >

1- द्रु0 -तन्त्रवार्तिक पृ0-58

2- "प्रथमं मन्त्रं विधत्ते-देवस्य त्वा समितुरिति, द्वितीयं विधत्ते-पृथिव्या इति, तृतीयं विधत्ते-अग्निरसि इति, वतुभ्यं मन्त्रविधत्ते-हस्त आधाय सञ्चितेति।"

{शत0 ब्रा06/3/1/33-41 का सायणभाष्य}

इस मन्त्र से गर्दभरश्मा की भी समान रूप से प्राप्ति होती है। जिसकी परिसंख्या द्वारा निवृत्ति हो जाती है। यह शङ्का नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर परिसंख्या स्वीकार करने से प्राप्तबाध, परार्थस्वीकार एवं स्वार्थ त्याग रूप दोष प्राप्त होंगे ; क्योंकि रश्मादान में गर्दभरश्मा की प्राप्ति "लिङ्ग" से होती है। जबकि इसके पूर्व ही "इत्यश्वाभिधानीमादत्ते" इस प्रत्यक्ष श्रुति से यह मन्त्र अश्वरश्मा की प्राप्ति करा देता है। "श्रुति" सदैव "लिङ्ग"से बलवती होती है। अतः श्रुति प्रमाण से अश्वरश्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण मन्त्र निराकाङ्क्ष हो जाता है। ऐसी दशा में गर्दभरश्मा एवं अश्वरश्मा ग्रहण में विकल्प नहीं प्राप्त होता । इसलिये यहाँ "प्राप्तबाध" दोष है ही नहीं ।

इसी प्रकार मन्त्रप्रमाण से अश्वरश्मा के प्राप्त होने से "स्वार्थत्याग" रूप दोष नहीं प्रसक्त होता है; क्योंकि यहाँ पर अश्वाभिधानी का ग्रहण ही विधेय है। इस प्रकार "आदत्ते" इस विधि के साथ अश्वरश्मा का विनियोग हो जाने से ही मन्त्र के निराकाङ्क्ष हो जाने के कारण "परार्थस्वीकार" रूप दोष भी नहीं प्राप्त होता ; क्योंकि गर्दभरश्मा की निवृत्ति तो अर्धः प्राप्त होती है।

निष्कर्ष यह है कि अश्वाभिधानी ग्रहण प्रत्यक्षश्रुति से प्राप्त है और प्रत्यक्ष के होते हुए अनुमान के लिये अवकाश कहाँ है ? इसी कारण गर्दभरश्मा की प्राप्ति ही नहीं होती ।

यहाँ यह शङ्का करना ठीक नहीं है कि मन्त्र विशिष्ट अश्वाभिध के आदान की विधि में वर्जनबुद्धि न होने से यहाँ परिसंख्या विधि नहीं मान

1- वार्तिककार ने कहा है - "तस्मान्नादानमात्रे विधीयते किं तर्हि अश्वाभिधानी विशिष्टे ।"

जा सकती क्योंकि गर्दभरशतानिवृत्ति तो परिसंख्या का फल है ही किन्तु यह दोष शाब्द न होने से परिहार्य है।

प्रश्न यह उठता है कि इन विधियों का स्वरूप क्या है - जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि अमुक मन्त्र में कौन सी विधि विनियोग कराने में समर्थ है।

### अपूर्व-नियम एवं परिसंख्या विधि का स्वरूप

जो विधि अत्यन्त अप्राप्त अर्थ अर्थात् किसी भी लौकिक या वैदिक प्रमाण से अज्ञात विधेय की प्राप्ति कराती है वह "अपूर्वविधि" कहलाती है।<sup>1</sup> यथा - "ब्रीहीन् प्रोक्षति," "यजेतस्वर्गकामः" आदि विधियाँ क्योँ में अन्य विधियों से सर्वथा अप्राप्त प्रोक्षण कर्म तथा स्वर्ग रूप विधेय की प्राप्ति का विधान किया गया है। अतः यहाँ "अपूर्वविधि" है।

"नियमविधि" वहाँ होती है जहाँ एक कार्य की सिद्धि हेतु अनेक साधन विकल्प से प्राप्त हों वहाँ पर एक साधन की प्राप्ति होने पर दूसरे पक्ष की अप्राप्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में उस अप्राप्त साधन की प्राप्ति कराने में यह विधि समर्थ होती है।<sup>2</sup> वस्तुतः यह विधि अप्राप्त पक्ष की पूर्ति करते हुए

1- "योऽत्यन्तमप्राप्तोः, न च प्राप्स्यति, प्रागवचनादित्यवगम्यते तत्र नियोगः

शुद्ध एव विधिर्था ब्रीहीन् प्रोक्षति ।" । तन्त्र०-पृ०-59 ।

वासुदेव दीक्षित ने भी कहा है - "यस्य हि विधेः प्रवृत्तिरप्राप्तपूरणम्ला सोऽयमपूर्वविधिः ।" । कु० वृ०-पृ०-41 ।

2- "साधनद्वयस्य पक्षप्राप्तौ अन्यतरस्य साधनस्य अप्राप्तदशायाम् यो विधिः स नियमविधिः ।" । मी० न्याय० सा० वि० सहित पृ०-112 ।, कुतुहलवृत्तिकार ने इसे "अप्राप्ताशमूरणम्ला" कहा है।

प्रवृत्त होती है एवं अनेक प्राप्त पक्षों की निषामक होने से "नियमविधि" कहलाती है। यथा - "व्रीहीन् अवहन्ति" यहाँ यद्यपि तुषविमोचन के अनेक साधन हैं जैसे - पत्थर से, नखविदलन से और अवघात से । जहाँ नखविदारण प्राप्त होता है, वहाँ अवहनन अप्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में अवहनन विधि यह नियमन करती है कि अवघात से ही तुषविमोक करने पर अदृष्टोत्पत्ति संभव है, अन्य साधनों से नहीं । किन्तु इस विधि में अप्राप्तपूरण होने पर अन्य की जो निवृत्ति होती है वह अर्थ से ही ज्ञात होती है न कि विधायक वाक्य द्वारा, न ही फलरूप से ।

परिसंख्या विधि - क्रिया में विनियोग की प्राप्ति के पूर्व दोनों स्थलों पर प्रवृत्ति संभव होने पर जो विधि एक पक्ष के प्रति निवृत्ति फल वाली होती है वह परिसंख्या विधि" है। परिसंख्या विधि में वर्जनबुद्धि या निवृत्तिफलकता मन्त्रवाक्य से ही होती है। जैसे - "इत्यश्वाभिधानीमादत्ते" इस वाक्य में । यहाँ पर अश्वरश्ना के ग्रहण का विधान नहीं किया गया है, क्योंकि अश्वरश्नादान तो लिङ्गसामर्थ्य से पहले ही प्राप्त था । अतः अश्वरश्ना प्राप्ति विधि का फल नहीं है, प्रत्युत गर्दभरश्ना ग्रहण - "जो कि मन्त्र-सामर्थ्य से प्राप्त था" - के प्रति मन्त्र की निवृत्ति ही यहाँ फल रूप से प्राप्त है। इन विधियों के सम्बन्ध में "वार्तिककार" की निम्न उक्ति इनके स्वरूप को पूर्णरूपेण स्पष्ट कर देती है -

"विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमःप्राप्तिके सति,

तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ।"।

1- इसके भाष्य वार्तिक में स्वयं आचार्य ने लिखा है -

"यः पुनः प्राङ्.नियोगात् तत्र चान्यतः च प्राप्नुयात् इति सम्भाव्यते,  
यत्र वा यच्चान्यच्च सा परिसंख्या ।" इतन्त्र0-पृ0-59 ४

यहाँ "तत्र चान्यत्र च प्राप्ते" इस कथन द्वारा परिसंख्या विधि का स्वरूप प्रकट होता है वस्तुतः परिसंख्या दो प्रकार की होती है। -

1- शेषपरिसंख्या 2- शेषपरिसंख्या दो शेषों के साथ एक शेष प्राप्त होने पर एकशेषी की निवृत्ति "शेषपरिसंख्या" है। जैसे - "इमाम्गृभ्णन् ररतामृतस्य" इस वाक्य में मन्त्रसामर्थ्य से अश्वरशना एवं गर्दभरशना दोनों अङ्गी प्रतीत होते हैं। इन दोनों में से गर्दभरशना रूप शेषी की "इत्यश्वाभिधानी" यह निवृत्ति कर देती है।

जबकि श्लोकगत "तत्र" का प्रथमान्त अर्थ लेने पर शेषपरिसंख्या सिद्ध होता है। जैसे - "मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासिं दुग्धे सायमोदनम्" इस वाक्य द्वारा चातुर्मास्ययाग के "वस्त्रप्रघास" प्रकरण में गृहमेधीय इष्टि का विधान है। यह इस इष्टि के दर्शपूर्णमासकर्म की विकृति होने से इसमें प्रयाज और आज्य-भागादि पदार्थ अतिदेश से प्राप्त हैं। किन्तु इसी प्रकरण में "आज्यभागौ यजति यज्ञतायै" यह वाक्य भी पठित है। अतः प्रयाज आज्यभागादि अङ्ग और इष्टि अङ्गी सिद्ध होता है। यहाँ पर आज्यभाग का विधान अतिदेश से प्राप्त होने के कारण "मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः" वाक्य आज्यभाग रूप अङ्ग का विधान नहीं करता, प्रत्युत अपने से भिन्न प्रयाजादि अङ्गों की निवृत्ति परिसंख्या करता है। यहाँ पर एक अङ्ग की निवृत्तिफलकता होने से यह "शेषपरिसंख्या" का उदाहरण सिद्ध होता है। इसकी प्राप्तपरिसंख्या भी कहते हैं।

दशमाध्याय के गृहमेधीयाधिकरण में वर्णित आठ पक्षों में यह

1- उभोस्तु नित्यप्राप्तौ पुनर्वचनस्य - - - - -  
सामानाधिकरण्ये तु तच्चान्यच्चेति ।"

‡ न्याय सु०-पृ०-106 ‡

पञ्चम पक्ष है।<sup>1</sup> यद्यपि सिद्धान्त यहाँ पर परिसंख्या विधि के आठवें पक्ष में है, किन्तु वह अप्राप्त-परिसंख्या है। क्योंकि गृहमेधीय प्रकरणान् "आज्यभागौ" वाक्य द्वारा ही भावना की कर्माकांक्षा शान्त हो गई है। अतः यहाँ अतिदेश से युगपत् प्राप्त अङ्गों की निवृत्ति आज्यभाग की प्राप्ति से हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि "दूसरे शेषी अप्वा दूसरे शेष की निवृत्ति" जिस विधि से किया जाय वह परिसंख्या विधि है।

मीमांसाशास्त्र में विशेषतः नव्यमीमांसकों ने परिसंख्या के दो भेद किये हैं - 1- श्रौती परिसंख्या 2- लाक्षणिकी परिसंख्या

श्रौती परिसंख्या में निवृत्तिवाचक "नञ्" अप्वा "एवादि" शब्द श्रुत होते हैं। जैसे - "त्रीणि हवै यज्ञत्योदराणि गायत्रीवृहत्पनुष्टुप् अत्र ह्येवावपन्ति" इस वाक्य में "एव" शब्द पठित है। इस वाक्य में "अत्र" शब्द पवमान का परामर्श कराता है। इस वाक्य द्वारा पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रों में साम के आवाप का निषेध प्राप्त होता है। क्योंकि ज्योतिष्टोम-याग की विकृति होने से पवमान के साथ ही अन्य स्तोत्रों में साम के आवाप का अतिदेश हो रहा था।<sup>2</sup>

1- यथा च गृहमेधीये पञ्चमे पक्षे" ॥ तन्त्र०-पृ०-59 ॥ ,  
तन्त्रवार्तिक के टीकाकार सोमेश्वरभट्ट ने कहा है -

"चातुर्मास्येषु साकमेधर्वणि पूर्वयुर्गृहमेधीयेष्टि विधाय  
श्रुत्माज्यभागौ यजति यज्ञताया इत्युदाहृत्य दशमेऽष्टधा -  
चिन्तयिष्यते ...। ॥ न्याय सु० पृ०-106 ॥

2- "एवकारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्रव्यावृत्तेः अधिधानात् ।"

॥ मी० न्यायप्रकाश सा० वि० सहित

पृ०-116 ॥



वार्तिककार के अनुसार भी सर्वत्र "एवकार" के श्रवण होने पर "श्रौती-परिसंख्या" होती है। न्यायसुधाकार का भी यही मत है।

2- लाक्षणिही परिसंख्या वहाँ होती है जहाँ शब्दतः परिसंख्या की प्राप्ति न होती हो किन्तु अर्थतः अर्थात् फलस्य से इतरनिवृत्ति प्राप्त हो। यथा - "इमाम्गृभ्यन्" आदि वाक्य में। यही लाक्षणिकी परिसंख्या "पञ्चपञ्चनखा-भक्ष्या"। इस लौकिक उदाहरण में भी है। यहाँ पर पञ्चपञ्चनखभक्षण के रागतः प्राप्त होने से यह विधेय नहीं है। अतः यहाँ पर पञ्चातिरिक्तपञ्चनखभक्षण निवृत्ति स्य अर्थ लक्षणा से ग्राह्य है। इसलिये यहाँ लाक्षणिकी परिसंख्या है। किन्तु इस उदाहरण में स्वार्थानि, परार्थस्वीकार और प्राप्तबाध ये तीन दोष प्राप्त होते हैं। जबकि "इमाम्गृभ्यन्" आदि वैदिक उदाहरणों में यह दोष नहीं प्राप्त होते। अतः "पञ्चपञ्चनखा" आदि उदाहरण सद्गत नहीं है।

इस प्रकार नियमविधि और परिसंख्या विधियों में सूक्ष्म अंतर यह है कि नियमविधि में अप्राप्ताशमूरण होने के बाद इतरव्यावृत्ति का भान होने पर भी वह इतरव्यावृत्ति विधेय नहीं होती प्रत्युत अप्राप्तपूरण ही विधेय होता है, जबकि परिसंख्या में दो की नित्यप्राप्ति रहती है। उनमें से एक की निवृत्ति करना ही वाक्य का फल अर्थात् विधेय होता है। अतः "इमाम्गृभ्यन्" आदि मन्त्रवाक्यों में परिसंख्या स्वीकार करने पर भी श्रुतहानादि दोषत्रय नहीं प्राप्त होते।

श्रौती और आर्षी परिसंख्या में प्रमुख भेद बताते हुए भाट्टदीपिका के टीकाकार ने "प्रभावली" टीका में कहा है कि जहाँ पर वैयर्थ्यप्रतिसन्धान के

1- अतएव शब्दतः फलतो वा यस्य शास्त्रस्यान्यनिवृत्तिर्विधेयः स परिसंख्याविधिः ।"

‡ भाट्ट दीपिका प्रभावली सहित पृ० 34 ‡

बिना ही इतरनिवृत्ति प्रतीत होती है वह शाब्दी परिसंख्या है और जहाँ इतरनिवृत्ति प्रतिसंधान द्वारा तात्पर्यज्ञान का विष्म बने वहाँ आर्थी परिसंख्या होती है।

4- "उस्रुथा" आदि मन्त्र पुनर्वचन न होकर पुरोडाशप्रथमकर्म कर्म की स्तुति के लिये है

"उस्रुथा उस्रुथस्वेति पुरोडाशी प्रथमति"<sup>1</sup> । अर्थात् है पुरोडाश शुभ विपुलता को प्राप्त करो । यह मन्त्र "तैत्तिरीय संहिता" में पठित है। यहाँ पर मन्त्रों की निरर्थकता सिद्ध करने के लिये कौत्स प्रभृति विद्वानों ने इन मन्त्रों को केवल अदृष्टहेतुक माना है, अर्थप्रकाशक रूप दृष्टफलक नहीं । अपने पक्ष में वादी का यह कहना है कि इस पुरोडाशप्रथम का क्रिया में विनियोग तो यज्ञपतिमेव प्रजया पशुभिश्च प्रथमति<sup>2</sup> इस ब्राह्मणवाक्य से ही हो जाता है । "यज्ञपतिमेव तत्प्रथमति" यह अर्थवादवाक्य प्राप्त होने से यह विधिवाक्य का अर्थ भी नहीं सिद्ध होता । अतः यह मन्त्र अदृष्टफलक ही हो सकते हैं।<sup>3</sup>

इसका खण्डन करते हुए आचार्य कुमारिल भट्ट कहते हैं कि यद्यपि विधिवाक्य की अन्य स्थल में अर्थवाद द्वारा स्तुति सिद्ध हो गयी है, तथापि इस मन्त्रवाक्य में प्रथमकर्म की स्तुति होने से मन्त्र अर्थप्रकाशक रूप प्रयोजन वाला

1- तै० सं० 1/1/8

2- तै० ब्रा० 3/2/8/4

3- "मन्त्रा उस्रुथस्वेति किमदृष्टहेतवः । यागेषु पुरोडाश प्रथमादेशक भासकः । ब्राह्मणेन तद्मानान्मन्त्राः पुण्यैकहेतवः । न तद्भानस्य दृष्टत्वात् दृष्टं वरमदृष्टतः ।"

। जै० न्यायमाला वि० पृ०-26 ।

सिद्ध होता है।<sup>1</sup> यहाँ मन्त्र का ग्रहण यद्यपि विनियोग नहीं करता तथापि "यज्ञपतिमेव तत्प्रजया पशुभिश्च प्रथमति" इस अर्थवाद से प्राप्त प्रथमरूपी फल की स्तुति करता है।

वस्तुतः सभी स्तुतियों का शब्दगत अथवा अर्थात् आलम्बन होता है। मन्त्र में कहे गये शब्द अथवा अर्थ का आश्रय लेकर स्तुति प्रवृत्त होती है। यहाँ पर "उस्मृथा" आदि मन्त्र का आश्रय लेकर अध्वर्यु "पुरोडाश" को सम्बोधित करता है। यहाँ "प्रथम" के साथ "इति" का प्रयोग होने से भी यह मन्त्रलक्षण के अन्तर्गत गृहीत होता है। "प्रथम" के गुण कर्म होने से यहाँ गुणवाद द्वारा स्तुति ही सिद्ध होती है, न कि पिष्टपेषण रूप दोष।

अथवा "तत्करोति तदावष्टे" इस सूत्र के अनुसार तथा णिजन्त होने से भी "प्रथमति" के मुख्यार्थ का आश्रय लेने से प्रथमबुद्धि उत्पन्न होने के कारण भी यहाँ स्तुति सिद्ध होती है।<sup>2</sup>

यहाँ यह कथन ठीक नहीं है कि रात्रिसूत्र की भाँति मन्त्र का ग्रहण किये बिना भी पुरोडाशप्रथम रूप फल का ज्ञान कराने के कारण यहाँ अर्थवाद सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पुरोडाशप्रथम कर्म तो पुरोडाश के संस्कार के लिये होता है। अतः अर्थवाद के फल की कल्पना नहीं की जा सकती।

1- "यद्यपि प्रदेशान्तरस्थत्वात् मन्त्रविधानं न स्तूयते, तथापि प्रथमविधाना-  
त्तत्पुरोचनया च सकलं वाक्यमर्थवत् । तस्य ह्येतदेव उत्पत्तिरवाक्यम् ।"

‡ त० वा० पृ०-६० ‡

2- "तत्करोति तदावष्टे" इत्यारव्यानेऽपि णिजुत्पत्तिस्मरणात् ।  
मुख्यवृत्तित्वेन प्रथमारव्यानात् प्रथमति शब्दोपपत्तिः ।

‡ न्याय सू० पृ०-१०१ ‡

ऋग्वेद के अनुत्तर जहाँ कहीं भी मन्त्र का विनियोग तृतीया या इतिकरण द्वारा होता है वहाँ सदैव वे मन्त्र सम्पूर्ण रूप से क्रिया के प्रकाशक ही होते हैं। जैसे - "सूक्तवाकेन पुस्तरंप्रहरति" इस वाक्य में सूक्तवाक् के तृतीयान्त होने से विनियोग का साधन भूत यह वाक्य प्रहरण क्रिया का प्रकाशक है, तथापि इस वाक्य में वर्णित पुस्तरसंज्ञक द्रव्य "पदनेन हविषेऽ" पदों से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त "अग्नि," "आयुष्" आदि पदों से फल का देवता द्वारा सम्बन्ध कल्पित किया जाता है। यदि देवतात्व भी संभव नहीं होता तो "इंद्रं णवे" आदि पदों को क्रिया में समवेत द्रव्य देवता अथवा फल की स्तुतिमात्र मानना चाहिए।

अतः मन्त्रों द्वारा क्रियार्थ का प्रकाशन सम्भव न होने पर विधि द्वारा प्राप्त क्रिया से सम्बद्ध द्रव्य देवता एवं फलादि की स्तुति कल्पित की जाती है। यदि ऐसा करने पर भी मन्त्र की अर्थप्रकाशकता सिद्ध न हो तो क्रिया के साथ सम्बन्धकल्पना की जाती है और उसके भी सम्भव न होने पर क्रियासमवेत अर्थ की स्तुति के लिये स्वार्थ के स्थान पर गौणार्थ कल्पित किया जाना चाहिए।

जहाँ कहीं इमादि से मन्त्र का विनियोग होता है जैसे -  
उपांशुमागादि ऋ या ज्यानुवाक्यास्य मन्त्र, वहाँ पर क्रिया प्रकाशन सम्भव न होने पर मन्त्रार्थ का देवतात्व आदि द्वारा क्रिया से सम्बन्ध मानना अभीष्ट है।

इस प्रकार मीमांसकोंस्तुभ में विस्तार से व्याख्यान देने के पश्चात् संक्षेप में उनका कहना है कि यद्यपि मन्त्र का ग्रहण न होने पर भी लिङ्गसामर्थ्य से मन्त्र का विनियोग होने के कारण स्तुति के आलम्बन की सिद्धि हो जाती है, तथापि स्पष्ट रूप से विनियोग कराने हेतु मन्त्र का ग्रहण करना -

अभीष्ट है।<sup>1</sup>

कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्र निष्प्रयोजन न होकर किसी न किसी अर्थ का प्रकाशन ही करते हैं। अतः यहाँ "उत्सृथस्वेतिप्रथति" इस वाक्य में अर्थवाद होने से ब्राह्मणग्रन्थ में मन्त्रार्थ का अनुवाद किया गया है।

5- मन्त्रोच्चारणक्रमजन्य अदृष्टोत्पत्ति मानने पर भी उनकी अर्थरता की उपेक्षा सम्भव नहीं है

कौत्स आदि याज्ञिकों का जो यह मत है कि मन्त्रों के उच्चारण में क्रमवैपरीत्य करने पर अदृष्टोत्पत्ति सम्भव न होने से मन्त्रार्थ विवक्षित नहीं है। उसका खण्डन करते हुए जैमिनि मुनि कहते हैं कि वाक्यनियम हमारे सिद्धान्त का विरोधी न होकर पूरक है।<sup>2</sup> यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि मन्त्रों का उच्चारण मात्र अदृष्टोत्पत्ति के लिये है, क्योंकि क्रमविशेष द्वारा उच्चरित पदसमूहों से अर्थ की प्रतीति भी तो होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्रवाक्य में प्रयुक्त पदों का विपरीत क्रम से उच्चारण होने पर यद्यपि मन्त्र याग के साधनीभूत अपूर्व को नहीं उत्पन्न करता, यह कथन सत्य

1- "प्रकृते तु लिङ्गविनियुक्तत्वात् न प्रथमप्लत्वं यज्ञपतिप्रथस्य कल्पनीयम्, किन्तु प्रथमप्लानुवादकत्वमेव" आयुर्दात्रग्ने "इत्यादिवत् " उरु ते यज्ञपतिः प्रथमः " इत्यस्य द्रष्टव्यम् । तस्मान्मान्त्रवर्णिकप्लकल्पनानुपपत्तेः अर्थवादालम्बन-मुक्तविध्या मन्त्रोपादानमर्थवदिति सिद्धम्। "

‡ मी० कौ० - पृ०-95 ‡

2- "अविर्द्ध परम्" जै० सू० 1/2/36

है किन्तु अदृष्ट की सिद्धि के लिये मन्त्रों का अर्थप्रकाशन रूप दृष्ट फल उपेक्षणीय नहीं है। क्योंकि अदृष्ट कभी भी दृष्टफल का बाधक नहीं होता। जैसा कि आचार्य उदयन ने भी कहा है - "नादृष्टं दृष्टघातकम्"।<sup>1</sup>

वार्तिककार का कहना है कि मन्त्रोच्चारण के द्वारा अदृष्टोत्पत्ति को हेतुभूत "कृम" तो याज्ञिकों को भी मान्य है। अतः इस सम्बन्ध में हमारा उनसे विरोध नहीं है। किन्तु "नियमादृष्ट" की कल्पना होने पर भी दृष्टार्थ का विरोध नहीं होता।<sup>2</sup>

अतः अर्थप्रकाशन के द्राह्मणादि अन्य साधन होते हुए भी "मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्" इस नियमविधि से विशिष्टानुपूर्वीक मन्त्रपाठ का विधान होने के कारण अन्य उपायों के लिये अवसर नहीं रह जाता। इसलिये मन्त्रों का अर्थाभिधान रूप प्रयोजन सिद्ध होता है।

6- "अग्नीध्रः अग्नीत्विहर" आदि सम्प्रैष मन्त्र स्मृति उद्बोधन रूप संस्कार के लिये हैं -

अग्नीध्रादि सम्प्रैष मन्त्रों पर वादी द्वारा आरोपित ज्ञात विषय का ज्ञापन रूप दोष नहीं सिद्ध होता। यद्यपि यह सत्य है कि अध्ययनकाल में ही इनका ज्ञान प्राप्त रहता है, किन्तु बुद्धियों के क्षणिक होने के कारण वे प्रयोग - कालपर्यन्त यथेष्ट रूप में स्मरण नहीं रहती। ऐसी दशा में मन्त्र ध्यानादि कर्तव्य में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिये "अग्नीध्र" आदि सम्प्रैष कर्तव्यरूप से ज्ञात रहने पर भी स्मृति रूप प्रयोजन की सिद्धि करने के कारण

1- न्यायकुसुमाञ्जलि - 5/4

2- "अदृष्टार्थाच्चारणादिनोऽपि तन्निपमादपरमवश्यं कल्पनीयम् अदृष्टं, तन्ममापि प्रत्यायननियमादभविष्यतीति अविरोधः। एतेन मन्त्रत्वादि नियमः प्रत्युक्तः।"

विवक्षित अर्थ वाले है।

अतः यहाँ पर जूता पहने हुए पैर में पुनः जूता पहनने का दृष्टान्त अद्भुत नहीं होता, क्योंकि स्वाध्यायकालीन ज्ञान के अल्पमात्रा में स्मृत रहने के कारण इस दृष्टान्त से सम्प्रैष कर्म की निन्दा करना ठीक नहीं है। अथवा यह मन्त्र संस्कार ३ गुणः होने के कारण ब्राह्मणादि में पुनः पढ़े जाते हैं।

इसी प्रकार "विभूरसि," "नारिरसि" आदि मन्त्रों के भी विहरण आदि रूप क्रिया का अद्भुत होने से ये मन्त्र भी निरर्थक नहीं हैं, क्योंकि दो मन्त्रों के बल से अर्थस्मृति में दृढ़ता आती है। अथवा ये मन्त्र अद्भुतसहित अग्निविहरण रूप संस्कार के उद्बोधन हेतु प्रयुक्त हैं। जबकि "विभूरसि" मन्त्र विहरण मात्र के स्मारक हैं। जबकि वासुदेव दीक्षित के मतानुसार "संस्कार" होने के कारण सम्प्रैष मन्त्र पुनर्जापन रूप दोष से रहित हैं। इन मन्त्रों द्वारा संस्कृत होकर अनुष्ठेय अर्थ अति शम-युक्त होते हैं। इसलिये इन मन्त्रों के पुनर्जापन से कोई दृष्टफल नहीं प्राप्त होता। अतः ये मन्त्र अदृष्टफलक हैं।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रैष मन्त्रों के यज्ञीय पदार्थ के संस्कार रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण ये मन्त्र निन्दा के योग्य नहीं हैं।

कृपया:

→ यावदवस्थानम् । तत्रावश्यं केनचिद् ध्यानादिना अनुसंधाने कर्तव्यो नियम्यते अथवा संस्कारत्वात् ।"

३ त०वा०-पृ०-63 ३

1- ३०-कु० वृ० - पृ०-42

7- "चत्वारिंशद्गगा" आदि मन्त्र गौणार्थ में प्रयुक्त है

ऋक्संहितामें "चत्वारिंशद्गगा त्रयोऽस्य पादाः" आदि मन्त्र पढ़े गये हैं। इनके सम्बन्ध में यह कथन उचित नहीं है कि इन मन्त्रों में ऐसे पदार्थों का वर्णन किया गया है जिनका अस्तित्व ही नहीं है।

वस्तुतः उक्त मन्त्र में रूपक के व्याज से यज्ञपुरुष का वर्णन किया गया है अतः यहाँ अर्थवाद है।<sup>2</sup> इस मन्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए "भाष्यकार" ने कहा है कि होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्मा यज्ञ के ये चार शक्तिवज्र ही उपकारक गुण से युक्त होने के कारण इस यज्ञपुरुष के चार सींग हैं। प्रातःसवन माध्यन्दिन सवन और तृतीयसवन यज्ञ के मुख्य आधार होने से तीन पाद कहे गये हैं। प्रधान होने से यजमान और उसकी पत्नी यज्ञ के दो शीर्षों के समान हैं। गायत्री वृहती आदि सात छन्द हानोपादान का साधन होने से इसके हाथ हैं।<sup>3</sup> ऋक्, यजुष्य एवं सामवेदों से बन्धन के समान आबद्ध होने से यह तीन प्रकार से बद्ध है। इन विशेषणों से युक्त यज्ञ के कामनावर्षक होने से इसे "वृष्म" कहा गया है। स्तोत्र, शस्त्रादि अनेक प्रकार से ध्वनित होने के कारण बारम्बार शब्द करने वाला तथा मनुष्यों के ही इस यज्ञ का अधिकारी होने से इसे मनुष्यों में आविष्ट कहा गया है।<sup>4</sup> इस प्रकार "गुणवाद" से यह मन्त्र यज्ञस्तुति परक सिद्ध होता है। वासुदेव दीक्षित ने भी इस मन्त्र का प्रायः

1- "चत्वारिंशद्गगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासौ अत्य, त्रिधाबद्धो वृष्मो रौलीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश ।" ऋ ३० इं० 4/58/3 ऋ

2- "अभिधानेऽर्थवादः" मी० सू० 1/2/38

3- "गायत्र्युष्णिक् अनुष्टुप् वृहती-पंक्ति-त्रिष्टुप् जगती ह्रस्वाणि सप्तछन्दांसि ।"

4- इं० - सूत्र 1/2/38 का शा० भा० एवं गोविन्दस्वामी की विवरण व्याख्या ।



यही अर्थ किया है। वार्तिककारादि<sup>1</sup> मीमांसकों ने इससे थोड़ा भिन्न अर्थ किया है किन्तु उन्होंने भी इस मन्त्र में रूपक द्वारा याग की स्तुति ही मानी है।

कुमारिल भूट ने ऋग्वेद में विष्णुसंज्ञक एकाह याग में अतिदेश से प्राप्त होत्रादि का आज्यसंज्ञक चार शस्त्रों के मध्य विनियोग माना है। यह निर्विवाद है कि "आग्नेयं होता शंसति" वाक्य "अग्नि" का स्तावक है। अग्नि की आदित्य एवं सूर्य के रूप में भी स्तुति देखी जाती है। अतः "धत्वारि-शृङ्गा०" दिन के चार प्रहरों के सूचक हैं। शीत, गर्मी एवं वर्षाकाल ये तीन इसके पाद हैं। सूर्य के दो अपन "दो शिर" हैं और "सप्तहरतारस" से सूर्य के सात अश्वों की स्तुति की गई है। सवन के अभिप्राय से इसे त्रिधाबद्ध कहा गया है। कामनावर्षक, शब्दायमान एवं उत्साह उत्पन्न करने से यह सभी पुरुषों के हृदय में प्रविष्ट होता हुआ इस मार्ग से धर्म का साधन बनता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ भाष्यकार ने इसे यज्ञपुरुष की स्तुति मानी है, वहीं वार्तिककार ने "सूर्यदेवत्यं ह्येतदहः" इस कृति के अनुसार इसे विष्णुत् के आदित्य की स्तुति मानकर उसके तेजस्त्व षुगुण सामान्य से आदित्य रूप अग्नि की स्तुति मानते हुए इसे यागस्तुति कहा है।

वादी का यह कहना ठीक नहीं है कि इसे रूपक द्वारा स्तुति मानना उचित नहीं है। क्योंकि लोक में भी चक्रवाकस्तनी, हंसदन्तावली, कारावस्त्रा, शैवालकेशिनी आदि रूपकों से नदी की स्तुति देखी जाती है।<sup>2</sup> इस प्रकार मन्त्र विद्यमान अर्थ के ही प्रकाशक है।

1- द्र०-तन्त्र० - पृ० 63-64, एवं ऋग्वेद कृत मीमांसा कौस्तुभ ।

2- "चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता, शैवालकेशिनी,  
काशाम्बरा फेनहासा नदी काऽपि विराजते ।"

### 8- मन्त्रों में अचेतन पदार्थों का कथन भी गौणाभिधान ही है

"मामाहिंसीः, "ओषधे त्रायस्वैनम्"। "शृणोतग्रावाण"² आदि मन्त्र वाक्य भी गौणार्थ में ही प्रयुक्त है। "मामाहिंसी" आदि मन्त्रों में अचेतन छुरे से चेतन नापित इसकी रक्षा करे यह वाक्यार्थ है। इसी प्रकार यज्ञकर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिये जो यज्ञ की साधनभूत अचेतन ओषधि को सम्बोधित किया गया है, वह चेतन के सादृश्य से अचेतन ओषधि का आमन्त्रण लक्षित कराता है, अर्थात् वपन कर्म में अचेतन ओषधि एवं शस्त्र को यजमान की रक्षा के लिये आमंत्रित किया गया है।

इसी प्रकार "शृणोतग्रावाणः" यह मन्त्र प्रातःकालीन अनुवाक के समय पढ़ा गया है। इन मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि जब अचेतन प्रस्तर अनुवाक श्रवण करता है तो विद्वानों का क्या कहना अर्थात् विद्वान् इसे अवश्य ही सुनेंगे । इसप्रकार गुणवाद से अचेतन में चेतन का आरोप करने से मन्त्रों की दृष्टार्थता ही सिद्ध होती है। ऐसी दशा में उच्चारणमात्र से अदृष्टार्थता स्वीकार करना अनुचित है। यहाँ "ग्राव" शब्द से तदभिमानि देवता से विशिष्ट प्रस्तर ह्य अर्थ मानने पर चैतन्यपक्ष की स्तुति भी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार अचेतन "ओषधि" आदि में चेतन का आरोप भी गुणवाद से सिद्ध होता है। अतः गौणार्थ होने से इन मन्त्रों की अदृष्ट-फलकता नहीं सिद्ध होती ।

### 9- मन्त्रों में गुणवाद स्वीकार कर लेने से विरुद्धार्थ प्रतिपादन दोष भी नहीं सिद्ध होता

वादी का यह तर्क भी उचित नहीं है कि मन्त्र परस्पर विरुद्ध

1- तै० सं० 1/2/1/1

2- तै० सं० 1/3/1/1

अर्थ का कथन करते हैं। क्योंकि "अदितिर्ऽरदितिरन्तरिक्षम्०" आदि मन्त्र अदिति देवता की स्तुति के लिये कहे गये हैं।<sup>1</sup> यह स्तुति गौणीवृत्ति से सिद्ध होती है। जिस प्रकार लोक में "त्वमेवमाता च पिता त्वमेव आदि कथन प्राप्त होते हैं वैसे ही वेद में "अदितिर्ऽर०" आदि कथन स्तुति के लिये ही हैं। अतः लौकिक वाक्यों की भाँति वैदिक मन्त्रों की भी स्तुत्यर्था सिद्ध होती है। यहाँ पर श्रुत्वादि विवक्षित नहीं है अपितु अदिति की प्रकाशरूपता को सिद्ध करने के लिये मन्त्र में परस्पर विरुद्ध धर्मों का ग्रहण करके उसकी स्तुति की गई है। अतः इस मन्त्र में विप्रतिपत्ति दोष नहीं सिद्ध होता । बल्कि अदिति देवता की स्तुति ही गुणज्ञाद से सिद्ध होती है।<sup>2</sup>

इसी प्रकार "एको रुद्रः सहस्राणि रुद्राणि एको रुद्रो अवतस्थे न द्वितीयो" आदि मन्त्रों में जो कर्म एक रुद्र देवता वाला है और जो शतरुद्र देवता वाला है आदि कथन भी विरोधी नहीं हैं बल्कि कर्म के भेद से देवता का भेद कहा गया है, अतः यहाँ असामञ्जस्य नहीं है। इसलिये ये मन्त्र गुणज्ञाद से देवता की स्तुति करने वाले सिद्ध होते हैं। जहाँ कर्म एक रुद्र देवता वाला है वहाँ "एको रुद्रः" और जहाँ अनेक रुद्रदेवता वाला है वहाँ "असंख्याता सहस्राणि" आदि मन्त्रों का पाठ युक्त है ।

#### 10- मन्त्रों की अर्थप्रकाशकता यज्ञकाल में ही होती है

यज्ञ के अनुष्ठान के समय किया गया मन्त्रपाठ ही अर्थप्रकाशन करता है। यद्यपि "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" यह नियमविधि अर्थज्ञानपूर्वक वेदाध्ययन का

1- "गुणादविप्रतिषेधः स्यात्" जै० सू० 1/2/39

2- "नात्र श्रुत्वादीनि विवक्षितानि किं तर्हि प्रकाशयितव्यायाम् अविद्यमान विप्रतिषिद्ध - धर्मोपादानं स्तुत्यर्थम् ।"

विधान करती है, तथापि उस अध्ययन से न तो अपूर्व उत्पन्न होता है और न ही उस समय पढ़े गये मन्त्र द्रव्य, देवता अथवा यागादि सम्बन्धित क्रिया का प्रकाशन ही करते हैं। क्योंकि मन्त्रों द्वारा अदृष्टोत्पत्ति अथवा अर्ध-प्रकाशन कार्य के लिये "यज्ञसंयोग" अनिवार्य है।<sup>1</sup>

इसलिये वादी का यह उदाहरण ठीक नहीं है कि माणवक जिस काल में अवहनन मन्त्र का अभ्यास करता है उसी समय लोक में पूर्णिमा नाम की स्त्री अवहनन कार्य करती है, फिर भी पढ़ा गया अवघात मन्त्र अर्धप्रकाशन नहीं करता। यहाँ पर अवहनन कर्म और मन्त्र की एककालिकता केवल "काकतालीयन्याय" से है। इसका कारण यह है कि उस समय न तो वह स्त्री यज्ञ के लिये अवहनन कार्य करती है और न ही माणवक यज्ञ के लिये मन्त्र का पाठ करता है। यद्यपि उसका मन्त्राभ्यास यज्ञ के लिये ही है, तथापि उस समय उसका प्रयोजन यज्ञाद्युगप्रकाशन न होकर अक्षराभ्यास ही होता है। क्योंकि अर्धज्ञानसहित अक्षराभ्यास किये बिना यज्ञकाल में मन्त्रपाठ द्वारा अर्धप्रकाशकता सम्भव नहीं होगी।<sup>2</sup>

कहने का तात्पर्य यह है कि केवल स्वाध्यायविधि का आश्रय लेकर अर्धप्रकाशन मानने पर तो सम्पूर्ण वेदमन्त्र अर्धज्ञान पूर्वक पढ़े जाने योग्य हैं, किन्तु एक साथ सारे मन्त्र अर्धप्रकाशन नहीं करते, प्रत्युत यज्ञकाल में तत्सम्बद्ध कर्म के अनुष्ठान के समय पढ़े जाने वाले तत्सम्बद्ध मन्त्रों की ही अर्धप्रकाशकता सिद्ध होती है, न कि सम्पूर्ण वेदमन्त्रों की। अतः "यज्ञकर्मप्रधानम्" इस न्याय

1- द्र० - मी० सू० 1/2/40 का शाबरभाष्य

2- कुमारिल भट्ट ने "तन्त्रवार्तिक" में कहा है - "यदि हि स्वाध्यायकाले अर्धवचनमुपयुज्येत, ततस्तदा श्रियेत । न तु एवमस्ति कर्मभिरसंयोगात् ।"

से यज्ञयुक्त ही अवघातादि क्रियाओं की मन्त्रों द्वारा अर्धप्रकाशकता सिद्ध होती है।<sup>1</sup>

11- मन्त्रों द्वारा प्रकाशनीय अर्थ अविद्यमान नहीं होते

मन्त्र सदैव विद्यमान अर्थों का ही प्रकाशन करते हैं। अतः प्रमादवश विद्यमान पदार्थों को अप्राप्त कहना उचित नहीं है। क्योंकि ऋषि, देवता, निगम, निरुक्त एवं व्याकरण ज्ञान द्वारा ही अर्थज्ञान सम्भव होता है।<sup>2</sup> यदि आलस्यवश पुरुष इनकी सहायता से मन्त्र<sup>अर्थ पदों का</sup> अर्थज्ञान न कर सके तो मन्त्रों पर अविज्ञात अर्थों का मन्त्रगत पदों को कथन करने का दोष आरोपित करना उचित नहीं है। अनुपलब्धि मात्र से किसी की विद्यमानता पर संदेह करना ठीक नहीं है। क्योंकि यह तो स्वयं उस अज्ञानी पुरुष का अपराध है जिसने प्रमाद के कारण वेदार्थ का समुचित ज्ञान नहीं प्राप्त किया।<sup>3</sup>

वार्तिककार के अनुसार प्रकरण, सूक्त, देवता, ऋषि, निर्वचन, व्याकरण [व्युत्पत्ति] आदि वेदार्थज्ञान के उपाय हैं। इनकी सहायता से मन्त्र में प्रयुक्त अप्रसिद्ध पदों का भी अर्थज्ञान सम्भव है। आचार्य का कहना है कि जित प्रकार लोक में व्याकरण द्वारा नित्य पदों की व्युत्पत्ति को दशानि वाले लोप, विकार, आगम आदि उपायों को ग्रहण किया जाता है और अव्युत्पन्न

1- ऋ० - वासुदेव दीक्षित कृत - कु० वृ०-पृ०-43

2- "सतः परमविज्ञानम्" मी० सू० 1/2/41, एवं उसका शा० भा० पृ०-62

3- "पत्तु परम् कारणमविकल्पत्वमुक्तं तदयुक्तम् । सत एवार्थस्य पुरुषापराधेना-  
विज्ञानात्० ।"

पुरुष उन पदों को व्युत्पन्न ता मानता है। वैसे ही वेद में नित्यवाक्यार्थ की सिद्धि के हेतु ऋषि एवं उपाख्यानादि का आश्रय लेने पर वेदवाक्य भी अनित्य से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार कुछ व्याख्याकार मन्त्रगत पदों एवं उसके अक्षरों में चेतनता का आरोप करके सिद्धान्त को स्पष्ट करते हैं। अतः जिस प्रकार व्यवहार के लिये पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष कल्पित कर लिये जाते हैं, वैसे ही कल्पना वेदार्थ को स्पष्ट करने के लिये ऋषि एवं आर्षेय विषयों में भी की जाती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं होते, क्योंकि मन्त्र नित्य एवं अपौरुषेय है, किन्तु परमार्थ के लिये ऋषि उनका उपदेश करते हैं। ऋष्यादि सम्बन्ध का स्मरण तो ज्ञान की दृढ़ता के लिये है।

यथा - "भूतांश नामक ऋषि से सम्बन्धित उपाख्यान" - ऋषि ने जरा एवं मरण के निराकरण के लिये "सृष्येव" आदि मन्त्र से अश्विनो की स्तुति की है। यह मन्त्र इसप्रकार है -

"सृष्येव जर्भरी तुर्भरीतू नैतोशेव पर्भरीका,

उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ।।

सूक्त के अन्त में "अश्विनो काममप्रा" पठित है। वादी का यह कथन युक्त नहीं है कि इन मन्त्रों का अर्थ विवक्षित नहीं है। "न ह्येष-स्थाणोरपराधो यदि एनमन्धो न पश्यति" इस न्याय से इन मन्त्रों की अर्थस्मारकता पर सन्देह करना अनुचित है। इसका अर्थ इस प्रकार है - "सृष्येव" अर्थात् अक्षुषा से वश में करने योग्य - ("तत्रसाधु" 2 से) : इसका यह तात्पर्य है कि "सृष्यौ" अर्थात् हाथियों के समान बलवान् यहाँ "यत्" प्रत्यय हुआ है।

1- ऋ0 सं0 - 10/106/6

2- "तत्र साधु" अष्टा0 4/4/18

यहाँ प्रथमा के द्विवचन को छान्दस आकार आदेश हुआ है । "जर्भरो"- यहाँ "भृञ्" के यङ-न्त होने से "पचाद्यच्" से "ञच्" और यङ्- का जोष और छान्दस होने से अभ्यास को जकार और विभक्ति को ईकार आदेश लेकर "जर्भरो" बना है जिसका तात्पर्य है "पराक्रम दिखाने वाले" "जुर्भरातू" शत्रुओं का हिंसा करने वाले, "नेतोरोव"-अधकर्म करने वाले, नेतोरा-योद्धाओं के सामान, "जुर्भरा"- त्वरायुक्त हिंसकों के समान ॥ फफरीका-शोभायुक्त, "उदन्यजा"- अर्थात् चातक की पिपाता जो कि वर्षाकाल में ही उत्पन्न होती है, "जेमना" - जल-प्राप्तायुक्त ॥ यहाँ "जेम" शब्द से मतपर्याय "न" प्रत्यय हुआ है ॥ "मदेरू" अर्थात् उदकप्राप्ति से प्रसन्न चातकों को भाँति स्थित वे आश्विनीकुमार हमारे जरा मरणधर्मशरार को अजर-जमर करें ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जंजुला से प्रेरित हार्थी वारों और पराक्रम दिखाने हुए शीघ्रता से शत्रुओं का नाश करके कुशलता से शोभायमान होते हैं, एवं चातक जिस प्रकार वर्षाकाल में जल प्राप्त करके आनन्दित होते हैं वैसे ही हमारे ऊपर प्रसन्न होते हुए वे आश्विनीकुमार हमें जरा मरण से रोहित करें और हमारे ऊपर प्रसन्न हों ।

इसी प्रकार "अम्बु सा ते इन्द्र श्वाँष्टरस्मे"<sup>1</sup> इस मन्त्र में अगस्त्य ऋषि ने इन्द्र से प्रार्थना की है । जिसका तार यह है कि हे इन्द्र जिस प्रकार से शुष्कतण्डुल में प्रदीप्त अग्नि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम्हारा नित्य सख्यारी वज्र भी आधारहित होकर सुशोभित होता है । तुम्हारा वृषा से

वह हमलोगों का उपकारक है, और आकाश में विरसञ्चित जल की वृष्टि कराने के कारण हमारा उपकारक है। अतः इस प्रकार वह हमलोगों के अन्नादि की धारण करता है एवं तुम्हारा प्रिय मित्र पर्जन्य भी हमलोगों का उपकारक है।<sup>1</sup>

इसी प्रकार वेद के अन्य मन्त्र भी अर्थ के प्रकाशक हैं। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र विद्यमान पदार्थों का ही कथन करते हैं सर्वथा अविज्ञात अर्थों का नहीं। यह अवश्य है कि कुछ मन्त्रों का अर्थ सुगम नहीं अपितु विधिवत् अध्ययन के द्वारा ही गम्य है, किन्तु इससे उनको अदृष्टफलक मानना युक्तिवर्गित नहीं है। इस प्रकार मन्त्र दृष्टार्थ प्रकाशक करते हैं।

## 12- मन्त्रों में अनित्य पदार्थों का संयोग नहीं वर्णित है

"किं ते कृष्वन्ति०"<sup>2</sup> आदि मन्त्रों में अनित्य वस्तुओं का संयोग वर्णन मानकर पूर्वपक्षी नें जो वेदों और उनके अन्तर्गत आने वाले मन्त्रादि वाक्यों की अपौरुषेयता पर सन्देह प्रकट किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि इन मन्त्रों में नित्य पदार्थों का ही संयोग वर्णित है। आचार्य जैमिनि ने अपने मीमांसासूत्र "परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्"<sup>3</sup> द्वारा इसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है और वेदवाक्यों की पौरुषेयता का खण्डन भी किया है। उक्त मन्त्र में प्रार्थना करने वाला यजमान है। इन्द्र देवता प्रार्थना का अधिष्ठान है। यहाँ "कीकट" का तात्पर्य "कृषण" से है जो कि सम्पूर्ण लोकों में स्थित है। इस मन्त्र में प्रयुक्त "प्रमगन्द" पद किसी का नाम न होकर

1- विस्तृत विवरण के लिये द्र० - तन्त्र० - पृ० 66

2- श्र० सं० 3/53/14

3- जै० सू० 1/1/31



"कुसीदवृत्ति" है। तथा "नैचाशाख" नगर वा नाम नहीं अपितु नपुंसक के धन का वाचक है।

कृपण, कुसीदवृत्ति ऽ व्याज लेने वाला ऽ तथा नपुंसक का धन यज्ञकर्म के योग्य नहीं होता । अतः इन व्यक्तियों का यज्ञकर्म में अधिकार नहीं होता ।<sup>1</sup> इसी प्रकार गौणार्थ में प्रयुक्त वैश्रवणः ऽ वायुः ऽ आदि का अर्थ लिये जाने पर वायु का प्रवाह नित्य होने से वेदमन्त्रों में अनित्यसंयोग का वर्णन नहीं सिद्ध होता । अतः अनित्य पदार्थों का वर्णन न होने से वेद पौरुषेण नहीं सिद्ध होते । और अपौरुषेण होने से उनके अप्रामाण्य की शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि इन मन्त्रों में जन्ममरणहीन किसी मनुष्य की चर्चा ही नहीं है ।

### 13- लिंगसामर्थ्य से भी मन्त्रों की अर्थप्रकाशकता सिद्ध होती है

"आग्नेयपर्वाग्नीध्रमुपतिष्ठते" अर्थात् आग्नेयी ऋचा द्वारा आग्नीध्र का उपस्थान ऽ संस्कार ऽ करे - आदि श्रुतिवाक्यों में "आग्नेयी" आदि विशेषण का ग्रहण होने से भी मन्त्र "उपदेशवचन"<sup>2</sup> अर्थात् विधि में ही गृहीत होते हैं; <sup>और</sup> इस कारण भी मन्त्रसमूह की विवक्षितार्थता रूप दृष्टार्थता ही सिद्ध होती है न कि उच्चारणमात्र से दृष्टप्रयोजनता । यदि मन्त्रार्थ को अविवक्षित मानेंगे, तो "आग्नेय्या" इस पद में देवतातद्धित का निर्देश नहीं सिद्ध होगा ।

जैसा कि वार्तिककार ने भी कहा है कि "आग्नेय्या०" मन्त्र में लिङ्.गसामर्थ्य से जो अर्थ प्राप्त होता है। वह मन्त्र की अर्थप्रकाशकपरता

1- "यजमानस्तावत्प्रार्थयिता ----- तच्च सर्वमयज्ञाद्.गभूतं तेषां

कर्मण्यप्रवृत्तेः तदस्माकमाहरेति । ऽ त० वा० पृ० 67 ऽ

2- "चोदना चोपदेशश्च विधिर्द्वैकार्थकाचिनः ।" ऽ श्लोकवार्तिक पृ०-१५५ ऽ

को ही सूचित करता है। यहाँ अर्थ के प्राधान्य से मन्त्र जिसका प्रकाशन कराता है वही उसका देवता है न कि कथनमात्र से ।

शबरस्वामी ने भी कहा है "यदि ते अग्निप्रयोजना ततस्ते आग्नेय्या नाग्निशब्दसंनिधानात्" अर्थात् यह विधि अग्निदेवता से सम्बन्धित विधान करने से आग्नेयी है न कि अग्नि शब्द के समीप पठित होने से । अतः इस पद में देवतासिद्धि है, क्योंकि सभी मन्त्रों के एक देवता से सम्बन्धित होने पर भी मन्त्र में अन्य इन्द्र, वायु आदि देवताओं के नाम प्रयुक्त होने पर अनेक देवताओं से सम्बन्ध का व्यपदेश नहीं है, अतः अर्थप्रकाश रूप दृष्टफ्त स्वीकार किये बिना किसी देवता का प्राधान्य सिद्ध नहीं होता । यही कारण है कि "आग्नेया०" आदि वाक्यों से विधान होने पर भी "अग्नेय" मन्त्र से उपस्थान संस्कार न कहकर "आग्नेयी ऋचा द्वारा उपस्थान" कहा गया है।

कुतूहलवृत्तिकार के अनुसार मन्त्रों का प्रतिपाद्य देवतात्व ही है न कि जातिविशेष प्रतिपाद्य है, क्योंकि यदि जाति विशेष को प्रतिपाद्य मानेंगे तो "औष्" सूक्त एवं "पित्र्य" सूक्तों में देवतासिद्धि सिद्ध ही नहीं होगी ।

अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र निष्प्रयोजन न होकर अर्थ के स्मारक है और इस "अर्थपरता" की "आग्नेया०" आदि विधियाँ लिङ्ग अर्थात् ज्ञापक हैं।<sup>1</sup>

14- मन्त्रों में ऊहदर्शन से भी उनकी अर्धकाशक्ता सिद्ध होती है

मीमांसकों के अनुसार यदि मन्त्रों का अर्थ विवक्षित न होता तो उनमें "ऊह" न प्राप्त होता । प्रश्न यह उठता है कि यह ऊह क्या है - 'प्रकृतियाग द्वे पदे गये मन्त्रों में स्थित पदों का विकृतियाग में दूसरा अर्थ करने के लिये उसके अनुरूप ॥ योग्य ॥ पदान्तर का प्रक्षेप ॥ प्रयोग ॥ "ऊह" कहलाता है।<sup>1</sup> यह ऊह कभी-कभी प्रतिषिद्ध भी होता है और इसी कारण मन्त्रों की विवक्षितार्था में लिङ्ग बनता है। जैसे ज्योतिष्टोम की विकृति अग्नीषोमीय पशुमाग में अदिगु नामक "देव्या शमितारः" यह प्रेष है। वहीं पर 'अन्वेनं माता अनुमन्यतामनुपिता'<sup>2</sup> यह वाक्य भी पठित है। इसी के समीप "न माता वर्धते न पिता" यह ऊह भी प्राप्त होता है।

यहाँ "वृद्धि" से तात्पर्य शरीर की स्थौल्यादिवृद्धि से नहीं है और न ही कौमारादि अवस्थाओं से है, क्योंकि उनकी वृद्धि का निषेध सम्भव नहीं है, प्रत्युत उसके प्रतिपादक माता एवं पिता शब्द की वृद्धि ही प्रतिषेध योग्य है। यहाँ शब्द की वृद्धि भी सम्भव नहीं है क्योंकि वह जोर से उच्चरित होने के कारण नाद का धर्म है ।

अर्थ की वृद्धि भी यहाँ प्रसक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिये द्विवचनादि का प्रयोग करना होगा । अर्थवृद्धि होने पर विकृतियाग के अनेक पशुओं द्वारा साध्य होने से यह विकृतियाग का विषय होगा । इसलिये अनेक पशुओं द्वारा साध्य विकृतियाग में "एनम्" के स्थान पर "एनान्" के

1- ढ्र०-कु० वृ० - पृ० 44

2- मै० सं० 4/13/4

प्रयोग की भाँति ही माता और पिता शब्द में द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग होने पर अर्थात् आधिक्य होगा । जिससे "शब्दवृद्धि रूप ऊह" प्राप्त होगा इसी का प्रतिषेध "न माता वर्धते०" आदि से किया गया है। मन्त्रों के विवक्षित अर्थ वाला होने पर ही विकृतियागों में अर्थपरिवर्तन से ऊह सिद्ध होता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि एकपशु साध्य प्रकृतियाग में पशु के संस्कार के समय "अन्वेनमाता" आदि मन्त्र का प्रयोग होता है जबकि विकृतिभूत अनेक पशुसाध्य याग में "एनम्"के स्थान पर "एनौ" या "एनान्" पद का प्रयोग होगा । तब मन्त्र का स्वरूप "अन्वेनौ माता०" अथवा अन्वेनान् माता अनुमन्यताम् अन्वेनान् पिता०" आदि रूप में मन्त्र का प्रयोग होगा, यही "ऊह" है। यह निर्णय "न पिता वर्धते न माता" इस ब्राह्मण-वाक्य से ही होता है। क्योंकि विधिवक्त्र माता और पिता शब्दों की वृद्धि का निषेध करता है। अतः "एनम्" ही ऐसा शेष पद है जिसकी वृद्धि संभव है। यदि मन्त्र अर्थप्रकाशक रूप प्रयोजन वाले न होते तो "एनम्" आदि पदों में "ऊह" करना व्यर्थ होता । साथ ही विकृतियागों में ऊह किये बिना मन्त्र का प्रयोग करने पर मन्त्र विरुद्धार्थ प्रतिपादन करता ।

इसी प्रकार "त्वं ह्यग्ने प्रप्सौ मनोता"। इस मनोता सूक्त के मन्त्र में अन्य देवता से सम्बद्ध वायव्य पशु में अग्नि देवता से सम्बन्धित ऊह देखा जाता है। इस वाक्य में "अग्नि" पद देवता का प्रकाशक है।<sup>2</sup>

1- ऋ० सं० 4/4/35

2- विशेष - इस मन्त्र का पाठ अग्नीषोमीय पशुयाग के प्रकरण में प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ प्रकरण में केवल अग्नि देवता से सम्बद्ध याग का अभाव है। अतः यहाँ अग्नीषोमीय देवताक याग में "अग्नि" पद का लक्षणा से "अग्नीषोम" यह अर्थ मानकर विधि के साथ विनिर्भोग किया जाता है।

इसी प्रकार "छागस्य वपायां मेदसो अनुब्रुहि" इस मन्त्र में "गो" आदि पशु में अतिदेश से अनेक गौ रूप ऊह प्राप्त होने पर "उवाया वपाया" आदि वाक्य से यथार्थ सिद्ध होने से भी मन्त्रों की अर्थविवक्षा सिद्ध होती है।

यदि विकृतियागों में ऊह द्वारा अर्थपरिवर्तन न करके प्रकृतिभूत मन्त्र के पदों का परित्याग करके अन्य पद कल्पित किया जायेगा तो प्रकृति एवं विकृतियागों का अलग-अलग "अदृष्ट" स्वीकार करना होगा, और ऐसा होने पर दोनों यागों से एक फल की प्राप्ति न होकर भिन्न-भिन्न फल की प्राप्ति माननी होगी। जिससे कल्पनागौरव का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। ऊह के सम्बन्ध में द्वादशाध्यायी के नवें अध्याय में विशेष व्याख्यान प्राप्त होता है।

15- विधिवाक्यों में मन्त्रों की व्याख्या प्राप्त होने से भी मन्त्रों की अर्थकाशकता ही सिद्ध होती है

विधि अर्थात् ब्राह्मणवाक्य मन्त्रों की विवक्षितार्था को ही सिद्ध करते हैं। वार्तिककार के अनुसार विधि की ही "ब्राह्मणज्ञा" है। ब्राह्मणवाक्यों में मन्त्रों का पर्याय कथन एवं अवयवव्याख्या तथा निर्वचनादि भी मन्त्रों की अर्थकाशकता को ही दर्शाते हैं। यदि मन्त्रों को निरर्थक मानेंगे तो मन्त्रों की व्याख्यारूप सारे विधिवाक्य निरर्थक हो जायेंगे। साथ ही विधि के वाक्यशेष रूप अर्थादवाक्य एवं यागकर्त्तों के नामधेय का निर्णय कराने वाले सम्पूर्ण वाक्यों के निष्प्रयोजन होने पर समग्र वेद का अप्रामाण्य सिद्ध होने लगेगा। अतः मन्त्रों की अर्थकाशकता रूप दृष्टफल मानना अनिवार्य है।

1- "विधिवाक्यदाशक" जे० सू० 1/2/45 एवं कुमारिल भट्ट का भाष्यवार्तिक -  
त० वा०-पृ०-68

दर्शपूर्णमास प्रकृतिवाग में गार्हपत्य संस्कार में "अग्नेगृहयते वृतं करिष्यामि" आदि मन्त्र विनियोग कराते हैं। वहीं पर "शतं हिमा शतं वर्षाणि जी व्यासम इत्येवएतदाह"। यह मन्त्र वाक्य पठित है। यह वाक्य साक्षात् है। इस वाक्य में प्रयुक्त "हिमा" पद दुर्बोध अर्थ वाला है। यहाँ "शतं हिमा०" का अर्थवाद वाक्य "शतं वर्षाणि" है। इस मन्त्र को व्याख्यायित करने वाला ब्राह्मण वाक्य है - "शतंत्वाहेमन्तानिन्धिषीय इति वावैतदाह"। यहाँ "हेमन्त" पद वस्तुतः संवत्सर का सूचक है। इसका तात्पर्य यह है कि "हे अग्नि हम सौ वर्षों तक आपकी सेवा करें" अर्थात् जीवित रहे।

यदि हम मन्त्रों को अर्थकारक नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण वाक्य का यह व्याख्यान निश्चय ही असंगत हो जायेगा। अतः मन्त्र अर्थकारक हैं यह सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्रुति अथवा लिङ्गादि प्रमाणों से यागाङ्गत्व प्राप्त मन्त्रों के अर्थकारकत्व व्यापार के बिना मन्त्रों की स्वरूपतः कृत्वङ्गतता भी नहीं सिद्ध होगी। इसलिये अदृष्टार्थता की अपेक्षा अर्थाभिधान ही मन्त्रों के व्यापार के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि शाब्दबोध अनुष्ठेय अर्थ का यागकर्म के अनुष्ठानकाल में स्मरण ही मन्त्रों का दृष्ट प्रयोजन है।

मन्त्र इसलिये भी अर्थकारक हैं क्योंकि यदि "अग्निज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहा" इस मन्त्र का अर्थविवक्षित न होता तो "अग्निहोत्रं शुहोति" इस उत्पत्तिवाक्य का "अग्निहोत्र" पद याग कर्म का नामधेय नहीं हो सकता था।<sup>2</sup>

मन्त्रों की अर्थवत्ता होने पर ही "बहिदिवसदनंदामि" आदि मन्त्रों का कुशोच्छेदन रूप मुख्यार्थ में विनियोग सम्भव है।

1- शत० ब्रा० 2/3/4/2/1

2- मी० सू० - 1/4/4

इसी प्रकार "पुषन्तापुज्यं पयः" इस मन्त्र द्वारा प्रतिपादित "पय" ही आग्निशा पद वाच्य है न कि दधि पदार्थ । यह निर्णय भी मन्त्रों को अर्घ्यप्रकाशक मानने पर ही सम्भव है।

इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशुभाग में ब्राह्मणपाठक्रम के अन्य प्रकार से क्रम देने पर भी मन्त्रपाठ से वही क्रम प्राप्त होता है, क्योंकि मन्त्र-पाठक्रम, ब्राह्मण-पाठक्रम से बतवान् होता है। इसप्रकार पञ्चम अध्याय में किया गया यह निर्णय मन्त्रों के अर्घ्यप्रकाशक होने पर ही सिद्ध होता है।

### मीमांसकों के अनुसार मन्त्रलक्षण एवं भेद

जैमिनि इत्यादि सभी मीमांसकों का मत है कि मन्त्र यागक्रिया के अनुष्ठान-काल में अनुष्ठेय पदार्थ का स्मरण कराने में समर्थ होने से अर्घ्यप्रकाश ही करते हैं। इसी कारण मन्त्रों को अनुष्ठेय यागादि क्रिया का प्रेरक कहा गया है।<sup>1</sup> अभिमुक्त पुरुषों द्वारा मन्त्र के रूप में पढ़े गये वेदवाक्य ही मन्त्र कहलाते हैं। जैसे - "अहेबुधिनयमन्त्रं मे गोषाय,"<sup>2</sup> "मन्त्रं मन्सा वनोष्कितम्,"<sup>3</sup> "मन्त्रं वदत्युक्थम्"<sup>4</sup> इन वेदवाक्यों में मन्त्र शब्द प्रयुक्त है। वस्तुतः वेद का मन्त्रभाग ही ब्राह्मणभाग में व्याख्यात है। सम्भवतः इसी कारण कतिपय विद्वानों ने "मन्त्रब्राह्मणसौर्वेदनामधेयम्" इस कथन के अनुसार मन्त्र एवं ब्राह्मण ये दो ही भेद वेदवाक्यों के किये हैं।

1- "तच्चोदकेषुमन्त्रारव्या" जै० सू० 2/1/32

2- तै० ब्रा० 1/7/1

3- ऋ० सं० 1/2/34/13

4- ऋक्० 1/3/20/5, एवं तन्त्र० पृ० 415

वादी का जो यह कहना है कि मन्त्र का अर्थप्रकाशन ः प्रेरक ः ह्य लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्ति है, वह उचित नहीं है। क्योंकि स्वयं भाष्यकार, शबरस्वामी एवं वार्तिककार ने इन लक्षणों को "प्रायिक" कहा है।<sup>1</sup> इसका कारण यह है कि "कृन्ताय कपिञ्जलानालभते"<sup>2</sup> आदि कतिपय ऐसे उदाहरण वेद में मिलते हैं, जहाँ मन्त्र अर्थप्रकाशक न होकर विधायक है। मन्त्र के लक्षण को "प्रायिक" मानने से पूर्वपक्षी का उक्त आरोप स्वयं खण्डित हो जाता है। वस्तुतः कौत्स आदि पात्रिकों ने भी मन्त्रों को अनुष्ठानस्मारक तो माना ही है। जहाँ मन्त्र साक्षात् अथवा गौणी लक्षणा का आश्रय लेने पर भी अर्थप्रकाशन नहीं करते वहाँ अगत्या उनका अदृष्टार्थत्व मान लिया जाता है। जैसे - "हुम्", "प्द्" आदि जपमन्त्रों का । किन्तु उनके अतिरिक्त समस्त मन्त्रों का अर्थप्रकाशकत्व मानना ही तर्कसम्मत है।<sup>3</sup>

साम मन्त्रों का यद्यपि स्वरसमाहार होने से साक्षात् प्रयोजन नहीं है, तथापि पदार्थज्ञान के माध्यम से उनकी अर्थप्रकाशकता है, क्योंकि पदार्थज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का साधनः कारणः होता है। जैसा कि न्यायसुधाकार ने लिखा है -

"सर्वलाधारणत्वेन विचारस्य प्रयोजनम्

कर्मकाले नुसंधेनो मन्त्रार्थोऽर्थरत्वतः ।"

कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक संभव हो मन्त्रों की सामान्यतः अनुष्ठान काल में अर्थप्रकाशकता ही मानी जानी चाहिए ।

1- द्र० - मी० सू० 2/1/32 का शा० भा०

2- कृन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्माय क्लविङ्कान् ।

वर्षाभ्यस्तित्तरीन्धरदे वर्तिकान्हेमन्ताय क्वरान्धिराय विककरान् ।

ः यजु० 24/20 ः

3- द्र० - ऋग्वेद कृत भाट्टदीपिका - पृ० 32 एवं मी० कौ० पृ० 71



## मन्त्रों के भेद

मन्त्र वाक्यों के मुख्यतः तीन भेद हैं<sup>1</sup> - ऋक्, यजुष् एवं साम ।

इन तीन भेदों के अतिरिक्त वृत्तिकार उपवर्ष ने मन्त्रों के चौदह भेद बताये हैं -

- 1- अस्यन्त - जैसे - "मेषोऽसि" आदि मन्त्र ।
- 2- त्वाञ्जन्त वाले - जैसे - "हृषेत्वा", "ऊर्वेत्वा" आदि मन्त्र ।
- 3- आशिष्प्ररूपमन्त्र - यथा - आयुर्दा असि ।
- 4- स्तुतिरूपमन्त्र - यथा - "अग्निर्मूर्धादिवा ककुदः" ।
- 5- संख्यारूप मन्त्र - जैसे - "एको मम एका चतस्र्य" आदि मन्त्र ।
- 6- प्रत्ययित मन्त्र - "अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले ह्येतिरिव" यह मन्त्र ।
- 7- परिदेवनरूप मन्त्र - "अम्बेऽम्बालिके न मां नयति कश्चन<sup>2</sup>" आदि मन्त्र परिदेवन रूप है।
- 8- द्वेषरूप मन्त्र - यथा - "अग्नीत् अग्नीन् विहर"<sup>3</sup> आदि मन्त्र द्वेषमन्त्र कहे जाते हैं।
- 9- अन्वेषण - "कोऽसि कतमोऽसि" आदि मन्त्र अन्वेषण रूप है ।
- 10- प्रश्नमन्त्र - जैसे - "पृच्छामित्वां परमन्तं पृथिव्या"<sup>4</sup> आदि मन्त्र ।
- 11- आरव्यान - "इयं वेदि परोऽन्तः पृथिव्या"<sup>5</sup> आदि मन्त्र आरव्यान रूप है। माधवाचार्य ने इसी को "उत्तररूप" मन्त्र कहा है।

1- "तेषां ऋक् यत्रार्थवरेण पादव्यवस्था, "गीतिषु सामारव्या",

शेषे यजुः" १ वै० त्रु० 2/1/35-37

2- मा० सं० 23/18

3- शत० ब्रा० 4/2/4/11

4- तै० सं० 7/4/18

- 12- अनुषङ्गमन्त्र - यथा - "अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्यरश्मिभिः"  
आदि मन्त्र । मीमांसाबालप्रकाशकार ने इसे दो प्रकार  
का माना है - 1- पुरस्तादनुषङ्ग 2- परस्तादनुषङ्ग ।  
उक्त मन्त्र परस्तादनुषङ्ग का ही उदाहरण है।
- 13- प्रयोगरूप मन्त्र - यह दो प्रकार का है - 1- स्वर्षवान् 2- चातुःस्वर्षवान् ।  
प्रथम का उदाहरण "इषेत्वा" आदि मन्त्र एवं द्वितीय भेद का  
उदाहरण "अग्निमीडे पुरोहितम्" इत्यादि मन्त्र हैं।
- 14- सामर्थ्यरूप मन्त्र- जैसे "देवस्य त्वा सवितुः" आदि निर्वापप्रकाशक की  
सामर्थ्य वाले मन्त्र ।

शङ्करभट्ट के अनुसार भाष्यकार द्वारा उदाहृत ये मन्त्र ऋक् एवं यजुष् दोनों में वरितार्थ होते हैं इसी कारण भाष्यकार कहीं ऋक्मन्त्रों का और कहीं यजुर्मन्त्रों का उदाहरण दिया है। अतः ऋक् एवं यजुष् रूप भेद के आधार पर मन्त्रों के 28 भेद सिद्ध होते हैं। किन्तु भाष्यकार शबरस्वामी एवं वार्तिककार आचार्य हुमारिल ने मन्त्रों के इन भेदों को "प्रायिक" कहा है।<sup>1</sup> क्योंकि कहीं-कहीं मन्त्रों के इन भेदों के अतिरिक्त भेद भी प्राप्त होते हैं।

- 1- "तच्चैतद् वृत्तिकारेणोदाहरणापदेशेनारव्यातम् ।  
एतदपि प्रायिकम् ।" ॥ शा० भा० पृ० ॥  
"ऋग्मोऽपि हि लक्षणां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः ।  
लक्षणे तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।  
वृत्तौ लक्षमेतेष्वमस्यन्तत्वान्तरूपता  
आशिषः स्तुतिर्लये च प्रलप्तं परिदेवितम् ।  
प्रेषान्वेषमृष्टारव्यानानुषङ्ग प्रयोगिताः  
सामर्थ्यं वेति मन्त्राणां विस्तरः प्रायिको मतः ।"

जैसे - "असि" मध्य वाले मन्त्र - "ईड्यश्चासि वन्द्यश्चासि" आदि तथा "त्वामधीय" - "तत्त्वायामि" आदि मन्त्र, "इति वा इति मे मन इति" आदि इतिकरणबहुत मन्त्र एवं "भां भक्षीत्याहेति" आदि इत्याहोपनिबद्ध मन्त्र, आख्यायिका रूप मन्त्र ।

इन मन्त्रभेदों के अतिरिक्त मीमांसाबालमुकाशकार ने मन्त्रों के सैकड़ों भेद एवं उदाहरण वर्णित किये हैं -

यथा - हेतुविधिमन्त्र, निर्वचनार्थक मन्त्र, निन्दारूपमन्त्र, संश्रमार्थक मन्त्र, परकृति एवं पुराकल्प रूप मन्त्र, द्रव्यविधि मन्त्र, गुणविधिमन्त्र, जातिविधि-मन्त्र, जातिविधिभूतरूपमन्त्र, गुणविधिभूतरूप मन्त्र, क्रिया एवं क्रियाविधिभूतरूप मन्त्र, निषेधविधि एवं निषेधविधिभूतरूप मन्त्र, निमित्तविधिभूतरूप मन्त्र, सादृश्यविधिभूतरूप मन्त्र आदि बाईस भेद । ऋक् एवं यजुषू भेद से शङ्करभट्ट ने इन मन्त्रों के 56 भेद परिगणित किये हैं। पुनः ऋक्मन्त्रों के गायत्री, उष्णिक् आदि चौदह छन्दों के आधार पर मन्त्रों के चतुर्दश भेद एवं उनके अनेक उपभेद वर्णित किये हैं, और इन्हें भाष्यकार शबरस्वामी एवं वार्तिककारादि आचार्यों द्वारा सम्मत कहा गया है।<sup>1</sup> किन्तु ये सारे भेद तो उदाहरणभेद हैं, वर्गीकरणकृत भेद नहीं है।

वार्तिककार ने भी "अध्येतृवृद्धव्यवहारसिद्धं चेदं प्रायिकचिह्नयुक्तं लक्षणलाघवार्थमुक्तम्" इस कथन द्वारा भाष्यकार के मत का ही पक्ष लिया है।

नव्य मीमांसकों एवं आचार्य चिन्नस्वामी ने मन्त्र के तीन ही भेद कहे हैं -

1- अतोऽन्ये भेदाये क्वचित्केचिन्निरूपिता

भाष्यवार्तिककाराद्यैः तान्सर्वानभिदधमहे ।

‡ मी० बा० प्र० - पृ०- 62 ‡

ही मन्त्र हैं।<sup>1</sup> वार्तिककार के अनुसार वैदिक या याज्ञिक शिष्टजनों का मन्त्ररूप से व्यवहार ही इसमें प्रमाण है। अतः मन्त्र के जिन उदाहरणों को मन्त्रों के भेद के रूप में वृत्तिकार उपवर्ण एवं शङ्करभट्ट आदि आचार्यों ने उद्धृत किया है वे तो उदाहरणभेद मात्र हैं, वर्गीकरणजन्य भेद नहीं हैं। मन्त्र तो ऋक्, यजुश्च एवं साम तीन ही प्रकार के हैं। वेद के मन्त्रभाग ही अधिकांशतः ब्राह्मणभाग में व्याख्यात हैं।

वेद के जिन मन्त्रों के विषय में पुनर्वचन, परिसंख्या, अर्थवाद, विपुतिभेद, अनित्यतादोष एवं अविकल्पता आदि दोष पूर्वपक्षी ने कहे हैं, वे अज्ञानता के कारण ही कहे गये हैं। क्योंकि उक्त आक्षेप दोष नहीं हैं प्रत्युत गौणार्थक स्तुति, संस्कार आदि की सिद्धि के लिये हैं।

"इमामगृभ्णन्०" आदि मन्त्रों में परिसंख्या स्वीकार करने पर भी प्राचीन मीमांसक भाष्यकार, वार्तिककार, <sup>स्वीकारभट्ट</sup> मध्यकालिक पाश्चात्त्यमिश्र, ~~प्राचीन~~ शालिकन्नाथमिश्र आदि एवं नव्यमीमांसक सण्ड्येव प्रभृति विद्वानों ने श्रुतहानादि दोषत्रय की अप्राप्ति ही मानी है। जबकि अर्वाचीन मीमांसकों ने अपने ग्रन्थों में विशेषरूप से प्रकरणग्रन्थों में परिसंख्या के श्रौती एवं लाक्षणिकी दो भेद किये हैं। साथ ही "पञ्चपञ्चनखाभक्ष्या०" आदि का लाक्षणिक अर्थ स्वीकार करते हुए इस वाक्य में परिसंख्याविधि द्वारा "इतरनिवृत्ति" में श्रुतहानादि दोषत्रय की प्राप्ति मानी है।<sup>2</sup>

1- अभिधानस्य चोदकेषु एवं जातीयकेषु ————— मन्त्रा वर्तन्ते ।"

‡ शा० भा० पृ० - 127 ‡

2- ‡क‡ "पञ्चपञ्चनखाभक्ष्या इत्यत्र तु लाक्षणिकी । इतरनिवृत्तिवाचकपद-  
स्याभावात् । अतएवैषा त्रिदोषास्ता ।" ‡ मी० न्याय०-पृ०-84 ‡

‡ख‡ "सा च परिसंख्या त्रिदोषा ————— इति त्रिदोषा परिसंख्या  
गत्यभावादङ्गीकृता । गत्यन्तरे सति सा न युक्ता ।"

‡ मी० परि०-पृ०-41 ‡

ये मन्त्र निरर्थक न होकर याग<sup>सम्बद्ध</sup> अर्पणकाशन रूप प्रयोजन की सिद्धि करने के कारण विधि के अङ्ग होते हैं। अतः इन पर अक्रियार्थता दोष नहीं प्राप्त होता। मन्त्रों का यागादि क्रिया से सम्बद्ध द्रव्य, देवता आदि अर्थों की स्मारकता रूप कार्य होने के कारण उनपर अप्रामाण्यता का आक्षेप भी सम्भव नहीं है।

प्राचीन मीमांसकों ने "पाथार्थ्य लक्षणफल" द्वारा मन्त्रों का प्रामाण्य माना है, जबकि लण्डदेव प्रभृति नव्य मीमांसकों ने "पदार्थविध्या" मन्त्रों का प्रामाण्य स्वीकृत किया है। साथ ही मन्त्रों का अर्पणकाशन रूप दृष्टफल भी स्वीकार किया है। इसमें वैरस्य नहीं है, क्योंकि शङ्करस्वामी आदि मीमांसाचार्यों ने भी वाक्यार्थज्ञान के प्रति पदार्थज्ञान को कारण के रूप में स्वीकृत किया है।<sup>1</sup> सोमेश्वर भट्ट ने भी अपूर्व के साधनभूत त्वनादि विधियों का अङ्ग होने से तथा अश्रुत द्रव्य, देवता एवं यागादि का प्रकाशन करने वाले मन्त्रों को अनभिज्ञता र्थोक्त कहा है और धर्म में मन्त्र वाक्यों का प्रामाण्य माना है।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि "मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्" इस विधि के अनुसार मन्त्रों की क्रिया अर्पणकाशनपरता सिद्ध होती है। जिन मन्त्रों द्वारा अर्पणकाशन सम्भव नहीं होता उनकी अगत्या अदृष्टफलकता मानी गयी है। जिस प्रकार लोक में प्रयुक्त वाक्य अर्थवान् होते हैं वैसे ही वेद में प्रयुक्त मन्त्रादि वाक्य भी अर्थज्ञानपूर्वक अर्थस्मरण कराते हैं। लोक की भाँति ही वेद में भी श्रोता एवं प्रयोक्ता दोनों को शाब्दबोध होता है।

1- [क] "अपेक्षानीं पदार्था अवगताः सन्तो वाक्यार्थं गमयन्ति।" [शा०भा०पृ०-32]

[ख] "पदार्थानां तु मूलत्वं युक्तं तदभावभावतः।" [श्लोक०पृ०-87]

यद्यपि मन्त्रार्थ को जाने बिना भी विधि के साथ उनका विनियोग संभव है, तथापि वह अभ्युदयकारक नहीं है। 'पौऽर्थज्ञः इत्सक्तं भद्रमनुते" इस कुटिवाक्य से एवं "स्थाणुरयं०" आदि उक्तिवा "नलिनिन्दान्याय" से अर्थज्ञान की प्रशंसा ही करती है। इसलिये जहाँ तक सम्भव हो सके मन्त्रों का अर्थज्ञान भी अनिवार्य ही है । जैसी कि उक्ति भी है -

"मन्त्रार्थज्ञो जपन्जुहवत्तपैवाध्यापयन् द्विजः,

स्वर्गलोकमवाप्नोति नरकं तु विपयि ।"

कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्रार्थज्ञानपूर्वक जप एवं होमादि कर्म करने वाला एवं पठन-पाठन करने वाला पुरुष स्वर्गलोकादिरूप अभ्युदयकारक फल को प्राप्त करता है। अतः विधि के उपकारक होने से विधिवाक्यों की भाँति ही मन्त्रवाक्यों का भी विधि के अङ्गरूप से धर्म में प्रामाण्य है। इसलिये मन्त्र सर्वथा प्रयोजनपरक ही सिद्ध होते हैं न कि अनर्थक ।

## ॥ चतुर्थ अध्याय ॥

नामधेय -

- ॥क॥ प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में नामधेय  
एवम् उसकी उपयोगिता
- ॥ख॥ विविध मतों की समीक्षा

प्राचीन एवम् मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में नामधेयवाक्यों की  
उपयोगिता एवम् महत्त्व

विधि, मन्त्र एवम् अर्थाद के पश्चात् वेदवाक्यों का चतुर्थ विभाग " नामधेय " अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस नामधेय भाग का वर्णन द्वादशश्लक्षणी ऋषिः आचार्य जैमिनि से लेकर अर्वाचीन श्रीमद्वाचस्पत्य आचार्य कुतुहलवृत्तिकार आदि ने एवं मीमांसान्याय-प्रकाश, अर्थसंग्रह आदि प्रकरण ग्रन्थकारों ने विस्तार से किया है । यद्यपि आचार्य कुमारिल भट्ट ने वेद का तीन प्रकार से विभाजन तो किया है; किन्तु " नामधेय " का शब्दतः उल्लेख नहीं किया है, तथापि अपने "तदधीनत्वात् यागविशेष-सिद्धेः" । इस कथन द्वारा उन्होंने नामधेयपदों की प्रयोजनवत्ता ही प्रतिपादित की है । " नामधेय " विधेय याग रूप अर्थ का परिच्छेद अर्थात् इतर से व्यावर्तन करते हैं । यदि नामधेयों द्वारा यह व्यावर्तन रूप कार्य न किया जाय तो "यज " के धात्वर्थ से सामान्य रूप से समस्त यागों की प्राप्ति होगी । और ऐसी दशा में किस फल की प्राप्ति के लिये कौन सा याग किया जाय- यह व्यवस्था न रहेगी । अतः नामधेयों का यागों का नाम-निर्धारण कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा "स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत", "उद्भिदा यजेत पशुकामः" आदि उत्पत्ति वाक्यों की व्यवस्था प्राप्त होती है । एवम् इन्हीं से विशेषित होकर विधि अपने कार्य में प्रवृत्त होती है ।



जैसे—“उद्भिदा यजेत पशुक्तामः” इस विधिवाक्य में अप्राप्त पशुरूप फल को उद्देश्य करके याग का विधान किया गया है। किन्तु यहाँ याग-सामान्य ही प्राप्त। जबकि याग-सामान्य कभी विधेय नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में उद्भिदा” यह पद याग का विशेषण होकर यागविशेष रूप विधेय की प्राप्ति कराता है। क्योंकि “उद्भिदायागेन पशुफलं भावयेत्”- इस वाक्य में उद्भिद् नाम एवम् याग का सामानाधिकरण्य से अन्वय प्राप्त होता है।

यह सामानाधिकरण्य उद्भिद् पदगत तृतीयाश्रुति के कारण नहीं है अपितु एकार्थवाचित्व के कारण है। क्योंकि याग और उद्भिद् दोनों के द्वारा पशुरूप एक ही फल की प्राप्ति होती है। अतएव यह सामानाधि-करण्य “नीलम् उत्पलम्” की भाँति नहीं है प्रत्युत “वैश्वदेव्यामिक्षा” पदों की भाँति है।<sup>1</sup> कहने का तात्पर्य यह है कि “नीलमुत्पलम्” में “नील” शब्द नीलगुण वाची एवम् “उत्पल” शब्द जातिवाची है। इन दोनों पदों का लक्षणा के द्वारा द्रव्यत्व मानकर सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। जबकि “उद्भिद्” पद एवम् याग का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है, क्योंकि उद्भिद् शब्द “यज” से प्राप्त यागविशेष का ही वाचक है। इसलिये वह याग से भिन्न अर्थ को नहीं कहता है।

“वैश्वदेव्यामिक्षा”<sup>2</sup> इस वाक्य में “वैश्वदेवी” पद देवतातद्धितान्त है। यहाँ पर “साऽस्यदेवता”<sup>3</sup> सूत्र से वैश्वदेवी में अण् प्रत्यय होने से यह पद देवतातद्धितान्त है। यहाँ द्रव्यविशेष की आकाङ्क्षा होने पर समीप

1-द्र०-मीमांसा न्यायप्रकाश ।

2- तै०सं० 1/8/2 .

3- अष्टा० 4/2/24 .

पठित होने से "आमिक्षा" इस उपपद का ग्रहण होता है । इस प्रकार तद्विद्वान्त "वैश्वदेवी", उपपद "आमिक्षा" एवम् "अस्य" इत्यन्त तीनों के अभिधा-वृत्ति से आमिक्षाएक एक ही अर्थ के वाचक होने से इनका सामानाधिकरण्य है । इसलिये जिस प्रकार- विशेष्य वैश्वदेवी शब्द को विशेष अर्थ का समर्पण करने वाला आमिक्षा पद विशेषण एक ही अर्थ का वाचक है, उसी प्रकार "यज" के धात्वर्थ "याग" और उस याग के विशेषण "उद्भिद्" पद के एक-वाचक होने से यहाँ "उद्भिद्वा यजेत" वाक्य में भी सामानाधिकरण्य है ।<sup>1</sup> इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नामधेयपद विधेय याग की विशेषता का प्रतिपादन करते हुए अपनी सप्रयोजनता को सिद्ध करते हैं । और क्योंकि समस्त वेदवाक्य सम्प्रदाय-परम्परा से प्राप्त होते हैं, अतः "उद्भिद्वा यजेत" आदि वाक्य भी निरर्थक नहीं हैं ।

किन्तु कतिपय वादी विद्वानों के मतानुसार नामधेय पदों का धर्म में प्रामाण्य ही नहीं है । अपने इस कथन की पुष्टि के लिये वादी निम्नाङ्कित हेतु प्रस्तुत करते हैं -

1- नामधेयभाग धर्म में प्रमाण नहीं है । क्योंकि वेद क्रियाएँ हैं, इसलिये वेद के विधि भाग साक्षात् एवम् अर्थवाद तथा मन्त्र परम्परया यागादि क्रियाओं के सम्पादन में सहायक हैं । अतः इन्हीं का धर्म के प्रति प्रामाण्य सिद्ध होता है न कि "उद्भिद्वा" आदि नामधेयपदों का ।<sup>2</sup>

1- "श्रुत्यैवोपपदस्यार्थः सर्वनाम्नाभिधीयते,

तदर्थस्तद्वितेनैव त्रयाणामेकवाच्यता । " इत्यन्त्र० पृ०-533 ।

2- "त्र्यंशेदप्रमाणत्वात् उद्भिद्वादि ततोऽधिकम् ।

धर्मायानुपयुक्तं सदानर्थक्यं प्रतिपद्यते । " इत्यन्त्र० पृ०-28 । ।

नामधेयभाग न तो साध्य,साधन तथा इतिकर्तव्यता का कथन करते हैं जिसे उन्हें विधि कहा जा सके ।<sup>1</sup> विधेय यागादि ही स्तुति न करने के कारण अर्धवादों के अर्न्तगत भी नहीं आते, अतएव विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता नहीं प्राप्त करते । अध्येता पुरुष कोयाग समवेत अर्धका स्मरण भी न कराने के कारण मन्त्रभाग में भी इनका ग्रहण सम्भव नहीं है । अतः नामधेयरूप वेदभाग अप्रामाणिक है ।

2- यदि कथञ्चित् "उद्भिन्ना यजेत" आदि वाक्यों को धर्म में प्रमाण माना भी जाय तो गुणविधि के रूप में ही उद्भिद् आदि का याग के साथ अन्वय मानना होगा । नामधेय के रूप में इनका धर्म में प्रामाण्य सम्भव नहीं है ।

3- उद्भिदा-यजेत " आदि वाक्यों को गुणविधि मानना इसलिये भी उचित है । क्योंकि लोक में खनित्रादिअवयवों की गुण के रूप में ही प्रसिद्ध है यागनामधेय के रूप में नहीं ।<sup>2</sup>

4- तृतीया विभक्ति सर्व्वे वरणावाचिनी होती है । अतः तृतीयान्त होने से उद्भिन्ना आदि पदों से उद्भिदरूप साधन से युक्त याग ही ज्ञात होता है, उद्भिद् याग नहीं प्राप्त होता ।

5-इन वाक्यों को विधिरूप में मानने पर ही इनकी क्रियार्थता भी सिद्ध हो सकती है । क्योंकि उद्भिदादि पदों की खनित्रादि द्रव्य-विशिष्ट क्रियाविष्णुता मानने पर ही पुरुष में प्रवृत्तिविशेष उत्पन्न होगी ।

1- "तत्र विध्यर्धवादमन्त्राश्चैवेदाद् धर्मः प्रतीयते न चोद्भिन्नादयः

तेष्वन्तर्भावसम्भ्रः - - - साध्यायनभिधानतः ।" [शा० दी० ०५०७८]

2- उद्भिद्गुणात्ता यागस्य विधीयते, कुतः प्रसिद्धे रनुग्रहाद्,

गुणविधेरर्धवत्त्वात् प्रवृत्तिविशेषरत्वाच्च ।" [शा० भा० ०-५०२६]

लोक अथवा वेद में कहीं भी नामधेय को यागार्थता नहीं प्राप्त होता ।

6- इन वाक्यों को यागनामधेय मानने में एक दोष यह भी है कि जब "यजेत" के "त" प्रत्यय द्वारा ही अनुष्ठाता पुरुष में यागतसम्बन्धी प्रवृत्तिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो उदभिदादि पदों को नामधेय मानने पर यह भला कौन सा विशेष कार्य करेगा ।

7- यदि सिद्धांती यह कहे कि अविहित कर्म में गुणविधान सम्भव नहीं है तो, यह कथन तर्कसंगत नहीं है । क्योंकि जैसे "लोमेन यजेत" इस वाक्य से गुण एवम् कर्म दोनों का विधान माना गया है, वैसे ही जिन किन्हीं स्थलों में कर्मविधान अप्राप्त होगा वहाँ पर मत्वर्थ द्वारा कर्म कल्पित कर लिया जायेगा ।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उदभिदादि यौगिक पद, चित्रादि रूढ़ तथा अग्निहोत्रादि योगरूढ़ पद एवम् श्येनादिपद गुण के वाचक हैं । इसलिये "उदभिदा यजेत", "चित्रया यजेत", "अग्निहोत्रं जुहोति", श्येनेन-अभिचरन् यजेत", संदीन अभिचराति" आदि वाक्य यागनामधेय न होकर गुणविधायक हैं ।

### सिद्धान्त

प्राचीन एवम् मध्यकालिक मीमांसकों का मत है कि "उदभिदा यजेत" आदि वाक्य में "उदभिदादि" शब्द याग के नामधेय हैं, और धर्म में इनका प्रामाण्य है । अपने इस कथन को पुष्टि में उन्होंने अपने-अपने ग्रन्थों में विस्तार से नामधेयों का स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध में होने वाले लक्षणों का समाधान प्रस्तुत किया है ।

1- "प्रसिद्धैर्बलवत्त्वेन प्रयोजनकोन च

अधिकत्वात्प्रवृत्तेश्च गुणरूपं विधीयते ।" §त०वा०पृ०२८२§

1- स्वाध्यायविधि के द्वारा उद्भिदादि वाक्यों की पुरुषार्थता सिद्ध होने से नामधेयपद भी धर्म में प्रामाण्य है -

"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इस वाक्य के द्वारा सम्पूर्ण वेदभाग का स्वाध्याय वर्णित होने से नामधेयों का भी धर्म में प्रामाण्य सिद्ध होता है । अतः "नामधेयपदों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता ।" इस प्रकार नामधेय वाक्य भी पौरोष्य नहीं हैं । बल्कि पुरुष के प्रयोजन प्राप्ति में सहायक हैं । और वेद सम्प्रदाय-परम्परा<sup>में</sup> इनका भी वेद के अन्तर्गत ग्रहण होता है । अतः नामधेयपद भी धर्म के प्रति प्रामाण्य हैं ।

2- नामधेयपद याग की विशेषता को पकट करते हैं -

नामधेयों को हस्तिले भी निष्प्रयोजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि "यज" के धात्वर्थ से प्राप्त याग सामान्य रूप अर्थ विशेष के बिना निरूपित नहीं हो सकता ।<sup>2</sup> कहने का तात्पर्य यह है कि "यज" का प्रयोग तो सभी याग-विधियों के साथ होता है । अतः किस फल की प्राप्ति के लिये किस याग का अनुष्ठान करें, इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं रहेगा । ऐसी दशा में पुरुष किसी भी यागकर्म के अनुष्ठान के प्रति प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि याग से कौन सा फल मिलेगा यह ज्ञान नहीं रहेगा । जैसा कि लोक में भी देखा जाता है कि किसी निश्चित फल को उद्देश्य किये बिना कोई पुरुष किसी कार्य को करने के लिये तैयार नहीं होता, तो कितनाई से सिद्ध होने वाले इन यागादि कर्मों में भला किसकी प्रवृत्ति होगी । जबकि नामधेयपदों द्वारा यह निश्चय होता है कि अमुक याग का अनुष्ठान करने

1- "सकलस्यैव वेदस्य स्वाध्यायविधिवाक्यतः,

विज्ञातं पुरुषार्थत्वं उद्भिदादेरीप ध्रुवम् ।" इशा०की०पृ०७११

2- ५०मी०न्यायप्रकाश - पृ०-८५ ।

से अमुक फल ही प्राप्त होगा । जैसे- " वायव्यं आलभेत भूतेवामः " इस विधिवाक्य में "वायव्य" यह नामधेयपद याग के विशेषण रूप में है । जिसके द्वारा यह व्यवस्था प्राप्त होती है कि शीघ्र ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाला पुरुष वायव्य याग ही करे, न कि कोई अन्य याग। इस प्रकार नामधेय पद याग की विशेषता रूप अर्थ के निश्चायक होते हैं ।

### मीमांसक मत में उद्भिदादि यौगिक पदों का नामधेयत्व

1- "उद्भिदा यजेत" आदि वाक्यों का विधि के साथ नामधेय के रूप में अन्वय होता है -

इन वाक्यों का अन्तर्भाव अर्थादवाक्य एवम् मन्त्रों के साथ भले ही न होवे, किन्तु विधि के विशेषण होने से विधिवाक्य में इनका अन्तर्भाव माना जा सकता है । सम्भवतः इसी कारण तन्त्रवार्तिककार ने वेदवाक्यों के विधि, मन्त्र एवम् अर्थाद ये तीन भेद ही कहे हैं ।<sup>1</sup> क्योंकि यागविधि के विशेषण होने से उद्भिदादि संज्ञा पदों का विधि में अन्तर्भाव हो जाता है । विधिवाक्य में इनका अन्वय नामरूप में होने से पुरुष में नामविशेषित प्रमा ही उत्पन्न होती है ।<sup>2</sup> उद्भिदादि तृतीयान्त पद यद्यपि "यजेत" के सिद्धग रूप "त्" प्रत्यय के साथ सामानाधिकरण्य प्राप्त करते हैं । तथापि नामधेयपदों और "त्" प्रत्यय का यह सामानाधिकरण्य यागरूप एकार्थ को कहने के कारण ही है । इस प्रकार विधि की विशेषता अर्थात् अन्य याग-विधियों से स्वयं का व्यावर्तन रूप कार्य करने के कारण नामधेयपद भी धर्म

1- ५०-तन्त्र० पृ०-1

2- "अन्तर्भावो विधौ उद्भिदा यजैति दृश्यते,

नामत्वेनान्वयो वाक्ये वक्ष्यते अतः प्रमैव तत् ।" [जै०न्यायमाला, पृ० 42४]

में प्रमाण है । अतः याग नामधेय रूप में इनका विधि के साथ अन्वय सम्भव रहते गुणाविधि के रूप में इन्हें विधि के साथ अन्वित करके उद्भिदादि पदों की क्रियारूपता सिद्ध करना उचित नहीं है ।

तृतीयान्त होने से उद्भिदादि नामधेय पदों का साधनरूप से गुणाविधि में अन्वय नहीं किया जा सकता -

वादी का यह कथन तर्कसम्मत नहीं है कि तृतीयान्त करणवादी होने से उद्भिदादि पदों का गुणाविधित्व है । क्योंकि तृतीया विभक्ति सदैव करण का कथन नहीं करती । "दध्ना जुहोति" आदि स्थलों में यद्यपि तृतीया विभक्ति याग के साधन को कहती है । किन्तु वहाँ पर "अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकामः" इस उत्पत्ति वाक्य से अग्निहोत्र कर्म पूर्व से प्राप्त है । अतः "दध्ना जुहोति" वाक्य को अगत्या गुणाविधि मानना पड़ता है । जबकि "उद्भिदा यजेत पशुकामः" वाक्यगत उद्भिदादि पदों को गुणाविधि कहने पर विधि से सम्बन्धित अपूर्व की प्राप्ति कराने वाला कोई अन्य वाक्य प्राप्त नहीं है ।<sup>1</sup> ऐसी दशा में उद्भिदा पद को याग का साधन मानकर गुणाविधि कहना उचित नहीं है । क्योंकि जब याग का विधायक कोई उत्पत्तिवाक्य ही नहीं है, तो भला किसे उद्देश्य करके गुण का विधान करेंगे । अतः उद्भिदादि पदों का करणत्व संगत नहीं है ।<sup>2</sup> इसलिये "उद्भिदरूपेण यागेन पशु भावयेत्" यह वाक्यार्थ मानना ही उचित है ।

1- "अपि वा नामधेयं स्याद् यदुत्पत्तौ अपूर्वमविद्यसकत्वात् ।"

2- षोडशाश्रयीपिका प्रभाटीका सहित-

"उद्भिद्वायजेत" आदि वाक्यों को गुणाविधि मानने पर फल का कथन करने वाले पद व्यर्थ सिद्ध होंगे -

उद्भिद्वादि पदों को गुणाविधायक मानने में एक दोष यह भी है कि उत्पत्तिवाक्यों में जो पशुकामादि फल का कथन करने वाले पद हैं, वह व्यर्थ हो जायेंगे। क्योंकि वह किस याग के फल हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। ऐसी दशा में धातु का परार्थ प्राप्त होगा अर्थात् "यज" धातु का सम्बन्ध किसी अन्य वाक्य से प्राप्त पद के साथ जोड़ना होगा। और यदि सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले ज्योतिष्टोम का अध्याहार करके उसे याग का विशेषण मानेंगे तो वाक्यभेद दोष प्राप्त होगा। साथ ही मत्वर्थ कल्पना करके उद्भिद् से गुणाविधान मानने के कारण मत्वर्थक्षणा दोष भी प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर गुणाविधि मानना कथमपि सम्भव नहीं है। "व्रीहिभिर्वायजेत", "सोमेन यजेत" आदि वाक्यों में "व्रीहि" आदि पदार्थों के हृद होने के कारण उनका सामानाधिकरण्य बाधित होने पर भी अगत्या उन्हें भी ही गुणाविधि मान लिया जाय ;<sup>1</sup> किन्तु उद्भिद्वादि यौगिष पदों को जितनी सुगमता से द्रव्यवाचक मानेंगे उससे कहीं अधिक सरलता उन्हें यागनाम्ने मानने में है; क्योंकि यहाँ पर तो याग के<sup>साद्य</sup> उनका सामानाधिकरण्य श्रुति द्वारा ही प्राप्त है। इन वाक्यों को गुणाविधि मानने पर तो उद्भिद्वादि पदगत संख्या और कारक भी विधेय होंगे।<sup>2</sup> अतः गुणाविधि के संशय का यहाँ पर कोई अवकाश ही नहीं है।

1- "पदमज्ञात्संदिग्धं प्रसिद्धैरपृथक्श्रुतिः।

निर्णीयते निरुद्धं तु न स्वार्थादपनीयते ।" [तन्त्र०पृ०२८६]

2- "विभक्त्यर्थानुवादाच्च विधेः स्यान्नाग्नि साधवम्

गुणपक्षे विधेयत्वं संख्याकारक्योरपि ।" [त०वा०पृ०२८६ एवं शा०दी०

पृ० ८२]



"उद्भिदा यजेत" आदि वाक्यों को गुणविधि मानने पर विरुद्धद्वयापत्ति रूप दोष भी प्राप्त होता है -

यदि उद्भिद् पद को याग की संज्ञा न मानकर हम उसे साधन रूप से गुणविधि मान भी लेंते हैं तो याग में विधेयत्व, गुणत्व एवम् उपादेयत्व तथा प्राधान्य, उद्देश्यत्व एवम् अनुवाद्यत्व इन परस्पर विरोधी धर्मों की प्राप्ति होगी । यथा- "उद्भिदा यजेत" वाक्य को गुणविधि मानने पर किसी अन्य वाक्य से याग की प्राप्ति न होने पर भी यदि किसी प्रकार से याग अनुवाद मान भी लें तो - 1- पशुयाग से सम्बन्धित भावना में याग के पशुप्ल का साधन होने से याग विधेय होगा । ऐसी दशा में "यागेन पशुन्मावयेत्" यह वाक्यार्थ होगा । अतः याग का "विधेयत्व" प्राप्त होगा । 2- पशुरूप प्ल के प्रति याग के साधन होने से अङ्गत्व की प्राप्ति होगी और अङ्गत्व की प्रतीति होने के कारण पारार्थ्य रूप "गुणत्व" भी याग में होगा । 3- एवम् पशुप्ल की प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा अनुष्ठान योग्य होने से याग का "उपादेयत्व" भी सिद्ध होगा । इस प्रकार एक ही याग में विधेयत्व, गुणत्व एवम् उपादेयत्व तीनों धर्म आ जाते हैं ।

और यदि याग को को उद्देश्य करके उद्भिद् रूप गुण का विधान मानते हैं तो विहित उद्भिद् गुण की अपेक्षा से याग के प्रधान होने से याग में "प्राधान्यत्व" होगा । और क्योंकि याग को उद्देश्य करके खनित्र गुण का विधान किया गया है, इसलिये याग में "उद्देश्यत्व" भी होगा । साथ ही "उद्भिदा यजेत" वाक्य के गुणविधि होने से याग का अन्वय किसी दूसरे वाक्य से करना होगा । अतः याग का "अनुवाद्यत्व" भी प्राप्त होगा ।

1- "न एतादृशस्त्वौ गुणविधिः कदापि वक्तुं शक्यते ।

विरुद्ध त्रिकद्वयमावेशरूपदोष-प्रसङ्गात् ।"

{मी०परि०पृ०३३}

इस प्रकार एक ही याग में एक ही समयमें विधेःत्व-उद्देश्यत्व, प्राधान्यत्व-गुणात्व, उपादेयत्व एवम् अनुवादत्व रूप परस्पर विरोधी धर्मों की प्राप्ति भी माननी होगी । इसलिये यहाँ पर गुणाविधि मानने की अपेक्षा उद्भिद् को याग की संज्ञा मानने पर यह दोष नहीं प्राप्त होगा । अतः उद्भिदादि पदों को गुणावाचक न मानकर याग की संज्ञा मानना ही अधिक उचित है ।

"उद्भिदा यजेत " आदि वाक्यों में गुणाविशिष्ट विधि भी नहीं है -

"उद्भिदा यजेत 'पशुनामः " आदि यौगिक पदयुक्त वाक्यों में गुणाविशिष्ट कर्मविधि मानना उचित नहीं है । यहाँ पर वादी का यह कथन तर्क सम्मत नहीं है कि जैसे "सोमेन यजेत " वाक्य में "सोमवता यागेन स्वर्गभावयेत् " ऐसी गुणाविशिष्ट विधि कल्पित कर ली जाती है। वैसे ही यहाँ पर "उद्भिद्धतायागेन पशु भावयेत् " ऐसी कल्पना कर लेने पर इसका गुणाविधित्व लङ्घित हो जायेगा । यदि हम इस वाक्य में गुणाविशिष्ट विधि मानेंगे तो यहाँ पर अनेक विधियों की शक्ति कल्पित करनी पड़ेगी । क्योंकि धातु अनेक अर्थों की वाचक होती है । मत्वर्षलक्षणा को स्वीकार करना होगा । साथ ही उद्भिद् का जो याग के साथ सामानाधिकरण्य प्राप्त है, उसका भी त्याग करना होगा ; और इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न हो जायेंगे ।

भाष्यकार के मतानुसार उद्भिद् को द्रव्य मानकर मत्वर्षलक्षणा के द्वारा सामानाधिकरण्य मानने की अपेक्षा अभिधावृत्ति से "उद्भिद् " को यागनामधेय मानने में कल्पना गौरव रूप दोष भी नहीं प्राप्त होगा । क्योंकि अभिधा एवम् लक्षणा वृत्तियों में अभिधा से प्राप्त अर्थ {श्रौतार्थ} अधिक श्रेष्ठ माना गया है । अतः उद्भिदा, बलभिदा आदि यौगिक पद याग कर्म के नामधेय ही है यह स्पष्ट हो जाता है ।

।- "द्रव्यवचनत्वे मत्वर्षलक्षणा सामानाधिकरण्यं स्यात् । श्रुति लक्षणाविधौ च श्रुतिर्जायसी । तस्मात् कर्मनामधेयम् ।" {शा०भा०पृ०-४७}

वासुदेव दोक्षि ने भी कहा है कि "सोमेन यजेत" आदि वाक्यों में सोमादि रूढ़ शब्दों की यागकर्म के नाम के रूप में प्रसिद्धि न होने से वहाँ भी ही लक्षणा के द्वारा विशिष्टविधि मान लें । किन्तु उद्भिद् आदि पदों की अवयव द्वारा कर्म में प्रसिद्धि होने से इन्हें याग की संज्ञा मानना ही उचित है ।<sup>1</sup> क्योंकि "उद्भिद्यते प्रकाशयते पशुम्लमेन" इस व्युत्पत्ति से इसकी नामधेयता ही सिद्ध होती है ।

### 3- नामधेयभाग पर अक्रियार्थता का आरोप सिद्ध नहीं होता-

वादी का यह कथन भी युक्त नहीं है कि नामधेय किसी विशेष प्रवृत्ति को न उत्पन्न करने के कारण निरर्थक है । इसका खण्डन करते हुए वार्तिककार ने कहा है कि याग विशेष का सम्पादन नामधेय की सहायता से ही सम्भव है । इसलिये नामधेय पदों पर अक्रियार्थता का आरोप ठीक नहीं है । क्योंकि लोक एवम् वेद सभी स्थलों पर नामधेय से ही व्यवहार देला जाता है । यागनामधेय स्त विशेष के बिना यागविधि का अनुष्ठान दोषपूर्ण है । अतः नामधेयपदों की आवश्यकता एवम् धर्म में उनका प्रामाण्य स्वयंसिद्ध है । यद्यपि "उद्भिद्वा यजेत" आदि स्थलों पर गुण एवम् फल का याग के साथ सम्बन्ध नहीं कहा गया है तथापि ज्योतिष्टोमादि आदि अन्य यागविधिस्थलों में "समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत " आदि वाक्यों द्वारा गुणविधान एवम् "दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत " आदि वाक्य फल का याग के साथ सम्बन्ध ही कहते हैं । इसी प्रकार "दर्शपूर्णमासा-वाख्यमानो अन्वारम्भणीयामिष्टं निर्वपेत्" आदि वाक्य गुण एवम् फल दोनों का ही विधान करते हुए अपने प्रवृत्ति रूप प्रयोजन को ही

सिद्ध करते हैं । यह व्यवहार नामधेयपदों की सहायता से ही होता है । अतः नामधेयपदों पर अक्रियार्थता नहीं सिद्ध होती ।

4-यागनामधेय श्रुतिव्यकरण एवम् संकल्प्यादि में भी सहायक है -

नामधेयपद विधि के विशेषार्थ का ही निरूपण नहीं करते , प्रत्युत यजमान के द्वारा यागक्रिया के सम्पादन हेतु श्रुतिव्यकरण अर्थात् " मैं अमुक याग के लिये आपका वरण करता हूँ " में सहायक है । एवम् याग के संकल्प अर्थात् - " मैं अमुक याग को करूँगा " इस कार्य में भी सहायक है । इस प्रकार नामधेय याग क्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवहार का अङ्ग होने के कारण प्रवृत्ति विशेष के उत्पादक ही है । अतः उन्हें गुण-विधियों के अन्तर्गत समाहित करना उचित नहीं है ।<sup>2</sup>

उद्भिद्, बलभिद् आदि यौगिक शब्दों को यागनामधेय मानने पर भी ये निरर्थक नहीं हैं -

इन उद्भिदादि यौगिक पदों को याग की संज्ञा मानने पर भी इनका अर्थ सङ्गत होता है । ताण्ड्य ब्राह्मण, तलवकार ब्राह्मण एवम् वाजसनेयकादि ब्राह्मणों में इस प्रकार के यौगिक नामधेयपदों का निर्वचन भी प्राप्त होता है। जैसे "उद्भिद्यते प्रकाश्यते पशुप्लमनेनेति उद्भित्त्वम्" अर्थात् पशुरूप प्ल का प्रकाशक होने से इसे उद्भिदयाग कहा जाता है । अतः

1-**[क]** जैसा कि भाष्यकार ने भी कहा है - "यत्त्वप्रवृत्तिविशेषकरोऽनर्थक इति यागनामधेयमपि गुणफलोपबन्धेनार्थवत् ।" **[शा०भा०पृ०-87]** ।

**[ख]** "पच्चेष्टौ यागषट्कस्य - - - - - मीमांसाविधिवाक्यार्थ

ज्ञानानुष्ठानलक्षणो त्रिविधो व्यवहारेऽस्मिन् सर्वस्मिन्नाम्कारणम् ।"

**[न्यायकुशाःपृ०410]**

2-"एवं च सति न नामत्वं विधित्वमात्रप्रयोगीति, ये पूर्वपक्षे विध्यन्तर्भावितं, --

- - - - - नाप्रवृत्तिविशेषकरता ।"

**[त०वा०पृ० 287]**

एवं शास्त्रटीपिका प०२४

यदि याग से पशुरूप फल भावित करना हो तो उद्भिद् संज्ञक याग करना चाहिये । इस प्रकार से पशुफल प्रकाशन रूप मुख्यार्थ को छोड़कर उद्भिद् पद का लनित्रादि रूप साक्षणिक अर्थ मानना ठीक नहीं है ।

इसी प्रकार "बलभिदैव बलमभिदन्" अर्थात् शक्ति की इच्छा करने वाला बलभिद् याग करे । "थिद्विश्वमभिजपत् तस्मान् विश्वजित्, स एतमभिजितमपश्यत् तेनाभिजितम् अभ्यजपत्" आदि निर्वचनों से भी यौगिक नामधेयों की मुख्यार्थरकता ही सिद्ध होती है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के यौगिक पद यागकर्म की संज्ञा ही है गुणाविधि नहीं है । इन नामधेयपदों को गुणाविधायक मानकर प्रधानविधि के साथ इनका विनियोग करने के लिये इनमें मत्वर्थलक्षणा कल्पित करना अनिवार्य होगा । जिससे कल्पनागौरव प्राप्त होगा, जोकि शब्दार्थ का एक महान् दोष है । अतः मत्वर्थलक्षणा का आश्रय न लेकर इन पदों को यागनामधेय मानना ही युक्त है ; क्योंकि सम्पूर्ण वेदभाग में उद्भिदादि यौगिक पदों की यागनामधेयता ही प्रसिद्ध है गुणाविधि रूप साधनता नहीं ।

मीमांसक मत में चित्रा आदि रूढ़ शब्दों का वेद में नामधेयत्व

मीमांसा दर्शन में "चित्रया यजेत"<sup>2</sup>, "पञ्चदशानि आज्यानि" , "सप्तदशानि पृष्ठानि"<sup>3</sup>, "त्रिवृत्वहृष्यवमानम्"<sup>4</sup> आदि वाक्यों में प्रयुक्त चित्रा, आज्य, पृष्ठ तथा बहृष्यवमान आदि पदों को भी याग की

1- यह सोमयाग ताण्ड्यमहान्नाहमण के उन्नीसवें अध्याय में वर्णित है ।

2- तै0स0 2/4/6/1 .

3- ता0ब्रा0 7/2/1, 1

4- ता0ब्रा0 20/1/1

संज्ञा कहा गया है । जबकि पूर्व पक्षी का कहना है कि उद्भिदादि यौगिक पदों को कथञ्चित् याग की संज्ञा मान भी लेते हैं तो चित्रा पद के द्वारा विचित्रद्रव्य गुण का "पञ्चदशानि०" से संख्याविशिष्ट आज्य द्रव्य का, "सप्तदशानि०" से पृष्ठ रूप शरीर के अणुव का तथा "त्रिदृत०" से त्रिगुणवायुयुक्त व्यजन का विधान प्राप्त होने से इन पदों को यागनामधेय नहीं कहा जा सकता । अतः ये वाक्य नामधेय न होकर गुणाविधियाँ हैं । यदि इन्हें याग की संज्ञा मानते हैं तो धातु परार्थ्यादि दोष प्राप्त होंगे । क्योंकि इन शब्दों की "प्रसिद्धि" गुण एवं जाति के रूप में ही है, कर्म की संज्ञा के रूप में नहीं है ।।

वादी के इस मत का खण्डन करते हुए आचार्य जैमिनि, शबरस्वामी, कुमारिल भट्ट तथा खड्गदेव आदि नव्य मीमांसकों ने इन वाक्यों को नामधेयवाक्य मानने के सम्बन्ध में जो प्रबल तर्क प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रकार हैं—

1-"चित्रया यजेत" वाक्य में गुणाविधि मानने पर वाक्य भेद दोष उपस्थित होगा -

"चित्रा" पद चित्रत्व एवं स्त्रीत्व गुण विशिष्ट विधि का वाचक न होकर याग की संज्ञा है । क्योंकि यदि इस वाक्य को गुणाविधि मानकर "चित्रा" का करण रूप से याग के साथ अन्वय करते हैं तो "अग्नीषोमीय-पशुमालभेत्" वाक्य से प्राप्त प्रकृत याग अग्नीषोमीय से याग का अनुवाद करना होगा । साथ ही "चित्रया" पद से स्त्रीत्व एवम् चित्रत्व दो गुण करण के रूप में उपस्थित होंगे । क्योंकि "चित्रया" पद में प्रातिपादिक "चित्रा" से चित्रत्व वर्ण का बोध होता है, एवम् प्रत्ययाशि"टा" से

1-"उत्पत्तौ नामधेयं वा गुणो वाप्यधारितः ,

व्यवहाराद्गुणतां याति सेवोदाहरणक्षमा ।"

स्त्रीत्व जाति का बोध होता है। इस प्रकार चित्रत्व एवम् स्त्रीत्व गुण विशिष्ट वाक्य का याग के साथ अन्वय प्राप्त होता है, और इन दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद प्राप्त होगा, जो कि एक महान दोष है।

"चित्रया यजेतपशुकामः" इस वाक्य में विधानक प्रत्यय सिर्फ एक है। और चित्रत्व गुण एवम् स्त्रीत्व जाति रूप दो विधेय पदार्थ हैं। एक विधि से एक बार में केवल एक गुण का ही विधान सम्भव है। अतः "नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः" इस न्याय से दोनों के विधान के लिये प्रातिपादिक की दो बार आवृत्ति माननी होगी, एवम् प्रत्यय की भी दो बार आवृत्ति करनी होगी। और इस प्रकार चित्रया का दो बार प्रयोग होने से "यजेत" का भी दो बार आवर्तन मानना होगा। जिसे विध्यावृत्ति रूप वाक्यभेद होगा। अतः इस वाक्यभेद दोष से बचने के लिये चित्रा पद को याग की संज्ञा मानना ही अधिक उचित है। यहाँ पर याग की प्राप्ति उत्पत्ति वाक्य से पहले ही हो चुकी है, इसलिये दो गुणों का एक साथ विधान नहीं हो सकता। इस प्रकार चित्रा पद का यागविधि के साथ नामधेय के रूप में ही अन्वय सिद्ध होता है।

2-"चित्रया" वाक्य में पशुभाग का अनुवाद करके उभयविशिष्ट गुण का विधान मानने पर कल्पनागौरव रूप दोष की प्राप्ति होगी -

यहाँ पर वादी का यह कहना ठीक नहीं है कि चित्रत्व एवं स्त्रीत्व गुण विशिष्ट पशुद्रव्य का विधान मानने पर वाक्यभेद दोष नहीं उपस्थित होगा। क्योंकि अनेक गुण विशिष्ट द्रव्य का विधान तो तभी सम्भव है जबकि याग कर्म उत्पत्ति वाक्य से पूर्व प्राप्त हो। कर्म के अप्राप्त

1- "प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः  
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येक्यत्नतः।"

होने पर भला किसे उद्देश्य करके गुण का विधान करेंगे । इसलिये यदि "चित्रया०" वाक्य को गुण-विधि मान भी लें तो कर्म के अप्राप्त होने से गुणाद्रव्य का विधान ही व्यर्थ हो जायेगा । यहाँ पर अग्नीषोमीय याग का अनुवाद मानने पर कल्पना गौरव होगा ।

कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रा इष्टि अग्नीषोमीय पशुयाग की विकृति है । प्रकृत याग में विहित पदार्थ विकृतियाग में भी अतिदेश से प्राप्त होते हैं । इसलिये "अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" इस वाक्य से प्राप्त अग्नीषोमीय पशुयाग का अनुवाद करने पर "अजोऽग्नीषोमीयः" इस वाक्य से पशु का पुंस्त्वरूप लिङ्ग प्राप्त होगा । तथा "कृष्णसारङ्गोऽग्नीषोमीयः" वाक्य से कृष्णसारङ्ग रूप वर्ण विहित होने से इनकी भी ~~भी~~ अतिदेश से प्राप्ति होगी । अतः पूर्व प्राप्त कृष्णसारङ्ग + वर्ण से प्रकरण प्राप्त चित्रवर्ण का, एवं पुंस्त्व लिङ्ग से प्रकरण प्राप्त स्त्रीत्व का विरोध भी प्राप्त होगा । और इस प्रकार अनारभ्याधीत रूप सामान्य का आरभ्याधीत रूप "विशेष" से बाध होने लगेगा ।<sup>1</sup> प्रकृतिप्राप्त गुण एवं विकृति प्राप्त गुण दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद दोष ज्यों का त्यों ही रहेगा ।<sup>2</sup> क्योंकि चित्रा इष्टि के प्रकरण में ही "चित्रया यजेत पशुकामः" का म्येष्टि प्रकरण में पढ़े गये <sup>इस</sup> वाक्य के समीप ही "दक्षिणधुवृतमानाधाना-तत्संसृष्टं प्राजापत्यम्"<sup>3</sup> यह वाक्य प्राप्त होता है, जोकि इन द्रव्यों

1- "अनारभ्याधीत द्रव्य प्रकृतौ वा द्विरुक्तत्वात्"।

॥ ५० पूर्वमीमांसा ॥

2- "विशिष्टकारकविधानेऽपि गौरवलक्षणो वाक्यभेदे एवं कारकस्यापि प्राप्तत्वेन विशिष्टविधानानुपपत्तिश्च ।"

॥ ३/६/१ का ॥

अनारभ्यन्याय ॥

॥ मी० न्याय० पृ० १२८ श्ल० वि० स० ॥

3- तै० सं० २/२/३/४



से युक्त प्राजापत्य याग का विधान करता है । अतः श्रुति के द्वारा समीपनिर्दिष्ट प्राजापत्य याग की उमेक्षाकरके अतिदेशप्राप्त दूरस्थ अग्नीषोमीय पशुयाग का यहाँ अनुवाद उचित नहीं है ३ क्योंकि अनुवाद करने पर आरभ्याधीत प्रकरण की उमेक्षा होगी तथा अनारभ्याधीत का प्रसङ्ग होगा । ऐसी दशा में दध्यादिविचित्र द्रव्य-युक्त चित्रायाग की उमेक्षा होगी । इसलिये यहाँ पर प्रकृत पशुयाग का अनुवाद न मानकर "दधिमधु" आदि वाक्य से विहित प्राजापत्य याग को उद्देश्य करके चित्रायाग का विधान मानने पर कल्पना की बोद्धिता कम होगी । इस प्रकार प्राजापत्य याग कर्म के "दधिमधु" आदि वाक्यान्तर से प्राप्त होने के कारण चित्रत्यादि अनेक गुणों का विधान सङ्गत नहीं है ।<sup>1</sup> इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृत वाक्य में गुणविधि न मानकर यागकर्म का नामधेय मानना ही उचित है ।  
वृहतीकार का भी यही मत है ।<sup>2</sup>

वादी का यह तर्क भी उचित नहीं है कि प्रकृतियाग<sup>से</sup> अग्नीषोमीय पशु का अनुवाद न करके विकृति मेषीयाग से प्राप्त मेषी द्रव्य का "चित्रया" के स्त्रीप्रत्यय से अनुवाद करके चित्रत्व का विधान करने पर वाक्योक्त नहीं होता । इसका खण्डन करने हुए सिद्धान्ती का कहना है कि चित्रया इस एक पद के प्रत्ययान्त इया को उद्देश्य करके प्रकृत्यात्परा

---

1- "विकल्पस्य चाष्टदोषुष्टत्वात् अग्नीषोमीययागस्य तुत्पत्तिशिष्ट  
 पुंस्त्वयिशिष्ट-पशुलक्षणाकारकावच्छेदेन तत्र स्त्रीत्वादिविधाना-  
 नुपपत्तेश्च ।"  
 [ह्र०वृ०पृ०-१० ]

2- ६०- वृहती ऋग्विमलापञ्चिका सहित - भाग II

चित्रत्व को विधेय मानने पर एक प्रसरताभङ्गरूप दोष प्राप्त होगा ।<sup>1</sup> क्योंकि ये दोनों अर्थ मिलकर ही एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं । अतः चित्रया इस एक ही पद में 'उद्देश्यत्व' एवं 'विधेयत्व' रूप दो विरोधी धर्मों का समावेश असंगत है । क्योंकि उद्देश्य एवं विधेय रूप अर्थ अनेकपदसाध्य होता है एक पदसाध्य नहीं ।<sup>2</sup> अतः चित्रा पद गुण का वाचक न होकर याग का वाचक है ।

चित्रापद में गुणाविधि मानने पर फलवाचक 'पशुकाम' पद व्यर्थ हो जायेगा -

"चित्रया यजेत पशुकामः" वाक्य को गुणाविधि मानने में एक दोष यह भी है कि यदि किसी प्रकार से मेधीयाग का अनुवाद करके चित्रा पद को गुणाविधायक मान भी लेते हैं तो वाक्य में पठित पशुकाम पद व्यर्थ हो जायेगा, और यदि चित्रा गुण एवं पशुरूप फल दोनों का विधान मानते हैं तो पुनः वाक्यभेद दोष आ जायेगा । साथ ही "दधिमधु" वाक्य से विहित प्राजापत्य याग की फलाकांक्षा भी शान्त नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक कर्म किसी फल को उद्देश्य करके ही किया जाता है ।

यहाँ पर वादी का यह कथन ठीक नहीं है कि विश्वजिन्याय से स्वर्गरूप फल कल्पित करने पर फल की भी प्राप्ति हो जायेगी । फल की कल्पना तो वहाँ की जाती है जहाँ प्रत्यक्षश्रुति द्वारा कोई अन्य

1- द्रु-मी०कौ पृ०-183 ।

2- "न हि चित्रया इत्येकेन पदेन - - - - - उद्देश्य - - -  
विधेयभावन्यानेकपदसाध्यत्वात् ।"

फल विहित न हो । जबकि यहाँ पर "चित्रया यजेत पशुकामः" इस श्रुति वचन से प्राजापत्य याग का पशुरूप फल विहित है । जैसा कि वार्तिककार ने भी कहा है<sup>1</sup> कि क्रिया पहले श्रुतिवाक्य द्वारा विहित गुणों से ही सम्बन्ध प्राप्त करती है । जब प्रत्यक्ष श्रुति अथवा अभिधावृत्ति से वह विधान नहीं प्राप्त होता तो लक्षणा से उसकी कल्पना अथवा अन्य स्थल पर प्राप्त वाक्य से फलादि का अनुवाद किया जाता है । जबकि यहाँ फल का विधायक वाक्य वर्तमान है, तो अनुवाद अथवा कल्पना करने का अवकाश ही नहीं है ।

चित्रा को याग की संज्ञा न मानने पर श्रुतबाध एवम् अश्रुतकल्पनारूप दोष भी प्राप्त होगा -

यदि चित्रा पद को याग की संज्ञा न मानकर उसे गुण का कथन करने वाला मानेंगे तो प्रकरण से प्राप्त प्राजापत्य याग का बाध होगा, और अप्राप्त अग्नीषोमीय पशुयाग की कल्पना करनी पड़ेगी।<sup>2</sup> जबकि यागनामधेय मानने पर यह दोनों दोष नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि "दधिध्रु०" आदि सात विचित्र द्रव्य<sup>द्वारा</sup> प्राजापत्य याग भी सिद्ध होगा, और पशुरूप फल मानने से याग की फलाकांक्षा का भी शमन होगा । साइं ही "दधिध्रु०" आदि वाक्य भी व्यर्थ नहीं होंगे । अतः चित्रापद यागकर्म की संज्ञा ही है ।

1- "फलं चाग्नीषोमीयस्य - - - - - प्रकरणं च बाध्येत प्राजापत्य-यागस्य । नामधेयत्वे तु कर्मफलसंबन्धमात्रकरणात् न कश्चिद्दोषः ।"

इतन्त्र० पृ०-292 ।

2- तथा सति प्रकृतस्य प्राजापत्यस्य यागस्य फलाकांक्षाहानम्, अप्रकृतस्य अग्नीषोमीययागस्य कल्पना च स्यात् । तद्वयम्युक्तम् । तस्मात्० - - - - - ।" इमी०परि०पृ०38 ।

"चित्रया" पद का याग के साथ सामानाधिकरण्य होने से चित्रा याग का नामधेय ही सिद्ध होता है -

चित्रा एवं याग की एकार्थवाचिता के कारण भी चित्रा शब्द यागकर्म की संज्ञा ही है । विलक्षण द्रव्यों द्वारा सिद्ध होने के कारण ही इसे चित्रा कहा जाता है । "दधिप्रपुष्टमापोधाना०" वाक्य में दधि, नधु, पुष्ट, जल, धाना और चाबल यह छह द्रव्य प्रजापत्य याग के हविष्य कहे गये हैं । उन्हीं के समीप "चित्रया०" यह उत्पत्तिवाक्य भी पवित्र है इन दोनों वाक्यों की एकवाक्यता है, क्योंकि दध्यादि द्रव्ययुक्त होने से प्रजापत्य याग की चित्रा संज्ञा सिद्ध होती है । यह एकार्थवाचकता अभिधा वृत्ति अर्थात् मुख्यार्थ से ही है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्रा को याग की संज्ञा मानने पर वाक्यभेद दोष से निवृत्ति भी होगी, और पशु यागकर्मी की व्यवस्था भी । "चित्रायाग से पशुरूप फल भावित किया जाना चाहिए" यह वाक्यार्थ-बोध भी चित्रा को याग की संज्ञा मानने पर ही प्राप्त होगा । जैसा कि शास्त्रदीपिकाकार ने भी कहा है -

"वाक्यभेदप्रसङ्गेन सामानाधिकरण्यतः,

अन्वाख्यानार्थादाच्च नामधेयोपपत्ते ।<sup>2</sup>

1-तै०उ० 2/2/3/8, तै०उ०2/4/6/1

विशेष- भूने ह्ये यव अश्वा वाक्ल को "धाना" कहते हैं। दधि आदि सात हविष्य द्रव्यों से प्रजापत्य याग किया जाता है । यद्यपि "दधि०" इस वाक्य में "पुष्ट" पद का श्रुति से विधान नहीं किया गया है, तथापि "प्रजापत्य" के देवतातद्वितान्त होने से इन द्रव्यों का देवता से सम्बन्ध प्रतीत होता है, और द्रव्य-देवता का सम्बन्ध याग का स्वरूप होने के कारण सप्तद्रव्यविशिष्ट याग का बोध हो जाता है । "दधि०" इन वाक्य से द्रव्य एवं प्रजापति देवता दोनों का विधान प्राप्त होने से यहाँ गुण विशिष्ट विधि नहीं हो सकती ।

2- शा०दी०प०-88 ।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के गुणविधि रूप से प्रतीत होने वाले वाक्य गुण नहीं है बल्कि याग की संज्ञा है । इन्हें याग कर्म की संज्ञा मानने पर इनमें धातुपारार्थ्य रूप दोष भी नहीं प्राप्त होता । क्योंकि जिस अर्थ को "यज" धातु कहती है, उसी अर्थ को चित्रा पद भी कहता है । कहने का तात्पर्य यह है कि धात्वर्थ याग और याग की संज्ञा "चित्रा" पद दोनों की प्रवृत्ति एक ही पशुरूप फल के लिये ही है । अतः चित्रा को याग की संज्ञा मानना सर्वथा उचित है । आचार्य जैमिनि ने भी कहा है कि ऐसे स्थलों पर-जहाँ अनेक गुण द्रव्यों का विधान प्राप्त हो, वहाँ उनका धात्वर्थ याग से सम्बन्ध मुख्य रूप से नामधेय के रूप में ही है । अतः ऐसे स्थलों पर गुणविधि की शङ्का नहीं करनी चाहिए ।<sup>1</sup>

चित्रा की भाँति ही आज्यादि जातिवाचक पद भी याग की संज्ञा ही हैं -

चित्रादि वाक्यों की भाँति ही "पञ्चदशानि आज्यानि" आदि वाक्यों में प्रयुक्त आज्यादि पदों से याग की संज्ञा का ही बोध होता है, न कि पञ्चदशसंख्या-विशिष्ट आज्य के विधान द्वारा गुणविधि का । क्योंकि यदि आज्यादि पदों को गुणबोधक मानेंगे तो कर्म की प्राप्ति अन्य वाक्य से होने के कारण यहाँ भी वाक्यभेद दोष प्राप्त होगा । यहाँ पर "आज्यैःस्तुवते" इस कर्मोत्पत्ति वाक्य से आज्य का अनुवाद किया गया है । "पञ्चदशानि०" वाक्य तो केवल आज्यगत पञ्चदश संख्या का ही विधायक है । वस्तुतः पञ्चदशानि पद स्तुति करने वाली ऋचाओं की संख्या का ही विधान करता है, संख्याविशिष्ट आज्य द्रव्य का नहीं । क्योंकि आज्यस्रोत में घृत की साधनता सम्भव नहीं है अर्थात् घृत रूप साधन से स्तोत्र नहीं सिद्ध किया जा सकता ।<sup>2</sup>

1- वै०सु० 1/4/3 ।

2- द्रु०-शा०दी०पृ०-88 ।

यदि यहाँ पर "आज्य" को नामधेय न मानकर गुणाविधि मानेंगे तो विधि की दो बार आवृत्ति करनी होगी और वाक्यभेद होगा, क्योंकि प्राप्त कर्म में विधि एकबार में केवल एक गुण का ही विधान करती है, और यदि याग कर्म के उत्पत्तिवाक्य से अनुवाद न मानकर केवल गुणाविधान करेंगे, तो किसे उद्देश्य करके आज्य का विधान करेंगे । अतः आज्य पद स्तोत्रकर्म की संज्ञा ही है ।

उत्पत्तिवाक्य में आज्य एवम् स्तुति का सामाधिकरण्य होने से भी आज्यादि पदों का नामधेयत्व सिद्ध होता है । "पदाजिमीयुः तदाज्यानामाज्यत्वम्" इस अर्थवादवाक्य से भी "आज्य" याग की संज्ञा ही सिद्ध होता है । यह अर्थवाद वाक्य "आज्यानि भवन्ति" विधि का वाक्य शेष है । कुतूहलवृत्तिकार <sup>1</sup> ने "आज्य" शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिनके द्वारा देवों ने लोकों पर विजय प्राप्त की वे स्तोत्र "आज्यस्तोत्र" कहे जाते हैं । अर्थात् गमन की सीमा आज्य है । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजापति द्वारा उपदिष्ट मर्यादा का देवों ने पालन किया उस मर्यादापालन के समय ही सम्भवतः इन आज्यस्तोत्रों की रचना हुई होगी ।<sup>2</sup> तलवकार ब्राह्मण में भी कहा गया है - "शतानि आज्यानि स्तोत्रण्यपश्यन्०—  
यदिमान् लोकानजपन् तदाज्यानामाज्यत्वम्" इन निर्वचनों से भी यही स्पष्ट होता है कि आज्य पद स्तोत्रकर्म के नामधेय ही है ।

1-कु०वृ०पृ०१ । ।

नोट- आज्यस्तोत्र चार प्रकार के हैं- पञ्चदशहोतुराज्यं सप्तदशी-

मैत्रावृणास्य, एकविंश ब्राह्मणाच्छंसिनः पञ्चदशमच्छावाक्यम् \*

इस वाक्य के अनुसार प्रकृति एवं विकृति उभय प्रकार के यागों में इनका प्रयोग होता है ।

2- "आजिमर्हन्तीतित्पर्ये छान्दसो यः ।" । कु०वृ०पृ०-१ । ।

वार्तिककार के मतानुसार उत्पत्तिवाक्य के समीप पठित पञ्चदशगुण एवं अर्थाद इय स्तुति आज्य को स्तोत्रकर्म की संज्ञा माने बिना सम्भव नहीं है ।<sup>1</sup> यही मत बृहतीकार का भी है ।<sup>2</sup> इस प्रकार वादी के इस मत का निरास हो जाता है कि "पञ्चदशानि०" वाक्य में गुणाविशिष्ट विधि है । क्योंकि कार्य में कारण अनुस्यूत होता है, इसलिये यहाँ पर "आज्यैः स्तुवते" आदि उत्पत्ति वाक्यों का उदाहरण न देकर अङ्गभूत पञ्चदशानि आदि वाक्यों को उद्धृत किया गया है ।

पृष्ठानिदि एद भी अवयववाची न होकर स्तोत्रकर्म की संज्ञा है -

इसी प्रकार "सप्तदशानि पृष्ठानि" वाक्य स्तोत्रकर्म की संख्या का विधान करते हैं, सप्तदशसंख्या विशिष्ट पृष्ठ अवयव का नहीं, क्योंकि कर्मोत्पत्ति वाक्य "पृष्ठैः स्तुवते" से कर्म का विधान प्राप्त है। अतः संख्या और पृष्ठ अवयव दोनों का विधान मानने पर यहाँ पर भी वाक्य भेद प्राप्त होगा । "पृष्ठानि भवन्ति" विधि के स्तावक "तासां वायुः पृष्ठे व्यवर्तत" आदि वाक्य भी पृष्ठ को स्तोत्र की संज्ञा मानने पर ही उपपन्न होंगे । ताण्ड्यमहाब्राह्मण<sup>3</sup> में "आपो वा ऋत्वयमार्चन् तासां वायुः पृष्ठे व्यवर्तत" इस वाक्य द्वारा

1- "गुणावाक्योपपत्त्यर्थं समभिष्याहृत्तेन च,

अन्वाख्यानां वादाच्च नामधेयत्वमाश्रितम्।" [त0पृ0294]

2- "यत्तु अप्रतिदं नामधेयत्वमुक्तम् ततः कर्मणो लक्षणत्वात् सिद्धम् इति ।

पृवृत्तिनिमित्तस्य च सर्वत्रविद्यमानत्वात् ।"

‡ बृहती भाष्य एवं पञ्चिका :

II पृ0-208 ‡

3- ता0ब्रा0 7/3/1 ।

शब्द युक्त जलों द्वारा वायु का स्पर्श होने से वामदेव्य साम की उत्पत्ति कही गई है, और उस साम से रथन्तर पृष्ठ<sup>1</sup> आदि स्तोत्रों की उत्पत्ति कही गयी है । यह कथन "पृष्ठ" को अवयववाचक मानने पर संगत नहीं होगा । अतः पृष्ठ शब्द स्तोत्रकर्म की संज्ञा ही है, यह सिद्ध होता है ।

"बहिष्पवमान" पद भी स्तोत्र कर्म की संज्ञा ही है -

वादी का यह कथन तर्क सम्मत नहीं है - "त्रिवृत् बहिष्पवमानम्" वाक्य त्रिगुण युक्त वायु के व्यजन का विधान करता है, क्योंकि यदि इस एक वाक्य से संख्या एवं पवमान का विधान मानेंगे तो यह गुणविधान भला किस कर्म को उद्देश्य करके किया जायेगा, और यदि याग का अनुवाद अथवा कल्पना करके गुणविशिष्ट विधि यहाँ मानते हैं तो वाक्यभेद- दोष प्राप्त होगा, साथ ही प्रकृतहस्तादि दोष भी प्राप्त होंगे ; क्योंकि प्रकरण में इसके कर्म का विधान करने वाला "बहिष्पवमानेन स्तुवते" यह वाक्य प्राप्त है । अतः यागादि की कल्पना करने की अपेक्षा उत्पत्तिवाक्य से बहिष्पवमान का अनुवाद करके "त्रिवृत्बहिष्पवमानम्" वाक्य से पवमानस्तोत्रगत संख्या का विधान करने में ही लाघव है ।<sup>2</sup>

1- "ततश्च स्पर्शाज्जन्यते इति पृष्ठम् व्युत्पाद्यं ।

"तिष्पृष्ठ" इत्यादिना औषादिकस्थप्रत्ययः सकारलोपश्च ।"

‡ कु० वृ० पृ०-११४

2- ३०- तन्त्रवार्तिक, पृ०-२९४ ।



"उमास्मै गायता नरः"¹, "द्विष्टुतत्या स्वा"², "पवमानस्य ते कवेः" इन तीनों सूक्तों के गान से युक्त <sup>स्तोत्र</sup> बहिष्पवमान कहा जाता है। ज्योतिष्टोम के प्रातः सवन कर्म के समय इन तीन सूक्तों द्वारा गायत्र साम गाया जाता है, क्योंकि ये ऋचाएँ पवमान प्रयोजन वाली हैं, और सदोमण्ड्य के बाहर कुशा बिछाने के समय प्रयुक्त होती हैं। इसीलिये इनकी बहिष्पवमान संज्ञा है। इसका विधायक वाक्य है—  
 "तिसृभ्यो हिकरोति स प्रथम्या, तिसृभ्यो हिकरोति स मध्यम्या,  
 तिसृभ्यो हिकरोति स उत्तम्या, उषती त्रिवृती विष्टुतिः ॥"³

1- SATOJ030 = 1/1/1 ।

2- 1/1/2, 1/1/4 ।

नोट- उत्पत्तिवाक्य में पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र छह प्रकार के कहे गये हैं।

किन्तु नियत रूप से चार पृष्ठस्तोत्रों का ही प्रयोग होता है, क्योंकि "बृहद्बारपन्तरं वा पृष्ठं भवति" इस वचन से विकल्प का विधान हो जाता है।

3- ज्योतिष्टोम याग में बारह स्तोत्र हैं- एक बहिष्पवमान, चार आज्यस्तोत्र, चार पृष्ठस्तोत्र, एक माध्यन्दिन पवमान, एक आर्ष-पवमान एवं एक यज्ञायज्ञीय स्तोत्र।

इन स्तोत्रों के गान द्वारा यागकर्म से सम्बद्ध देवता को प्रसन्न किया जाता है। "बहिष्पवमान" नामक स्तोत्र सदोमण्ड्य में औदुम्बर यूप के समीप बैठे हुए उद्गाता, प्रस्तोता एवं प्रतिहर्ता इन तीन ऋत्विजों द्वारा पढ़ा जाता है। ये बहिष्पवमान त्रिवृत्, पञ्चदश सप्तदश, इक्कीस आदि नौ प्रकार के हैं। संख्या से युक्त होने के कारण इन्हें स्तोम भी कहा जाता है। इन स्तोत्रों का प्रयोग "बहिष्पवमानम् - सर्पन्तो" इस विधि से आरुन से उठकर द्वात्वालदेश के प्रर्पण के समय किया जाता है। इस स्तोत्र का सम्बन्ध बाहर से होने के कारण तथा पवमान क्रियाके प्रकाशक मन्त्र में घटित होने के कारण इनकी "बहिष्पवमा

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि "चित्रपा०" आदि वाक्यों को गुणाविधि मानने पर वाक्य-भेद दोष एवं कल्पना गौरव प्राप्त होता है । इसलिये चित्रा आज्य, पृष्ठ एवं बलिष्वमानादि गुणवाचक एवम् जातिवाचक पद उत्पत्तिवाक्य में उपदिष्ट याग के नामधेय हैं । इनमें गुणाविधान मानने पर गुण, फल तथा द्रव्य सभी का विधान एक साथ प्राप्त होता है । अतः इन रूढ़ एवम् जातिवाचक पदों को याग कर्म एवम् स्तोत्रकर्म की संज्ञा ही मानना अधिक उचित है ।

मीमांसिक मत में योगरूढ़ पदों का नामधेयत्व

उद्भिदादि यौगिक एवम् चित्रादि रूढ़ शब्दों की यागनाम-धेयता सिद्ध हो जाने के पश्चात् कतिपय ऐसे वाक्य वेद में प्राप्त होते हैं जिनमें प्रयुक्त पद याग अथवा विधि किसी भी स्थल पर यौगिक अर्थ नहीं देते । जैसे " आघारमाघारयति", "अग्निहोत्रं जुहोति", "समिधो यजति" आदि वाक्यगत आघार, अग्निहोत्र, समित् आदि पद । पूर्वोक्त दोनों प्रकार के नामधेय पदों में इनकी गणना न हो सकने के कारण यह सन्देह होता है कि ये यागकर्म की संज्ञा हैं या गुणाविधि । सिद्धान्ती ऐसे पदों को भी याग की संज्ञा ही मानते हैं । जबकि पूर्व-पक्षी के मतानुसार अग्निहोत्रादि पद गुणाभूत द्रव्य तथा देवता आदि का विधान करने के कारण गुणाविधि हैं । अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए वादी का कहना है कि "अग्निहोत्रं जुहोति" इस वाक्य से दर्वी होम के लिये अग्निदेवता रूप गुण का विधान किया गया है, क्योंकि दर्वी होम के लिये देवता का विधान किसी अन्य वाक्य द्वारा पहले से प्राप्त नहीं है । यदि इस वाक्य से गुण का विधान नहीं मानकर इसे कर्म की संज्ञा मानेंगे, तो इसके देवता की तथा <sup>विधेय</sup> द्रव्य की प्राप्ति न होने के कारण याग की सिद्धि ही नहीं हो सकेगी और कर्मविधान व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का प्रक्षेप करना ही याग का स्वरूप है । अतः यहाँ पर "अग्नये होत्रम्" इस विग्रह के अनुसार दर्वी होम के लिये अग्नि देवता का विधान ही किया गया है । यहाँ पर बहुव्रीहि के द्वारा ही मत्वर्थ की प्राप्ति हो जाने के कारण मत्वर्थक्षणा का भ्रम भी नहीं है, और यद्यपि "ययत्ता जुहोति", "दध्ना जुहोति" आदि वाक्यों से दर्वी होम के

लिये प्रथम अथवा दधि द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है तथापि बिना देवता की प्राप्ति हुए किसे उद्देश्य करके याग किया जायेगा ।

अग्निहोत्रादि पदों को गुणविधि मानना इसलिये भी युक्त है कि दधी होम में देवता को कहने वाला कोई अन्य शास्त्रवाक्य नहीं है । यहाँ पर सिद्धान्ती का यह कथन ठीक नहीं है कि "यदग्ने च प्रजापतये च प्रातः जुहोति यत्सुर्षाय च प्रजापतये च प्रातर्जुहोति" इस विधि वाक्य से देवता की प्राप्ति हो जायेगी । अतः अग्निहोत्र वाक्य देवताविधि न होकर यागनामधेय है, क्योंकि इस वाक्य से अग्नि एवम् प्रजापति दो देवताओं की प्राप्ति हो रही है । साथ ही अग्निहोत्र को कर्म की संज्ञा मानने पर किसी अन्य विधेय द्रव्य के न प्राप्त होने के कारण होम ही विधेय होगा ।

और यदि होम का अनुवाद करके अग्नि एवम् प्रजापति दोनों देवताओं का विधान मानते हैं, तो वाक्यभेद दोष प्राप्त होगा । अतः "यदग्ने०" वाक्य से देवता का विधान मानने की अपेक्षा अग्निहोत्र वाक्य के ही गुणविधि मानना उचित होगा ।

यदि कहो कि "अग्निःज्योतिः०" मन्त्रवाक्य से अग्नि का अनुवाद करके "यदग्ने०" से समुच्चयविशिष्ट प्रजापति का विधान हो जायेगा तो, जैसे संख्याविशिष्ट आज्य के विधान से वाक्यभेद प्राप्त होता है वैसे ही यहाँ भी उक्त दोष प्राप्त होगा । ब्राह्मण वाक्यगत चतुर्थी से मन्त्र के दुर्बल होने के कारण यहाँ पर मन्त्र से अग्नि का अनुवाद भी सम्भव नहीं है ।<sup>1</sup>

1- "तद्वितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते

देवतासंगतिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम् ।"

रेन्द्रीन्याय<sup>1</sup> से प्रजापति के सूचक " यदग्नेये० " वाक्य से भी देवता की प्राप्ति सम्भन्न नहीं है, जबकि "अग्निहोत्र" को गुणाविधि मानने पर मान्त्रवर्णिक देवता की प्राप्ति के पूर्व ही इस वाक्य से अग्नि की प्राप्ति हो जाने पर मन्त्रगत अन्य देवता के सूचक यह भी रेन्द्रीन्याय से अग्नि के सूचक हो जायेंगे ।

इसी प्रकार घृत द्रव्य का वाचक आधार पद भी "अर्क्षरि कारके च संज्ञायाम्" इस पाणिनि सूत्र से घञन्त होने के कारण संस्कार गुण के वाचक हैं और यह वाक्य उपांशुयाग की गुणाविधि है । अतः अरण क्रिया में समर्ष आज्यादि द्रव्य ही आधार पद से कहे गये हैं, क्योंकि ये शब्द गुणके रूप में ही लोक में प्रसिद्ध हैं, अतः इन्हें गुणाविधि मानने पर ये अनुष्ठाता पुरुष में प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे ।

इस वाक्य में इसलिये भी गुणाविधि ही मानना उचित है क्योंकि "आधारम्" पद द्वितीयान्त है और द्वितीया किञ्चित् सदैव संस्कार गुण की विधायिका होती है । अतः प्रसिद्धि के कारण भी यहाँ पर गुणाविधान मानना संगत है । आधार द्वारा संस्कृत घृत उपांशु-याग का द्रव्य होता है । "सर्वस्मै वा एतद्भक्षाय गृह्यते यद् ध्रुवायामाज्यम्

1.-"वचना न्व्या रेन्द्री स्यात्"

**विशेष-** अग्निहोत्र प्रकरण में अग्निहोत्र सम्बन्धी विविध वाक्य हैं —  
जैसे-1. यावज्जीवमाग्निहोत्रं जुहोति, 2. अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः,  
3. सायं जुहोति, 4. प्रातर्जुहोति, 5. यदग्नेये च प्रजापतये च प्रातर्जुहोति,  
6. अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, 7. सूर्यो ज्योतिः ज्योतिस्सूर्यो स्वाहेति प्रातर्जुहोति, 8. अग्निर्ज्योतिः ज्योतिस्सूर्यो स्वाहेति प्रातर्जुहोति, सूर्यो ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायम्जुहोति। इसमें पाँचवे-छठे वाक्य देवता विधायक, सातवे-आठवें शुद्ध मन्त्र और नवें-दशवें अग्निहोत्रमन्त्र हैं ।

आदि वाक्यों द्वारा भी आज्य की यज्ञ में उपयोगिता कही गयी है । अतः "क्षरणसंस्कृत आघारयुक्त उपांशुमाग सम्पादित करे" यह वाक्यार्थ मानने पर मत्वर्थक्षणा भी नहीं प्रसक्त होगी ।

संस्कारमात्र का श्रवण होने से भी इसे याग की संज्ञा नहीं कहा जा सकता , क्योंकि संस्कार कर्मों की संज्ञा कहीं भी नहीं प्राप्त होती । अतः द्वितीयाश्रुति द्वारा यहाँ संस्कार गुण ही कहा गया है । "चतुर्गृहीतं वा एतदभूत्स्याघार्यमाघार्य " आदि प्रयाज के अङ्गभूत वाक्य भी "चतुर्गृहीतविशिष्ट आज्य " के समर्पण का ही कथन करते हैं । यद्यपि यहाँ पर प्रकरण का प्रधान याग दर्शपूर्णमास है, किन्तु उसके अन्तर्गत आने वाले आग्नेयादि याग का द्रव्यविहित है । अतः केवल उपांशुमाग के ही साक्षात् होने से आघार गुण उसी में अन्वित होता है । सिद्धान्ती का यह कहना ठीक नहीं है कि "इत इन्द्र ०" आदि मन्त्रों से देवता के प्राप्त होने के कारण आघार कर्म की संज्ञा है, क्योंकि जिस प्रकार चावित्रमन्त्र केवल निर्वाप कर्म के लिये है वैसे ही यह मन्त्र भी क्षरणसंस्कार का अङ्गमात्र है ।

इसी प्रकार " य एव विद्वान् पौर्णमासीम् यजते० " आदि वाक्य पूर्णमासी एवम् अमावस्या रूप काल के विधायक हैं, एवम् "समिधो यजति" आदि वाक्य भी "विष्णुं यजति " आदि वाक्यों की भाँति देवतागुण के ही विधायक हैं । यहाँ पर भी मन्त्रवाक्य से देवता की कल्पना सम्भव नहीं है, क्योंकि मन्त्रवर्ण से देवता की प्राप्ति के पूर्व ही इन वाक्यों से गुणाविधान सिद्ध हो जाने से इस कल्पना के लिये अवसर ही नहीं रहता । अतः उक्त वाक्यों में गुण-निर्दिष्ट ही है ।

पूर्वपक्षी के उपर्युक्त कथन का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती का कहना है कि इन योगरूढ़ पदों का तत्प्रत्यय-न्याय से यागनामधेयत्व सिद्ध होता है । " तत्प्रत्यय " शब्द की व्युत्पत्ति तत्पूर्वक "प्र" उपसर्ग एवम् "ल्यप्" इस आकारान्त धातु से "अश्वोपसर्ग" इस सूत्र से प्राप्त "क" प्रत्यय के संयुक्त होने से हुई है । जिसका अर्थ है, "उन योगरूढ़ पदों को यागनामधेय मानने पर याग की सिद्धि के लिये अपेक्षित विधेय गुण को कहने वाला शास्त्र"। इन अग्निहोत्रादि को नामधेयपद मानने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं-

1-अग्निहोत्रकर्म के देवता के शास्त्रान्तर से प्राप्त होने के कारण यहाँ  
विधि विधि नहीं है -

"अग्निहात्रं जुहोति"<sup>1</sup> आदि गुणाविधि की सम्भावना वाले वाक्य विधि न होकर यागकर्म की संज्ञा ही है, क्योंकि जिस गुणाकी प्राप्ति अग्निहोत्र वाक्य से वादी ने कही है, वह अन्य वाक्य से प्राप्त है ।<sup>2</sup> अतः अग्निहोत्र पद को देवता का विधायक मानना उचित नहीं है । विधि तो सदैव अप्राप्त अर्थ का ही विधान करती है । यहाँ पर अग्नि देवता की प्राप्ति "अग्निज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहेति प्रार्थुहोतिः" इस मन्त्रवाक्य से ही हो जाती है ।

आचार्य कुमारिल भट्ट का भी कहना है कि विधि को अभीष्ट गुण की प्राप्ति कराने वाले शास्त्र के विद्यमान रहते उस गुण की किसी अन्य वाक्य से प्राप्ति कराना व्यर्थ है । अतः ऐसे अग्निहोत्रादि पदों का कर्मनामधेयत्व मानना ही उचित -

1- तै०ऋ० 1/5/9/1

2- वै०सू० 1/4/4 "तत्प्रत्ययं चान्यशास्त्रम्"

है ।<sup>1</sup> ऋग्वेद का भी यही मत है।<sup>2</sup> अग्निहोत्र कर्म के विधेय द्रव्य एवम् देवता को कहने वाला शास्त्रान्तर होने के कारण यहाँ पर गुण-विधि मानना अनुचित है । यहाँ पर गुण का विधान तो तब होता जब गुण का विधान करने वाला अन्य वाक्य न होता ; क्योंकि यहाँ पर श्रुति द्वारा ही गुणविधान हो रहा है इसलिये मन्त्रवाक्य से प्राप्त गुण के आधारभूत अग्निहोत्र को यागकर्म की संज्ञा ही मानना चाहिए। क्योंकि यागविधि के सम्भव रहते शौण विधान तर्कसम्मत नहीं है।<sup>3</sup> अर्थगृहकार एवम् आपदेव ने भी यही कहा है ।<sup>4</sup>

इस प्रकार "अप्राम्तेशास्त्रे"<sup>अर्थवत्</sup> इस न्याय से पूर्वपक्षी को अभिस्त देवता की प्राप्ति प्रमाणान्तर मन्त्रादि से ही हो जाने के कारण अग्निहोत्र पद से पुनः अग्नि देवता की प्राप्ति का विधान उचित नहीं है । इसलिये तत्प्रत्यन्याय से अग्निहोत्र पद यागकर्म की संज्ञा है ।

1- " विधित्सितगुणाप्राप्ति शास्त्रमन्यत् यतः तु इह

तस्मात्तत्प्रापणं व्यर्थमिति नामत्वमिष्यते । " [तन्त्र0पृ0296]

2- यत्र प्रमाणान्तरेण विधित्सितस्य प्राप्तिः सम्भाव्यते तत्र

तद्विधि वैष्यदिव नामधेत्वाध्यक्तानम् - - - - -

यत्र तु अनुपादेय रूप गुण योगः यथा मिने जुहोति इत्यादौ - - -

न देवताविधिः । " [मी0कौ0 पृ0-202-203 ]

3- इ0-शा0 दी0पृ0-91, एवम् कु0वृ0पृ0-95] मन्त्रवर्णकल्प्य विधिर्नैव

देवताप्राप्तिसंभवे अस्यपूर्व-प्रवृत्त्या विधिरुत्यकत्वे वैफल्यापत्तेः

अभ्युदयशिरस्कत्वात् च सम्भवति प्रथमविध्यापादक धात्वर्थविधौ

अन्यायत्वात् - - - - - [भा0दी0प्रभा0क्ली सहित पृ0-92]

4- "तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्यशास्त्रस्य विद्यमानत्वात् अग्निहोत्र

शब्दः कर्मनामधेममिति यावत् " [मी0न्याय0 पृ0-92]



जितके निमित्त अग्नि आदि देवता एवम् दध्यादि द्रव्य का विधान अन्य वाक्यों से प्राप्त है । अतः यहाँ शास्त्रप्राप्त की उपेक्षा करके इर्षी होम का अनुवाद करके अग्निहोत्र पद द्वारा गुण का विधान मानना ठीक नहीं है ।

यदि वादी यह कहे कि अग्निहोत्र पद " अग्नौहोत्रमस्मिन् " इस सप्तमी समास से होम का आधार सिद्ध होता है । अतः अग्नि उसका विधेय गुण है तो यह उचित नहीं है, क्योंकि "पदाहवनीये- जुहोति" इस वाक्य द्वारा ही अधिकरण रूप आहवनीय अग्नि की प्राप्ति हो जाती है तो पुनः अग्निहोत्र वाक्य द्वारा उसकी प्राप्ति कराना व्यर्थ है ।

वार्तिककार के अनुसार अग्निहोत्र पद में चतुर्थीसमास का लक्षणा प्राप्त न होने के कारण यहाँ पर "अग्नये होत्रमस्मिन्" इस चतुर्थी तत्पुरुष की सहायता लेना ठीक नहीं है, क्योंकि चतुर्थी किम्बिक्ति को देवतावाचक मानते हुए वादी का "अग्निहोत्र" पद को अग्नि देवता का विधायक मानना व्यर्थ है । अग्नि देवता तो शास्त्रान्तर से प्राप्त है । इसलिये अग्निहोत्र पद गुण का विधायक न होकर याग कर्म की संज्ञा सिद्ध होता है ।

यहाँ पर भाष्यकार, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र एवम् सोमेश्वर भट्ट आदि मीमांसिकों ने अग्निगुण की प्राप्ति "अग्निर्ज्योतिरिति" आदि मन्त्र से अनुवाद करके मानी है, जबकि शास्त्रदीपिकाकार, कण्ड्वेव, माधवाचार्य तथा प्रकरणग्रन्थकार-लौगाक्षिणास्कर आदि ने "पदग्नये च०" वाक्य से ही अग्नि देवता की प्राप्ति कही है ।

भाष्यकार प्रभृति मीमांसकों के अनुसार अग्निहोत्र पद में चतुर्थी तत्पुरुष नहीं प्रत्युत चतुर्थी- बहुव्रीहि समास है, जिससे ऋत्वर्य की प्रतीति हो जाती है । अतः अग्निहोत्र पदमें अग्नि गुणविशिष्ट कर्मविधि मानना भी सम्भव नहीं है। इसलिये अग्निहोत्रादि पद याग के नाम है ।

“पदग्नये०” आदि ब्राह्मणवाक्यों में चतुर्थी विभक्ति होने पर भी वाक्य-  
भेद दोष सम्भव नहीं है -

वादी का यह तर्क भी उचित नहीं है कि “पदग्नये०” इस विधिवाक्य में अग्नि एवम् प्रजापति दोनों के चतुर्थी विभक्ति युक्त होने से दो देवताओं की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार अनेक गुण पदार्थों के विधेय होने से वाक्यभेद प्राप्त होगा । अतः इस वाक्य से देवता गुण का विधान न मानकर अग्निहोत्र पद को ही गुणसमर्पक मानना चाहिए । क्योंकि वाक्यभेद तो तब प्राप्त होता जब दोनों विधेय पदार्थों में विशेषण-विशेष्य भाव न हो, प्रत्युत दोनों निरपेक्ष विधान करते हों अर्थात् जब अग्नि एवम् प्रजापति दोनों अलग-अलग उद्देश्य के विधेय हों, तभी विध्यावृत्ति रूप दोष प्रसक्त होगा, किन्तु यहाँ पर समुच्चयार्थक निपात [च] वाक्य में प्राप्त होता है जो अग्नि एवम् प्रजापति दोनों की सापेक्षा का सूचक है।<sup>1</sup> अतः अग्नि युक्त प्रजापति का अन्वय ऋत्वर्य याग में होने से वाक्यभेद दोष नहीं प्राप्त होता ।

1 [क] ङ०मी०न्याय० पृ०-132,

[ख] इह चाग्नीप्रजापती देवताश्चत्वेनोपात्तौ न देवतात्वेन। देवता च कर्मसम्बन्धिनी न देवताधिष्ठाने । तेन नास्ति वाक्यभेदः- - ।”

[बृहतीप०सहित II भाग पृ०-213]

जैसे- "गौरवाश्च वाश्चरश्च गर्दभाश्च अजाश्चावपश्च ब्रीह्यश्च  
पवाश्च तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादशहस्तं दक्षिणा<sup>1</sup>।" इस वाक्य में  
"अत्त्वग्भ्यो दक्षिणा ददाति" वाक्य द्वारा विहित दक्षिणा का अनुवाद  
करके परस्पर सापेक्ष गो आदि की दक्षिणा का विधान होने पर भी  
वाक्यभेद नहीं होता। वैसे ही यहाँ "यदग्ने०" वाक्य में "च" शब्द  
के समुच्चयार्थ होने के कारण वाक्यभेद नहीं है।<sup>2</sup>

इस प्रकार "यदग्ने च०" एवम् "यत्सूर्याय०" आदि वाक्य  
क्रमशः अग्नि समुच्चित प्रजापति एवम् सूर्यसमुच्चित प्रजापति का विधान  
करते हैं। यहाँ पर प्रजापति विशेष्य है, और अग्नि एवम् सूर्य क्रमशः  
प्रजापति के विशेष्य हैं। जोकि "अग्निर्ज्योति०" एवम् "सूर्योर्ज्योति०"  
वाक्यों से अनुदित किये गये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः  
कालिक अग्निहोत्र कर्म में "सूर्योर्ज्योतिः" वाक्य से सूर्य का अनुवाद  
करके एवम् सायंकालिक अग्निहोत्र में "अग्निर्ज्योति०" मन्त्र से अग्नि  
का अनुवाद करके "यदग्ने०" आदि वाक्यों<sup>से</sup> क्रमशः सूर्य समुच्चित प्रजापति  
और अग्नि समुच्चित प्रजापति का विधान किया जाता है। सायं एवम्  
प्रातः पद काल के बोधक हैं।<sup>3</sup>

यहाँ पर वादी की यह शङ्का ठीक नहीं है कि अग्नि एवम्  
प्रजापति के अलग-अलग पठित होने से एवम् चतुर्व्यन्त होने से अग्नि—

1- ता०ब्रा० 16/1/10,

2- जै०बू० 10/3/13 ।

3-५०- भाट्टदीपिका पृ०-93,

"इदानीमाग्निप्रजापत्योः द्वयोर्शास्त्रन्तरप्राप्तयोः अग्नेः

पुनर्वचनं प्रजापति निवृत्त्यर्थं भवति।"

§सू०1/4/4 का भाष्यविवरण§

सापेक्ष प्रजापति का बोध नहीं होता , क्योंकि यहाँ पर अग्नि गुण एवम् प्रजापति दोनों का "च" के समुच्चयार्थ में अन्वय होता है । अतः इस निपात के वाक्य में प्रयुक्त होने से विधेय पदार्थ की अनेकता नहीं सिद्ध होती ।<sup>1</sup>

चतुर्थी से दुर्बल होने पर भी "यदग्ने०" आदि वाक्य से मान्त्रवर्णिक देवता का बाध नहीं होता-

वादी का यह कथन भी तर्कसम्मत नहीं है कि मन्त्र के चतुर्थी की अपेक्षा दुर्बल प्रमाण होने से " यदग्ने० " वाक्य से प्राप्त अग्नि समुच्चित प्रजापति गुण से "अग्निर्ज्योतिः" आदि मन्त्रवाक्यों से प्राप्त "अग्नि" बाधित हो जायेगा , क्योंकि यह बाध तो तभी सम्भव था जब विधिवाक्य का स्वल्प " प्रजापतये जुहोति " इस प्रकार होता । जिससे प्रजापति मात्र का विधान होता, किन्तु यहाँ पर "अग्ने च प्रजापतये : " यह वाक्य पठित है, जोकि अग्नि के साथ प्रजापति के विधान का कथन करता है । इस वाक्य का "अग्ने" पद "अग्निर्ज्योतिः०" मन्त्र से प्राप्त अग्नि का अनुवादक है । विधिवाक्य से अग्नि एवम् प्रजापति दोनों का एक साथ विधान करने की अपेक्षा मन्त्रवाक्य से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके अग्नियुक्त प्रजापति का विधान करने में कल्पना का लाघव भी है ।<sup>2</sup> यहाँ पर विधिवाक्य से प्रजापति मात्र का विधान

1-1-अग्निहोत्रपदे स्पष्टमनुवाद्यत्त्वलक्षणम्,

अनुद्य चापि धात्वर्थः गुणः सर्वो विधीयते ।

न चानुवादः प्रकृतात्त्वर्णोऽन्यत्राभ्यते ।"

॥तन्त्र० पृ०-296 ॥

2-समुच्चितोभ्यविधानापेक्षान्यतः प्राप्तमग्निमनुद्य तत्समुच्चित

प्रजापति-मात्र विधाने लाघवात् ।" ॥अर्थग्रह-कौ०सहित पृ०165॥

विक्रिय नहीं है। इसलिये "पदग्नेये" आदि ब्राह्मण-वाक्य को गुण विधायक न मानकर मन्त्रवर्ण से ही गुणभूत देवता का कथन करना युक्त है, और ऐसा मानने पर विधि एवम् मन्त्र दोनों वाक्यों की सप्रयोजनता ही सिद्ध होती है, किसी एक की व्यर्थता नहीं। यदि अग्नि एवम् प्रजापति दोनों का मुख्य रूप से एक ही होम के लिये विधान किया जाता तभी वाक्यभेद होता, किन्तु यहाँ पर तो अग्नि का अनुवाद रूप से एवम् प्रजापति मुख्य रूप से विधान है, अतः उक्त दोष यहाँ पर नहीं है।<sup>1</sup>

वादी का यह कथन भी युक्त नहीं है कि विधिवाक्य में प्राप्त वस्तुधर्म से प्रजापति का विधान होने के कारण "ऐन्द्रिन्याय" से मन्त्रों का गौणत्व प्राप्त हो रहा है, इसलिये मन्त्र द्वारा देवता की कल्पना सम्भव नहीं है। यदि कश्चित् कल्पना भी कर ले तो अग्नि एवम् सूर्य से प्रजापति का विकल्प प्राप्त होगा, क्योंकि "अग्नेःपूर्वाहुतिः प्रजापतिरुत्तरा"<sup>2</sup> इस क्रमविधि से दोनों में विकल्प सम्भव नहीं है। अतः यहाँ ऐन्द्रिन्याय का असङ्ग ही नहीं है। "पदग्नेये०" वाक्य से प्राप्त प्रजापति शब्द "प्रजानाधान्ति" इस व्युत्पत्ति से यौगिक शब्द है। अतः प्रजापति जिसका विशेषण है उस विशेष्य की अपेक्षा होने पर मन्त्रवर्ण से प्राप्त अग्नि ही विशेष्य के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा मानने पर असङ्गति भी नहीं होगी और मन्त्रप्राप्त

1.—"अनेकपदसम्बद्धं यथेकमपि कारकम् ।

तथापि तदनावृत्तैः प्रत्ययैर्न विधीयते ।"

‡तन्त्र० पृ०-503‡

2-तै०ब्रा० 2/1/1/10 ।

विनियोग भी निरर्थक नहीं होगा ।<sup>1</sup>

वस्तुतः " सायं जुहोति, प्रातः जुहोति " अग्निहोत्र कर्म की अभ्यास विधि है । प्रातः होम के समय सूर्यसमुच्चित प्रजापति देवता का विधान है, एवम् सायंकालीन होम के समय अग्निमुच्चित प्रजापति का विधान है । अतः इनमें विकल्प हो ही नहीं सकता । अग्निहोत्रकर्म सायं होम से प्रारम्भ होकर प्रातः होम के समय समाप्त होता है । अतः "पदग्ने०" और " यत्सूर्याय० " कथन युक्त हैं । अग्नि होत्र पद और होम रूप धात्वर्थ दोनों याग रूप एक ही प्रवृत्तिनिमित्त वाले हैं । अतः अग्निहोत्र पद "तत्प्रत्ययन्याय" से कर्म की संज्ञा ही है, यह सिद्ध होता है ।

"आधारमाधारयति" वाक्य का आधार पद भी नामधेय ही है संस्कार गुण का वाचक नहीं -

अग्निहोत्र पद की भाँति ही आधार पद भी याग की संज्ञा ही है न कि उपांशुभाग के अङ्गभूत आधार द्रव्य के संस्कार गुण का कथन करने वाला । क्योंकि "चतुर्गृहीतं वा एतद्भूत् तस्याधारं आधार्य" इस विधिवाक्य से आधार कर्म के द्रव्य की प्राप्ति होती है, और "इत इन्द्र ऊर्वाऽध्वरः" इस मन्त्रवाक्य से आधारकर्म के देवता के रूप में इन्द्र की प्राप्ति होती है । द्रव्य एवम् देवता की अन्य वाक्य से प्राप्ति होने के कारण "आधार" पद भी तत्प्रत्ययन्याय से याग की संज्ञा ही है, संस्कार का वाचक नहीं है । भाष्यकार का भी यही मत है।<sup>3</sup>

1-द्र०-मी०कौ०-पृ०-203-204

2- तै० ब्रा० 3/3/1

3-"एष च मन्त्र इन्द्रमभिधातुं शक्नोति । स यदीन्द्र तत्त्वाधर्मं भवेत् एवमेव मन्त्रेण आधारः शक्यते कर्तुम् । तस्मादिन्द्रो देवता,

द्रव्यदेवता-संयुक्तमाधारणम् ।" सूत्र 1/4/4 का शा०भा०पृ०-91३

तैत्तिरीय शाखा में कहा गया है कि जिस कर्म में नैऋत दिशा से प्रारम्भ करके ऐशानी दिशा-पर्यन्त निरन्तर आज्य का कारण किया जाय वह "आधारकर्म" कहलाता है, जबकि बाजसनेयी शाखा में जुहु इपलाशनिर्मित पात्र में आज्य को लेकर पश्चिम से पूर्व दिशा पर्यन्त अतिच्छन्न रूप से घृत का अग्नि में कारण "आधार-कर्म" कहा जाता है । यह कथन आधार को गुण का वाचक मानने पर उपपन्न नहीं होगा । अतः आधार याग कर्म की संज्ञा ही है ।

वादी का यह कथन भी तर्कसम्मत नहीं है । संस्कार कर्मों की संज्ञा न प्राप्त होने से यह पद संस्कार गुण का ही वाचक है, क्योंकि "अंशुगृह्णाति", अदाभ्यं गृह्णाति" आदि वाक्यों में संस्कार कर्मों की भी संज्ञा का विधान देखा गया है ।<sup>11</sup> यदि "आधारमाधारयति" वाक्य में प्रयुक्त आधार पद को कर्म की संज्ञा न मानकर संस्कार का वाचक मानेंगे और कर्म का अनुवाद उपाशुमाग से करेंगे, तो प्रकरण प्राप्त आज्य द्रव्य एवम् देवता का विधान व्यर्थ होगा । और इस प्रकार श्रुतहानि और अश्रुतकल्पना रूप दोष भी उपस्थित होंगे । यद्यपि द्वितीया का प्रयोग प्रायः संस्कार के लिये देखा गया है, तथापि द्विहि की भाँति आधार का संस्कार प्रसिद्ध नहीं है । अतः यहाँ पर प्रत्यक्षश्रुति से द्रव्य एवम् देवता का लाभ होने से इसे कर्मनामधेय पद मानना ही उचित है, न कि दूरस्थ उपाशुमाग द्रव्य में संस्कारगुण के रूप में अन्वय । वृहतीकार के मतानुसार जैसे पुस्तक प्रहार में द्रव्य एवम् देवता के सम्बन्ध से याग का कथन किया गया है, वैसे ही आधार में भी याग

कर्म ही वर्णित है ।<sup>1</sup>

यहाँ पर पूर्वपक्षों का यह उदाहरण उपयुक्त नहीं है कि निर्वापमात्र के लिये प्रयुक्त सावित्रमन्त्रों की भाँति "इन्द्र ऊर्वाऽऽध्वर" मन्त्र भी अरुणसंस्कार का अङ्गमात्र है । क्योंकि वहाँ पर "यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽ" वाक्य से ही देवता की प्राप्ति हो जाने से सावित्रमन्त्रों का देवता-कल्पकत्व नहीं है, किन्तु यहाँ देवता की प्राप्ति पहले से न होने के कारण "इत इन्द्रो" आदि मन्त्र द्वारा देवता गुण कल्पित करना अनिवार्य है । इसका बाधक कोई वाक्य भी नहीं है । अतः "आधारम्" पद कर्म का नाम ही है, उपाशुभाग का अङ्ग नहीं है ।

"समिधो यजति" आदि वाक्य भी यागकर्म के नामधेयवाक्य ही हैं -

अग्निहोत्र की भाँति "समिद्" आदि पद भी देवता के वाचक न होकर यागकर्म के ही वाचक हैं, क्योंकि समिद् याग के देवता का विधान करने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है । "समिधः समिधोऽग्नि आय्यस्य व्यन्तु"<sup>2</sup> इस मन्त्र वाक्य से समिधादि देवताओं की प्राप्ति समिद् याग कर्म को उद्देश्य करके की गई है । अतः "तद्रूप्यन्याय" से समिदादि पद याग की संज्ञा ही सिद्ध होते हैं ।

1- एवमाधारपति इत्यपि निश्चिदे गुणविधाने किमाल्यातार्थ

विधातुं शक्नोति स इव्यदेवतासम्बन्धाद् प्रहरतिवद् यजपतिः ।

अतः स्तुतादयो अपि तस्यैव तस्माद् इदमपि आधारपदं तस्यैव

नामेति रिष्यत् ।"

इकृत्ती ५०३० II ५०२११ ।

२- कातीयहोत्रम् १/४ ।



इसो प्रकार "य एवम् विद्वान् पूर्णमासीम् यजते",  
 "य एवम् विद्वान् अभावस्याम् यजते०" इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त  
 पूर्णमासा एवम् अभावस्या पद काल के वाचक न होकर प्रयाज के अङ्ग=  
 भूत यागकर्मों के वाचक हैं ।

अग्निहोत्रादि पदों का याग के साथ सामानाधिकरण्य होने से भी  
 इनका प्रागनाद्यत्व ही सिद्ध होता है -

अग्निहोत्रादि वाक्यों में प्रयुक्त अग्निहोत्र, आधार समिध  
 एवम् पूर्णमासी आदि पदों को धात्वर्थ याग के साथ एकार्थवाचकता  
 होने से भी ये पद कर्म को संज्ञा हो सिद्ध होते हैं । यहाँ पर वादों का  
 यह तर्क उचित नहीं है कि यदि ये पद याग को संज्ञा होते तो  
 "ज्योतिष्टोमेन यजेत", "उदभिदा यजते" आदि वाक्यों को भाँति ही  
 धात्वर्थ <sup>याग एवं करण का सामानाधिकरण्य सिद्ध करने के लिये</sup> यहाँ भी "अग्निहोत्रेण जुहोति", "आधारेण आधारयति०" आदि  
 प्रयोग प्राप्त होते, क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त कर्मवाचक पदों में  
 द्वितीया का प्रयोग लक्षणा से तृतीयार्थ द्योतन के लिये है । अनुष्ठान के  
 पूर्व धात्वर्थ सिद्ध  $\{फल\}$  रूप में होता है । अतः "नासाधितं करणम्"  
 इस न्याय से करण के भी साध्यत्व का ज्ञान कराने के लिये अग्निहोत्रम्,  
 आधारम्, समिधः आदि द्वितीयान्त पद कहे गये हैं।<sup>2</sup> क्योंकि याग

1- तै० सं०- 1/6/9

2-  $\{क\}$  "न च होमस्य प्रत्ययाच्चार्यभावनायां करणात्प्रात्-----०।"  
 $\{मो०परि०-पृ०३१\}$

$\{उ\}$  "नासाधिते हि धात्वर्थे करणत्वं ततोऽस्य सा,

साध्यतां वक्ति संस्कारो नैवाशक्यः क्रियात्वतः।"

$\{जे०न्याय०-पृ०५०\}$

एवम् करण का सामानाधिकरण्य एक विभक्ति वाला होने से नहा अपितु समा<sup>न</sup>पदवृत्तित्व के कारण ही है । अतः इसी न्याय से अग्निहोत्रादि पदों का याग के साथ एकार्थवाचित्व है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अग्निहोत्र, आघार, समित् एवम् पूर्णमासी आदि पद द्वीहोम उपांशुयाग तथा दर्शपूर्णमासयाग के लिये गुण्ड एवं संस्कारादि के विधायक नहीं है बल्कि उनसे भिन्न याग कर्मों के नाम हैं ।'

---

।- एकदेशेऽपि च ज्ञानान्तनुवादोऽपगच्छति,  
 आघारस्यापि सम्बन्धः क्षेत्रतोपांशुकर्मणा ।  
 सामानाधिकरण्यं च साध्याश्चेह कर्मणः

निरुद्धः । लोकरुद्धः । पदों की यागनामधेयता

वेद में कतिपय ऐसे नामधेय वाक्य भी प्राप्त हैं जिन्हें न तो मत्वर्थलक्षणा के भ्रम से याग की संज्ञा कहा जा सकता है, न ही उन वाक्यों में चित्रादि वाक्यों की भाँति अनेक गुणों का विधान प्राप्त होता है जिससे वाक्यभेद भ्रम से उन्हें कर्म की संज्ञा कहा जा सकता है, और न ही उसके देवता गुण का विधायक कोई अन्य वाक्य प्राप्त होता है (जिससे तत्प्रत्ययन्याय से उन्हें नामधेयों में परिगणित किया जा सकता है)। ऐसे स्थलों पर गुणविधि कही गई है अथवा याग की संज्ञा यह चिन्तन का विषय है। जैसे - "अपेष श्येनेनाभिवरन् यजेत्"<sup>1</sup>, "संदेशाभि-  
वरन् यजेत्"<sup>2</sup>, "अपेष गवाभिवरन् यजेत्"<sup>3</sup> आदि वाक्य।

पूर्वपक्षी इन्हें गुणविधायक मानते हैं, जबकि मीमांसक मत में इन वाक्यों में प्रयुक्त श्येनादि को याग की संज्ञा माना गया है। वादी अपने कथन की पुष्टि करता हुआ कहता है कि इन वाक्यों के श्येनादि पद श्येनपक्षी रूप द्रव्य गुण के वाचक हैं, क्योंकि श्येन शब्द श्येनपक्षी रूप अर्थ में रुद्ध है। अतः "श्येनपक्षी रूप द्रव्य से अभिवार रूप फल सम्पादित करे" यह वाक्यार्थ प्राप्त होता है। इन वाक्यों से सोमयाग में नित्य सोम द्रव्य का बाध करके सोम के स्थान पर पक्षीरूप काम्य गुण का विधान किया जाता है। इसी प्रकार "संदेश" पद से संदेशी का और "गो" शब्द गोपशु रूप द्रव्य का वाचक है। काम्य कर्म होने से

1- षड्विंश ब्रा० 3/8/1,

2- षड्० ब्रा० 5/10/1

3- "अभिपूर्वकस्य चरधातोः वैरिभरणानुकूलो व्यापारोऽर्थः।"

"सोमेन यजेत" से प्राप्त सोम गुण का यह विधि बाध कर देती है ।  
अतः उक्त वाक्यों में गुणविधियाँ ही हैं ।<sup>1</sup>

इन वाक्यों में गुणविधि इसलिये भी मानना चाहिए, क्योंकि इन पदों के लोकरुद्ध होने से यहाँ सामानाधिकरण्य भी नामधेयत्व निर्णय में सहायक नहीं है । इन्हें कर्म की संज्ञा मानने में कोई हेतु न प्राप्त होने से सिद्धान्ती का यह कहना ठीक नहीं है कि वत्पर्य के ग्रहण से इन शब्दों की याग नामधेयता सिद्ध हो जायेगी । ऐसा मानने के लिये अत्यन्त क्लिष्ट गौणीवृत्ति भी कल्पित करनी होगी । अतः अधन्यवृत्ति होने से गौणीवृत्ति द्वारा वत्पर्य कल्पित करने की अपेक्षा मत्वर्थलक्षणा द्वारा यहाँ पर गुणविशिष्ट विधि मानने में ही लाघव है ।<sup>2</sup> क्योंकि गौणीवृत्ति की अपेक्षा लक्षणा प्रबल प्रमाण है जैसा कि वार्तिककार ने भी कहा है—

"मत्वर्थो वाक्यवेलायाम् एकवाक्यवशाद्भवेत्

इवार्थः पदवेलायां गृह्यमाणोऽतिदुर्बलः ।"

अतः सिद्धान्ती का यह तर्क उचित नहीं है कि "पयावै०" अर्थवाद से प्राप्त सादृश्य के श्येन पक्षी में ही असम्भव होने से गौणी-वृत्ति द्वारा श्येनशब्द की यागपरकता कल्पित करना उचित है । साथ ही यह कथन भी युक्त नहीं है कि विधेय की स्तुति सदैव भिन्न पदार्थ में स्थित सादृश्य से की जाती है, क्योंकि जैसे— लोक में "रामरावणोपार-

1.—अत्यन्त निरुद्धत्वात् गुणविधिः ज्योतिष्टोमादिषु—

काम्यत्वाच्च नित्यमुत्पत्ति-शिष्टमपि सोमं बाधते । "शशाब्दी०पृ० 9  
2-५० वै०न्याय० पृ०-51,

न चात्र कर्मिणः प्रवृत्तिनिमित्तं किञ्चिदस्ति । वत्पर्योपादानेन —

---। तत्र वरं मत्वर्थलक्षणा ।"

रामरावणयोरिव" आदि वाक्यों में व्यक्ति एवम् कालरूप औपचारिक भेद कल्पित करके उपमा दी जाती है, वैसे ही यहाँ भी श्येन द्रव्य की श्येन से उपमा सम्भव है । "श्येनेन०" आदि वाक्यों में वर्णित पदार्थ संदिग्ध नहीं है, जिसके निर्णय के लिये वाक्यशेष रूप से अर्थवाद की सहायता लेनी पड़े ।

यहाँ गुणविधि मानने में एक और कारण यह भी है कि श्येन का द्रव्य रूप अर्थ लेने पर श्येन शब्द अपने अर्थ का परित्याग किये बिना ही श्येन युक्त याग की भी प्रतीति करा सकता है, जबकि इसे यागवाचक मानने पर स्वार्थ में कोई उपयोग न होगा, जिससे प्रारम्भ से ही सादृश्य की विवक्षा से श्येन पद की प्रवृत्ति माननी होगी अतः श्रुति का बाध भी होगा ।<sup>1</sup>

इसी प्रकार "संक्षिप्तभिस्वरन् यजेत" वाक्य का "संक्षिप्त" पद भी गुण का ही कथन करता है एवम् "गवाभिस्वरन् यजेत" वाक्य में प्रयुक्त "गो" पद भी द्रव्य गुण का ही वाचक है, ऐसा मानने पर ही श्रुति की सार्थकता होगी । ये पद जाति निमित्तक होने से याग को कहने में समर्थ नहीं हैं ।

### सिद्धान्त

श्येनादि पदों की यामनामधेयता "तद्व्यपदेशन्याय" से है । "तद्व्यपदेश" पद का शाब्दिक अर्थ है "उस विधि को अभीष्ट गुण

कैसाथ याग की भिन्नता प्रकट करने वाला कथन", क्योंकि "श्येनेनाभिवरन्०" आदि वाक्यों में श्येन विधि के द्वारा विधेय रूप में गृहीत श्येन पक्षी की भिन्नता "यथा वैश्येनो०" आदि वाक्यों द्वारा कही जाती है। अतः श्येनादि पदों का यागनामधेयत्व तद्व्यपदेश न्याय से ही सिद्ध होता है।

1- "श्येनेनाभिवरन्०" वाक्यगत श्येन पद यागकर्म का ही वाचक है गुण का नहीं -

सिद्धान्ती के अनुसार "श्येनेनाभिवरन्पक्षेत्" इस वाक्य में श्येन पद परिशिष्टविशेष का वाचक न होकर श्येनसंज्ञक याग का वाचक है। इसलिये यहाँ पर गुणाविधि कल्पित करना उचित नहीं है, क्योंकि वाक्य में "श्येन" पद के समीप शत्रुप्रत्ययान्त "अभिवरन्" पद पठित है और "सङ्ख्याहेत्वोः क्रियायाः"<sup>1</sup> इस सूत्र से शत्रु प्रत्यय का विधान होने से यहाँ हेत्वर्थ का ज्ञान होता है। अतः अभिवार रूप फल के सम्पादन हेतु श्येनसंज्ञक याग कर्तव्य रूप से प्राप्त होता है। अर्थात् श्येन आदि प्रसिद्ध अर्थ से जिस श्येन का सादृश्य कहा गया है, वह श्येन याग की संज्ञा का ही वाचक है।<sup>2</sup> श्येन पद की यागनामधेयता "यथावैश्येनो निपत्यादत्ते एवमर्षीद्विषन्तं भ्रातृत्वं निपत्यादत्ते" इस अर्थवाद वाक्य द्वारा सादृश्य कथन किये जाने से सिद्ध होती है।

1-भा० सू० 3/2/126 ।

2- "तद्व्यपदेशं च" वै० सू० 1/4/5 ।

इस अर्थवाद का "अर्थ" पद श्येन वाग को ही लक्षित कराता है अतः यदि विधिवाक्य में श्येन पद को गुण का वाचक मान भी है तो "अर्थ" के साथ उसका सम्बन्ध भूता कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि "श्येनेन०" आदि वाक्य में गुणविधि मानने पर श्येनगुण ही श्येन द्वारा स्तुत होगा । जबकि स्वयं के द्वारा स्वयं का उपमान असिद्ध है।<sup>1</sup> इसलिये ऐसा मानने पर अर्थवाद वाक्य की विधि के साथ वाक्यशेषता भी नहीं सिद्ध होगी । अर्थवाद सदैव विधिवाक्यों की स्तुति से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, स्वतंत्ररूप से उनका कोई अर्थ या प्रयोजन नहीं है । अतः वाक्यशेषता न सिद्ध होने पर वे व्यर्थ हो जायेंगे । गुणविधि मानने पर तो श्येनपक्षी द्वारा श्येन की स्तुति माननी होगी । अतः एक ही पदार्थ में उपमानोपमेय भाव प्राप्त होगा, जबकि उपमान और उपमेय सदैव दो भिन्न पदार्थों में स्थित रहते हैं । जैसा कि वार्तिककार ने भी कहा है -

"विधेः स्तुयते वस्तु भिन्नोपमेया सदा  
न तेनैव तस्यैव स्तुतिः तद्वदीष्यते ।"<sup>2</sup>

1- "विधेः स्यैव स्तोतव्यतया गुणविधौ तस्यैव श्येनसादृश्येन स्तुतिर्वाच्या । न च श्येन सादृश्यस्यैव श्येनेन सादृश्यम्, भिन्नजातीययोरेव गोगवपादौ सादृश्यदर्शनात् । न च सति संभवे काल्पनिक भेदाभ्युपगमेन सादृश्यकल्पना युक्तेति भावः ।"

१मी० ०५०१/४/५ काभा० वि० ॥

2- ५०-तन्त्रवार्तिक - पृ०-२९८ ।

शास्त्रदीपिकाकार का भी यही मत है ।<sup>1</sup> श्येन पद को यागवाचक मानने पर यह उपमानोपमेय भाव भी सिद्ध होगा और अर्थवादवाक्य की सप्रयोजनता भी ।

2-श्येनादि वाक्यों में गुणाविशिष्ट विधि भी संभव नहीं है -

वादी का यह तर्क भी उचित नहीं है कि "सोमेन यजेत" आदि वाक्यों की भाँति "श्येनेन०" वाक्यगत श्येन पद में गुण एवं कर्म-विशिष्ट विधि है, क्योंकि विशिष्ट विधि मानने के लिये मत्वर्थकणा स्वीकार करनी होगी जिससे कल्पनागौरव प्राप्त होगा । अतः यहाँ पर गुण विशिष्ट विधि भी नहीं मानी जा सकती । इसलिये श्येन पद याग की संज्ञा ही सिद्ध होता है ।

इस सम्बन्ध में वादी का यह उदाहरण देना भी उचित नहीं है कि जैसे लोक में "रामरावणायोर्बुद्ध०"<sup>2</sup> आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी श्येन की श्येन द्वारा स्तुति की गई है, क्योंकि बिना भेदक प्रमाण के कर्मविशिष्ट विधि नहीं मानी जा सकती । उपमान सदैव प्रसिद्ध होता है और उपमेय अप्रसिद्ध । यद्यपि अर्थवादों का अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं होता, तथापि यदि उपमान का आलम्बन भिन्न नहीं होगा तो उपमा भी नहीं सिद्ध होगी । इसलिये लोक में भी ही ऐसी कल्पना प्राप्त होती हो, किन्तु वेद में ऐसी व्यर्थ कल्पना

1- "गुणाविधौ तावत्त्वं एवं स्तोतव्यः । तस्य चात्मनैवोपमानमनुप-  
पन्नमिति तद्व्यपदेशात्मकं वाक्यशैल्यनुपपत्तिः ।"

॥शा०दी०पृ०१०१४॥

2- बाल्मीकि रामायण-युद्धकाण्ड -110-24 ।



के लिये अवकाश नहीं है ।<sup>1</sup> यदि एक ही व्यक्ति में कालभेद से उपमानत्व कल्पित भी किया जायेगा तो अर्थादवाक्यगत "आदत्ते" इस वर्तमान-कालिक क्रिया में लक्षणा द्वारा भूतकाल की कल्पना करनी पड़ेगी ।

इसी प्रकार एक ही कार्य में व्यक्ति के भेद से उपमान कल्पित करने पर "श्येन" पद के सर्वनामवाचक होने के कारण "श्येनत्वाच्छिन्न" पद से ग्रहण होने योग्य अर्थ से लक्षणा द्वारा भिन्न व्यक्ति कल्पित करना होगा । जबकि यागनामधेय मानने पर श्येनयाग की श्येनद्रव्य से स्तुति संगत होती है ।

यहाँ पर यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जैसे अन्य स्फोटों पर विधेयपदार्थ से भिन्न की स्तुति द्वारा भी विधेय की स्तुति सिद्ध होती है वैसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि अन्य स्फोटों पर भले ही अविधेयगत स्तुति देखी जाती हो, किन्तु यहाँ "श्येनेन०" वाक्य में याग तो स्वयं विधि का भाग ही है । अतः इससे न तो द्रव्य की स्तुति की जा सकती है और न ही विधान । श्येन पद जिस प्रकार श्येन पक्षी रूप अर्थ को कहता है वैसे ही याग का भी वाचक है । इस प्रकार "श्येन" को याग की संज्ञा मानने पर श्रुत्यर्थ भी सहोगत होता है, जबकि गुणवाचक मानने पर मत्वर्तलक्षणा कल्पित करनी पड़ेगी । क्योंकि मत्वर्तलक्षणा कल्पित है और वत्यर्थ क्लृप्त ; इसलिये मत्वर्तलक्षणा से विशिष्टविधि कल्पित करने की अपेक्षा गौणीलक्षणा

1- भवति हि लोके काल्पनिकमवस्थादिगतभेदमाश्रित्यैवमपि

स्तुतिः सम्भवति वेदे तु न युक्ता । नामधेयत्वे तु यागश्येनस्य-----

----- 0 ।" इतन्त्र०पृ० 298, ॥ एवं

७०-शा० दी० पृ०-१४ ।

से वत्पर्य कल्पित करने में लाघव है ।<sup>1</sup>

ब्रह्मदेव के मतानुसार "पथावै०" यह अर्थवाद वाक्य "श्येन" पद में वर्तमान सादृश्यगुण की सिद्धि के लिये लक्षणा का आश्रय लिये बिना ही श्येनउपमान् उपमेययाग और साधारण धर्म रूप सादृश्यवाचक "पथा" और "वै" पदों से युक्त होने के कारण पूर्णोपमा द्वारा विधेय "श्येन याग" की स्तुति करता है । अतः उपमान पदार्थ की भिन्नता के कारण भी श्येन पद याग की संज्ञा सिद्ध होता है ।<sup>2</sup>

वासुदेव दीक्षित ने भी कहा है कि "श्येन" पद में गुणाविशिष्ट विधि मानने पर श्येनगुणाविशिष्ट धात्वर्थ का विधान मानना पड़ेगा, जोकि उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी दशा में उत्पत्ति वाक्यगत "श्येन" पद को गुण एवं कर्म दोनों ही का लक्षणा से विधान करना होगा । जबकि उसे श्येन याग का विधायक मानने पर केवल एक पद से ही विधान होने के कारण लाघव है, और विधान में लाघव होने से अर्थ-वाद वाक्य द्वारा सिद्ध गौणीवृत्ति का अत्यन्त क्लिष्ट होने पर भी आश्रय लेना उचित ही है ।<sup>3</sup> अतः "श्येनेन०" वाक्यगत श्येन पद याग कर्म का नामधेय सिद्ध होता है । उसकी यह नामधेयता "तद्व्यपदेश-न्याय" से है ।

"संदश" पद भी यागकर्म का ही वाचक है -

इसी प्रकार "संदशेऽभिवरन् यजेत" वाक्य में प्रयुक्त "संदश" पद

1- तन्त्र० पृ०-299

2- मी०कौ०पृ०-216

"पथावैश्येन इत्युक्ता हि उपमानोपमेयता,

नैकस्मिन्स्तेन गौण्याऽस्यवृत्त्या स्यात्कर्मनामता । इति०न्याय०पृ०51 ।

3-३०-कु०वृ० पृ०-98 ।

भी "संदश" द्रव्य का वाचक न होकर याग कर्म का वाचक है । इसकी यागार्थवाचकता " यथा वै संदशो दुरादानमात्ते एवमर्थं द्विषन्तम् भ्रातृव्यं निपत्त्यादत्ते" इस अर्थवाद वाक्य से भी सिद्ध होती है । यहाँ पर उपमान-संदश द्रव्य द्वारा उपमेय-संदश याग कर्म की "यथा वै०" आदि सादृश्यवाचक पदों से स्तुति की गई है । अतः "जिस प्रकार संदश कठिनाई से पकड़ने योग्य "तप्तलोहपिण्ड" आदि को पकड़ लेता है वैसे ही यह संदश याग कठिनाई से प्राप्त होने वाले शत्रुओं को सरलता से पकड़ लेना है "यह वाक्यार्थ प्राप्त होता है । इस अर्थवादवाक्य से दुरादान के साधन के रूप में प्रसिद्ध संदश द्रव्य से याग की स्तुति की गई है । अतः "संदश" पद तद्व्यपदेश न्याय से याग का वाचक सिद्ध होता है ।।

गवाऽभिद्धरन्० " वाक्यगत "गो" पद भी तद्व्यपदेशन्याय से ही यागकर्म का नामधेय है :-

"गवाभिद्धरन् यजेत" वाक्य का "गो" पद भी गो पशु का वाचक न होकर गो संज्ञक याग का वाचक है । "गो" शब्द की कर्मनामधेयता भी "यथा गावो गोपायन्ति०" इस अर्थवाद के सादृश्य वाचक पदों की सहायता से प्रसिद्ध गो पशु द्वारा गो संज्ञक यागकर्म की स्तुति होने से सिद्ध है । जैसे गाय अपने बछड़े की हिंसक पशुओं से रक्षा करती है, वैसे ही यह गो संज्ञक याग भी यजमान की अशुरों और राक्षसों से रक्षा करता है, यह वाक्यार्थ यहाँ प्राप्त होता है । अतः विधिवाक्यगत "गो" पद पशुद्रव्य की नहीं अपितु याग की संज्ञा है ।

1- "संदशशब्दश्च संदश्यते पार्श्वद्वये निपीड्य दुरादेयं परिगृह्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या ।"

कतिपय वादी विद्वानों का जो यह मत है कि अर्थवादगत श्वेनादि पद जाति निमित्तक होने से याग रूप अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न पदार्थ में स्थित सादृश्य की सहायता से ये याग की स्तुति करते हुए यागार्थ का कथन करने में समर्थ होते हैं । अतः जैसे- लोक में "सिंहो देवदत्तः" आदि वाक्यों में बल के सादृश्य से देवदत्त को ही सिंह कहकर स्तुति की जाती है वैसे ही यहाँ भी सादृश्य से याग की स्तुति सिद्ध होती है ।<sup>1</sup> अतः विधिवाक्यगत श्वेन, संदश तथा गो आदिपद तद्व्यपदेशन्याय से याग की संज्ञा है ।

यहाँ पर यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि वेदोक्त होने से अभिवार कर्म भी कर्तव्य के रूप में प्राप्त है, अतः इन कर्मों में भी पुरुष प्रवृत्त होंगे । क्योंकि भ्रू ही यह कर्म वेद में कहे गये हैं किन्तु फलरूप होने से ये वेदविहित नहीं हैं "फलं न विधेम किंतु फलमुद्दिश्य तत्साधानत्वेन कर्मैव विधेमम्" इस न्याय से। अभिवार कर्म शत्रुमारण<sup>केसादृश</sup> अनिष्टफलानरकादि के जनक होने से वेदविहित नहीं हैं । इसलिये शत्रुहिंसा रूप अभिवार कर्मों में वैदिक पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी- ऐसा मीमांसा सिद्धान्त है ।<sup>2</sup>

1-"यत्तु जातिशब्दा इमे न यागमभिवदन्तीति ।

सादृश्य व्यपदेशाद् अभिवदिष्यति । - - - - -

- - - - - तस्मात् कर्मनामधेयम् ।"

॥सूत्र 1/4/5 का०शा०भा०॥

2- ५०-मी०परि० पृ०-32 ।

"वाजपेयेन स्वाराज्यकामो०" आदि वाक्यों में प्रयुक्त वाजपेयादि शब्द भी तत्प्रत्ययन्याय से याग की संज्ञा सिद्ध होते हैं -

"वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" इस वाक्य में प्रयुक्त "वाजपेय" शब्द गुण की संज्ञा न होकर यागकर्म की संज्ञा है। क्योंकि यदि इसे गुण का विधायक पद मानेंगे तो "वाजमन्पेयो" इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाजपेय द्रव्य शस्य जाति से युक्त होगा जोकि दर्शपूर्णमासकर्म की प्रकृति है। सम्पूर्ण याग सकल इष्टि, पशु एवं सोम इन तीन भागों में विभक्त है। इनमें वाजपेय याग सोम जाति का है। अतः यदि "वाजपेय" पद द्वारा यवागु आदि रूप अन्नयुक्त पेय-गुण का विधान करते हैं तो वाजपेय याग इष्टि जातीय हो जायेगा।<sup>1</sup> अतः "वाजपेयेन०" वाक्य को गुण-विधि मानने पर वाजपेय और दर्शपूर्णमास दोनों यागों की समान प्रकृति हो जायेगी। इसलिये "वाजपेय<sup>2</sup>" को याग की संज्ञा मानना ही अधिक उचित है।

यहाँ गुणविधि मानने में एक दोष यह भी है कि इस वाक्य से वाजपेय गुण एवं स्वाराज्य फल दोनों का एक साथ विधान मानने पर वाक्यभेद दोष भी प्राप्त होगा। क्योंकि याग का गुण के साथ अन्वय करने पर "वाजपेयेन यागं भावयेत्" यह वाक्यार्थ प्राप्त होगा, और स्वाराज्य फल के साथ अन्वय करने पर "यागेन स्वाराज्यं भावयेत्" यह वाक्यार्थ मानना होगा। वाक्य में एक बार उच्चरित "यज" के धात्वर्थ से साध्य [कर्मत्व] एवं साधन [करणत्व] दोनों रूपों सहित

1- "एकस्मिन्पेयस्यैव" जै०सू० 1/4/7

2- विशेष- "वाजपेय" शब्द को गुण मानने में एक दोष यह भी है कि ऐसी दशा में वाजपेय याग के भी ज्योतिष्टोम की भाँति होमयाग हो जाने से "सप्तदशदीक्षो वाजपेयः", "सप्तदशोपसत्को वाजपेयः" आदि वाक्य द्वारा अङ्गभूत दीक्षा एवं उपसद का अनुवाद करके सन्या का विधान नहीं हो सकेगा। अतः वाजपेय को कर्म की संज्ञा मानना ही

याग को उपस्थिति सम्भव नहीं है, <sup>1</sup> क्योंकि "यज" से याग का सामान्य रूप ही गृहीत होता है । अतः गुण एवं फल दोनों के साथ सम्बन्ध रखने को उसमें योग्यता ही नहीं है, क्योंकि यदि "यज" का करण रूप से उपस्थिति मानते हैं तो वह फल का आकांक्षा से युक्त रहेगा और यदि स्वाराज्यफल रूप से याग को उपस्थिति मानेंगे तो वाधन {करण} की आकांक्षा करेगा । इस प्रकार करण रूप से याग का अन्वय मानने पर स्वाराज्यरूप फल ही याग के साथ अन्वित होगा, वाजपेय गुण नहीं अन्वित होगा एवं फल रूप से याग का भावना में अन्वय मानने पर वाजपेय गुण ही अन्वित होगा, फल नहीं । यदि दोनों का एक साथ भावना में अन्वय मानेंगे तो विधि की आवृत्ति माननी होगी, जिससे वाक्यभेद होगा । <sup>2</sup> अतः वाजपेय को याग को संज्ञा मानने पर ही इस दोष से मुक्ति सम्भव है ।

यदि वादी यह कहे कि "वाजपेय द्रव्येण स्वराज्यं भावयेत्" यह वाक्यार्थ मानने पर वाक्यभेद नहीं होगा तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय याग फलरूप से ज्ञात हो रहा हो उसी समय वह करण रूप से नहीं ज्ञात हो सकता । इसलिये ऐसा मानने पर न केवल साध्य और साधन का हेतुत्व से प्राप्त वाक्यभेद होगा प्रत्युत "त्रिस्तुत्रिकद्वयापात्त" <sup>3</sup> भा प्राप्त

- 1- "साधारणयजेः कर्मकरणत्वेन तन्त्रता, त्रिकद्वयापात्त" स्यात्तन्त्रतायत्प्रकारं प्रति ।" ॥ जे० न्याय० पृ०-52 ॥
- 2- जैसा कि तन्त्रवार्तिककार ने भी कहा है-  
"वाजपेयं यवागू स्यादौषधद्रव्यता ततः,  
द्रव्यसारूप्य सामान्यात् ऐष्टिकत्वं प्रसज्यते ।  
तन्त्रत्वमेकरूपेण भवेत्तुल्योपकारतः,  
उपकारान्यथात्वे तु भवेत्गावृत्तिलक्षणम् ।" ॥ तन्त्र ० पृ० 300 ॥
- 3- द्र०-जे० न्याय० वि० पृ०-53 ।

क्योंकि यदि याग को स्वाराज्यफल के प्रति साधन मानते हैं तो फल की सिद्धि में कारण स्वल्प होने से याग में "गुणात्व" अङ्गता सिद्ध होगा । अङ्गत्व होने से परार्थ की सिद्धि करने के कारण याग में "उपादेयत्व" होगा । साथ ही फलविधि के अधीन होने से "विधेय" भी होगा । इस प्रकार फल प्रधान और याग गौण होगा । अतः गुणात्व, उपादेयत्व एवं विधेयत्व रूप एक त्रिक याग में उपस्थित होगा, और यदि याग को वाजपेयगुण के प्रति साध्यरूप फल मानते हैं तो वाजपेय गुण के प्रति याग अङ्गी होगा, अतः याग में "प्राधान्यत्व" की प्राप्ति होगी, और प्रधान होने से वह विधि का उद्देश्य भी होगा, जिससे "उद्देश्यत्व" की प्राप्ति होगी । विधि सदैव अप्राप्त अर्थ का विधान करती है याग के पूर्व प्राप्त होने के कारण यहाँ उसका पुनः कथन होगा । जिससे "अनुवाचत्व" की भी प्राप्ति होगी, यह दूसरा त्रिक है ।

इस प्रकार दोनों त्रिकों की प्राप्ति होने के कारण एक ही याग ही समय में गुण एवं प्रधान रूप से, उपादेय एवं उद्देश्य रूप से तथा विधेय एवं अनुवाचरूप से उपस्थित होगा, जो कि परस्पर विरोधी धर्म हैं । अतः एक ही धर्म में इनकी उपस्थिति वाक्यभेद स्वीकार किये बिना सम्भव नहीं है । इसलिये याग का वाजपेय द्रव्य और स्वाराज्य फल दोनों के साथ सम्बन्ध मानने पर परस्पर विरुद्ध त्रिकद्वयामित्ति रूप दोष प्राप्त ही होगा । अतः वाजपेय यागकर्म का नामधेय ही सिद्ध होता है ।

यहाँ पर वादी का यह कथन<sup>तर्क</sup> भी ठीक नहीं है कि फल एवं गुण दोनों का एक साथ विधान न मानकर केवल "यज्ञ" की आवृत्ति

से याग के साथ उनका अलग-अलग सम्बन्ध कल्पित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर भी "वाजपेयद्रव्येण यागं कुर्यात् एवं यागेन-स्वाराज्यं सम्पादयेत्" ये दो वाक्य मानने पड़ेंगे, जिससे वाक्यभेद दोष ज्यों का त्यों बना रहेगा ।<sup>1</sup> इसलिये वाजपेय शब्द गुणाविधायक नहीं है अपितु 'तत्प्रत्ययन्याय' से याग की संज्ञा ही है । इसे याग की संज्ञा मानने पर प्रकरण का भी बाध नहीं होगा । "वाजपेय" शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष न होकर "वाजःपेयोयस्मिन्" इस विग्रह से बहुव्रीहि समास है, जो कि "वाजपेय" शब्द की यागनामधेयता को ही लक्षित कराता है । यहाँ पर "वाज" सोमरस का वाचक है ।<sup>2</sup> वाजपेय याग के द्रव्य का विधान प्रकार "प्रतितिष्ठन्ति सोमग्रैः" आदि से प्राप्त है । "देवा वै यथादर्शं यज्ञानाहरन्त" "ऐसा उपक्रम करके "ते सहैव सर्वे वाजपेयमपश्यन्" वाक्य से तथा "स वा एव ब्राह्मणस्य चैव राजन्मस्य च यज्ञं तं वा एतं वाजपेय इत्याहुः" आदि अर्थवाद भी विधि वाक्यगत "वाजपेय" पद की यागनामधेयता ही सिद्ध करते हैं । अतः गुणादि का कथन करने वाला शास्त्रान्तर विद्यमान होने से विधि वाक्यगत वाजपेय याग की संज्ञा का ही वाचक है ।

1-1क। ५०-सूत्र 1/4/8 का शाबरभाष्य ,

【ल॥ तन्त्रसम्बन्धे हि परस्परनिरपेक्षयोर्योगेन सम्बन्धः एकविशेषितेतर सम्बन्धे वाक्यभेद प्रसङ्गात् । - - - - - तेन स्वाराज्यकामैर्यगिक वाक्यता गम्यमाना नोत्प्लुष्टा भविष्यति इति नामधेयता ।" सूत्रत्र० पृ०-३०॥

2-वाजः देवान्तरूपः सोमः पेयो यस्मिन् यागे, स वाजपेयः, यस्मादेतेन देवाः वाजः फलरूपमन्त्रं प्राप्तुमैच्छन् तस्मादन्तरूपो वाजः प्राप्यो येन स वाजपेय इति ।" ॥ सायणाभाष्य 1/7/7 ॥



### वैश्वदेवादि पदों का याग नामधेयत्व

उद्भिन्नादि पदों की नामधेयता सिद्ध हो जाने के पश्चात् "वैश्वदेवेन यजेत" आदि कतिपय ऐसे वाक्य वेद में प्रयुक्त हैं, जिनके बारे में यह निश्चित नहीं है कि इनकी नामधेयता में कौन सा हेतु प्रयुक्त होगा। पूर्वपक्षी ने ऐसे वाक्यों को गुणाविधायक माना है। मीमांसकों ने इन्हें भी नामधेयवाक्य कहा है। इनकी नामधेयता की सिद्धि में कुछ मीमांसकों ने "तत्प्रत्ययता" को हेतु माना है, जबकि कतिपय विद्वानों ने मत्वर्षक्षणाभ्यादि चारों हेतुओं से भिन्न "उत्पत्तिशिष्ट गुणवर्तीयस्त्व" हेतु से वैश्वदेवादि वाक्यों की नामधेयता कही है, क्योंकि द्रव्य एवं देवता के तद्विद् से ही गृहीत हो जाने से मत्वर्षक्षणा का भ्रम नहीं है। विश्वेदेव रूप एक ही देवता गुण का विधान प्राप्त होने से वाक्यभ्रम का भ्रम भी नहीं है। श्येनयाग की भाँति विश्वेदेव पद किसी का अपदेश भी नहीं करता और न ही तत्प्रत्ययन्याय से इसकी नामधेयता सम्भव है। अतः "उत्पत्तिशिष्टवर्तीयस्त्व" ही यहाँ नामधेयत्व का हेतु है।

"वैश्वदेवेन यजेत" वाक्य चातुर्मास्य प्रकरण में पढ़ा गया है। चातुर्मास्य याग के चार पर्व हैं— 1. वैश्वदेव, 2. वरुणाप्रघास, 3. आकमेध, 4. शुनासीरीय। वैश्वदेव पर्व में— "आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति", सौम्यं चक्षुम्, सावित्रं द्वादशकपालं, सारस्वतम् चक्षुम्, धौष्ण्यं चक्षुम्, मार्ज्जं सप्तकपालम्, वैश्वदेव्यामिक्षा, यावापुष्यमेककपालम्" यह आठ याग विहित हैं। इन्हीं के समीप "वैश्वदेवेन यजेत" यह वाक्य पठित है। पूर्वपक्षी के मतानुसार क्योंकि आमिक्षायाग में विश्वेदेव देवता प्राप्त है, अतः "वैश्वदेवेन यजेत" वाक्य के "यज" भाग द्वारा

1- तै0ब्रा0 1/4/10,

2- तै0ब्रा0 1/8/2 ।

इन यागों का अनुवाद करके "वैश्वदेव" पद से इन यागों के देवता का विधान किया गया है। अत्र: यह वाक्य गुणाविधि ही है। यदि "वैश्वदेव" को याग की संज्ञा मानेंगे तो ये वाक्य निरर्थक हो जायेंगे, क्योंकि देवता की प्राप्ति न होने के कारण इन यागों का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। इसलिये "वैश्वदेव" शब्द के द्वारा देवता गुण का विधान मानना ही उचित है।<sup>1</sup>

यहाँ पर सिद्धान्ती का यह कहना ठीक नहीं है कि "वैश्वदेव्या-मिक्षा" वाक्य से देवता का विधान प्राप्त होने से इस वाक्य द्वारा उसका पुनः विधान मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि पुनर्विधान नहीं मानते हैं तो भी विकल्प तो सम्भव ही है। इसलिये यह तर्क भी ठीक नहीं है कि उत्पत्तिवाक्य से ही देवता का विधान हो जाने से वहाँ पर अन्य देवता का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत बाध भी देना गया है। अत्र: वैश्वदेव से गुणाविधान न मानने पर सभी वाक्य व्यर्थ हो जायेंगे। इसलिये अगत्या उत्पन्नशिष्ट गुण वैश्वदेव का उत्पत्तिशिष्ट अग्नि आदि गुण से विकल्प मानना चाहिए।

अथवा आमिक्षा वाक्य को द्रव्यमात्र का विधायक मानकर "वैश्वदेव" पद द्वारा देवतागुणाविशिष्टयाग का विधान भी यहाँ माना जा सकता है।

### सिद्धान्त

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती का कहना है कि "वैश्वदेव०" वाक्य में गुण नहीं अपितु याग का नाम कहा गया है।

1.- "अत्र नामत्वपक्षे स्याद्वाक्यमेतदनर्थात्।"

देवतातो विधेया स्यात् गत्यभावाद्धिकल्पतो ।"

अर्थात् इस वाक्य में आग्नेयादि याग के देवता का विधान नहीं किया गया है, प्रत्युत इस यागसमुदाय का नाम कहा गया है, क्योंकि यदि "वैश्वदेव" पद को यागसमुदाय की संज्ञामानते हैं तो "प्राचीनप्रवणो वैश्वदेवेन यजेत" आदि वाक्यों से वैश्वदेव नामक यागसमुदाय का ग्रहण भी सिद्ध हो जाता है।

यहाँ पर आग्नेयादि पदों के तद्वितान्त होने से प्रत्यक्ष श्रुति से ही द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि "साऽस्य देवता" इस पाणिनि सूत्र से "आग्नेय" आदि पद तद्वितान्त सिद्ध होते हैं। अतः श्रुतिविहित देवता की अपेक्षा करके प्रकरण प्राप्त "वैश्वदेव" वाक्य से देवता का विधान मानना अनुचित है, क्योंकि श्रुति से प्रकरण दुर्बल प्रमाण है,<sup>3</sup> इसलिये उत्पत्तिशिष्ट अग्नि आदि देवता का वैश्वदेव देवता द्वारा बाध सम्भव नहीं है। यहाँ पर तद्वित से ही द्रव्य एवं देवता दोनों का विधान हो जाता है। इस प्रकार न तो मत्वर्षकणा का अवसर है और न ही द्रव्य का देवता से सम्बन्ध कहने के लिये प्रकरण की ही अपेक्षा है। अतः यहाँ पर "वैश्वदेव" पद में गुणाविशिष्ट विधि भी नहीं कल्पित की जा सकती और न ही देवताविधि।<sup>4</sup>

1-जिस देश में पश्चिम की अपेक्षा पूर्वभाग नीचा हो उसे "प्राचीनप्रवण" देश कहते हैं। [मै०० 1/10/7]

2- अष्टा 4/2/24

3- "प्रत्यक्षश्रुतिविहिता अग्न्यादयस्तेषां यागानाम्, विश्वेदेवा वाक्येन प्रकरणात् तेनैव नान्येनेति गम्यते। न चायं विश्वशिष्टो विकल्पो भवितुमर्हति। न हि प्रकरणं श्रुतस्य द्रव्यस्य बाधने समर्पम्।"

[वै०सू० 1/4/14 का शा०भा०]

4- "गुणान्तरावच्छ्रित्वात् नावकाशयो गुणोऽपरः, विकल्पोऽपि न वैषम्यात् तस्मान्नामैव युज्यते।" [तन्त्र०पृ० 309]

वादी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि अग्नि आदि देवताओं के साथ वैश्वदेव देवता का विकल्प हो सकता है, क्योंकि विकल्प सदैव समान बल वालों में होता है। उत्पत्ति शिष्ट देवता एवं उत्पन्नशिष्ट वैश्वदेव दोनों का विष्णु भिन्न होने से यहाँ पर विकल्प मानना सम्भव नहीं है। उत्पन्नशिष्ट "वैश्वदेव" पद का द्रव्य अथवा देवता से सम्बन्ध श्रुति से प्राप्त नहीं है, किन्तु "यज" के धात्वर्थ के साथ सामानाधिकरण्य होने से वैश्वदेव पद का याग के साथ सम्बन्ध सिद्ध होता है। आग्नेयादि पूर्वपठित वाक्यों में याग का श्रवण न होने के कारण वैश्वदेव नामक याग से आग्नेयादि याग समूह की भी यागता सिद्ध होती है, जबकि इनमें विकल्प मानने पर याग से इनका वैयधिकरण्य सिद्ध होगा।

यहाँ पर "वैश्वदेवेन यजेत" आदि वाक्यों से याग का "वैश्वदेव्यामिक्षा" में अनुवाद करके वैश्वदेव को गुणाविधायक सिद्ध करना भी उचित नहीं है, वस्तुतः दूरस्थ याग का अनुवाद करने की अपेक्षा यागसमुदाय का अनुवाद मानना ही अधिक उचित है, क्योंकि "प्राचीनप्रवर्णो" आदि वाक्यों द्वारा प्राप्त वैश्वदेव याग का विधान आठों हविर्यागों के बिना नहीं सिद्ध होता। अतः एकदेशस्थ विश्वेदेव पद द्वारा "छत्रिन्याय" से सभी यागों का नामधेयत्व सिद्ध होता है।

वैश्वदेवादि पदों की यागनामधेयता भी "तत्पुण्यन्याय" से ही है, क्योंकि "विश्वेषां देवानां समवायात्" इस विग्रह के अनुसार भी वैश्वदेव याग समुदाय की संज्ञा सिद्ध होता है। "यद्विश्वेदेवाः सम्यजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्" यह अर्थवाद विश्वेदेवों का यागों के साथ सम्बन्ध कहता है। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि गुण

का प्रख्यापक शास्त्र मन्त्र अथवा विधिवाक्य ही हो । विधिवाक्यों का अङ्ग होने से अर्थादवाक्य भी गुण का प्रख्यापक हो सकता है । अतः जिस प्रकार से 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' वाक्य का यागनामधेयत्व 'तानि षाष ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः'<sup>1</sup> इस अर्थाद से ज्ञात ज्योतिषसम्बन्ध के कारण माना गया है, उसी प्रकार यहाँ भी विश्वेदेव देवताओं द्वारा आग्नेयादि यागों का अनुष्ठान जिस कारण से किया गया है, उसी कारण ये याग वैश्वदेव कहे जाते हैं । वस्तुतः ये अर्थाद याग की संज्ञा के निर्वचन रूप हैं । अतः वैश्वदेव पद भी तत्प्रख्यन्याय से ही याग की संज्ञा है । वार्तिककार ने भी 'तत्प्रख्यतैव सर्वेषां नामधेयत्वम्'<sup>2</sup> इस कथन द्वारा वैश्वदेवादि के नामधेय मानने में 'तत्प्रख्यता' को ही हेतु माना है । अतः 'उत्पत्तिशिष्टगुण बलीयस्त्व' नामक हेतु का यहाँ विधान ही नहीं है ।<sup>3</sup>

जबकि नव्यमीमांसक स्याद्धेव ने वैश्वदेव पद को यागकर्म की संज्ञा 'उत्पत्तिशिष्ट देवता वरोधसहकृततत्प्रख्य' न्याय से मानी है । क्योंकि वैश्वदेव देवता केवल आग्निशा याग में है । अतः यद्यपि वैश्वदेव केवल आग्निशा याग में ही तत्प्रख्यन्याय से प्रवृत्ति का कारण बनता है किन्तु छत्रिन्याय से सभी यागों का समुदायरूप में 'यज' द्वारा अनुवाद होने के कारण वैश्वदेव पद पूरे समुदाय का आश्रय बनता है, और 'वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत' आदि वाक्य से वसन्तादि के साथ सम्बन्ध के द्वारा चातुर्मास्य संज्ञा प्राप्त करता है साथ ही चातुर्मास्य याग के पक्ष से भी सम्बन्धित होता है । अतः वैश्वदेव पद आग्नेयादि आठ यागों के समूह की संज्ञा है, गुणविधायक नहीं ।

2- तै०ब्रा० 1/5/11/2

2- द्र०-वैश्वदेवाधिरण का भाष्यवार्तिक पृ०-310

3- 'तत्र यष्टृत्वयोगेन एकदेशदेवतात्वेन वा विश्वेषां देवानां समवायात्

तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयं वैश्वदेवशब्दः ।" [शा०दी०पृ०-105 ]

## नामधेय के भेद

नामधेयों की प्रवृत्ति के चार प्रमुख कारण हैं -

1- मत्वर्थलक्षणा भेद, 2- वाक्यभेद भेद, 3- तत्प्रत्ययता, 4- सद्रूपपदेश ।

### 1- यौगिक पदों का नामधेयत्व -

मत्वर्थलक्षणा दोष से बचने के लिये माना गया है । जैसे- "उद्भिदा यजेत" इस वाक्य में यदि यौगिक पद "उद्भिद" को याग का वाचक न मानकर उद्भेदन कार्य के साधनभूत गुण का विधायक मानेंगे, तो यागकर्म का विधायक कोई अन्य वाक्य न होने से मत्वर्थलक्षणा की सहायता से "उद्भिदा" पद में ही गुणाविशिष्ट कर्मविधि माननी होगी । किन्तु इसे याग की संज्ञा मानने पर मत्वर्थलक्षणा दोष नहीं प्राप्त होगा । अतः उद्भिदादि यौगिक पदों को मत्वर्थलक्षणा से बचने के लिये याग की संज्ञा माना गया है ।

### 2- चित्रादि रूढ़ पदों का नामधेयत्व -

वाक्यभेद दोष की निवृत्ति के कारण माना गया है । जैसे- "चित्रया यजेत०" इस वाक्य में "चित्रा" पद गुण का विधायक पद न होकर यागनामधेय है, क्योंकि यदि चित्रादि पदों को गुणवाचक मानकर उसका याग में विधान करें तो चित्रा के अनेक द्रव्यवाला होने से अनेक गुणों का एक साथ विधान मानना होगा । यदि उत्पत्तिवाक्य से कर्म न प्राप्त होता तो अनेक गुणों का विधान एक साथ हो सकता था, किन्तु "दधिमधु०" आदि वाक्य से प्राजापत्यकर्म पूर्ण प्राप्त है । ऐसी दशा में चित्रत्व, स्त्रीत्व आदि अनेक गुणों का विधान करने पर विध्यावृत्ति करनी होगी, जिससे वाक्यभेद दोष प्राप्त होगा, जबकि

चित्रा को प्राजापत्य कर्म की संज्ञा मानने पर यह दोष नहीं प्राप्त होगा । अतः विधिवाक्यगत चित्रा यागकर्म का नामधेय है । इसी प्रकार लोक में गुण एवं जाति के रूप में प्रसिद्ध आज्य, पृष्ठ आदि शब्द भी वेदगत उत्पत्तिवाक्यों में याग की संज्ञा के ही चोतक हैं ।

### 3-अग्निहोत्रादि योगरूढ़ पदों का नामधेयत्व -

"तत्प्रुख्यन्याय" से है । विधि को अभीष्ट जिस गुण को कहने वक्ष्या अन्य शास्त्र मौख्य हो वह वाक्य "तत्प्रुख्यशास्त्र" कहलाता है । जैसे - "अग्निहोत्रं जुहोति"- इस वाक्य में अग्निहोत्र पद को याग की संज्ञा मानने का निमित्त तत्प्रुख्यता ही है, क्योंकि अग्निहोत्र को गुणविधि अथवा गुणविशिष्टविधि मानकर वादी जिस देवता की प्राप्ति कराना चाहता है, वह अग्निदेवता "अग्निर्ज्योतिः०" आदि मन्त्रवाक्य से प्राप्त हो रहा है । अतः अग्निहोत्र पद यागकर्म का ही वाचक है, गुणविधि का नहीं । इसी प्रकार "आधारमाधारयति", "समिधोयजति", "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत", "वैश्वेदेवेन यजेत" आदि वाक्यगत आधार, समित्, वाजपेय और वैश्वेदेवादि पद भी तत्प्रुख्यन्याय से ही याग की संज्ञा हैं ।<sup>1</sup>

### 4-लोकमें गुण के रूप में प्रचलित श्येनादि शब्दों की यागनामधेयता-

"तद्व्यपदेश - निमित्त" से है । जैसे "श्येनेन अभिवरन् यजेत" इस वाक्य में प्रयुक्त श्येन पद श्येन पक्षी रूप विशेष गुण का वाचक न

1-ऐसा कोई नियम नहीं है कि "तत्प्रुख्यशास्त्र" विधिवाक्य ही हो, क्योंकि विधेय की स्तुति द्वारा अर्थात् भी विधिवाक्यों के ही अङ्ग हैं तथा यागाध्यक्षारक्ता के द्वारा मन्त्रवाक्य भी विधि के विनियोग कार्य में सहायक हैं 2 अतः तत्प्रुख्यता विधि, मन्त्र या अर्थात् किसी भी प्रकार की हो सकती है ।

होकर श्येनयाग का वाचक है, क्योंकि अर्थात् वाक्य में "यथा वै श्येनो०" आदि पदों के द्वारा लौक में प्रसिद्ध श्येन पक्षी के श्लुआदान रूप गुण के सादृश्य से श्येनयाग की स्तुति की गई है। यदि विधिवाक्यगत श्येन को भी श्येन पक्षी का वाचक मानेंगे तो श्येन से श्येन की उपमा कैसे सिद्ध होगी, क्योंकि उपमेय और उपमान सदैव भिन्न पदार्थ में स्थित होते हैं। अतः विधिवाक्यगत श्येन पद को याग की संज्ञा मानने पर "यथा वै०" आदि स्तुति वचन भी उपपन्न होंगे। अतः श्येन पद की नामधेयत्वव्यपदेश के कारण सिद्ध होता है। इसी प्रकार "संदक्षेत् ऽभिचरन् यजेत्", "गवाऽभिचरन् यजेत्" आदि वाक्यों में प्रयुक्त संदक्ष, गो आदि पद दुरादानादि सादृश्य के व्यपदेश से याग के नामधेय पद सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार आचार्य जैमिनि से लेकर भाष्यकार, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र और मध्यकालिक आचार्य माध्वाचार्यादि सभी मीमांसकों ने नामधेयों के चार भेद ही स्वीकृत किये हैं। इन चार भेदों के अन्तर्गत ही वेदवाक्य में प्रयुक्त सारे नामधेयपद संगृहीत हो जाते हैं। अतः इनसे भिन्न उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वादि कोई अन्य भेद निरवकाश है। इसलिये अन्य भेद दो नामधेय के कारण के रूप में स्वीकृत करना कल्पनागौरव मात्र है; क्योंकि इसके द्वारा जिन पदों की नामधेयता सिद्ध की जाती है उनका नामधेयत्व तो "तत्प्रत्यय" हेतु से ही सिद्ध हो जाता है।

### विविध मतों की समीक्षा

निष्कर्ष यह यह है कि यागों के नाम का निर्धारक होने से



विधिनाक्यगत नामधेय पदों की प्रयोजनक्ता है । नामधेयपद "पज" के धात्वर्थ से प्राप्त याग को अन्य यागों से पृथक् करने का कार्य करते हैं । अतः उनका याग-व्यावर्तन रूप कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । क्योंकि यदि नामधेयपदों द्वारा इतर याग व्यावर्तन रूप कार्य न किया जाता तो विशेष फल की प्राप्ति कराने वाले भिन्न-भिन्न यागों के प्रति पुरुष की प्रवृत्ति सम्भव न होती । साथ ही किस फल की प्राप्ति के लिये कौन सा याग किया जाय ऐसी व्यवस्था भी न होती । इस प्रकार नामधेय पद विधिद्विष्य के व्यवस्थापक सिद्ध होते हैं । क्योंकि विधि के पुरुष प्रवर्तन रूप कार्य में यागनामधेय पद सहायक होते हैं, अतः नामधेयों पर अक्रियार्थता का आरोप भी नहीं सिद्ध होता । नामधेयपद यागविधि के विशेषण होने से विधि के अङ्ग ही है । इसलिये नामधेयों पर अक्रियार्थता का आरोप लगाने पर विधि की भी व्यर्थता सिद्ध होने लगेगी जो कि अप्रामाणिक है ।

नामधेयपदों का याग के साथ सामानाधि<sup>क</sup>रण्य है । यह सामानाधिकरण्य याग एवं विधि के एकविभक्तिक होने से नहीं अपितु याग और नामधेयपदों की एकार्थ्याचकता के कारण है । अतः नामधेय पदों का याग के साथ सामानाधिरण्य वैश्वदेवी और आमिक्षा पदों की भाँति एक प्रवृत्तिनिमित्तता के कारण है ।

नामधेयपदों का धर्म के प्रति प्रामाण्य स्वाध्यायविधि से भी सिद्ध होता है, इसलिये नामधेयपदों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता । नामधेयपदों को गुणाविधि भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ज्योतिष्टोमादि पदों को गुणाविधायक मानने पर मत्वर्थकृपा एवं वाक्यभेदादि दोषों की प्राप्ति होगी । जिससे कल्पनागौरव प्राप्त

होगा । उत्पत्तिवाक्यगत अग्निहोत्रादि पदों को इत्थित्ये भी गुणविधि नहीं माना जा सकता , क्योंकि अग्नि आदि देवता गुण की प्राप्ति कराने वाला "अग्निर्ज्योतिः" आदि अन्य शास्त्र है । इसी प्रकार श्येनादि पदों की यागवाचकता उसके सादृश्य को कहने वाले अर्थवादवाक्यों से सिद्ध है । इत्थित्ये उत्पत्तिवाक्यगत नामधेयपदों को गुणवाचक नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः सारे नामधेय पदों की यागवाचकता सत्त्वधृष्ट्या-भ्य, वाक्यभेद भ्य, तत्प्रख्यन्याय एवं तद्व्यपदेश न्याय से सिद्ध है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यागविधि के विशेषण होने से नामधेयपद प्रयोजनवान् हैं । विधि के विशेषण होने के कारण ये ऋत्विक्वरण तथा पुरुष के यागानुष्ठान के सकल्प कार्य में भी सहायक हैं । विधि के विश्वव्यवस्थापक होने के कारण ये कर्तव्यरूप विधिभाग से भिन्न नहीं प्रत्युत विधि से अन्यतर हैं । वेदान्तप्रदाय में नामधेयवाक्य भी परम्परा से प्रमाण के रूप में प्राप्त हैं । अतः नामधेयवाक्य विधि के प्रवर्तन रूप कार्य में सहायक होने से धर्मरूपी प्रमिति की उत्पत्ति में समर्थ हैं ।

## ॥ पञ्चम अध्याय ॥

निषेधाक्य-

- ॥क॥ प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों को दृष्टि में निषेध एवम्  
उसका उपयोगिता ।
- ॥ख॥ विविध मतों की समीक्षा

## प्राचीन एवं मध्यकालीन मीमांसकों की दृष्टि में निषेधाक्यों का स्वरूप

वेदवाक्यों का पञ्चम विभाग "निषेधाक्य" है। इनके सम्बन्ध में सूत्रकार जैमिनि, शबरस्वामी कुमारिल भट्ट से लेकर माधवाचार्य आदि अर्वाचीन मीमांसकों ने अपने ग्रन्थों में पर्याप्त चर्चा की है। पूर्ववर्ती मीमांसाचार्यों ने अर्थवाद आदि वेदवाक्यों की भाँति अलग अधिहरण के रूप में निषेध के विषय में विवेचन नहीं किया है। जबकि प्रकरणग्रन्थकारों विशेषतः आपदेव सांगीक्ष-भास्कर आदि ने वेदवाक्य विभाग "निषेधाक्य" के स्वरूप के विषय में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है।

प्रश्न यह है कि इन निषेधाक्यों का स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार से पुरुषार्थ-प्राप्ति में साधन बनते हैं ?

वस्तुतः ऐसे वेदवाक्य जो "नञ्" श्रुति से युक्त हैं और अनिष्ट के साधनभूत ब्राह्मणहत्या आदि कर्मों से पुरुष को निवृत्त कराते हैं एवं पुरुष-निवर्तन द्वारा पुरुषार्थप्राप्ति में सहायक बनते हैं। उन वाक्यों को मीमांसार्दरित में "निषेधाक्य" के नाम से जाना जाता है। जैसे - "न क्लज्जंभमेत्" "ब्राह्मणो न हन्तव्यः", "नानृतं वदेत्", "न सुरापिबेत्" आदि वाक्य ऐसे वेदवाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" श्रुति का अन्वय आख्यात प्रत्यय "त" के लिङ्त्वांश के साथ होता है। प्रातिमदिक अथवा धातु के साथ नहीं होता। यह नञर्थ जिसके साथ संयुक्त होता है उसके विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक होता है। अतः जब यह प्रत्यय के लिङ्.श के साथ सम्बन्ध प्राप्त करता है, तो लिङ्. के वाक्यार्थ "प्रवर्तना" के विरोधी "निवर्तना" रूप अर्थ का बोध कराता है।

किन्तु जिन स्थलों पर प्रत्यय के साथ नञर्थ का अन्वय करने पर भी अभीष्ट वा अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अथवा कल्पना की बोधिसूता बढ़ती है, ऐसे स्थलों पर पर्युदास का सहारा लेकर लक्षणा द्वारा वाक्यार्थ निर्णय किया जाता है और इस प्रकार पर्युदासपरक अर्थ द्वारा भी निषेधाक्य पुरुषार्थ

प्राप्ति में सहायक बनते हैं। जैसे "एकादश्यां नभुञ्जीत" आदि निषेध वाक्यों में।

जबकि इसके विपरीत पूर्वपक्षी निषेधवाक्यों में प्रयुक्त नञ् को अभाववाचक मानकर उनके सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तिमूलक आक्षेप करते हैं, और उसकी पुष्टि के हेतु वे निम्नादि क्त तर्क प्रस्तुत करते हैं -

- 1- निषेधवाक्य कर्तव्यार्थ का प्रतिपादन नहीं करते। अतः पुरुषार्थ प्राप्ति में उपयोगी न होने से वे व्यर्थ हैं।
- 2- निषेधवाक्यों में प्रयुक्त नञ् के अभावार्थ होने से नञ् के साथ धात्वर्थ का सम्बन्ध होने पर वे धात्वर्थभाव का घोटन करते हैं और यदि आप सिद्धान्ती प्रत्ययार्थ से उनका अन्वय करेंगे तो भी वे प्रवर्तनाभाव का ही बोध करावेंगे। इस प्रकार क्रियार्थ न होने के कारण वे व्यर्थ ही होंगे।
- 3- निषेधवाक्य इसलिये भी निष्प्रयोजन हैं क्योंकि वे न तो साक्षात् पुरुषवर्तक हैं और न ही अर्थवाद आदि वाक्यों की भाँति विधि के अङ्ग होकर परम्परया प्रवर्तन में सहायक होते हैं। अतः धर्म के प्रति भी उनका प्रामाण्य सम्भ्रम नहीं है।
- 4- यदि कथञ्चित् निषेधवाक्यों में प्रयुक्त नञ् श्रुति की प्रतिषेधता मान भी लें तो ऐसे वाक्यों में-जहाँ क्रियापद प्रयुक्त ही नहीं है, वहाँ उनका अन्वय किसके साथ मानेंगे? क्योंकि विधायक प्रत्यय के साथ संयुक्त हुए बिना "नञ्" के द्वारा प्रतिषेध ही न हो सकेगा।
- 5- यद्यपि "नञ्" अनेकार्थवाची है, तथापि निषेधवाक्यों में नञ् को

1- "तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता,

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञ्ार्थाः ष्ट् प्रकीर्तिताः।"

"तदन्य तद्विरुद्ध तदभावेषु नञ्।"

{ नागेश कृत परम लघु मञ्जूषा  
- नञ्ार्थ प्रकरण }

अभाववाचक मानना ही अधिक उचित है, क्योंकि यदि इनके विपरीत उसे अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने वाला मानेंगे तो यह व्यवस्था न रहेगी कि अमुक स्थल पर प्रयुक्त नञ्-अभाव अर्थ वाला है या धात्वर्थ विरोधी है या किसी अन्य अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी "नञ्" को निवृत्तिपदार्थक" कहकर उसके अभावार्थक होने की ही पुष्टि की है। अतः अभाववाचक होने पर वह किसी क्रिया का बोध न करा सकने के कारण व्यर्थ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि "नञ्" का कार्य निषेधमात्र है। अतः वे कर्तव्यार्थ प्रतिपादक न होने के कारण व्यर्थ हैं। इसलिये धर्म के प्रति उनका प्रामाण्य भी नहीं है। इस प्रकार वेदगत निषेधाक्यों वाले भाग की अनित्यता सिद्ध होने से सम्पूर्ण वेद की पौरुषेयता एवम् अनित्यता सिद्ध हो जाती है।

### सिद्धान्त

पूर्वपक्षी के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए मीमांसको ने निषेधाक्यों का निम्नादि-क्त स्वरूप बताया है -

1- विधिवाक्यों की भाँति ही निषेधाक्य भी पुरुषार्थप्राप्ति में सहायक हैं

जिस प्रकार विधिवाक्य किसी अन्य प्रमाण से अज्ञात स्वर्ग आदि अर्थों में उनकी प्राप्ति के साधनभूत यागादि क्रिया के प्रति पुरुष में प्रवर्तना उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार निषेधाक्य अनिष्टकारी नरकादि दुःखों के साधनभूत क्लान्तभक्षण आदि कर्मों से पुरुष को निवृत्त कराते हैं।<sup>1</sup> विधि का

कार्य पुरुष की यागादि में प्रवर्तना है, जबकि निषेध का कार्य अनर्क्षकारी कर्मों से पुरुष-निवर्तना है।<sup>1</sup> विधिवाक्य अपने प्रवर्तकत्व की सिद्धि के लिये विधेय यागादि की इष्टसाधनता वर्णित करके पुरुष को उन याग होम आदि कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार निषेधवाक्य अपने निवर्तना रूप कार्य की सिद्धि के लिये क्लान्जभङ्गादि निषेध्यपदार्थ की अनिष्टसाधनता का ज्ञान कराते हुए उनसे पुरुष को निवृत्त कराते हैं।

यथा - "स्वर्गकामो जुहोति" आदि विधिवाक्य लिङ्०, लोट्, तव्य आदि विधायक प्रत्ययों की सहायता से प्रवर्तना के वाचक हैं, क्योंकि "विधि-निमन्त्रणान्त्रणाधीष्टसंप्रश्न प्रार्थेषु लिङ्०" - इस पाणिनि सूत्र से लिङ्० आदि की प्रवर्तना रूप शक्ति ज्ञात होती है। उसी प्रकार "नक्लन्जं भङ्गेत्", "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" आदि निषेधवाक्यों में "न्ज्" के साथ पढ़े गये लिङ्०, लोट् आदि विधायक प्रत्यय निवर्तना अर्थ के बोधक हैं। अनर्क्षकारी क्रियाओं के प्रति पुरुष का निवृत्त्यनुकूल व्यापार ही "निवर्तना" कहलाता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि की भाँति निषेधवाक्य भी पुरुषार्थप्राप्ति में सहायक हैं, क्योंकि जिस प्रकार पुरुष स्वर्ग इत्यादि अभीष्ट फलों की प्राप्ति का इच्छुक होता है उसी प्रकार अनिष्ट फलों से बचना भी चाहता है। साधन ज्ञान के अभाव में वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि किस साधन से वह अपने इष्ट की प्राप्ति में प्रवृत्त हो तथा अनिष्टकारी कर्मों से कैसे बचा जाये। वेदगत विधिवाक्य यागादि क्रियाओं का ज्ञान कराकर इष्टप्राप्ति के साधन स्वरूप कर्मों में प्रवृत्त होने में पुरुष की सहायता करते हैं।

1- पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः । निषेधवाक्यानाम् अनर्थहेतुक्रिया-निवृत्तिजनकत्वेनैव अर्थवत्त्वात् ।"

निषेधवाक्य भी दुःख के साधनभूत ब्राह्मणहत्या आदि कर्मों का ज्ञान कराकर पुरुष को उनसे निवृत्त कराते है। अतः निषेधवाक्य पुरुष में निषेध्य कर्मों के विषय में निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करने के कारण पुरुषार्थ प्राप्ति में सहायक होते है।

2- निषेधवाक्यगत "नञ्"सदैव अपने से सम्बद्ध पदार्थ के विपरीतार्थ का बोध होता है

निषेधवाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" श्रुति की यह प्रकृति है कि वह सदैव अपने से सम्बद्ध प्रातिपदिक, धात्वर्थ अथवा क्रिया के विपरीत अर्थ का ही ज्ञान कराता है। जैसे "घटोनास्ति" इस वाक्य में "अस्ति" के साथ "नञ्" का सम्बन्ध होने पर यह वाक्य घटसत्ता के विरोधी घटासत्त्व का ही ज्ञान कराता है। लिङ्० का अर्थ प्रवर्तना है। "नक्लन्जं भक्षेत्" आदि वाक्यों में "नञ्" श्रुति का सम्बन्ध लिङ्० अर्थ प्रवर्तना के साथ हो रहा है। अतः यह वाक्य "प्रवर्तना" के विरोधी "निवर्तना" का ही बोध करायेगा ।

जिसप्रकार विधिवाक्य के श्रवण से यह मुझे प्रवृत्त कर रहा है - इस प्रकार का प्रवर्तनारूप अर्थ ज्ञात होता है, वैसे ही निषेधवाक्य का श्रवण होने पर पुरुष को "यह मुझे निवृत्त कर रहा है" ऐसा निवर्तना रूप वाक्यार्थ बोध होता है। निषेधवाक्य निवर्तनार्थ ही होते हैं। अतः "नक्लन्जं०" आदि निषेधवाक्यों के श्रवण से अनर्थ के साधनभूत क्लन्जभक्षणादि से निवृत्तिरूप वाक्यार्थबोध होता है।<sup>1</sup> इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि "नञ्" लिङ्० या आख्यात प्रत्यय के

1- निषेधवाक्यश्रवणोत्तरं हि निवर्तनाविषयक शाब्दबोधे जाते तस्याः

अयमस्मान्निवर्तताम् इत्याकारकत्वे लिङ्०दिनिष्ठत्वादौ च पूर्ववदेवागते

क्लन्जभक्षणी मदिनिष्ठसाधनम् अयमस्मान्निवर्ततामित्याकारक व्यापार-

विषयाभाव प्रतियोगिकृतिविषयत्वात् इत्यनुमितिर्जायते ।"



साथ सम्बन्ध प्राप्त करता है तो उसके विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है और यदि प्रतिपदिक अथवा धात्वर्थ के साथ संयुक्त होता है तो उसके विरोध अर्थ का प्रतिपादन करता है।

### 3- निषेध वाक्यों में प्रयुक्त नञ् अभाव का वाचक न होकर निवर्तना का वाचक होता है

निषेधवाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" श्रुति अभाव की बोधक नहीं प्रत्युत निवर्तना की बोधक है। यद्यपि यह सत्य है कि "नञ्" की शक्ति अभाव में भी होती है, किन्तु यदि यहाँ पर उसका अभाव अर्थ मानेंगे तो अभीष्ट की सिद्धि न हो सकेगी। क्योंकि यदि वह धात्वर्थ के साथ संयुक्त होगा तो वह धात्वर्थाभाव का बोध करायेगा अभाव का विधान संभव न होने से वह विधेय भी नहीं हो सकेगा। अभाव उपादेय अर्थात् पुरुषप्रयत्न साध्य हो ही नहीं सकता। अतः पुरुषकृत्ताध्यत्व न होने से उसमें विधायकता भी संभव नहीं होगी। यदि अभाववाचक मानकर "नेकेत" आदि में नञ् का अन्वय "ईक्ष्" आदि के धात्वर्थ के साथ करते हैं तो वह ईक्षणाभाव रूप अर्थ का प्रतिपादन करेगा और अभाव के विधेय न होने के कारण ईक्षणाभाव का विधान नहीं हो सकेगा। इसलिये नञ् के अभाववाचक होने पर भी धात्वर्थ के साथ उसका अन्वय होने पर कर्तव्यरूपता के प्रतिपादन के लिये लक्षणा से उसका "तदन्यत्" और "तदभिन्न" अर्थ मानना ही अभीष्ट है। अतः "नञ्" का "तदन्यत्" अर्थ मानकर ईक्ष् के साथ अन्वय करने पर ईक्षणाभाव भिन्न संकल्प रूप अर्थ लक्षणा से प्राप्त होगा। वस्तुतः नञ् से जितने अर्थों की प्रतीति होती है। उन सभी अर्थों में

नञ् की शक्ति विद्यमान है। यह अर्थ प्रतिपादन चाहे अभिधा से हो या लक्षणा से। क्योंकि अभिधा के द्वारा अभीष्ट सिद्धि न होने पर लक्षणा का आश्रय लेना ही पड़ता है।

जिन स्थलों पर नञ् पर्युदात्त अर्थ वाला न होकर "प्रतिषेध" अर्थ वाला होता है अर्थात् जहाँ "नञ्" धात्वर्थ के साथ संयुक्त न होकर आख्यात पद के साथ संयुक्त होता है, वहाँ पर "नञ्" अभाव का बोधक न होकर निवृत्तिमात्र का बोधक होता है।<sup>1</sup> केवल विधि को ही प्रमाण मानने वाले मीमांसक भी नञ् की निवर्तना शक्ति को अस्वीकृत नहीं करते।

4- विधिवाक्यों की भाँति ही निषेधवाक्य भी अपूर्व नियम एवं परिसंख्या रूप होते हैं

जिस प्रकार विधि अपूर्व-विधि, नियम-विधि एवं परिसंख्या तीन प्रकार की होती है, उसी प्रकार निषेधवाक्य भी अपूर्वनिषेध, नियमनिषेध एवं परिसंख्या निषेध तीन प्रकार के होते हैं।<sup>2</sup>

1- किसी अन्य शास्त्रीय लौकिक वाक्य द्वारा जिनका निषेध पहले से न प्राप्त हो, वह "अपूर्व निषेध" कहे जाते हैं। जैसे - "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" में षोडशीग्रहण का निषेध, "नतौ पशौ करोति" में पशुमाग में आज्यभाग प्राप्ति का निषेध एवं "दीक्षितो न ददाति" आदि वाक्यों में सोमदीक्षा प्राप्त पुरुष के लिये दान होमादि कर्मों का

1- यत्राख्यातसंयोगे नास्तिष्टः नासीन्न भविष्यतीति वा निवृत्तिः प्रतीयते, तत्रापि न वस्त्वभावो नञा क्रियते, किन्त्वज्ञानसंज्ञविपर्ययमात्रनिवारणमिति  
‡ श्लोक० को न्याय रत्नाकरः 302 की व्याख्या ‡

2- द्र० - मी० न्यायप्रकाश की सारविवेचनी पृ० 167-68

निषेध "अपूर्वनिषेध" के उदाहरण है।

- 2- जिस प्रकार "ब्रीहीन् अवहन्ति" आदि नियमविधि स्वयं अवहनन आदि कर्मों में प्रवृत्त पुरुष के विषय में प्रवृत्त न होकर अन्य उपायों द्वारा तुषविमोचन में प्रवृत्त पुरुष को अप्राप्त अवहनन कर्म की प्राप्ति कराकर अप्राप्तांश की पूरक बनती है। उसी प्रकार "नियमनिषेध" भी निषिध्य पदार्थों में अप्रवृत्त पुरुष के प्रति नहीं प्रवृत्त होता। अपितु रागतः ब्राह्मणहत्या आदि कर्मों में प्रवृत्त हुए पुरुष की "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" आदि वाक्यों की सहायता से निषिध्य हननादि कर्मों से निवृत्ति कराता है। यद्यपि यह कोई नियम नहीं है, कि निषेध-वाक्य के श्रवण के बिना पुरुष निषिध्य कर्मों से निवृत्त ही नहीं हो सकता। अपनी इच्छा से तथा अन्य स्मृति आदि प्रमाणों से भी वह इनसे निवृत्त हो सकता है। तथापि उत्कट इच्छा के वशीभूत होकर जो पुरुष इन हननादि कर्मों में प्रवृत्त होता है उनकी निवृत्ति कराने वाले निषेधवाक्य "नियमनिषेध" कहलाते हैं "नक्लन्जं भक्ष्येत्" आदि वाक्य इसके उदाहरण हैं।
- 3- जबकि सभी प्रकार के निषेधवाक्य "सर्वत्र हि परिसंख्याशब्दाद् एवकाराद्वा न श्रुत्या परिसंख्या नियमो वा अवबोध्यते"। इस नियम के अनुसार नञ् श्रुति से युक्त होने पर परिसंख्यानिषेध होते हैं।

निषेधवाक्यगत "नञ्" का अन्वय लिङ् प्रत्ययवाच्य शाब्दीभावना के साथ होता है

निषेधवाक्यों में व्यवहृत "नञ्" श्रुति का अन्वय सदैव विधायक प्रत्यय " के लिङ्त्व अंश वाच्य शाब्दी भावना के साथ ही होता है। इसलिये वादी

के द्वारा किया गया यह दोषारोपण ठीक नहीं है कि नञ् का अन्वय सदैव धात्वर्थ के साथ ही होने से निषेधाक्यों में धात्वर्थविष्मक वर्जनबुद्धि ही कर्तव्य रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि यद्यपि "नञ्" श्रुति की धात्वर्थ के प्रति आसक्ति होने से धात्वर्थ के साथ उसका अन्वय संभव है, तथापि केवल आसक्ति अथवा अव्यवधान ही अन्वय के लिये आवश्यक नहीं है। बल्कि अन्वय के लिये यह भी ज्ञान आवश्यक है कि जिसका जिसके साथ अन्वय हो रहा है वह उसके प्रति विशेषण रूप में उपरिष्ठ है या गौण रूप से। गौण रूप में उपरिष्ठ पदार्थ का अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में अन्वय नहीं हो सकता, प्रत्युत जो जिसका विशेषण है उसी के साथ वह अन्वित होता है।<sup>1</sup>

यथा "राजपुरुषमानय" वाक्य में "राजा" पद "पुरुष" का विशेषण है इसलिये उसका अन्वय "पुरुष" के साथ ही होगा। "आनय" क्रिया के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, बल्कि "ले आना" के साथ पुरुष का ही अन्वय होगा। क्योंकि पुरुष ही क्रिया के प्रति मुख्य रूप से प्राप्त है। अतः "नहि अन्योपसर्जनमन्येनान्वेति" इस न्याय के अनुसार ही "नक्तन्वं भक्षेत्" आदि निषेधाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" का अन्वय "भक्ष्" के धात्वर्थ के साथ नहीं होगा, अपितु भक्षप्रक्रियागत "त्" प्रत्यय के साथ ही होगा। इस प्रकार व्यवधान न होने पर भी "नञ्" का अन्वय धात्वर्थ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि धात्वर्थ प्रत्ययार्थ के प्रति गौण होता है।

वाक्यार्थ अन्वय में एक अनुयोगी और दूसरा प्रतियोगी होता है। जिसका अन्वय किया जाता है वह अनुयोगी पदार्थ और जिसमें अन्वय किया

1- "अव्यवधानेऽपि धात्वर्थस्य प्रत्ययार्थोपसर्जनत्वेन उपरिष्ठस्य नञोपसर्जनान्वयायोगात् । न ह्यन्योपसर्जनमन्येनान्वेति । यतः मा भूद् राजपुरुषमानय इत्यत्र राज्ञ आनयनान्वयित्वम् ।"

जाता है वह प्रतियोगी पदार्थ कहा जाता है। यहाँ "नक्लन्ञ भक्ष्येत्" आदि वाक्यों में "नञ्" अनुयोगी और "धात्वर्थ" प्रतियोगी है। तथापि प्रतियोगी के रूप में उपस्थित धात्वर्थ के भावना का विशेषण होने से नञ् का अन्वय धात्वर्थ के साथ संभव नहीं है। क्योंकि धात्वर्थ "त" प्रत्ययगत भावना के प्रति गौण है।

इस "त्" के भी दो धर्म हैं "आख्यातत्व" और "लिङ्गत्व"। इनमें आख्यातत्व अंश- लिङ्गत्व अंश के प्रति गौण है, जबकि लिङ्गत्व अंश किसी के प्रति गौण नहीं होता। यही आख्यातत्व और लिङ्गत्व क्रमशः आर्षीभावना और शाब्दीभावना के नाम से मीमांसाशास्त्र में व्यवहृत होते हैं।

इस प्रकार प्रधान होने के कारण शाब्दीभावना के साथ ही निषेध वाक्यगत नञ् का अन्वय होता है। आर्षीभावना अथवा धात्वर्थ के साथ नहीं। नञ् का धात्वर्थ के साथ अन्वय उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार द्रव्य के वाचक "एकहायनी" के साथ गुणवाचक आरुण्य का अन्वय नहीं हो सकता। ज्योतिष्टोम याग में "अरुण्या पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति" इस वाक्य से लाल वर्ण एवं पिङ्गलनेत्रों वाली एक वर्षीया गौ से सोमकृषण का विधान किया गया है। इस वाक्य में प्रयुक्त "एकहायनी" पद के गो द्रव्य का वाचक होने से यद्यपि आरुण्य गुण का उसके साथ अन्वय हो सकता था, क्योंकि द्रव्य के साथ गुण का अन्वय होता है। तथापि "एकहायनी" पद के "कारक" की अपेक्षा गौण होने से उसमें आरुण्य का अन्वय नहीं होता। उसी प्रकार गौण होने से धात्वर्थ के साथ नञ् का सम्बन्ध नहीं हो सकता। यहाँ वादी का यह तर्क भी उचित नहीं है कि "नञ्" का अन्वय धात्वर्थ के साथ भले ही न हो किन्तु "क्लन्ञ" आदि पदों के साथ तो हो ही सकता है। जिस प्रकार आरुण्य गुण का अन्वय एकहायनी गो द्रव्य के साथ न होकर "क्रीणाति" के आख्यात प्रत्यय के साथ होता है, क्योंकि "प्रकृतिप्रत्ययौ सहायं ब्रूतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्यात्" इस नियम से तथा "परिपूर्णं पदं पदान्तरेणान्वेति" आदि के अनुसार

प्रत्यय के ही प्रधान होने से वाक्य में उपस्थित सभी पदों का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ ही होता है। इसी प्रकार "न क्लन्जं भक्षमेत्" आदि वाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" पदार्थ का अन्वय "त" प्रत्यय के लिङ्त्ववाच्य प्रवर्तना के साथ ही होगा, न कि क्लन्जादि पदार्थों के साथ। क्लन्ज आदि सभी पदार्थ भावना के प्रति गौण ही है मुख्य नहीं।

अतः जैसे क्रयभावना के साथ ही आरुण्य आदि पदों का अन्वय होता है वैसे ही इस निषेधावाक्य में भी "भक्षणभावना" के साथ ही न्यर्थ का अन्वय होगा। अन्य कारकपदों के साथ नहीं होगा। क्योंकि कारकपद क्रियागत प्रत्यय के प्रति गौण होते हैं, और वाक्य में विधायक प्रत्यय ही प्रधान होता है।

निषेधावाक्यों का कार्य विधिवाक्यों से भिन्न है

मीमांसा शास्त्र में विधि एवं निषेध दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। जहाँ विधिवाक्यगत लिङ्गादि प्रवर्तना रूप अर्थ देते हैं, वही निषेधावाक्यों में नञ्विशिष्ट लिङ्ग सदैव निवर्तना अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। अतः वादी का यह तर्क भी युक्त नहीं है कि निषेधावाक्य में हनन आदि विष्मक वपनबुद्धि के कर्तव्य के रूप में प्राप्त होने से तथा विधिवाक्यों में यागादिविष्मक प्रवृत्तिबुद्धि के कर्तव्य रूप में प्राप्त होने के कारण, क्योंकि दोनों स्थलों पर कर्तव्यता ही प्रतिपादित की जाती है, इसलिये विधि एवं निषेध की एकार्थता सिद्ध होती है।

इसका निरास करते हुए सिद्धान्ती का कहना है कि जिस प्रकार लोक में ब्राह्मणहत्या और अश्वमेध याग कर्म में महान् भेद देखा गया है वैसे ही वेदगत

विधिवाक्य एवं निषेधाक्य में भी महान् अन्तर है।<sup>1</sup>

विधि एवं निषेध के अन्तर को बताते हुए न्यायसुधाकर ने कहा है कि विधि एवं निषेध विष्णुक फल, प्रमा, प्रमेय अधिकारी एवं बोधक प्रत्ययादि के भेद से भी इन दोनों का उत्पन्न भेद सिद्ध होता है। जहाँ निषेध वाक्यों का फल नरकादि दुःस्कारी अनिष्ट फल से पुरुष की निवृत्ति है, वहीं विधिवाक्यों का फल स्वर्ग, पुत्र आदि अभीष्ट फलों की प्राप्ति विष्णुक ज्ञान कराना है। विधिवाक्यों के श्रवण से पुरुष में "मैं इस कार्य में प्रवृत्त होऊँ" ऐसी प्रवृत्ति-विष्णुक बुद्धि उत्पन्न होती है। निषेधाक्यों के श्रवण से ब्राह्मणहत्यादि निषेध्य कर्मों के प्रति मैं इससे निवृत्तहोऊँ" ऐसी निवृत्तिबुद्धि पुरुष में होती है। विधि का प्रमेय यागादि क्रियागत इष्ट साधता है, तो निषेध का प्रमेय क्लान्जभक्षण एवं वौरकर्मादिगत अनिष्टसाधता है। विधि के विधेभूत यागादि में स्वर्गादि की इच्छा से युक्त पुरुष अधिकारी होता है। रागादि से प्रवृत्त पुरुष निषेध्य विष्णुओं में अधिकारी होता है। विधिवाक्यों में नञ्प्रति लिङ्०, लोट्, तव्य आदि प्रत्यय यागादि की इष्टसाधता का ज्ञान कराने के साधन हैं। जबकि निषेधाक्यों में नञ्प्रत्यय लिङ्० आदि प्रत्यय निषेध्य विष्णुओं की अनिष्टसाधता का ज्ञान कराते हैं। अतः निषेधाक्य विधि से भिन्न स्वरूप वाले हैं - यह स्पष्ट हो जाता है।<sup>2</sup>

1- जैसी कि उक्ति भी है -

"अन्तरं यादृशं लोके ब्रह्महत्याश्रवमेधयोः

दृश्यते तादृशं वेदे विधानप्रतिषेधयोः ।"

‡ बृहदटीका से उद्धृत ‡

2- "फलबुद्धिप्रमेयाधिकारिबोधकभेदतः

पञ्चधाऽत्यन्तं भिन्नत्वात् भेदो विधिनिषेधयोः ।"

‡ न्याय० पृ०-108 ‡

केवल विध्यर्थ को ही प्रमाण मानने वाले मण्डनमिश्र आदि मीमांसकों के अनुसार जिस प्रकार पुरुष विधि द्वारा इष्टसाधनता के ज्ञान से प्रवृत्त होता है, वैसे ही निषेधवाक्यों में पुरुष नञसहित विधि से ज्ञात अनिष्टसाधनता से निवृत्त भी होता है। इसप्रकार निषेधवाक्यों में नञ् सदैव प्रत्ययार्थ लिङ्गत्व के साथ अन्वित होता हुआ निवर्तना रूप वाक्यार्थबोध कराता है।<sup>1</sup> अतः विधि को ही प्रमाण मानने वाले मीमांसक भी नञ् की निवर्तनाशक्ति को अप्रामाणिक नहीं कहते ।

पूर्वपक्षी के मतानुसार निषेधवाक्यों में व्यवहृत "नञ्" यदि निषेधवाचक न मानकर सिद्धान्ती को अभिमत पर्युदास अर्थ लेते हैं, तो स्वार्थवृत्ति को छोड़कर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ेगा, जो कि जघन्यवृत्ति है। अतः नञ् श्रुति का प्रयोजन निषेध ही है, पर्युदास नहीं है।<sup>2</sup>

यदि सिद्धान्ती यह कहे कि नञ् अर्थ को निषेधवाचक मानने पर "नानुयाजेषु" आदि निषेध वाक्यों में प्रयुक्त नञ् का प्रतिषेध अर्थ लेने पर विकल्प प्रसक्ति होगी, तो उसका समाधान यह है कि एक पक्ष की प्राप्ति होने पर भी दूसरे पक्ष की निवृत्ति तो होगी ही । अतः विकल्प भी अनुचित नहीं है।<sup>3</sup>

1- ड्र० मी० न्यायप्रकाश - पृ० 108

2- "तत्र श्रुत्यर्थाभाय प्रतिषेधोऽन्यथा पुनः

पदद्वयमपि ह्यन्यपरत्वात् लक्षणा व्रजेत् ।"

‖ शा० दी० पृ० 463 ‖

3- "प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च प्राप्तप्रतिषिद्धत्वात् विकल्पः स्यात् ।"

‖ जै० सू० 10/8/1 एवं दृष्टीका पृ० 23 ‖



नञ् को पर्युदात्तपरक मानने में एक दोष यह भी है कि "नित्यो ह्यस्य न शब्दस्य सुबन्तसम्बन्धेन समासः" इस वार्तिक के नियम से "नञ्" का अनुयाज पद के साथ नित्य समास प्राप्त होगा । जिससे "नानुयाजेषु" की वाक्यरूपता भङ्ग हो जायेगी और ऐसी दशा में निषेधवाक्यगत नञ् कृति की व्यर्थता ही सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर्युदात्त तो सब होता जब "अनुयाजेषु" ऐसा नित्य समास यहाँ माना जाता । यदि नञ् का अनुयाज के साथ नित्य समास न करके क्रियापद के साथ सम्बन्ध किया जायेगा तो प्रतिषेध अर्थ होने से "नानुयाजेषु" वाक्य भी व्यर्थ नहीं होगा ।

यदि इन वाक्यों में प्रयुक्त नञ् को निषेधपरक नहीं मानना चाहते तो "नहिनिन्दान्याय" से इनका प्रशंसापरक अर्थ लेकर इन्हें अर्थवादवाक्य माना जा सकता है। ऐसा करने से इन वाक्यों की विधि के अङ्ग रूप से क्रियार्थता भी सिद्ध हो जायेगी ।

पूर्वपक्षी के द्वारा उक्त आरोपों का खण्डन सिद्धान्ती के निम्नलिखित तर्कों से स्वयं हो जाता है।-

नञ् का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ संभव न होने पर अगत्या बाल्यात् भिन्न पदों के साथ भी अन्वय होता है

वेद में कतिपय ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ निषेधवाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ नहीं संभव होता । क्योंकि प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय में विकल्प आदि की प्राप्ति होने लगती है, ऐसी स्थिति में नञ् का अन्वय लिङ्.त्व-वाच्य शाब्दीभावना के साथ न होकर धात्वर्थ एवं प्रातिपदिक पदों के साथ होता है। नाम एवं धातु के साथ संयुक्त नञ् निषेध नहीं होता, क्योंकि निषेध रूप अर्थ तो नञ् के भावना के साथ अन्वित होने पर ही प्राप्त होता है।

1- "विधायकैरसंयुक्तो न हि नञ् प्रतिषेधः।"

‡ श्लोकः, वाक्याधिकरण श्लोक - 308 ‡

जैसे - नानुयाजेषु", "नेकेतोयन्तयादित्यम्"; न होतारं वृणीते नार्थम् आदि निषेधवाक्य ।

इन वाक्यों में नञ् का तात्पर्य धात्वर्थाभाव न होकर तदभिन्नता होती है। ऐसे वाक्यों में नञ् के प्रत्ययार्थ के साथ अन्वित होने में कतिपय बाधक स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। जिसके निवारण के लिये अगत्या नञ् का अन्वय प्रातिपदिक या धातु के साथ करना पड़ता है।

शाब्दीभावना के साथ नञ् के अन्वय में दो बाधक हेतु हैं -

1- "तस्य व्रतम्" रूप उपक्रम 2- विकल्प-प्रसक्ति । जिन निषेधरूपों में इन दोनों में से कोई भी बाधक हेतु प्राप्त होने लगता है, वहाँ वाक्यार्थ निर्णय के लिये पर्युदास की सहायता ली जाती है। किन्तु इन बाधकों से रहित अन्य निषेधवाक्यों में लिङ्० के साथ अन्वित नञ् निषेधरूप ही होता है।

### पर्युदास का स्वरूप

जिन निषेधरूपों में विध्यर्थ मुख्य होता है और निषेध गौण होता है वहाँ पर्युदास होता है। ऐसे रूपों में नञ् का अन्वय प्रातिपदिक अथवा धात्वर्थ के साथ होता है। पर्युदास रूप में अर्थ निर्णय के लिये लक्षणा की सहायता ली जाती है, क्योंकि अभिधा वृत्ति से प्राप्त अर्थ वहाँ सङ्गत नहीं होता । जैसे "नेकेतोयन्तयादित्यम्" इस वाक्य में नञ् का अन्वय "ईक्ष" क्रिया के साथ होने पर लक्षणा द्वारा ईक्षणाभावभिन्न संकल्प अर्थ लिया जाता है । इस प्रकार यहाँ पर निषेध मुख्य नहीं है प्रत्युत संकल्प पालनरूप कर्तव्य ही मुख्य है।<sup>2</sup>

1- "पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्" ॥ हरिकारिका ॥

2- "ईक्षणव्यतिरिक्ता हि क्रियातत्राप्यपेक्षिता  
प्रत्यासत्तेर्न संकल्पमतिक्रम्य प्रतीयते ।"

॥ श्लोक० अपोहवाद श्लोक-32 ॥

अतः पर्युदास में विध्यर्थ की मुख्यता कही जाती है। इसी प्रकार "यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु" इस निषेधाक्य में "नञ्" श्रुति का अनुवाद "करोति" इस क्रिया के साथ न होकर "अनुयाज" प्रातिपदिक के साथ होता है। यहाँ भी "नञ्" कर्तव्यनिषेधक नहीं है प्रत्युत अनुयाजभिन्न यागों में "येयजामह" का उच्चारण करना चाहिए, इसप्रकार की कर्तव्य रूपता ही नञ्के मुख्यार्थ रूप में प्राप्त होती है।

वार्तिककार ने भी कहा है कि नाम एवं धात्वर्थ के साथ संयुक्त होने वाला "नञ्" वैसे ही निषेधार्थक नहीं होता। जैसे ब्राह्मण, अधर्म आदि पदों में नञ्द्वारा मुख्यार्थ ब्राह्मणत्वरहित क्षत्रियादि का तथा धर्म के विरोधी अधर्म की प्रतीति होती है। अतः नञ् अपने से सम्बद्ध धातु एवं नाम के विरोधी की प्रतीति कराता है।<sup>1</sup> इस प्रकार पर्युदास वस्तुतः निषेधरूप न होकर प्रच्छन्न रूप विधि ही है।

### प्रतिषेध का स्वरूप

जिन निषेधस्थलों में नञ्र्थ का अन्वय आख्यात अर्थात् क्रियापद के साथ होता है वहाँ प्रतिषेध होता है।<sup>2</sup> ऐसे वाक्यों में नञ्र्थ ही प्रधान होता और प्रत्ययार्थ गौण होता है। यह शुद्ध निषेध है। जैसे - "ब्राह्मणो न हन्तव्यम्" इस वाक्य में "नञ्" श्रुति का अन्वय क्रियापद के साथ होने से यहाँ पर ब्राह्मण-

1- "नामधात्वर्थयोगी तु नैव नञ्प्रतिषेधकः

षदतोऽब्राह्मणधर्मावन्यमात्रविरोधितौ ।"

‡ श्लोक० अपोहवाद श्लोक - 33 ‡

2- "प्रतिषेधः स विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नञ्।"

‡ हरि कारिका ‡

हननकर्म से पूर्णतया निवृत्ति ही वाक्यार्थ है। प्रतिषेधवाक्यों में नञ् अर्थ सदैव भावना के साथ ही सम्बद्ध होता है। भावना वस्तुतः क्रिया की प्रतिपादिका है। "नानृतवदेत्", "नस्तेयात्" "नक्लन्जं भक्षयेत्" आदि वाक्य भी निषेध के ही उदाहरण हैं।

वार्तिककार का कहना है कि आख्यात के साथ अन्वित नञ् निषेध का ही वाचक है। यह अन्वय "त" आदि प्रत्ययों के आख्यात और लिङ्, त्व किसी भी अंश से सम्बन्धित हो सकता है। किन्तु दोनों ही स्थितियों में वह निषेध का ही वाचक होता है। ऐसे निषेधों द्वारा पुरुष की अनिष्टफलकारी कर्मों से निवृत्ति ही निषेधवाक्यों का प्रयोजन है।

"नेक्षतोयन्तम्०" आदि वाक्यों में नञ्के प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय में "तस्यव्रतम्" यह उपक्रम बाधक है -

"नेक्षतोयन्तमादित्यम्"<sup>1</sup> आदि स्मृतिवाक्यों में नञ् अर्थ का क्रिया के साथ अन्वय करने में "तस्यव्रतम्" यह उपक्रम बाधक है। मनुस्मृति में "व्रतानि इमानि धारयेत्"<sup>2</sup> आदि के द्वारा स्नातक के अनुष्ठेय कर्मों का संकल्प करने के पश्चात् "नेक्षत०" आदि वाक्य पढ़े गये हैं। यहाँ क्योंकि निषेधवाक्य के पाठ के पूर्व ही स्नातक के कर्तव्य रूप व्रत का संकल्प लिया गया है। इसलिये यदि इस वाक्य में प्रयुक्त "नञ्" श्रुति का अन्वय भावना के साथ करेंगे तो प्रारम्भ में व्रत के रूप में किया गया संकल्प व्यर्थ हो जायेगा। क्योंकि ऐसी दशा में उगते

1- "अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीविस्तु स्नातको द्विज  
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानि इमानि धारयेत् ।"

‡ मनु० 4-13 ‡

2- "नेक्षतोयन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन  
नोपतृष्टो न वारिस्थो न मध्यं नभसोगतम् ।"

‡ मनु० 4-37 ‡

हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए" यह वाक्यार्थ प्राप्त होगा जो कि उपक्रम का विरोधी है। प्रारम्भ में ही स्नातक के व्रतों का संकल्प लिया गया है। अतः इस वाक्य में उपक्रम से सह.गति के लिये "धात्वर्थ" के साथ नञ् का अन्वय करके पर्युदास के आश्रय से वाक्यार्थ करने पर अभीष्ट की सिद्धि होगी और लक्षणा से "आदित्यविष्मक अनीक्षण संकल्प" स्नातक के कर्तव्य के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि नञ् का धात्वर्थ के साथ संयोग होने पर नञ् अपने स्वभाव के अनुसार ईक्षणविरोधी अर्थ देगा और पर्युदास लक्षणा से ईक्षण विरोधी अनीक्षण का संकल्प ही अनुष्ठेय के रूप में प्राप्त होता है। धात्वर्थ के साथ सम्बद्ध "नञ्" प्रतिषेध अर्थ वाला नहीं होता। अतः धात्वर्थ के साथ ही अन्वय करने पर तस्य व्रतम् रूप "उपक्रम" एवं "नेक्षेत्०" आदि वाक्यों में कोई विरोध भी नहीं होगा, और इनकी एकवाक्यता भी सिद्ध होगी। अतः स्नातक में "मै उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखूंगा" आदि रूप संकल्पबुद्धि उत्पन्न होगी।

यद्यपि मनुस्मृति में कहे गये ये वाक्य उदाहरण की भाँति प्रतीत होते हैं तथापि प्रारम्भ में "तस्य व्रतम्" ऐसा उपक्रम और अन्त में "एतावता हेनसा विपुक्तो भवति" आदि अर्थवादरूप वाक्य प्राप्त होने से इन वाक्यों की पारस्परिक आकांक्षा ही सिद्ध होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि यहाँ पर कर्तव्यरूप विधान को स्वीकार न करके प्रतिषेध रूप अर्थ लेंगे तो पूर्ववाक्य की

---

1- "त्रेधा हि नशो वृत्तिः पर्युदास अभाव प्रतिषेधैः । तद्यत्राज्ञाहमणाऽनीक्षणादौ नामधात्वर्थाभ्यां युज्यते तत्र ज्ञाहमणेऽवस्त्वन्तरपर्युदस्तं क्षत्रियानोऽहं कर्तव्यत्वात् वस्त्वेव नशा प्रतिपाद्यते । तच्च वस्त्वन्तरपर्युदसनं वस्त्वन्तरस्यानुगुणम् ।"

‡ श्लोक० की न्याय रत्नाकर टीका

साकार्कता नष्ट हो जायेगी । साथ ही साकार्क वाक्यों की प्रमाणरूपता न मानने पर "गौः, अश्वः, पुरुषोहस्ती" आदि निराकार्क पदों की भी वाक्यरूपता प्राप्त होगी । ऐसी दशा में "साकार्क वाक्य प्रमाणम्" आदि नियम भी व्यर्थ सिद्ध होंगे ।

निष्कर्ष यह है कि यदि हम "नेकेत०" आदि वाक्यों में "नञ्" का प्रत्याम्नार्थ के साथ अन्वय मानेंगे तो कर्तव्य रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी । अतः यहाँ "नञ्" का धात्वर्थ के साथ सम्बन्ध प्रतिपादित करना ही अभीष्ट है क्योंकि ऐसा होने पर नञ्का प्रतिषेध रूप अर्थ नहीं होगा ।<sup>1</sup> प्रतिषेध तो वस्तुतः वहाँ होता है जहाँ "नञ्" का सम्बन्ध विधायक प्रत्यय के साथ हो । नाम एवं धातु के विधायक न होने के कारण इनसे सम्बद्ध नञ्प्रतिषेध नहीं वरन् पर्युदासपरक होगा ।<sup>2</sup>

"नेकेत०" आदि वाक्यों में प्रयुक्त नञ् अभाव का वाचक नहीं अपितु ईक्षण विरोधी अनीक्षण संकल्प का ही बोधक है, क्योंकि अनीक्षण ही धात्वर्थ का विरोधी है। यहाँ यद्यपि ईक्षण विरोधी अन्य पदार्थ भी हो सकते थे, तथापि वस्त्र द्वारा नेत्र टँकना आदि रूप अन्य साधनों का ईक्षण क्रिया के साथ अविनाशुत सम्बन्ध नहीं है। जबकि मानसिक संकल्प प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप सभी क्रियाओं का अभाववि-सम्बन्धी है। अतः यहाँ कर्तव्य के रूप में संकल्प ही प्राप्त होता है।<sup>3</sup>

1- द्र० - मी० न्यायप्रकाश पृ०-109

2- द्र० - अर्थसंग्रह कौमुदी सहित पृ० 176-77

3- "तत्र न तावद् धात्वर्थो विधातुं शक्यते, न तदभाववोध्नात् नापि तदभावो विधातुं शक्यते, अभावस्याविधत्त्वात् । अतश्च नवीक्षतीभ्यां विधानयोऽयः कश्चनेक्षण विरोधी अर्थोत्क्षमा प्रतिपाद्यते ।"

इस प्रकार पर्युदासलक्षणा का सहारा लेने पर "स्नातक आदित्यविभ्रक अनीक्षण संवत्स्य द्वारा फलभावित करे" यह वाक्यार्थ प्राप्त होता है। "एतावता हैनसा विमुक्तो भवति" यह निषेद्धोष्प अर्थात् भी पापक्षय रूप फल का ज्ञान कराते हुए "नेक्षेत्" आदि निषेध के साथ एकवाक्यता प्राप्त करता है।

"नानुयाजेष्ु" आदि वाक्यों में विवत्प्रतिष्ठा के भ्रम से नञ् का प्रत्ययार्थ से सम्बन्ध नहीं किया जाता

दर्शपूर्णमास के अनारभ्य प्रकरण में 'यजतिष्णु ये यजामहं करोति नानुयाजेष्ु'<sup>1</sup> यह निषेधवाक्य पठित है। वहीं पर "आश्रावय" यह चार अक्षर "अस्तु श्रौषट्" यह चार अक्षर, "यज" रूप द्व्यक्षर एवं "ये यजामह" यह पन्चाक्षर "वोष्ट्" यह दो अक्षर-यह सत्रह प्रजापति के यज्ञ कहे जाते हैं।<sup>2</sup> दर्शपूर्णमास याग में अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एवम् आग्नीध्र ये चार इत्विज् हैं। "यजेत" के प्रेरणा अंश से प्रेरित होकर जिस समय अध्वर्यु हविपूर्ण जुहुपात्र को हाथ में लेकर आग्नीध्र को प्रेष देता है "आश्रावय" अर्थात् मैं देवता के लिये हवि ग्रहण कर रहा हूँ, तुम देवता को सुनाओ । तब आग्नीध्र कहता है "अस्तु श्रौषट्" अर्थात् मैं देवता को सुना रहा हूँ। इसके पश्चात् वह "अग्निं यज", "सोमं यज" आदि द्वारा हवि जिसे दी जा रही है उस देवता के नाम का द्वितीयान्त उच्चारण करता हुआ अन्त में "यज" ऐसा पाठ करता है। इस वाक्य के द्वारा प्रेरित हुआ होता सोमादि देवता युक्त मंत्र के उच्चारण के पूर्व "ये यजामहे" शब्द का उच्चारण करके याज्यामन्त्र को पढ़ता है अर्थात् अध्वर्यु से प्रेरित होकर हम याज्यामन्त्र को पढ़ रहे हैं। इस मन्त्र के पाठ के बाद अन्त में होता "वोष्ट्" शब्द का उच्चारण करता है और इसी समय अध्वर्यु हवि का अग्नि में प्रक्षेप

1- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 24/13/5

2- तै0 सं0 1/6/11

करता है और यजमान भी "अग्नये इदं न मम" आदि हवित्पाग करता है। इस प्रकार इस अनारभ्याधीत वाक्य में यागज्ञानान्य को उद्देश्य करके "ये येयजामह" का विधान किया गया है।<sup>1</sup>

"यज" धातु से विहित सभी यागों में "आश्रावय" से लेकर "षौष्ट्" पर्यन्त मन्त्र उच्चरित है। इसका विधायक वाक्य है "यजतिष्ठु येयजामहं करोति"। किन्तु "नानुयाजेषु" यह निषेध वाक्य अनुयाजयागों में "येयजामह" के उच्चारण का निषेध करता है। दर्शपूर्णमास याग में तीन अनुयाजयाग विहित है।

इस निषेधवाक्य में यदि लिट्. र्थ के साथ नञ् श्रुति का अन्वय करेंगे तो अनुयाजयागों में "येयजामह" के उच्चारण का निषेध प्राप्त होगा जो कि युक्त नहीं है। यदि यहाँ किसी प्रकार निषेध स्वीकार भी कर लें तो विधि एवं निषेधवाक्यों में विकल्पप्राप्त होने लगेगा, क्योंकि विकल्प आठ दोषों से युक्त है। अतः इस दोष से बचने के लिये नञ् का अन्वय भावना के साथ न करके "अनुयाज" इस प्रातिपदिक के साथ किया जाता है। ऐसी दशा में "नञ्" निषेधपरक न होकर पर्युदासपरक हो जाता है, क्योंकि पर्युदास सद्भिन्न वस्तुपरक होता है। अतः यहाँ लक्षणा से "नानुयाजेषु" का "अनुयाजभिन्न यागों में येयजामह का उच्चारण करना चाहिए यह वाक्यार्थ होता है।<sup>2</sup> नानुयाजेषु आदि वाक्यों में निषेध स्वीकार करने के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं -

1- द्र० - मी० न्यायप्रकाश की सारविवेचिनी, पृ०-165

2- "यत एव विकल्पोऽयं प्रतिषेधो प्रसज्यते

अतस्तत्परिहाराय पर्युदासाश्रयणैवरम् ।"



कर्म निषेध के प्राप्तिसापेक्ष होने के कारण नानुयाजेषु आदि निषेधस्थलों में वह चरितार्थ नहीं होता - निषेध सदैव प्राप्त विषय का ही होता है अप्राप्त का नहीं। इसलिये वादी की यह धारणा ठीक नहीं है कि "नानुयाजेषु" आदि निषेधवाक्यों में भी "नान्तरिक्षे न दिवि आदि वाक्यों की भाँति अप्राप्त का प्रतिषेध किया गया है। निषेधवाक्यों में न्तर्य सदैव प्रत्यय के साथ सम्बद्ध होकर भी कर्तव्यरूप अर्थ का बोध कराते हैं। अतः यदि हम अप्राप्त का प्रतिषेध स्वीकार करते हैं तो "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" आदि वाक्यों में उपदिष्ट अननिवृत्ति आदि की कर्तव्य रूप में प्राप्ति उन स्थलों पर भी होने लगेगी जहाँ पुरुष रागतः इन कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में इनके द्वारा रागतः प्रवृत्त हुए पुरुष की निवृत्ति संभव न हो सकेगी। इसके विपरीत निषेध को "प्राप्तिसापेक्ष" मानने पर निषेधशास्त्र की प्राप्ति ऐसे स्थलों पर नहीं होगी जहाँ स्वयं ही पुरुष इन कर्मों से निवृत्त है। प्रत्युत भ्रान्तिवश उपदिष्ट ब्राह्मणहननादि कर्मों को अभीष्ट समझकर प्रवृत्त हुए पुरुष की ही निषेधवाक्यों द्वारा निवृत्ति होगी।

इसी प्रकार निषेध के प्राप्ति सापेक्ष होने के कारण "नानुयाजेषु" आदि वाक्यों में भी प्राप्त विषय का ही प्रतिषेध हो सकेगा, और ऐसा न होने पर अनुयाजयागों में निषेध प्रवृत्त न हो सकेगा। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्लन्जभक्षणदि कर्मों की भाँति रागतः प्राप्त है, क्योंकि यागादि क्रियायें अत्यधिक परिश्रम से सिद्ध होती हैं, अतः विधिवाक्य अव्यय के बिना उनमें प्रवृत्ति हो ही नहीं सकेगी। अतः यदि अनुयाजयागों में "येयजामह" का

---

1- "यद्यत्र प्रधानसम्बन्धो भान्त्रः प्रत्ययसम्बन्धः क्रियते तथा सत्यनेन वाक्येनानुयाजेषु ये यजामहः प्रतिषिध्यते । न च तत्र प्रतिषेधः प्राप्तिं बिना सम्भवति प्राप्तिसापेक्षत्वात् प्रतिषेधस्य ।" १ मी० न्याय० पृ०-111 १

विधायक कोई विधि वाक्य प्राप्त भी किया जायेगा तो निषेध द्वारा पाक्षिक निवृत्ति ही होगी, पाक्षिक प्रवृत्ति तो बनी ही रहेगी क्योंकि शास्त्र प्राप्त का अत्यन्त बाध सम्भव ही नहीं है। इसका कारण यह है कि शास्त्र प्राप्त वाक्यों में प्रबल-दुर्बल भाव नहीं होता। अतः "नानुयाजेषु" आदि निषेध वाक्यों में निषेध के लिये अवकाश ही नहीं है।

§ ल॥ "नानुयाजेषु" आदि निषेधवाक्यों में प्रयुक्तनञ् पदशास्त्र की भाँति सामान्य का विशेष से बाध भी नहीं करता

पिसप्रकार "आहवनीये जुहोति" इस वाक्य द्वारा सामान्यरूप से विहित होम का "सप्तमे पदे जुहोति" इस विशेषशास्त्र द्वारा बाध होता है वैसे बाध "नानुयाजेषु" एवं "यजतिभ्येयजामहं करोति" इस वाक्य में संभव नहीं है। वहाँ पर यदि "पदेजुहोति" द्वारा विहित पदहोम से आहवनीय होम का बाध न माना जाता तो पदशास्त्र व्यर्थ हो जाता, क्योंकि अन्य किसी स्थल पर उसकी विधायकता मानने के लिये अवकाश नहीं है, जबकि यहाँ यह स्थिति नहीं है। बाध तो वस्तुतः वहाँ होता है, जहाँ दोनों वाक्य परस्पर निरपेक्ष हों। पदशास्त्र अपने विधान के लिये अज्ञानशास्त्र की अपेक्षा न करके स्वतंत्र रूप से विधानकार्य में समर्थ होता है।<sup>1</sup> जबकि नानुयाजेषु यह निषेधवाक्य "यजतिषु" इस विधिवाक्य की अपेक्षा रखता है अर्थात् बिना इस विधि की सहायता लिये वह अपनी कर्तव्यरूपता ही नहीं प्रतिपादित कर सकता, क्योंकि

1- "न च पदेजुहोति इति विशेषशास्त्रेण ——— इति वाच्यम् । परस्परनिरपेक्ष-योरेव शास्त्रपर्यायार्थबाधकभावात् । पदशास्त्रस्य हि स्वार्थ विधानार्थ-माहवनीयशास्त्रानपेक्षत्वम्० ।"

§ अर्थ० पृ०-181-82 §

"पे यजामहं करोति" का अनुवाद करके ही वह विधान में समर्प है। इसका कारण यह भी है कि नानुपाजेषु इस वाक्य में "करोति" आदि क्रियापद प्रयुक्त नहीं है। अतः "नानुपाजेषु" इस निषेधास्त्र के "यजतिषु" वाक्य द्वारा उपजीव्यता प्राप्त करने के कारण यहाँ नञ् द्वारा अत्यन्त निषेध मानना युक्त नहीं है। इसलिये यहाँ पर निषेध न मानकर पर्युदास मानना ही अधिक युक्तिसंगत होगा ।

॥ग॥ "नानुपाजेषु" आदि स्थलों में पर्युदास की प्राप्ति सम्भव रहते विकल्प मानना अन्याय्य है

जहाँ तक सम्भव हो यदि निषेधस्थल में पर्युदास की प्राप्ति हो सके तो उसकी उपेक्षा करके विकल्प मानना उचित नहीं है, क्योंकि विकल्प अष्टदोष-ग्रस्त होता है।<sup>१</sup> अर्थात् - जैसे "ब्रीहियजित्यवैर्वा" इस वाक्य द्वारा प्रमाणप्राप्त ब्रीहि से याग करेंगे तो ब्रीहि का पाक्षिक प्रामाण्य तो प्राप्त होता है, किन्तु यवशास्त्र का पाक्षिक अप्रामाण्य भी मानना पड़ता है और यदि यव से हवन करेंगे तो यवप्रामाण्य का स्वीकार एवं पहले स्वीकृत ब्रीहि का अप्रामाण्य कल्पित करना होगा । उसी प्रकार यदि "नानुपाजेषु" आदि वाक्यों में विकल्प मानेंगे तो निषेध के समय विधि रूप "यजतिषु" का पाक्षिक अप्रामाण्य प्राप्त होगा एवं विधिवाक्य द्वारा विहित सभी यागों में "पेयजामह" का पाठ करने पर "नानुपाजेषु" इस निषेधास्त्र का प्रामाण्य नहीं होगा । जबकि

१- "पतः एव प्रतिषेधक्षे विकल्पोऽष्टदोषदुष्टोऽतएव पर्युदासाद्दुर्गीकरणम् । पर्युदासत्वं चारव्यातार्थव्यतिरिक्त प्रतियोगिताकाभावबोधकत्वम् । "

॥भा०दी० पृ० ११ ॥

"नित्यवच्छ्रुतयोः विधिप्रतिषेधोः पक्षेऽप्यत्यन्तायुक्तो विकल्प इति वरं लक्षणापि पर्युदासाश्रयणम् । " ॥शा०दी० पृ०-४६५ ॥

यहाँ पर पर्युदास करने पर "अनुयाज भिन्न यागों में येयजामह का पाठ करना चाहिए" यह लाक्षणिक अर्थ प्राप्त होगा। यद्यपि लक्षणा जघन्यवृत्ति होने से दोष है तथापि विकल्प की अपेक्षा वह दोष "लघु" है। अतः यहाँ पर "येयजामह" का अनुयाजभिन्न यागों में पर्युदास ही युक्त है। क्योंकि नञ् का सम्बन्ध अनुयाज के साथ करने पर नञ् प्रतिषेधक नहीं होगा, अपितु अनुयाज भिन्न यागों में 'येयजामह' की कर्तव्यरूपता का विधायक ही होगा।

घः "नानुयाजेषु" आदि वाक्यों में विकल्प मानने पर दो अदृष्टों की कल्पना करनी होगी

यदि हम "नानुयाजेषु" आदि वाक्यों को प्रतिषेधरक मानकर विकल्प को स्वीकार भी कर लें तो हमें दो अदृष्ट कल्पित करने होंगे अर्थात् "यजतिषु ये यजामहं करोति"। इस विधिवाक्य द्वारा विहित "ये यजामह" का उच्चारण करने पर उससे अदृष्टोत्पत्ति माननी होगी। एवं जिसप्रकार दर्शमूर्णमास में "नानृतं वदेत्" आदि निषेधों का उद्देश्य अपूर्वोत्पत्ति है, यह अपूर्व "अदृष्टस्य" होता है। उसी प्रकार "नानुयाजेषु" इस वाक्य के अनुसार "नानुयाजेषु" में "येयजामह" का उच्चारण न करने पर भी अदृष्टोत्पत्ति स्य फल की प्राप्ति माननी होगी। इस प्रकार विकल्प मानने पर दो अदृष्ट यहाँ कल्पित करने होंगे। जबकि पर्युदास करने पर केवल लक्षणा ही माननी होगी। यहाँ लक्षणा मानना दो अदृष्ट कल्पित करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा करने से कल्पना की बोधिलता कम होगी।

यद्यपि इस निषेधवाक्य में विषय की एकता के आधार पर एकवाक्यत्व नहीं सिद्ध होती। तथापि जिस प्रकार "दध्ना जुहोति" इस वाक्य द्वारा

केवल "अधि" का ही विधान किया गया है। होम का विधान तो "अग्निहोत्रं जुह्यात्" इस वाक्य से पहले ही हुआ रहता है। उसी प्रकार इस निषेध वाक्य द्वारा "येयजामह" के उच्चारण का विधान नहीं किया गया है, क्योंकि वह तो "यजतिष्ठु" इस पूर्ववाक्य द्वारा ही विहित है। - प्रत्युत पूर्ववाक्य से प्राप्त येयजामह एवं क्रिया का अनुवाद करके अनुयाजभिन्नपागों में "ये यजामह" का पर्युदासपरक विधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस विधि एवं निषेधवाक्य में पदेकवाक्यता नहीं है, अपितु वाक्यैकवाक्यता है।<sup>1</sup>

‡ २० ‡ "भानुपाजेष्ठु" में प्रयुक्त नञ् का अनुपाज के साथ अन्वय करने में नित्यसमासापत्ति भी नहीं होती

वादी का यह कथन भी युक्त नहीं है कि "नञ्" श्रुति का अनुपाज के साथ सम्बन्ध करने पर इनका नित्य समास प्राप्त होगा। क्योंकि पाणिनि का "विभाषा" सूत्र यह नियम करता है कि सामसिक पद एवं वाक्य दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः चाहे समास का प्रयोग किया जाये चाहे वाक्य का अर्थ एक ही होगा। इसी "विभाषा" नियम के आधार पर "राजः पुरुषः" आदि वाक्यों का प्रयोग भी मान्य है। अतः समास न करना कोई दोष नहीं है। वस्तुतः "समर्थः पदविधिः" इस नियम के अनुसार समर्थ पदों का ही समास होता है। यदि "राज" शब्द लिङ्ग एवं संख्या आदि की अपेक्षा नहीं रखता तब "पुरुष" पद के साथ उसका समास होकर "राजपुरुष" ऐसा सामसिक रूप बनता है, यही "पदसामर्थ्य" है।

1- "अधि तु वाक्यशेषः स्यादन्यायत्वात् विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्यात् ।"

क्योंकि अर्थ की प्रतीति सामसिक एवं असमासिक पद दोनों समान रूप से कराते हैं। इसलिये कात्यायन मुनि का यह कथन कि "विभाषा" वचन निरर्थक है" अप्रामाणिक है, क्योंकि जहाँ पर वाक्य एवं समास दोनों एक अर्थवाले नहीं होते वहाँ समास के साथ ही वाक्य भी प्रयुक्त होता है जैसे - "कुम्भं करोतीति कुम्भकारः" आदि में । यहाँ "नानुपाजेषु" में ऐसा अर्थ अभीष्ट न होने<sup>के</sup> कारण "अनुपाजेषु" आदि रूप नित्य समास न होकर वाक्य का प्रयोग ही उचित है।<sup>1</sup> अतः यहाँ पर नञ् अर्थ का अनुपाज के साथ अन्वय करके "अनुपाजयागौ" में ये यजामह का अनुष्ठान" रूप पर्युदास ही उचित है। न कि बाल्यात् प्रत्यय के साथ नञ् का अन्वय करके विकल्प स्वीकार द्वारा निश्चय मानना । अतः पर्युदास मानने पर "नञ्समासापत्ति" रूप दोष यहाँ सिद्ध नहीं होता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्प से मुक्ति के लिये निश्चयवाक्यगत "नञ्" श्रुति का अन्वय विधायक प्रत्यय के साथ न करके अनुपाज आदि प्रातिपदिकों के साथ करना चाहिए । प्रातिपदिक के साथ नञ् अर्थ का सम्बन्ध होने पर "अनुपाजभिन्न" अर्थ प्राप्त होता है। इसप्रकार यहाँ पर्युदास की प्राप्ति होती है जिससे अनुपाज भिन्न यागों में "ये यजामह"

1-क। "समर्थः पदविधिरिति समर्थोः समासः । सामर्थ्यं च लिङ्.ग-  
संख्यादिकं च नापेक्षते ————— प्रतीति-स्तुत्वत्प।ए एवं  
सत्यपि एकोऽर्थः । तत्माहुभ्योऽनुगमः कर्तव्यः ।"

‡ टुष्टीका पृ० 284 ‡

‡ल॥ न वानुपाज शब्दसम्बन्धे नञ्समासापत्तिः । विभाषा अध्ययनात्  
पाणिनेः । कात्ययनीयन्तु वाक्चनानर्थक्यं न्यायविरोधादनादर्थव्यम्।"

‡ शा० दी० पृ०-465 ‡

की कर्तव्य रूप में प्राप्ति होगी । अनुयाजयागों में "ये यजामह" मंत्र की न तो कर्तव्य रूप में प्राप्ति होगी और न ही उसका निषेध हो सकता है। अपितु "यजतिषु येयजामहं करोति" द्वारा विहित "येयजामह" का अनुवाद करके अनुयाजों की "येयजामह" से भिन्न विषयता का ही यहाँ विधान किया गया है। क्योंकि "नानुयाजेषु" यह विशेषशास्त्र विधिशास्त्र की अपेक्षा रहता है। अतः यहाँ लक्षणा के द्वारा निषेध वाक्य का तात्पर्य "अनुयाजोभन्न यागों में येयजामह का विधान" होने से "नानुयाजेषु" इस वाक्य की धर्म के प्रति प्रामाणिकता भी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार "नानुयाजेषु" आदि निषेधों में वाक्यार्थ रूप फल की प्राप्ति के लिये पर्युदास का आश्रय ही सर्वथा उचित है।

"नानुयाजेषु" आदि वाक्यों<sup>को</sup> पर्युदास की अपेक्षा उपसंहार मानना भी युक्त नहीं है

क्योंकि "पर्युदास" एवं "उपसंहार" दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ वाले हैं, अतः वादी की यह शङ्का भी ठीक नहीं है कि "नानुयाजेषु" आदि निषेधवाक्यों द्वारा विधि प्राप्त "येयजामह" मंत्र द्वारा "यजतिषु" इस सामान्य विधि का संकोच किया जाने के कारण यहाँ उपसंहार माना जा सकता है। दर्शपूर्णमासयाग में प्रधानहोम के पश्चात् शेष पुरोडाश को चार भागों में विभक्त किया जाता है। इसका विधायक वाक्य है: "पुरोडाशं चतुर्धा करोति" ये चार भाग चारों अतिवज्रों के लिये होते हैं, किन्तु इस वाक्य द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त पुरोडाश चतुर्धाकरण की प्राप्ति आग्नेय एवं अग्नीषोमीय दोनों ही स्थलों पर होती है। ऐसी दशा में "आग्नेयं चतुर्धा करोति" यह विधि यह नियमन करती है कि केवल आग्नेयपुरोडाश का ही चतुर्धाकरण हो । अतः यहाँ सामान्य रूप से प्राप्त चतुर्धाकरण का "आग्नेयं" इस वाक्य<sup>द्वारा</sup> केवल अपने में ही संकुचित करने के कारण<sup>इसे</sup> उपसंहार कहा जाता है। अतः "नानुयाजेषु" आदि वाक्य भी अर्थसंकोच करने के कारण पर्युदास न होकर उपसंहार ही हैं ।

इसका समाधान करते हुए सिद्धान्ती का कथन है कि पर्युदास एवं उपसंहार दोनों का कार्य भिन्न होने से यहाँ उपसंहार नहीं माना जा सकता । क्योंकि उपसंहार जहाँ अन्य स्थलों पर प्राप्त अर्थ का स्वमात्र में संकोच करता है, वहीं इसके विपरीत पर्युदास अपने में प्राप्त अर्थ को अपने से हटाकर इतर में व्यवस्थित करता है। अतः "नानुपाजेषु" यह वाक्य अनूपाजों में प्राप्त "पेयजामह" का अपने से भिन्न अन्य यागों में स्थापन करने के कारण उपसंहार से भिन्न वृत्ति वाला सिद्ध होता है।<sup>1</sup>

पार्श्वारथि मिश्र के अनुसार उपसंहार सामान्य रूप से प्राप्त अर्थ का विशेष में संकोचन करने के कारण विधि का व्यापार है। जबकि पर्युदास में अर्थ का अन्वय विधायक पदों से भिन्न धातु अथवा नाम के साथ होता है। अतः पर्युदास धात्वादि से सम्बद्ध "भञ्" का व्यापार होने से उपसंहार से भिन्न स्वरूप वाला है।

पर्युदास और उपसंहार में भेद इसलिये भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर्युदास हो वहाँ उपसंहार भी प्राप्त होता है। जैसे - "नेकेतां चत्तुर्धा करोति" आदि वाक्यों में पर्युदास होते हुए भी उपसंहार संभव नहीं है; क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से प्राप्त अनीक्षण का विशेष अर्थ में संकोच नहीं होता, बल्कि पापक्षम के उद्देश्य से अनीक्षण संकल्प मात्र का विधान किया जाता है।

1- "उपसंहारो हि तन्मात्रसंकोचार्थः । यथा पुरोडाशो चर्तुधा करोति इति सामान्यप्राप्त चर्तुधाकरणं, आग्नेयं चर्तुधा करोतीति" विशेषादाग्नेय पुरोडाशमात्रे संकोच्यते । पर्युदासस्तु तदन्यमात्र संकोचार्थः इति ततो भेदः ।"



उपसंहार तो वस्तुतः विधिरूप ही है जबकि "नानुयाजेषु" आदि निषेधस्थलों में विधि है ही नहीं। ऐसी दशा में यदि पर्युदास एवं उपसंहार में अभेद मानकर "नानुयाजेषु" आदि को उपसंहार कहेंगे तो अन्य विधेय स्थलों पर विधि की विधायक शक्ति नष्ट हो जायेगी। अतः "नानुयाजेषु" इस निषेध वाक्य द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त "येषामगह" का अनुयाजभिन्न यागों में कर्तव्य रूप से विधान करने के कारण यहाँ पर्युदास ही सिद्ध होता है।

"नार्धं०" आदि निषेध वाक्यों में भी विकल्पप्रसक्ति के कारण प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय नहीं होता -

दर्शपूर्णमास के विकृतियाग चातुर्मास्य के महापितृयेष्टि प्रकरण में "नार्धं वृणीते न होतारम्" आदि निषेधवाक्य पढ़े गये हैं। यहाँ पर भी यदि नञ् का अन्वय भावना के साथ करेंगे तो "वरणं नकर्तव्यम्" ऐसा वाक्यार्थ प्राप्त होगा, जोकि उचित नहीं है। क्योंकि निषेध सदैव प्राप्त विषय का ही होता है अप्राप्त का नहीं। यहाँ पर होतुवरण का विधायक कोई विधिवाक्य नहीं है, प्रत्युत दर्शपूर्णमास प्रकृति याग में प्राप्त "होता" का वरण ही यहाँ पर विकृतियाग में "प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या" इस नियम से अतिदेश से प्राप्त है। निषेध तो यहाँ तक होता, जबकि प्राप्ति एवं प्रतिषेध दोनों ही शास्त्रविहित होते। जबकि यहाँ केवल निषेध ही शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर नञ् का सम्बन्ध "वृञ्" के धात्वर्थ के साथ होगा। और लक्षणा द्वारा यहाँ पितृयाग में होता एवं आर्धवरणभिन्न प्राकृत समूह ही कर्तव्य रूप से प्राप्त होंगे।

यदि यहाँ निषेध मानेंगे तो विकल्प की प्राप्ति होगी । विकल्प के आठ दोषों से युक्त होने के कारण कल्पनागौरव बढ़ेगा । अतः पर्युदास द्वारा यहाँ पर अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने के कारण विकल्प से निषेध मानना ठीक नहीं है । ऐसा करने के लिये विधि की मिथ्या कल्पना करनी होगी । साथ ही दो अदृष्ट भी कल्पित करने होंगे । क्योंकि आर्षेय वरण से एक अदृष्टफल की उत्पत्ति माननी होगी एवं वरण का अनुष्ठान न करने से दूसरे अदृष्टफल की प्राप्ति माननी होगी । जबकि पर्युदास से धात्वर्थ के साथ अन्वय करके लक्षणा द्वारा आर्षेयवरण भिन्न का अनुष्ठान रूप अर्थ प्राप्त होगा जोकि अदृष्ट कल्पना की अपेक्षा श्रेष्ठ है ।

विकल्प द्वारा निषेध तो वस्तुतः यहाँ स्वीकार किया जाता है जहाँ पर्युदास आदि किसी अन्य उपाय से अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन न हो सके । जबकि यहाँ पर पर्युदास से नअर्थ का धात्वर्थ के साथ अन्वय करके " होतुवरण-भिन्न" अद्.ग समूह का अनुष्ठान रूप अर्थ सम्भव है । अतः ऐसे निषेधवाक्यों में पर्युदास अर्थ मानने में ही लाघव है, क्योंकि इससे विधि द्वारा विहित का अनुष्ठान भी सिद्ध हो जाता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि "विकल्पितानाम्" में "नार्षेयं वृणीते न होतारम्" आदि निषेधवाक्य तो प्रत्यक्षश्रुति से प्राप्त हैं जबकि आर्षेयवरण आदि विधि के अनुष्ठान से प्राप्त हैं । अतः दोनों के असमान बल वाले होने से इनका विकल्प नहीं प्राप्त होता । इस निषेधरूपों पर अक्षरानुष्ठानादि की भाँति नित्य प्रतिषेध की प्राप्ति भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अक्षरानुष्ठानादि निषिद्ध कर्मों की प्राप्ति रागतः है । अतः उनका नित्य

प्रतिषेध सम्भव है । जबकि आर्षेभवरण<sup>1</sup> आदि में पुरुष की राग आदि हेतुओं से प्रवृत्ति हो नहीं सकती । अतः यहाँ नियमनिषेध की नित्यप्राप्ति भी सम्भव नहीं हो सकती । इस प्रकार " नार्षेयं वृणीते " आदि वाक्य के अनुसार आर्षेभवरणादि विकृतियाग के अङ्ग नहीं सिद्ध होते । अतः यहाँ पर्युदास ही सिद्ध होता है ।<sup>2</sup> " महापितृयाग " में प्रकृति यागों की भाँति ही आर्षेभवरणादि कर्तव्यों की प्राप्ति होती है इसलिये धात्वर्थ के साथ नञ् का अन्वय करने पर " आर्षेभवरणादि भिन्न " कर्म का अनुष्ठान ही निषेधवाक्य का वाक्यार्थ सिद्ध होता है ।

विधान एवं प्रतिषेध दोनों के शक्यता से प्राप्त होने पर विकल्प से प्रतिषेध ही प्राप्त होता है -

जिन स्थलों पर पहले उसी वस्तु का विधि द्वारा विधान किया गया हो और बाद में नञ्श्रुति युक्त वाक्य द्वारा उसी विषय का प्रतिषेध विहित हो वहाँ पर " नञ् " का तात्पर्य प्रतिषेध ही है ।<sup>3</sup> अर्थात् ऐसे निषेधवाक्यों में " नञ् " का अन्वय आख्यात प्रत्यय के साथ ही होता है। जैसे ष्योतिष्ठोम याग की अतिरात्र इत्यादि में पठित " अतिरात्र षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति " आदि वाक्य । यहाँ पर पर्युदास अर्थ सम्भव नहीं है । यदि यहाँ " नानुयाजेषु " आदि वाक्यों की भाँति नञ् का अन्वय यदि

1-सामाधीनी श्रवाओं के पश्चात् " अग्ने महो असि ब्राह्मण भारत भार्गव-  
च्यावना ज्वानां च जामदग्न्यः " इस निर्वचन के अनुसार यजमान द्वारा आहवनीय अग्नि के आधान से उत्पन्न भृगु आदि यजमानगोत्रीय ऋषियों से उत्पन्न सत्तित को " आर्षेय " कहा जाता है ।

2-द्र०-वासुदेव दीक्षित कृत कुतुहलवृत्ति पृ०-1543-44 .

3- यत्र तु तस्मिन्नेवार्थे प्रत्यक्षतो विधिः तस्मिन्नेव च निषेधः यथा  
" अतिरात्रे० ----- तत्र विकल्पस्यावश्यकत्वात् प्रतिषेध एव न तु  
पर्युदासः लक्षणाभावात् । नापि अर्थादः प्राप्त्याभावात् । "  
ऋष्यदेव कृत भाट्टदीपिका पृ०-103 ।

क्रियाभिन्न धातुनाम के साथ करके लक्षणा द्वारा पर्युदास की प्राप्ति मानेगे तो इससे अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति न हो सकेगी। क्योंकि यदि यहाँ "अञ्" का अन्वय अतिरात्र के साथ करके पर्युदास करते हैं तो "अतिरात्रभिन्न याग में षोडशी यात्र का गृहण करें" यह वाक्यार्थ होगा। जिससे "अतिरात्रे-षोडशीं गृह्णाति" यह विधि बाधित होगी। और यदि कर्ष का अन्वय षोडशी के साथ करेंगे तो "अतिरात्र संस्था में षोडशीभिन्न अह. गसमुह का अनुष्ठान करें" यह वाक्यार्थ होगा और इसका भी षोडशीगृहण की विधि "अतिरात्रे०" से साक्षात् विरोध होगा। अतः विकल्पप्रसक्ति के भ्रम से यहाँ लक्षणा द्वारा पर्युदास परक अर्थ लेना युक्त नहीं है; और न ही इस सम्बन्ध में हमें कोई प्रमाण ही उपलब्ध होता है। अतः यहाँ पर्युदास की सम्भावना नहीं है। क्योंकि पर्युदास मानने पर भी विधि की निर्विषयता नहीं सिद्ध होती।

"आतिरात्रे०" इस निषेधवाक्य को "अपराधो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः" की भाँति अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अर्थवाद में स्तुत्य और स्तावक पदार्थ भिन्न-भिन्न होते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही "षोडशी" के स्तुति का विषय एवं स्तावक दोनों होने से वही अवस्था बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि यहाँ अर्थवाद मानने पर षोडशी की निन्दा से षोडशी की ही स्तुति माननी पड़ेगी। अतः "न तौ परौ करोति न सोमे" आदि निषेधवाक्यों की भाँति यहाँ अर्थवाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि अङ्गीरुप से इसकी कोई पृथक् विधि प्राप्त नहीं है।

अतः यहाँ पर "अतिरात्रे षोडशीं गृह्णाति" इस सामान्य विधि से विहित षोडशीगृहण का "आतिरात्रे षोडशीं गृह्णाति" इस निषेध

वाक्य द्वारा पाक्षिक नियेध ही प्राप्त होता है ।<sup>1</sup> और कोई अन्य उपाय न होने के कारण<sup>यहाँ</sup> अगत्या विकल्प ही स्वीकार किया जाना उचित है ।

।- "शिष्ट्वा तु प्र तिषेधः स्यात् " [शै०सू० 10/18/7]

विशेष - ज्योतिष्टोम याग में चार मुख्य संस्थाओं हैं - अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी एवम् अतिरात्र । संस्था का शाब्दिक अर्थ है समाप्ति । जिस स्तोत्र से कृत की समाप्ति हो उसी स्तोत्र के नाम से वह संस्था याग सम्बोधित किया जाता है । जैसे अग्निष्टोम स्तोत्र से समाप्त होने वाला याग "अग्निष्टोम संस्था" कहा जाता है । वहाँ सामान के मन्त्रों द्वारा साध्य याग के विधेय देवता आदि के गुण का कथन किया जाता है वह "स्तोत्र" है । देवतादि का यह गुण कथन उद्गाता<sup>अहि</sup> शैतिल्यो के द्वारा किया जाता है । उक्त चार संस्थाओं के अलावा जितने भी सौग्याग हैं वे इन्हीं की विकृतियाँ हैं । जैसे अत्यग्निष्टोम, वाचपेय एवम् अष्टोर्याम । इन सभी को मिलाकर ज्योतिष्टोम याग को सप्तसंस्थाक याग कहा जाता है । षोडशी स्तोत्र के बाद अतिरात्र याग में - रात्रि के पर्याय स्वरूप तीन स्तोत्र विशेष एवं एक आश्विन स्तोत्र है । अग्निष्टोम में बारह , उक्थ्य में तीन एवं षोडशी में एक स्तोत्र है । अग्निष्टोम संस्था वाता ज्योतिष्टोम नित्य एवम् काम्य याग है । अन्य उक्थ्य आदि इसी के विकृतियाग हैं , जो कि काम्य है नित्य नहीं । " नातिरात्रे शान्तिः गृहणाति का वाक्यार्थ है -" अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम में अतिरात्र सम्बद्ध अङ्गों का ही ग्रहण करे षोडशीग्रह का ग्रहण न करे । "

वस्तुतः षोडशीगृहणा की प्राप्ति एवम् निषेध दोनों ही कृत्वर्थ के उपकारक हैं, अतः दोनों प्रयोजन हैं । अर्थात् षोडशीपात्र का गृहण करने पर भी अपूर्वोत्पत्ति होने सेऋतु का उपकार होगा, और षोडशी का गृहण न करने पर भी अपूर्व की उत्पत्ति होगी जिससे ऋतु की उपकारकता ही प्राप्त होती है ।<sup>1</sup> वस्तुतः यहाँ पर विकल्प-प्राप्ति अनिष्टकारी नहीं अपितु अभीष्ट सिद्धि के लिये है।<sup>2</sup>

भाष्यकार के मतानुसार क्योंकि "अतिरात्रे०" आदि स्थलों पर शास्त्रप्रमाण द्वारा विधि एवम् प्रतिषेध दोनों एक दूसरे के बाधक हैं ।<sup>3</sup> अतः अनन्यगत्या एक के अस्तित्व होने की दशा में दूसरे का मिथ्यात्व कल्पित करना पड़ेगा । जब विधि प्राप्त होगी तो निषेध अप्राप्त होगा, और निषेध की प्राप्ति होने पर विधि का अनुष्ठान न हो सकेगा । अतः वादी का यह कथन लज्जित हो जाता है कि विकल्प स्थल पर विधि एवम् निषेध दोनों के सर्वथा प्राप्त होने से <sup>यहाँ</sup> निषेध सम्भव है । यह तो स्पष्ट ही है कि विधि के प्रयोग के समय निषेध का गृहण सम्भव न होने के कारण दूसरे की कल्पना ही करनी पड़ेगी ।

यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि एक की कल्पना के समय दूसरे का वैगुण्य प्राप्त होगा अर्थात् जैसे "अग्निं यजति" इस विधि से विधान के समय ऋतु सादगुण्य प्राप्त होता है और इसके विपरीत "नानृतं वदेत्" इस निषेध्य विषय का अनुष्ठान करने पर ऋतुवैगुण्य उत्पन्न होता है, जैसे ही यहाँ एक

1- "पत्रैकमर्थशब्दवा तद्विषये एव नकारः श्रूयते यथा अतिरात्रे०" - - -

—अगत्या च करणाकरणयोः विकल्पः प्रतिषेधोऽर्थवत्त्वाय, अकरणोऽपि च ऋतुसिद्धिरस्तीति कल्प्यते । "शा० दी०:- पृ० 463 ।

2- यत्र विकल्पासादकः प्रतिषेध तत्र प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थहेतुत्वम् । उभयोरपि विधि प्रतिषेधोः कृत्वर्थत्वात् । "मी० न्याय० पृ० 117 ।

3- द्र० शा० भाष्य सूत्र 10/8/7 की व्याख्या ।

षोडशीपात्र के ग्रहण के विषयमें साद्गुण्य एवम् वैगुण्य दोनों की प्राप्ति विरुद्ध है, अतः यहाँ विकल्प नहीं माना जा सकता । इसका समाधान यह है कि यहाँ वैगुण्य होने पर भी वाक्यप्रमाण से उत्तरी सिद्धि हो जायेगी । क्योंकि निषेधवाक्य द्वारा षोडशी ग्रहण की निवृत्ति होने पर भी अन्य अङ्गों की प्राप्ति होने से उनका साद्गुण्य तो होगा ही । अतः यहाँ पर विकल्प से प्रतिषेध मानने में कोई दोष नहीं है । 'भानुयाजेषु' आदि निषेध स्थलों में विकल्प द्वारा प्रतिषेध मानना इसलिये ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर्युदास द्वारा अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति हो गई थी । विकल्प तो वस्तुतः वहाँ स्वीकृत होता है जहाँ अन्य कोई उपाय अभीष्ट की सिद्धि न कर सके । यहाँ पर विधि द्वारा षोडशीग्रहण के विधान के पश्चात् ग्रहणनिषेध करना याग द्वारा पहले से अधिक फलप्राप्ति की अपेक्षा से है ।<sup>2</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्प के अष्टदोषास्त होने पर भी अन्य कोई उपाय न होने से "भातिरात्रे" आदि स्थलों में ग्रीहि एवम् यवशास्त्र की भांति विकल्प मानना ही अधिक उचित है । अतः "भातिरात्रे०" आदि निषेधस्थलों में प्रतिषेध ही है ।

"न ब्रह्मा सामानि०" आदि वाक्य भी विहित के निषेध होने से विकल्प के विधायक है -

अग्न्याधान प्रकरण में " गार्हपत्यम् आधीयमाने रश्न्तरं गायति " आदि वाक्यों द्वारा सामान का विधान किया गया है । वहीं पर "उपवीता वा एतस्याग्नयो भवति, यस्याग्न्याध्मे ब्रह्मा सामानि गायति,

1-न चैवम् ग्रहणोऽप्यवैगुण्यात् क्लेशात्मककरणं कदापि न स्यादिति वाच्यम् ।

अतएव ग्रहणो फलभूमस्त्वकल्पनात् । " [कु०वृ०पृ० 1545, भाग-4]

2-अतएव प्रथमतो विधिप्रवृत्त्या प्रतियोगिप्रसिद्धी जातायां निषेधेन निषेधे कृते पश्चात् विधेयस्य फलभूमकल्पनमिति विशेषः । " [भाट्टदीपिका-पृ०-103 ]

न ब्रह्मा सामानि गायति " आदि वाक्य भी पढ़े गये हैं । यहाँ पर " न ब्रह्मा सामानि गायति " आदि वाक्य वामदेवादि सामगान की स्तुति के लिये नहीं प्रयुक्त है, प्रत्युत "श्रीडवीग्रहण" आदि की भाँति विकल्प से प्रतिषेध के लिये पढ़े गये हैं ।<sup>1</sup> क्योंकि सामगान के विधान की बनेक विधियाँ हैं जो कि अपने-अपने समीप पढ़े गये अर्थवाद वाक्यों से ही निराकार हो जाती हैं ।

यहाँ यद्यपि ब्रह्मा नामक इतिवज का सामगान विधि द्वारा विहित न होने से प्राप्त नहीं है तथापि इस वाक्य में "ब्रह्मा" पद के द्वारा ब्राह्मण आदि गुणों से युक्त "उद्गाता" का ही कथन किया गया है । उद्गाता का सामगान विधि द्वारा प्राप्त होने के कारण विधिवाक्य द्वारा विहित सामगान का निषेधवाक्य द्वारा निषेध होने से विकल्प भी प्राप्त होता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर विधि एवम् निषेध दोनों ही शास्त्रविहित हैं । अतः "न ब्रह्मा०" आदि वाक्यों द्वारा यहाँ पर विकल्प से सामगान का निषेध मानना ही अधिक उचित है न कि "नान्तरिक्षे न दिवि" आदि की भाँति अर्थवाद का विषय मानना । क्योंकि श्रीडवीग्रह की भाँति यहाँ भी विधि एवम् निषेध दोनों का विषय उद्गाता का सामगान ही है । अतः उसी न्याय से यहाँ भी विकल्प स्वीकार करना ही युक्त है । क्योंकि जब ब्रह्मा का सामगान प्राप्त ही नहीं है तो उसकी निन्दा का प्रश्न ही नहीं उठता है ।<sup>2</sup>

1-अपवादश्च तद्वत् । " ॥ जै०पू० 10/8/9 ॥

2-॥क॥ " विध्यन्वयतो स्तोत्रं ब्रह्मोद्गाता तथा सति विष्येकत्वाद् विकल्पोऽत्र श्रीडवीग्रहवन्मतः । " ॥ जै०न्याय०वि०पू०-604 ॥

॥ख॥ द्र० भाट्टदीपिका पृ०-106 ।



रागतः प्राप्त विषयो का निषेध करने वाले निषेधवाक्य अनिष्टनिवृत्ति कराने वाले होते हैं ।-

जहाँ पर निषेध पदार्थ रागादि कारणों से प्राप्त है अर्थात् विधि द्वारा नहीं प्राप्त है, वहाँ निषेध वाक्य पुरुष की अनिष्ट नरकादि फलों की प्राप्ति के कारण-स्वरूप कर्मों से निवारण करते हैं । यह निवारण विकल्पादि रूप न होकर अत्यन्तनिवृत्ति रूप है । जैसे- " न क्लञ्जं भक्षयेत् " " ब्राह्मणो न हन्तव्यः ", " न सुरां पिबेत् " आदि निषेधवाक्यों द्वारा पुरुष की इन निषेध्य कर्मों से अत्यन्त निवृत्ति ही अभीष्ट है ।

इन निषेधस्थलों में नञर्थ का अन्वय प्रत्यय के लिङ्ग्य शाब्दीभावना के साथ होता है । क्योंकि यद्यपि क्लञ्जभक्षणान्नादि कर्म पुरुष के लिये स्वर्गादि इष्टप्राप्ति के साधन न होकर अनिष्टफल के जनक हैं । फिर भी इनकी अनिष्टसाधनता को न जानने के कारण पुरुष इन कर्मों में रागादि के कारण प्रवृत्त होता है । अतः इन कर्मों से पुरुष की निवृत्ति ही पुरुषार्थ होने से ये निषेधवाक्य का विषय बनते हैं ।

यहाँ पर शौडशीग्रहण " आदि की भाँति विकल्प की प्राप्ति भी सम्भव नहीं है, क्योंकि शौडशीग्रहण की भाँति यहाँ क्लञ्जभक्षणान्नादि कर्मों की प्राप्ति एवम् प्रतिषेध दोनों श्रुतिप्रमाण से नहीं प्राप्त होते । प्रत्युत इन निषेध्य कर्मों की प्राप्ति तृप्ति आदि की इच्छा से होती है । जबकि निषेधवाक्य प्रत्यवाय परिहार रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन होने के साथ ही शास्त्रप्राप्त भी है । अतः विधि एवम् निषेध दोनों के असमान बल वाले होने से यहाँ विकल्प का विषय ही नहीं है । क्योंकि राग से शास्त्र प्रकृत होता है , अतः शास्त्र से राग सदैव बाधित होता है ।

1- "पत्र तु न विकल्पः, प्राप्तिश्च रागतः एव, प्रतिषेधश्च पुरुषार्थः तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानर्हेतुत्वम् यथा " - " न क्लञ्जं भक्षयेत् " इत्यादौ क्लञ्जभक्षणान्नादेः । " । अर्थकोशस्तित पृ० 188 ।

इस प्रकार क्लान्जभक्षण कर्म, ब्रह्मण- हत्या, सुरायान, मिथ्याभाषण आदि कर्मों का निषेध पुरुषार्थ प्राप्ति का कारण होने से निषेधवाक्य भी धर्म रूपी प्रीति की उत्पत्ति कराने वाले हैं ।

पुरुषार्थ रूप में प्राप्त दान-होमादि कर्मों का भी कृत्वर्थ के लिये निषेध होता है -

कुछ निषेधवाक्यों में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिये शास्त्र द्वारा विहित कर्मों का भी याग के लिये निषेध किया जाता है । जैसे - ष्योतिष्टोम याग में "दीक्षितो न ददाति न ब्रुहोति न पचति" आदि वाक्य सोमयाग में दीक्षा प्राप्त पुरुष के लिये दान, होम, षाक आदि कर्मों का निषेध करते हैं । यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, कि क्या इस निषेधवाक्य द्वारा "हिरण्यदा अमृतत्वं भवन्ते," "अग्निहोत्रं ब्रुह्यात् स्वर्गं कर्तुः," वैश्वदेवार्थमन्नं पचेत् " आदि विधिवाक्यों द्वारा पुरुषार्थ के रूप में विहित दान-होमादि का निषेध किया गया है ? अथवा "दीक्षाहुतिं ब्रुहोति", व्रतं श्रपयति " आदि वाक्यों द्वारा विहित कृत्वर्थीय दानादि का निषेध किया गया है ; अथवा विधि एवम् अतिदेश द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के दानादि कर्मों का निषेध किया गया है, अथवा यहाँ निषेध न होकर पर्युदास है ; जिससे दान - होमादिभिन्न कर्मों का विधान किया गया है ।

कुछ विद्वानों के मतानुसार पुरुषार्थ एवम् कृत्वर्थ के रूप में उपदिष्ट एवम् अतिदिष्ट सभी प्रकार के दानादि कर्मों का " न ददाति " आदि वाक्य निषेध करते हैं । जबकि अन्य का मत है कि यदि इस निषेधवाक्य द्वारा उपदिष्ट एवम् अतिदिष्ट अग्निहोत्रादि कर्मों का निषेध मानेगे तो

उपदेशवचन व्यर्थ सिद्ध होंगे ।<sup>1</sup> अतः अतिदेश द्वारा प्राप्त एवम् पुरुषार्थ रूप में प्राप्त दानादि कर्मों का निषेध ही यहाँ अभीष्ट है । जबकि कृत्वर्थ के लिये उपदिष्ट दान होमादि कर्म अनुष्ठान के योग्य हैं ।

मीमांसाचार्यों के मतानुसार चूंकि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म एवं दक्षादि कर्म श्रुति के द्वारा पुरुषार्थ के रूप में विहित हैं । अतः वे ज्योतिष्टोम याग के समय भी प्राप्त रहते हैं, एवम् अतिदेश द्वारा प्राप्त दानादि भी याग काल में प्राप्त हके रहते हैं । किन्तु यहाँ पर प्रत्यक्ष श्रुति द्वारा विहित पुरुषार्थस्वरूप दान होमादि की ही "दीक्षितो न ददाति" आदि वाक्यों द्वारा निवृत्ति कही गयी है ।

यदि पूर्व पक्षी यह कहे कि यहाँ पर पुरुषार्थ एवम् कृत्वर्थ रूप में प्राप्त विधि एवम् निषेध का विकल्प प्राप्त है, क्योंकि दोनों शास्त्रवचन से ही प्राप्त हैं । तो इसका समाधान यह है कि यहाँ पर विधि एवम् निषेध दोनों का विषय षोडशब्राह्मण की भाँति एक न होकर भिन्न है । एक का विषय पुरुषार्थप्राप्ति है, एक का कृत्वर्थप्राप्ति । अतः भिन्न विषयता के कारण यहाँ विकल्प सम्भव न होने से निषेध भी नहीं किया जा सकता । याग के लिये "न ददाति" आदि वाक्यों से किया गया निषेध ज्योतिष्टोम याग काल में पुरुषार्थ विषयक दान होमादि कर्मों का निवारण करता है ।<sup>2</sup> याग के अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात् विधि उनके द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती है । अतः यहाँ पुरुषार्थकृत दान

1- दृ०- जै० न्याय०वि०पृ०-605-606 ।

2- "अपि तु वाक्यैरोषत्वादितर पर्युदासः स्यात्, प्रतिषेधे विकल्पः स्यात् ।"

होमादि कर्मों की निवृत्ति ही निषेध का विषय है । इस प्रकार "पुरुषार्थभूत दानादि से भिन्न कर्मों का ज्योतिष्टोम याग के समय अनुष्ठान करना चाहिए " यह वाक्यार्थ है ।

यहाँ विधिविहित दान होमादि के पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन होने से "न ददाति०" आदि वाक्य अनिष्टनिवारण नहीं करते क्योंकि ये दानादि अनर्हकारी नहीं हैं । तथापि यागानुष्ठानकाल में इनका अनुष्ठान करने से ऋतु में वैगुण्य उत्पन्न होता है । क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म क्लेशज्ञाध्य हैं, अतः इनकी प्राप्ति रागतः नहीं हो सकती । अतएव रागतः प्राप्ति न होने के कारण इनका अत्यन्त निषेध भी उचित नहीं है । इसलिये यहाँ पर पर्युदास का आश्रय लेकर "पुरुषार्थभिन्न दानादि कर्म का अनुष्ठान रूप" लक्ष्यार्थ लेना ही उचित है । इस प्रकार ऐसे निषेधवाक्यों में नञ् श्रुति का अन्वय भावना के साथ न करके धात्वर्थ के साथ करना चाहिए और लक्षणा से पर्युदासपरक अर्थ लेना चाहिए ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर विकल्पप्रसक्ति से बचने के लिये निषेध न मानकर पुरुषार्थ के साधन अग्निहोत्रादि का अनुवाद करके दीक्षित के योग्य पुरुषार्थभिन्न दानादि का विधान ही उचित है । सूत्रकार वैमिनि, भाष्यकार एवम् न्यायसुधाकार आदि मीमांसकों का भी यही मत है । निषेधवाक्य रागतः एवम् स्मृति आदि शास्त्रों से प्राप्त पुरुषार्थ का भी कृत्वर्थ के लिये निषेध करते हैं । इसी प्रकार रागतः एवम् मनुस्मृति आदि के वचनों से प्राप्त पुरुषार्थभूत कर्मों का भी याग के लिये निषेध किया जाता है । जैसे - "ऋतौ उपेयात् " आदि स्मृतिवाक्यों एवम् रागादि से प्राप्त स्वस्त्रीगमन आदि कर्मों का भी दर्शपूर्णमास याग के अनुष्ठान के समय निषेध " न स्त्रियमुपेयात् " आदि वाक्यों द्वारा प्राप्त

होता है ; किन्तु यह निषेध भी केवल ऋतुकाल में ही लागू होता है, ऋतुभिन्न काल में नहीं । क्योंकि स्वस्त्रीगमन आदि कर्म रागतः प्राप्त है, तथापि वे नरकादि रूप अनिष्ट की उत्पत्ति करने वाले नहीं हैं और न ही ऋतु में वैगुण्य उत्पन्न करते हैं; किन्तु पुरुष को प्रत्यवाय प्राप्त कराने के कारण याग के समय ये कर्म निषेध के विषय बनते हैं ।<sup>1</sup>

मीमांसकों के अनुसार निषेधवाक्यों का लक्षण एवम् स्वरूप -

मीमांसा सिद्धान्त के अनुसार " नञ् " श्रुति से युक्तलिङ्गादि प्रत्यय युक्त वाक्य "निषेधवाक्य " है । निषेध ब्राह्मणहननादि कर्मों से पुरुष की निवृत्ति कराने के कारण इनकी धर्म के प्रति प्रामाण्यता सिद्ध होती है । " स्वाध्यायोऽध्येतव्यः " इस विधि के अनुसार सम्पूर्ण वेद के स्वाध्याय का विधान प्राप्त होने के कारण भी निषेध वाक्यों का धर्म के प्रति प्रामाण्य ही सिद्ध होता है । जिस प्रकार विधि अपने पुरुष प्रवर्तन रूप कार्य के द्वारा पुरुष में धर्मरूपी प्रमिति उत्पन्न करती है, वैसे ही निषेध वाक्य अनर्थकारी विषमों से पुरुष की निवृत्ति रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण क्रियारूप ही है । समस्त मीमांसा आचार्यों ने निषेधवाक्य की धर्म के प्रति प्रामाण्यता ही कही है । अतः निषेधवाक्यों पर व्यर्था एवम् निन्दा-अर्थवाद आदि का आरोप नहीं किया जा सकता । विधि को ही प्रमाण मानने वाले मण्डनमिश्र आदि मीमांसकों ने भी नञ् युक्त लिङ्गादि से प्रवर्तना के विरोधी "निवर्तना" को अप्रामाणिक नहीं कहा है । यह "निवर्तन" निषेध रूप ही है । अतः विधि को मुख्य प्रमाण

1- रागतः प्राप्तस्यापि ऋत्वर्थत्वेन प्रतिषेधे तदनुष्ठानात् ऋतोर्वैगुण्यज्ञानार्थोत्पत्ति यथा स्वस्त्रीगमनादिप्रतिषेधो रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थत्वेन प्रतिषेधे निषिध्यमानस्यनर्थाहेतुत्वम् ।" [मी०न्याय० पृ०-117 ]

मानने वाले भीमांसकों ने भी निषेधावाक्यों को धर्मके प्रति प्रमाण ही माना है ।

निषेधावाक्यों के मुख्यतः दो भेद हैं - 1. पर्युदास 2. निषेध । जिन निषेध वाक्यों में लिङ्गोर्था शाब्दीभावना के साथ नञ्-र्य के अन्वय में कोई बाधक हेतु उपस्थित होता है वहाँ "पर्युदास" होता है । पर्युदास में निषेधावाक्यगत "नञ्" श्रुति का अन्वय क्रिया के साथ न होकर धात्वर्थ या प्रातिपदिक के साथ होता है । धात्वर्थ या प्रातिपदिक के साथ अन्वय के दो प्रमुख कारण हैं ॥१॥ "नञ्" का प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय करने पर वाक्य के प्रारम्भ में कर्तव्य रूप में विहित संकल्प की व्यर्थता प्राप्त होने लगना । ॥२॥ प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय करने पर विकल्प की प्राप्ति होना ।

धात्वर्थादि के साथ अन्वय होने पर नञ् निषेधक न होकर तदभिन्न का वाचक होता है ।

जिन निषेधावाक्यों में नञ्-र्य का अन्वय लिङ्ग प्रत्यय के साथ होता है वहाँ पर "निषेध" ही होता है यह निषेध भी दो प्रकार का है प्रथम-शुद्धनिषेध द्वितीय-विकल्प से निषेध । विकल्प से निषेध वहाँ स्वीकार किया जाता है वहाँ विधि और निषेध दोनों ही शास्त्रविहित होते हैं जैसे "आतिरात्र०" आदि वाक्यों में ऐसे स्थलों पर विकल्प द्वारा प्रतिषेध मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहता । यदि पर्युदास या निषेध मानने पर अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो जाती है तो विकल्प से निषेध नहीं माना जाता । इस प्रकार स्वरूप की दृष्टि से निषेध के पर्युदास एवम् प्रतिषेध दो ही भेद हैं , और यही दो भेद भाष्यकार, तन्त्रवार्तिककार एवम् खण्डदेवादि नव्यनेपायिकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । किन्तु इन दो भेदों

के अतिरिक्त मीमांसाबालप्रकाश कार ने निषेधवाक्यों के आठ सौ भेद कहे हैं जोकि मात्र उदाहरण भेद ही हैं क्योंकि ये सारे उदाहरण भेद इन दो भेदों में ही समाहित हो जाते हैं । निषेधवाक्यों द्वारा जहाँ पर अभिधा द्वारा प्राप्त वाक्यार्थ अभीष्ट नहीं होता वहाँ ये पर्युदास का आश्रय लेकर लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का ज्ञान प्राप्त कराते हैं । अभिधासे पुरुष में निवर्तना बोध सम्भव होने पर निषेधवाक्यों द्वारा पुरुष की उत्पन्न निवृत्ति ही इनका प्रयोजन है ।

### विविध मतों की समीक्षा -

निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि प्रवृत्तिवाचक "सिद्ध०" प्रत्यय संयुक्त नञर्थ पुरुष में निषेध विषयों के प्रति निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करने के कारण पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं । विधि की भाँति ही निषेधवाक्य भी पुरुषार्थ की प्राप्ति कराते हैं । इसलिये विधि वाक्यों की भाँति ही निषेधवाक्य भी अपौल्लेस हैं ।

निषेधवाक्यों में प्रयुक्त " नञ् " निन्दार्थवाद स्प न होकर निवृत्ति के बोधक हैं । निषेधवाक्यगत " नञ् " अभाव अर्थ के वाचक नहीं है, क्योंकि अभाव कभी विधेय नहीं होता । निषेधवाक्यों में प्रयुक्त नञर्थ का अन्वय सदैव सिद्धप्रत्ययवाच्य शाब्दीभावना के साथ ही होता है, क्योंकि वह किसी के प्रति गौण नहीं है । नाम अथवा धातु या आल्याताश के शाब्दीभावना के प्रति गौण होने से इनके साथ नञर्थ का अन्वय "नहि अन्योपसर्जनमन्येनान्वेति " इस न्याय से सम्भव नहीं है ।

जिन निषेधाक्यों में नञ् का प्रत्ययार्थ शाब्दीभावना के साथ सम्बन्ध करने में कोई बाधक हेतु प्राप्त होता है, वहाँ अभिधा की अपेक्षा लक्षणावृत्ति से पर्युदासपरक वाक्यार्थ लिया जाता है क्योंकि निषेधाक्यों में प्रयुक्त "नञ्" का यह स्वभाव है कि वह अपने से सम्बद्ध के विरोधी अर्थ का प्रतिपादन करता है। अतः जब वह लिङ्गार्थ के साथ सम्बद्ध होता है, तो प्रवर्तना के विरोधी निवर्तना का वाचक बनता है और जब नाम अक्षा धात्वर्थ के साथ संयुक्त होता है तो वह धात्वर्थादि से भिन्न का अर्थ विधायक होता है।

इस प्रकार जिन स्थलों पर नञ् का निषेध अर्थ लेने पर विकल्प प्राप्ति होती है अक्षा प्रारम्भ में कर्तव्य के रूप में किया गया संकल्प बाधित होता है वहाँ इन दोनों के निवारण के लिये लक्षणा द्वारा पर्युदास अर्थ ही लिया जाता है। पर्युदास वस्तुतः निषेध न होकर तद्भिन्न अनुष्ठान-परक होता है। और इन बाधक हेतुओं के न होने पर निषेध द्वारा पुरुष की निषेध कर्मों से उत्पन्न निवृत्ति ही निषेधाक्यों का प्रयोजन होता है। पुरुष में निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करने के कारण निषेध वाक्य भी क्रिया रूप होते हैं।

निषेधाक्यों द्वारा रागतः प्राप्त निषेध विषयों से पुरुष की निवृत्ति करायी जाती है, क्योंकि ये निषेध्य कर्म अनर्थकारी हैं। कहीं पर ये नरकादि के साधनभूत कर्मों से पुरुष की निवृत्ति कराते हैं, तो कहीं पर प्रत्यवाय से बचने के लिये पुरुष में निवर्तनाबुद्धि के उत्पादक हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर पुरुषार्थ के रूप में शास्त्रप्राप्त कर्मों का कृत्वर्थ के लिये निषेध किया गया है। क्योंकि यदि निषेधाक्यों द्वारा यागादि काल में इन कर्मों से पुरुष की निवृत्ति न करायी जाए तो क्रतु में वैगुण्य उत्पन्न होने की सम्भयना रहती है। अतः क्रतुकाल में पुरुषार्थ रूप



कर्मों का निवारण भी निषेधवाक्य का विषय बनता है । इसलिये निषेध-वाक्य पुरुषनिवृत्ति द्वारा पुरुषार्थ प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि निषेध वाक्य निष्प्रयोजन न होकर निषेध्य विघ्नों से पुरुषनिवृत्ति द्वारा पुरुषार्थ सम्पादन करते हैं । विधि की भाँति ही निषेधवाक्य भी अपौरुषेय हैं । पुरुष में निवर्तना बुद्धि उत्पन्न करने के कारण इनकी क्रियार्थता भी सिद्ध हो जाती है । क्योंकि ये अधर्म के साधनभूत कर्मों से पुरुष की निवृत्ति कराते हैं, अतः धर्म रूपी प्रमिति के उत्पादक होने के कारण धर्म के प्रति इनका प्रामाण्य भी सिद्ध होता है ।

उपसंहार

"अर्थवादवाक्य" विधेय कर्म अथवा तत्सम्बद्ध द्रव्यदेवतादि की स्तुति या निन्दा करते हैं। स्तुति या निन्दा के द्वारा वे विधि वाक्यों का उपकार करते हैं। यद्यपि विधि स्वतन्त्र रूप से पुरुष-प्रवर्तन में समर्थ है, तथापि जिस प्रकार लोक में बिना रुचि उत्पन्न हुए पुरुष किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, उसी प्रकार यागादि कर्मों के प्रति मनुष्य में रुचि उत्पन्न होनी आवश्यक है। यागादिकर्मों का अनुष्ठान दीर्घकालीन एवम् अधिक श्रम द्वारा सम्पन्न होता है। अर्थवादवाक्य इन क्लेशसाध्य कर्मों को प्रशंसा द्वारा पुरुष में उनके प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार अर्थवाक्य विधि को शक्ति को बढ़ाते हैं।

यद्यपि ये अर्थवादवाक्य साक्षात् पुरुष-प्रवर्तन न करने के कारण साक्षात् रूप से धर्म रूपों प्रमिति को उत्पन्न नहीं करते, तथापि यागादि कर्मों के प्रति अनुष्ठानता पुरुष में रुचि उत्पन्न करके विधि के अङ्गरूप से परम्परा धर्म के सम्पादन में सहायक होते हैं। अतः ये निरुपयोजन नहीं हैं, प्रत्युत धर्म के प्रति प्रमाण एवं उपयोगी हैं। जिस प्रकार विधि का अध्ययन-अध्यापन आदि गुरु-शिष्य परम्परा में अपेक्षित है, उसी प्रकार अर्थवादवाक्यों का भी विद्वानों में समान रूप से आदर है।

स्वाध्यायविधि के द्वारा सम्पूर्ण वेद का अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन विहित होने से भी अर्थवादवाक्यों का उपयोगिता सिद्ध होती है। विधिवाक्यों की भाँति अर्थवादवाक्य भी अनोरक्ष्य हैं। ये अर्थवादवाक्य विधिवाक्यों के अङ्ग होने से उनके साथ एकात्म्यता प्राप्त करते हैं अतः इन्हें अङ्घ्रियार्थक नहीं वरन्-

क्रियार्थक मानना ही उचित है। क्योंकि जो प्रयोजन विधि का है, वही प्रयोजन विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने वाले अर्थवादों का भी है। विधि एवं अर्थवाद एक दूसरे की अपेक्षा करने के कारण परस्पर साक्षात् हैं। इन अर्थवादों का विधेय की स्तुति रूप दृष्टि प्रयोजन है।

अर्थवाद वाक्यों में शास्त्रदृष्ट एवं प्रत्यक्षदृष्ट तथ्यों का विरोध नहीं वर्णित किया गया है। जिन "सौऽरोदीच" <sup>1</sup> आदि अर्थवादों पर पूर्व-पक्षी विरोध <sup>सिंह</sup> करता है, वह अज्ञान के कारण है। इन स्थलों पर उक्त तथ्य गुणवाद अर्थात् गोणीलक्षणा के द्वारा स्मृत हो जाता है। रोदन आदि कर्म कर्तव्य के रूप में न प्राप्त होने के कारण प्रत्यक्ष दृष्ट के विरुद्ध पदार्थ का प्रतिपादन नहीं करते। अर्थवादगत कथन तो सादृश्य आदि निमित्त से विधेय की निन्दा या स्तुति के लिये प्रयुक्त हैं।

जिन स्थलों पर अर्थवाद निन्दा करते हैं, वहाँ वे विधेय से सम्बद्ध या विधेय के रूप में ज्ञात हो रहे पदार्थ की निन्दा के द्वारा पुरुष को उनके अनुष्ठान से निवृत्त करते हैं। ऐसे अर्थवादवाक्य निषेधवाक्यों के अलग बनते हैं। पुरुष के निवृत्ति-कार्य में सहायक होने से ऐसे अर्थवादवाक्य भी उपयोगी हैं। वस्तुतः ऐसे स्थलों पर वे "नहि निन्दा-न्याय" से विधेय कर्म की प्रशंसा करते हैं।

जहाँ पर अर्थवादवाक्यों द्वारा अप्राप्तार्थ का प्रतिषेध वर्णित है वहाँ वे अप्राप्तप्रतिषेधक नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त अर्थ के अनुवाद द्वारा विधि के साक्षात् हैं। जिन स्थलों पर अर्थवाद आख्यातपरक दृष्टिगत होते हैं, ऐसे स्थलों पर इनका प्रयोजन भूतार्थकथन द्वारा मनुष्य की तत्सम्बद्ध कर्म में रुचि उत्पन्न करना है ऐसे अर्थवाद "भूतार्थवाद" कहलाते हैं।

अर्थवादवाक्यों में किसी अनित्य पदार्थ अथवा व्यक्ति से सम्बद्ध कथन नहीं किया गया है, प्रत्युक्त नित्यपदार्थों की ही स्तुति की गई है। अर्थवाद-वाक्य परस्पर विरुद्ध अर्थ का कथन नहीं करते। जैसे लोक में कृषि आदि कार्यों कर्मों में परिश्रमके अनुसार फल की न्यूनता या अधिकता देखी जाती है वैसे ही वैदिक कर्मों में भी समय और श्रम के अनुसार न्यूनाधिक फल प्राप्त होता है।

इस प्रकार अर्थवाद गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद कथन के द्वारा विधि की प्रशंसा करके पुरुष में रुचि उत्पन्न करते हैं। अर्थवादों के द्वारा सृष्टि एवं प्रलय की प्रामाणिकता ज्ञात होती है। जहाँ पर अर्थवाद वाक्य प्रशंसा या निन्दा कार्य द्वारा उपयोगी नहीं होते, ऐसे स्थलों पर वे सिद्ध अर्थों के निर्मायक भी होते हैं। अतः अर्थवादवाक्यों की धर्म के प्रति उपयोगिता सिद्ध है।

याज्ञिकों के द्वारा मन्त्र के रूप में व्यवहृत वेदभाग "मन्त्र" हैं। मन्त्र यागादि कर्म से सम्बन्धित द्रव्य, देवता आदि अर्थों का स्मरण कराते हैं। वेदमन्त्रों का अर्थप्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन है। यद्यपि स्मृति आदि अन्य उपायों से यह अर्थप्रकाशन सम्भव था, तथापि ऐसा करने पर "मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम्" आदि नियमविधियाँ व्यर्थ हो जाती जायेंगी। जिससे "अपूर्व" का सम्पादन न हो सकेगा। मन्त्रों का अर्थ विवक्षित है। यज्ञकाल में विधि के उपयोगी अर्थों का प्रकाशन करने के कारण मन्त्र विधि के सहायक हैं।

जैसे-लोक में विवक्षित अर्थ वाले यथार्थ पदों का व्यवहार होता है, वैसे ही वेदगत मन्त्रों में प्रयुक्त पद एवं वाक्य भी विवक्षित अर्थ वाले हैं। ये मन्त्र प्रकरण द्वारा विधि के साथ अद्भुता प्राप्त करते हैं। अतः इन्हें अक्रियार्थक नहीं कहा जा सकता। मन्त्रों की अदृष्ट-फलकता की किसी भी लौकिक अथवा वैदिक प्रमाण से पुष्टि नहीं होती। संहिताभाग में पढ़े गये मन्त्रों

का ब्राह्मणभाग में पुनः उल्लेख गुणविधानादि रूप विशिष्ट प्रयोजन की तिदि के लिये है ।

वेद में जिन मन्त्रों में परिसंख्या विधि की सहायता से अर्थप्रकाशन किया जाता है वहाँ पर श्रुतहानि, अश्रुतकल्पना एवं प्राप्त हानि आदि दोषत्रय नहीं प्राप्त होते । स्वरूप की दृष्टि से यह परिसंख्या-विधि श्रौती एवं लाक्षणिकी दो प्रकार की होती है । जबकि विधेय की दृष्टि से इसके शेष-परिसंख्या एवं शेषिपरिसंख्या रूप दो भेद प्राप्त होते हैं ।

“उस्मृश”<sup>1</sup> आदि कतिपय स्थलों पर मन्त्र यागकर्मा की स्तुति भी करते हैं । अतः जहाँ पर मन्त्रों द्वारा क्रियार्थप्रकाशन अथवा क्रिया के साथ सम्बन्ध न सिद्ध हो वहाँ उन्हें स्तुतिपरक मानना उचित है । विशेष क्रम से उच्चरित मन्त्र अदृष्टोत्पत्ति के साथ ही अर्थ की प्रतीति भी कराते हैं । इन मन्त्रों का ज्ञान यद्यपि पुरुष को अध्ययनकाल में ही हुआ रहता है, किन्तु अनुष्ठान-कालपर्यन्त वह ज्ञान पुरुष में अक्लि रूप में उपस्थित नहीं रहता । अतः स्मृति के उद्बोधन के लिये सम्येष मन्त्रों का पुनः पाठ किया गया है । कहीं-कहीं अर्थ की स्मृति में दृढ़ता लाने के लिये एक ही क्रिया के प्रकाशक कई मन्त्रों का प्रयोग भी हुआ है, किन्तु वह सब अदृष्टफल के लिये नहीं वरन् दृष्टप्रयोजन के लिये पढ़े गये हैं ।

“चत्वारि श्रुशा”<sup>2</sup> आदि मन्त्र किली अस्तित्वरहित पदार्थ का वर्णन नहीं करते । वे तो रूपक की सहायता से यज्ञपुरुष अथवा यज्ञकर्म का ही वर्णन करते हैं । वादी द्वारा उन्हें अक्लिमान पदार्थ का वर्णन करने वाला कहन अज्ञानमूलक है । वस्तुतः तो वे विवक्षित अर्थ वाले ही हैं । मन्त्रों में जो अचेत

1- तै0 ब्रा0 3/2/8/4

2- ऋ0सं04/58/3

पदार्थों को सम्बोधित किया गया है, वह भी गोणार्थ लेने पर संत हो जाता है। इनमें अचेतन पदार्थों में चेतन का आरोप भी गुणवाद से सिद्ध होता है। मन्त्रों द्वारा गोणकथन मान लेने पर "अदितिर्घो" <sup>1</sup> आदि मन्त्रों में विस्तृार्थ कथन भी नहीं सिद्ध होता।

इस प्रकार मन्त्र सदैव विद्यमान पदार्थों का ही कथन करते हैं। विधिवाक्यों की भाँति ही मन्त्र भी अपोत्प्रेय एवं नित्य है तथा वे नित्य पदार्थों का ही वर्णन करते हैं। "परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्" <sup>2</sup> आदि कथन भी इसमें प्रमाण हैं। जिस प्रकार लोकव्यवहार के लिये पूर्वज्ञ एवं उत्तरपक्ष कल्पित किये जाते हैं, उसी प्रकार वेदार्थ को स्पष्ट करने के लिये मन्त्रों में शृणु एवं आर्षेय विषयों की कल्पना की जाती है। वस्तुतः श्रुत्यादि स्मरण अर्थज्ञान को दृढ़ करने के लिये है।

लिङ्ग की सामर्थ्य से भी मन्त्रों का अर्थप्रकाशन रूप उपयोग ज्ञात होता है। "आग्नेय्या०" आदि विधियाँ इनकी अर्थमरता का ही ज्ञान कराती हैं। मन्त्रों में "उहर्दान" से भी इनका अर्थप्रकाशन रूप दृष्टफल प्रमाणित होता है। क्योंकि प्रकृतियाग में पढ़े गये मन्त्रों का विकृतियागों में अर्थपरिवर्तन इन अर्थविक्षा को ही सिद्ध करता है। विधिभाग में मन्त्रों की व्याख्या प्राप्त होने से भी मन्त्रों की अर्थप्रकाशन रूप उपयोगिता प्रमाणित होती है। यदि मन्त्रों को अर्थस्मारक नहीं मानेंगे, तो ब्राह्मणवाक्यों में किया गया उनका व्याख्यान असंगत हो जायेगा। जबकि विधिभाग की प्रामाणिकता सन्देह से परे है।

1- तै० आ० 1/13

2- जै० सू० 1/1/31

मन्त्रों द्वारा किया जाने वाला यह अर्थप्रकाशन यज्ञकाल में ही होता है, स्वाध्यायकाल में नहीं। स्वाध्यायकाल में तो पुरुष अक्षराभ्यास एवं अर्थज्ञान में ही तत्पर रहता है।

जिन स्थलों पर मन्त्रों का दृष्ट प्रयोजन न प्राप्त हो, वहाँ पर उनका अदृष्ट प्रयोजन मानना चाहिए। जैसे "हुं" "फट" आदि साममन्त्र। किन्तु जहाँ पर उनके द्वारा अर्थप्रकाशन हो रहा हो वहाँ पर उन्हें दृष्टफलक ही मानना चाहिए। मन्त्रों के सूक्, यजुष्य एवं सामन् तीन भेद हैं। जबकि विषय की दृष्टि से इन्हें करणमन्त्र, क्रियमाणानुवादी मन्त्र एवं अनुर्मन्त्रण या अभिमन्त्रण- तीन प्रकार से विभक्त किया जाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि इन सभी मन्त्रों का उपयोग यागकर्म से सम्बद्ध द्रव्यादि का स्मरण कराने के लिये तथा अदृष्ट के सम्पादन के लिये होता है। विधि को अभीष्ट यागादि कर्म में पुरुष-प्रवृत्ति के सम्यक् उन्हें याग समके अर्थों का स्मरण कराने के कारण इनकी विधि के प्रति स्मारकता सिद्ध है, अतः मन्त्र भी धर्म के प्रति प्रमाण ही हैं।

"नामधेयपद" विधेययागकर्म का अन्य यागों से व्याकृत करते हैं। उत्पत्तिवाक्यों में प्रयुक्त ये नामधेय पद यागों के नामनिर्धारण द्वारा पुरुष में विशेषयाग विषयक प्रमा उत्पन्न करने के कारण पुरुष प्रवर्तन में उपयोगी हैं। याग का परिच्छेद करने के कारण नामधेय यह व्यवस्था करते हैं कि अमुक फल की प्राप्ति हेतु पुरुष अमुक याग करे और इस प्रकार नामधेयपद विधिवाक्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। यद्यपि प्राचीन मीमांसकों ने वेदवाक्यों के नामधेयभाग का अलग से विभाजनपूर्वक उल्लेख नहीं किया है, तथापि ये विधि के विधान कार्य में सहायक होने के कारण उसी में संग्रहीत हो जाते हैं। >

नामधेयपद एवं यज धातु दोनों की प्रवृत्ति का कारण याग ही होने से इनका सामानाधिकरण्य है । इनका यह सामानाधिकरण्य "अग्निदेवो" और "आग्निश्चा" पदों की भाँति एकार्थवाचकता के कारण है । इस प्रकार "यज" धातु से सामान्य रूप से प्राप्त याग ही इन नामधेयपदों से युक्त होकर विशेष अर्थ का निश्चायक होता है ।

स्वरूप की दृष्टि से ये नामधेयपद चार वर्गों में विभक्त किये जाते हैं यौगिक पदों का नामधेयत्व, रूढ़ पदों का नामधेयत्व, योगरूढ़ पदों का नामधेयता तथा निरूढ़ अर्थात् लोकरूढ़ पदों का नामधेयत्व ।

विधिवाक्यों में प्रयुक्त इन पदों को प्रागनामधेय मानने के चार प्रमुख कारण हैं 1- मत्वर्थलक्षणा का भय 2- वाक्यभेददोष की प्राप्ति का भय 3- तत्प्रत्ययन्याय 4- तद्व्यपदेश न्याय ।

"उदभिदा यजेत पशुकामः" आदि वाक्यों में प्रयुक्त उदभिद्, अलभिद्, आदि यौगिक पदों को मत्वर्थलक्षणा से अचने के लिये प्रागनामधेय माना जाता है । इन्हें नामधेयपद न मानकर गुणविधि या गुणविशिष्टकर्म विधि मानने पर यागकर्म का विधायक अन्य वाक्य न प्राप्त होने से यहाँ पर मत्वर्थलक्षणा द्वारा यागकर्म की कल्पना करनी पड़ती है । साथ ही पशुकामादि फलविधायक पद भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं । गुणविशिष्टकर्म-विधि मानने पर एक ही वाक्य में प्रधानत्व, गुणत्व आदि परस्परविरोधी धर्मों को मानना पड़ता है । इसके फलस्वरूप यहाँ पर "विरुद्धत्रिक्रियापत्ति" नामक दोष प्राप्त होता है । अतः लक्षणावृत्ति के ग्रहण के कारण प्राप्त होने वाले इन दोषों से अचने के लिये इन वाक्यों में प्रयुक्त यौगिक पदों को अभिधावृत्ति से याग का संज्ञा



माना गया है। वेद के आश्रमभाग में उदाभिदादि योगिक पदों का निर्वचन भी इन्हें नामधेय के रूप में प्रमाणित करता है।

इस प्रकार "चित्रया यजेत" आदि वाक्यों में प्रयुक्त चित्रा, आज्य, पूष्ठ आदि रूढ़ पद भा याग को संज्ञा हैं। इन्हें यागकर्म को संज्ञा मानने पर वाक्यभेद-दोष को निवृत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रादि पदों को गुणविधायक मानने पर एक पद से अनेक गुणों का विधान मानना होगा, जो कि शास्त्रविरुद्ध है। "चित्रया" आदि पदों में विधायक प्रत्यय के एक ही होने से चित्रत्व-रूत्रात्व आदि गुणों के विधान के लिये विरोध को जावृत्ति माननी पड़ेगी। जिससे वाक्यभेद नामक दोष उत्पन्न होता है। जबकि इन्हें याग को संज्ञा मानने पर इस कल्पनागौरव से <sup>निवृत्ति</sup> होती है, साथ ही इन यागों के लिये गुण का विधान करने वाले "दधिमधु" आदि वाक्य भी व्यर्थ नहीं होते। वस्तुतः विचित्र द्रव्यों से सम्पादित होने के कारण ही इसे चित्रा याग कहा जाता है। गुण के विधायक पदों के सद्भा प्रतीत होने वाले इन चित्रा, आज्य आदि पदों को याग की संज्ञा मानने पर श्रुतबोध और अश्रुतकल्पना रूप दोष भी नहीं प्राप्त होता, और इन यागविधायक पदों का याग के साथ सामानाधिकरण्य भी प्राप्त होता है। इन्हें याग को संज्ञा मानने पर याग के स्तवक अर्थवादवाक्य भी उपपन्न होते हैं

"अग्निहोत्रं जुहोति" आदि वाक्यों में प्रयुक्त अग्निहोत्रादि योगरूढ़ पद "तत्प्रथम्याय" से याग की संज्ञा सिद्ध होते हैं। इन पदों को देवता अथवा संस्कारादि गुणों का विधायक इसलिये नहीं माना जाता, क्योंकि इन गुणों का विधायक अन्य शास्त्र पहले से ही प्राप्त रहता है। मन्त्रवाक्य के द्वारा ही इनको अमोघट देवता आदि गुणों का प्राप्ति ही जाने के कारण

ये पद याग की संज्ञा ही हैं । अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त जग्निशोत्र, आधार, समिन् आदि पद गुणविधायक नहीं, प्रत्युत याग की संज्ञा हैं । इन नामधेय पदों और "यज" का सामानाधिकरण्य एकविभक्तिक न होकर एकार्थवाचकता है ।

शयनेनभिचरन् यजेत्<sup>1</sup> वाक्यों में प्रयुक्त शयेन, संदरा आदि पद लोकप्रसिद्ध द्रव्य रूप गुण के विधायक न होकर यागकर्म के नामधेय हैं । यदि इन्हें याग की संज्ञा न मानकर गुण का विधायक मानते हैं अर्थवादगत शयेनादिस्म उपमान से शयेनादि की ही उपमा माननी होगी । जिससे एक ही पदार्थ में उपमानोपमेय भाव होगा, जो कि उचित नहीं है । अतः ऐसे पदों को "तद्व्यपदेशन्याय" से याग की संज्ञा माना गया है । वस्तुतः "यथा वै शयेनो<sup>0</sup>" आदि अर्थवादवाक्य शयेनादि संज्ञक याग की प्रशंसा द्वारा विधेय गुण के रूप में प्राप्त पक्षों की भिन्नता का वर्णन करते हैं । इस प्रकार उपमान पदार्थ की भिन्नता के कारण ये शयेनादि पद यागकर्म की संज्ञा हैं ।

इसी प्रकार "कैवदेवेन यजति," वाजपेयेन यजेत् आदि वाक्यों में प्रयुक्त कैवदेवादि पदों को यागनामधेयता "तत्प्रव्य न्याय" से ही है । यह आक्षेपक नहीं है कि विधेय गुण की प्राप्ति मन्त्र से ही हो या विधि से ही उसकी प्राप्ति अर्थवाद वाक्य से भी हो सकती है क्योंकि वे भी विधि के शेष ही हैं । अतः यह स्पष्ट है कि नामधेयपद याग की विशेषता को प्रकट करते हैं । विशिष्टफल की प्राप्ति के लिये पुरुष में नामविशेषित प्रमा उत्पन्न करके ये विधि के उपकारक अन्ते हैं, क्योंकि पुरुष अपने अभाषट की प्राप्ति कराने वाले कर्मों को जानकर ही उनका अनुष्ठान करता है, अतः ये निष्प्रयोजन नहीं हैं । इसलिये धर्म के प्रति भां ये प्रमाण हैं ।

वेदगत "निषेधवाक्य" अनर्थकारी कर्मों से पुरुष को निवृत्त कराते हैं।

ये विधि से विपरीत अर्थ के बोधक होते हैं। अनिष्टनिवृत्ति के कारण निषेधवाक्य भी विधि की भाँति ही पुरुषार्थप्राप्ति में सहायक हैं। लिङ्गादि-युक्त नञ् के साथ पठित वाक्य ही निषेधवाक्य कहे जाते हैं। इनका कार्य निषेध्य विषयों से पुरुष निवर्तन है। निषेधवाक्यों में प्रयुक्त नञ् सदैव अपने से सम्बद्ध पदार्थ के विपरीत अर्थ का बोधक होता है। इन निषेधवाक्यों से यह ज्ञात होता है किन कर्मों के अनुष्ठान से पुरुष अधर्म का सम्पादन करता है। ऐसे निषेध्य कर्मों के अनुष्ठान के प्रति पुरुष में निवृत्तिबुद्धि उत्पन्न करना ही इनका प्रयोजन है। इस प्रकार निषेधवाक्यगत नञ् प्रवर्तना के विरोधा निवर्तना का ज्ञान कराता है।

लिङ्., लोट्, तव्य आदि युक्त वाक्यों में जब नञ् का सम्बन्ध विधायक प्रत्यय के साथ होता है, तो इनके द्वारा अत्यन्तनिषेध रूप अर्थ प्राप्त होता है। जब यही नञ् धातु अथवा प्रातिपदिक के साथ संयुक्त होता है, तो उसका प्रयोजन निषेध न होकर नञ् के साथ संयुक्त धात्वर्थ अथवा नाम से भिन्न की कर्तव्य के रूप में प्राप्ति होती है। इस निषेध को "पर्युदासनिषेध" कहते हैं। "ब्राह्मणो न हन्तव्यम्" आदि वाक्यों में नञ् का सम्बन्ध विधायक प्रत्यय के साथ होने के कारण ऐसे स्थलों पर नञ् निषेधरूप ही होता है। जबकि "यजतिषु ये यजामहं करोति नानूयाजेषु" आदि वाक्यों में नञ् का सम्बन्ध प्रत्यय के साथ न होकर "अनूयाज" आदि प्रातिपदिक के साथ होता है। अतः यहाँ लक्षणार्थ का सहारा लेकर इस वाक्य का "अनूयाजभिन्न यागो मे ये यजामहं का उच्चारण" ही कर्तव्य रूप से प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर्युदास है। यह वस्तुतः निषेध नहीं प्रत्युत विधि रूप ही है, क्योंकि यहाँ तदभिन्न का अनुष्ठान ही कर्तव्य रूप में प्राप्त होता है अनुष्ठान नहीं।

जब नञ् का प्रत्ययार्थ अर्थात् शाब्दीभावना के साथ अन्वय करने पर अभीष्ट अर्थ को प्राप्ति नहीं होती तभी नञ् का अन्वय धातु अथवा

प्रातिपदिक के साथ किया जाता है । प्रत्ययार्थ के साथ नञ् के अन्वय में दो बाधक हेतु हैं, "तस्य व्रतम्" रूप संकल्प, विकल्पप्रसक्ति । इन बाधक हेतुओं में से किसी एक को प्राप्ति होने पर ही नञ् का लक्षणावृत्ति से पर्युदास अर्थ लिया जाता है । इन बाधक हेतुओं के न होने पर मुख्यवृत्ति से निषेध अर्थ ही लिया जाता है ।

"नेक्तोद्यन्तमादित्यम्"<sup>1</sup> आदि वाक्यों में नञ् का भावना के साथ अन्वय करने में प्रारम्भ में किया गया "तस्य व्रतम्" ऐसा संकल्प बाधक है । अतः यहाँ पर नञ् का अन्वय प्रत्यय के साथ न करके "ईञ्" धातु के साथ किया जाता है । जिसके फलस्वरूप "आदित्य विषयक अनोक्षण संकल्प" कर्तव्य रूप में प्राप्त होता है । जबकि "नानुयाजेषु" आदि वाक्यों में नञ् का भावना के साथ अन्वय करने पर विकल्प प्राप्त होता है । विकल्प के आठ दोषों से युक्त होने के कारण उसको अपेक्षा लक्षणा ग्रहण करने में लाघव है । अतः यहाँ पर नञ् प्रातिपदिक अनुयाज के साथ संयुक्त होकर "अनुयाजभिन्न यागों" में ये यजामह को कर्तव्य रूप में प्राप्ति कराता है ।

निषेधवाक्यगत नञ् अपने से सम्बद्ध पदार्थ से भिन्न में व्यवस्थापन करता है । अतः यह स्वमात्र में संकोच करने वाले उपसंहार से भिन्न है । जब विधान और प्रतिषेध दोनों ही शास्त्रकवन से विहित होते हैं तो वहाँ पर अगत्या विकल्पप्रतिषेध ही माना जाता है, क्योंकि शास्त्र प्राप्त का अत्यन्त निषेध नहीं हो सकता । अतः विधि से विहित का निषेध होने पर विकल्प-प्रसक्ति का निवारण सम्भव नहीं होता । रागतः प्राप्त कर्मों का शास्त्र से सदैव निषेध किया जाता है । अनिष्ट निवारण करने के कारण ऐसे वाक्यों में नञ् अत्यन्त निषेधरूप होता है । इसलिये इन वाक्यों में नञ् का अन्वय प्रत्ययार्थ के साथ ही होता है ।

पुरुषार्थ के रूप में शास्त्र द्वारा विहित दान दामादि कर्मों का भी ज्योतिषटोमादि यागों में कृत्वर्थ के लिये निषेध होता है । यद्यपि दानादि कर्मों का अनुष्ठान नरकादि रूप अनर्थ का जनक नहीं है, तथापि क्रतु में वैगुण्य उत्पन्न करने के कारण क्रतुकाल में इनकी निवृत्ति अभीष्ट है ।

राग के कारण प्राप्त एवं स्मृति आदि ज्वनों से प्राप्त पुरुषार्थ-भूत कर्मों का भी कृत्वर्थ के लिये निषेध किया जाता है । जैसे-स्वस्त्रोगमनादि कर्मों का निषेध । यद्यपि ये कर्म न तो नरकादि रूप अनिष्ट फल वाले हैं और न ही क्रतु में वैगुण्योत्पादक हैं, तथापि पुरुष को प्रत्यजाय को प्राप्ति कराने के कारण यागकाल में इनका निषेध किया गया है ; क्योंकि प्रत्यजाय परिहार के लिये बाद में पुरुष को प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, जो अभीष्ट नहीं है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधि की भाँति ही निषेधवाक्य भी पुरुषार्थ प्राप्त में सहायक होते हैं, अतः ये निष्प्रयोजन नहीं हैं । धर्मरूपी प्रमिति के उत्पादन में सहायक होने के कारण इनका धर्म के प्रति प्रामाण्य भी सिद्ध है ।

निष्कर्ष यह है कि स्वाध्यायविधि से सम्पूर्ण वेद का अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन का विधान होने से तथा विधि के पुरुष प्रवर्तन कार्य में सहायक होने से अर्थवाद, मंत्र, यागनामधेय और निषेधवाक्यों की धर्म के प्रति प्रामाण्यता सिद्ध हो जाती है ।

---

सहायक ग्रन्थ-सूची

<u>ग्रन्थ का नाम</u>	<u>लेखक का नाम</u>	<u>प्रकाशक</u>
अर्थसंग्रह	रामेश्वरशिवयोगिभिक्षु	चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1972
कुतुहलवृत्ति	वासुदेव दोगिषत	वाणोक्लिास सोरोज-न०।
कुतुहलवृत्ति [संग्रहपूर्ण]		लालबहादुरशास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली, 1972 ई०
शास्त्रभाष्य	युधिष्ठिर मोमांसक	रामलाल कपूर ट्रस्ट अहालगढ़, 1987 ई०
मोमांसादर्शनम् --7	भट्टकुमारिल कृततन्त्रवार्तिक एवं सोमेश्वर कृत शास्त्रभाष्य न्याय-सुधासहित	तारा प्रिन्टिंग वर्क्स वाराणसी 204। वि०सं०, आनन्दाश्रम प्रेस, 1973
शास्त्रदीपिका	पार्थसारथिमिश्र	लालबहादुर संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली, 1978 ई०
शास्त्रदीपिका	पार्थसारथिमिश्र	भारतीय विद्या प्रकाशन अनारस, 1977 ई०
भाट्टदीपिका	छण्डदेव	निर्णयसागर प्रेस बम्बई, 1922
भाट्टदर्शनस्य	छण्डदेव	गर्वमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस मैसूर 1916 शास्त्रमुक्ता- वलिसोरोज कान्चोपुर

मीमांसाकोस्तुभम्- ॥ प्रथम तथा द्वितीयभाग ॥	ऋण्डदेव	चौखम्भा संस्कृत सीरोज अनारस, 1924
मीमांसाकोस्तुभ-	ऋण्डदेव	चौखम्भा संस्कृत संस्थान अनारस 1933
मीमांसाबालप्रकाश-	शङ्करभट्ट	विद्याविलासप्रेस अनारस 1902 ई०
मीमांसान्यायप्रकाश-	आपदेव	मेडिकल हाल प्रेस अनारस 1906
मीमांसान्यायप्रकाश सारविवेचनी सहित	चिन्नस्वामी शास्त्री	विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 1924
मीमांसापरिभाषा -	श्रीकृष्ण यज्वा	मेडिकल हाल प्रेस अनारस 1905
जैमिनीयन्यायमाला विस्तर	माधवाचार्य	आनन्दाश्रम प्रेस पूना 1892
जैमिनोयन्यायमाला विस्तर	माधवाचार्य	काशीसंस्कृत सीरोज वाराणसी- 1937
जैमिनोयसूत्रार्थसंग्रह -	शुभिसुत्र परमेश्वर	अनन्तशायन संस्कृत सीरोज भास्कर प्रेस 1951
श्लोकवार्तिक - ॥ न्यारतनाकरटीका- सहित ॥	कुमारिलभट्ट	तारा प्रिन्टिंग प्रेस अनारस 1978
तन्त्रवार्तिक -	कुमारिलभट्ट	विद्याविलास प्रेस अनारस 1903
तन्त्रसिद्धान्त रतनाकरो	चिन्नस्वामी शास्त्री	काशी विन्डू विद्याविद्यालय, अनारस 1944

वृहती-भृजुविमला- पाण्डिका, एवं शाबर- भाष्य सहित (प्रथमभाग से पन्धम भाग पर्यन्त)	प्रभाकर मिश्र	मद्रास विश्वविद्यालय 1962
विधि विवेक	- मण्डन मिश्र	
दुष्टीका	- कुमारिलभट्ट	विद्याविलास प्रेस बनारस 1904
प्रकरणपाण्डिका	- शालिक्रनाथ मिश्र	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 1961
न्यायबुधा ॥ तन्त्रवार्तिक की टोका ॥	- सोमेश्वरभट्ट	विद्याविलास प्रेस बनारस, 1901 ई०
निरुक्त ॥ दुर्गाचार्यकृतटीकासहित ॥	- यास्कमुनि	चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
मनुस्मृति	-	आर्षभाषित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली 1985
आत्मोक्ति रामायण	- आत्मोक्ति	गीता प्रेस, गोरखपुर
तैत्तिरीयसंहितासहित	-	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस 1939
तन्त्ररत्नम्	- पार्थसारथि मिश्र	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 1972
भारतीय दर्शन का इतिहास	- डॉ० राधाकृष्णन्	

---